



# पत्रकार-कला

विष्णुदत्त शुक्ल

---



# **पत्रकार-कला**

**विष्णुदत्त शुक्ल**

---

प्रकाशक—विष्णुदत्त शुक्ल  
सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर  
१२०१९ वाराणसी घोष स्ट्रीट  
कलकत्ता  
—०—

४

द्वितीय संस्करण—अप्रैल १९३७  
मूल्य २॥ रुपये

मुद्रक—शिवनाथ शुक्ल  
दी अवध प्रेस  
१६११ हरीसन रोड  
कलकत्ता

५

## विषय-सूची

---

- |   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| १ | पत्रकार-कला और पत्रकार  | .... | .... |
|   | पत्रकार की परिभाषा—पत्रकारोंके भेद—पत्रकार और लेखक—<br>पत्रकारोंकी विशेषताएँ—कार्यगुरुता—योग्यता—कुछ विदेशी और<br>एतद्वैशीय पत्रकार।  |      | १    |
| २ | समाचार-पत्र—(ऐतिहासिक हृष्टिकोण)  | .... | १५   |
|   | समाचार-पत्र शब्द की उत्पत्ति—समाचार-पत्रों की उत्पत्ति—<br>परिभाषा—ससारका सबसे प्रथम पत्र—भारतवर्षका सर्व-प्रथम पत्र<br>—हिन्दीका सर्व प्रथम पत्र—क्रमोन्नति—पाठ्य विषय की क्रमो-<br>न्नति—समाचार-पत्रोंके भेद। |      |      |

३	समाचार-पत्र—(पर्यालोचन)	..	२८
	नमाचार-पत्रों की आवश्यकता—उनका उपयोग—पत्र प्रकाशनने व्यापारिकता—जीवनमें पत्रोंका स्थान—पत्रोंसा दायित्व—समाचार-पत्रके अन्य—कार्य क्षेत्र—सजापटकी उपयोगिता—प्रचार क्षेत्र का केन्द्रीकरण।		
४	समाचार-पत्र—(तुलनात्मक विचार)	..	४३
	विदेशीय-पत्र और उनका वैभव—अमेरिकाके पत्र—इंग्लैण्डके पत्र—जापानके पत्र—हस्सके पत्र—भारतवर्षके पत्र—प्रकाशन अवधिके आधारपर पत्रोंके भेद—विषयके आधारपर पत्रोंके भेद।		
५	रिपोर्टिंग	..	५६
	रिपोर्टिंगका महत्व—परिभाषा—रिपोर्टर की विशेषता—रिपोर्टरों के भेद—रिपोर्टरोंका दायित्व—रिपोर्टिंगका इतिहास—रिपोर्टरका कार्य—उनके कर्तव्य—रिपोर्टरके गुण—सभाओं की रिपोर्टिंग की रीति।		
६	सम्वाददाता	..	५०
	रिपोर्टर और सम्वाददाता—इतिहास—सम्वाददाता की योग्यता—सम्वाददाताओं की नियुक्ति—उनके कर्तव्य—सम्वाददाताओंके भेद—सैनिक सम्वाददाता।		
७	समाचार-समितिया	..	८३
	परिभाषा—इतिहास—भारतवर्षमें समाचार-समितियों की स्थापना—राइटर—एसोसियेटेड प्रेस अमेरिका—प्रेस एसोसिएशन इंग्लैण्ड—एसोसियेटेड प्रेस (भारतवर्ष)—फ्री प्रेस—युनाइटेड प्रेस।		
८	भेट और बातचीत	..	६४
	परिभाषा—इतिहास—किससे भेट की जाती है?—कार्यकी कठिनता—भेट करनेवाले की योग्यता और गुण—तैयारी—आवश्यक वस्तुएँ और बातें—वर्णन प्रणाली—कार्यका दायित्व।		

## ६ लेख और लेखक

लेखके भेद—अग्रलेख—विशेष लेख—वंचारात्मक लेख—बणना-त्मक लेख—नामाकित लेख—गुप्त नाम लेख—मुख्य लेख और विशेष लेख—लेखकोंके भेद—लेखकोंके कैसे विषय पर लिखना चाहिये—विशेषज्ञता की आवश्यकता—लेखन पद्धति—विराम चिन्होंका प्रयोग—प्रकाशनार्थ लेख भेजनेके नियम—नवीन लेखकों के लिये ज्ञातव्य बातें ।

१० प्रूफरीड़िज़ .. ... ११८

प्रूफरीड़िज़ की महत्ता—हमारी दयनीय दशा—इतिहास—कार्यकी विवेचना—प्रूफ की श्रेणिया—प्रूफ पढ़ने की परिपाटी—संशोधन सम्बन्धी हिदायतें—‘कापी’ के सम्पादन की आवश्यकता—संशोधन सम्बन्धी नियम—चिन्ह—संशोधनों का विस्तृत विवरण ।

११ समाचार-सम्पादन .... .... १३३

समाचारोंका महत्व—समाचार की परिभाषा—समाचार संकलन—शीर्षकोंको सार्थकता—शीर्षकोंमें विराम चिन्ह—प्रधान शीर्षक और अन्तः शीर्षक—समाचार सम्पादन—समाचारमें ताजगी—घटना सम्बन्धी समाचार—अदालती समाचार—संस्थाओं के समाचार—मनोरक्षन सम्बन्धी समाचार—समाचार प्रकाशनका उद्देश्य—स्टाप प्रेस—कुछ जोखिम भरे समाचार ।

१२ पत्र-सम्पादन .... .... १५०

पत्रोंका महत्व—पत्रोंके भेद—अपने सम्वाददाताओंके पत्र—योंही आये हुए पत्र—पत्र-सम्पादन प्रणाली—पत्रों की प्राप्ति की सूचना—मानहानिकारक पत्र ।

१३ आलोचना

१५८

पत्रकार-कला और आलोचना—आलोचनाओं की उपयोगिता—आलोचना की वस्तुएँ—आलोचनारा अभिप्राय—पत्रों की आलोचना—पुस्तकों की आलोचना—आलोचनामें व्यक्तिगत आनंदप्रचाने की आवश्यकता—नाटकों और सिनेमाओं की आलोचना—चित्रों और प्रतिमाओं की आलोचना—आलोच्य विषय—आलोचकोंके कर्तव्य—हिन्दी पत्रोंमें आलोचनाका स्थान।

१४ उप-सम्पादक

१७८

सम्पादक और उप-सम्पादक—उप-सम्पादक की योग्यताएँ—पत्रों-ज्ञानमें उप-सम्पादकका हाथ—उसका दायित्व—उप-सम्पादकोंके भेद—कार्यगुरुता—उप-सम्पादकके काम की खास वस्तुएँ।

१५ सम्पादक

१८४

सम्पादकका गुरुत्व—सम्पादकके गुण—नाम प्रकाशन—कार्यका उत्तर दायित्व—सहायकोंके प्रति सदृश्यवहार की आवश्यकता—सम्पादकीय कार्य—भानहानिकारक लेख—आनंदोलनका नेतृत्व—सम्पादकों की वर्तमान अवस्था।

१६ प्रवन्ध-सम्पादक

२०२

परिभाषा—इतिहास—प्रभाव—कर्तव्य—गुण—कार्य विभाग—प्रकाशन और विज्ञापन दोनोंका दायित्व—कर्मचारियोंका हित-चिन्तन।

१७ समाचार-पत्र पठन

... २१०

पत्र-पठनकी आवश्यकता—पढ़नेका ढंग—समाचार पढ़नेवालोंके लिये—विचार पढ़नेवालोंके लिये—विज्ञापन पढ़नेवालोंके लिये—पत्र-पठनकी ओर हमारी उदासीनता।

## १८ गत्यवरोधके कारण

शासकोंके प्रहार—दमनकारी कानून—डाकघरः अमेरिकी असुविधाएँ—  
—सरकारी रिपोर्टों आदि की दुष्प्राप्ति—प्रवन्धकोंका व्यवहार—  
योग्यता की उपेक्षाकर सस्ते पनको महत्व देना—स्वयं सम्पादकों  
की कमज़ोरी—सम्पादकों और लेखकोंकी शिक्षा और योग्यताकी  
ओर ध्यान न देकर कार्यभार उठा लेना—पाठकों की विवशता—  
उनकी निरक्षरता—मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइया ।

## १९ उन्नतिके उपाय

२२६

जनताके हिताहितका अधिक ध्यान रखना—उसे अधिक-से-अधिक  
सुविधा देनेका प्रयत्न करना—उसके मनोरञ्जनका ध्यान रखना—  
कर्मचारी मण्डलके बढाने की आवश्यकता—देशीराज्यों तथा  
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखने की आवश्यकता—विशेष  
आन्दोलनोंका नेतृत्व ग्रहण करना—अपने क्षेत्रका केन्द्री करण—  
विज्ञापन ।

## २० पारिश्रमिक

..

...

२४१

पत्रकारों की अवस्था—छुट्टियों और कामके घण्टों की कठिनाइया  
वेतन और पारिश्रमिक की शरह की खेद जनक कमी—परिस्थिति  
में सुधार की आवश्यकता—पत्रकार परिषद और साहित्य-सम्मेलन  
के कर्तव्य ।

## २१ शिक्षा-व्यवस्था

..

२५०

पत्रकार-कला की शिक्षाकी उपेक्षा—इस दिशामें हिन्दी भाषियों—  
का प्रयत्न—उसकी असफलता—अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था—  
देशके विश्वविद्यालयों की उदासीनता—पत्रकार-कला की शिक्षाके  
लिये विद्यापीठकी आवश्यकता ।

२२ पत्रकार परिषद्

२५८

पत्रकारों की सगठनसम्बन्धी उदासीनता—अवतके सगठनका विवरण—पत्रकार परिषद्को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता—परिषद्को पत्रकारों की अवस्था सुधारना चाहिये—गमाचार-समितिका निर्माण—वेकार, विपद्ग्रस्त और अमर्दय पत्रकारों तथा उनके आश्रितों की सहायता—परिषद्के प्रकाशन विभाग की आवश्यकता ।

२३ विज्ञापन

२७०

परिभाषा—विज्ञापनका प्रचार—विज्ञापन दाताओं की मनोवृत्ति—दूसरोंके विज्ञापन अपने पत्रमें—अपने पत्रका विज्ञापन दूसरे पत्रों में—अपने ही पत्रमें अपना विज्ञापन—गन्दे और कुहचि वर्धक विज्ञापनोंके वहिप्कार की आवश्यकता ।

२४ फुटकर वाते

२७६

लेखकोंको उनके लेखों की प्रतिया अलग भेजने की व्यवस्था—एडवान्स कापी—‘प्राप्त’ लेख—‘कापी’—पत्रोंपर वैज्ञानिक आविष्कारोंका प्रभाव ।

परिशिष्ट—१

... २८१

पत्रकारोंके प्रयोगमें आनेवाले कुछ शब्द ।

परिशिष्ट—२

... २८५

सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तके ।

परिशिष्ट—३

... ... २८६

समाचार-पत्र निकालनेमें प्रारम्भिक कानूनी कार्यवाही ।

सहायक ग्रन्थों की तालिका

.... .... २८८



## द्वितीय संस्करणका निवेदन

पत्रकार-कलाका दूसरा संस्करण जन साधारणके सम्मुख उपस्थित करते हुये मुक्ते प्रसन्नता हो रही है। विद्वन् मण्डली ने इसके प्रथम संस्करणको कृपा पूर्वक अपना कर जो प्रोत्साहन प्रदान किया था उसीके फल स्वरूप यह संस्करण प्रकाशित करनेका साहस हुआ है। इस संस्करणमें अनेक आवश्यक सशोधन किये गये हैं और पुस्तकको समयोपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया है। आशा है ये परिवर्तन पाठकोके लिये लाभप्रद होगे।

पुस्तकके सशोधनमें मुझे अपने मित्र श्री देवव्रत शास्त्री (नवशक्ति-सम्पादक) से बड़ी सहायता मिली है। जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

अप्रैल १९३७ }  
}

विष्णुदत्त शुक्ल

5

## प्रथम संस्करणका निवेदन



पत्रकार बनने की प्रवृत्ति हिन्दी सासारमें बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के अनुरूप साहित्य की आवश्यकता है। “पत्रकार-कला” द्वारा कुछ अशोर्में इसी आवश्यकता की पूर्ति करने की चेष्टा की गयी है। इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट होनेवाले सज्जन प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उनका नवीन जीवन-पथ कुछ साफ हो जाय, यदी इस पुस्तकका उद्देश्य है। इसमें यह प्रयत्न किया गया है कि पाठकोंके सामने पत्रकार-कला सम्बन्धी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक-दोनों प्रकार की अधिक-से-अधिक बातें पहुंच जाय। इस प्रयत्नमें कहा तक सफलता मिली है इसका विवेचन करनेका अधिकार मुझे नहीं है। अस्तु ।

इस पुरतकके लिखनेमें सहायक ग्रन्थों और पत्रोंके अतिरिक्त, जिनका उल्लेख अन्यत्र मिलेगा, सबसे अधिक और बहुमूल्य सहायता मुझे श्रद्धेय गणेशशङ्करजी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की प्रेरणा और शिक्षाका फल है। गणेशजीके अतिरिक्त “विशालभारत” सम्पादक श्री० बनारसीदासजी चतुर्वेदी तथा ‘कर्मबीर’ सम्पादक श्री० माखनलालजी चतुर्वेदीने भी अपने सत्परामर्जी और प्रोत्साहन द्वारा सहायता प्रदान की है। मैं अपने इन आदरणीय सहायकोंके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

विष्णुदत्त शुक्ल







सम्पादकाचार्य गणेशशङ्कर विद्यार्थी



## दो शब्द

—\*—

हिन्दीमें पत्रकार-कलाके सम्बन्धमें कुछ अच्छी पुस्तकोंके होने की बहुत आवश्यकता है। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत्त शुक्र ने इस पुस्तकको लिखकर एक आवश्यक काम किया है। शुक्रजी सिद्ध-हस्त पत्रकार हैं। अपनी पुस्तकमें उन्होंने बहुत-सी वातें पते की कही हैं। मेरा विश्वास है कि पत्रकार-कलासे जो लोग सम्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक और उसकी वातोंसे बहुत लाभ होगा। मैं इस पुस्तक की रचना पर शुक्रजीको हृदयसे बधाई देता हूँ।

अझरेजीमें इस विषय की बहुत-सी पुस्तकें हैं। अझरेजी पत्रकार-कलाका कहना ही क्या है, वह तो बहुत आगे बढ़ी हुई चीज है। हिन्दीमें हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। किन्तु, हम उन्ही लकीरों

पर आगे बढ़े जो हमारे सामने अँड़ित हैं, इस वातसे मैं सहमत नहीं हूँ। उस समय उन्हीं लक्कीरों पर हम भली भाति चल भी नहीं गकते। हमारी दृष्टिका काम अभी तक वहुत प्रारम्भिक अवग्रामे हैं। अभी, हिन्दी पत्रोंके लाखों की सख्यामें निकलनेका समय नहीं आया है। जब तक देशमें नाथरता भलीभाति नहीं फैलती और जबतक देश की दण्डिता कम नहीं होती, तबतक देशके करोड़ों आदमी समाचार-पत्र नहीं पढ़ गकते, और तबतक छापेखाने उतने उन्नत नहीं हो सकते जितने कि विदेशोंमें हैं, या यहा अज्ञरेजी पत्रोंके हैं। एक दिव्यत और भी है। हमारा देश पराधीन है। हम ऐसे शासन की मातहतीमें सास लेते हैं, जिसकी अन्तरान्मा “आर्टिनेन्सो” और काले कानूनोंके सहारे पर विश्वास करती है। यहाका राजविद्वोहका कानून दुनिया भरसे निराला है। और, जायद इसलिये कि इस देशमें प्रत्येक देशभक्तका राजविद्वोही होना अनिवार्य है। उस अस्त्रभाविक परिमितिके कारण हिन्दीके समाचार-पत्रोंका विकास और भी हुका हुआ है। किन्तु, यदि थोड़ी टेरके लिये यह सान लिया जाय कि ये रुकावट नहीं हैं, या दूर हो गई, तो इस दशामें क्या यह ठीक होगा कि इस समय ससारके अन्य बड़े देशोंमें समाचार-पत्रोंके चलने की जो लकीर है, उसका हम अनुकरण करें, या यह कि हम अपने आदर्शके सम्बन्धमें अविक सजगता और सतर्कतासे काम लें? मैं यह धृष्टता तो नहीं कर सकता, कि यह कहूँ कि ससारके अन्य सब बड़े पत्र गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और उनका अनुकरण नहीं होना चाहिये। किन्तु मेरी धारणा यह अवश्य है कि ससारके अधिकाश समाचार-पत्र पैसे कमाने और झटकों सच और सचको भूठ सिङ्ग करनेके काममें उतनेही लगे हुये हैं जितने कि ससारके वहुतसे चरित्र-शृण्य व्यक्ति। अधिकाश बड़े समाचार-पत्र धनी-मानी लोगों द्वारा सञ्चालित होते हैं। इसी प्रकारके सञ्चालन या किसी दल विशेष की प्रेरणा ही से उनका । सम्भव है। अपने सञ्चालको या अपने दलके विरुद्ध सत्य वात कहना । की वस्तु है, उनके पक्ष-समर्थनके लिये ये हर तरहके हथ-कण्डोंसे अपना नित्यका आवश्यक काम समझते हैं। इस काममें तो, वे इस

बातका विचार रखना आवश्यक नहीं समझते कि सत्य क्या है ? सत्य उनके लिये ग्रहण करने की वस्तु नहीं है, वे तो अपने मतलबकी बात चाहते हैं। ससार भरमें यह हो रहा है। इन्हें जिन पत्रोंको छोड़कर, सभी पत्र ऐसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रकार-कलाकौ अपना काम यना रखा हैं उनमें बहुत कम ऐसे लेगा हैं जो अपने चित्तको इस बात पर विचार करनेका कष्ट उठानेका अवसर देते हों कि हमें सचाई की भी लाज रखना चाहिये, केवल अपनी मक्कन रोटीके लिये दिनभरमें कई रज्ज बदलना ठीक नहीं है। इस देशमें भी दुर्भाग्यसे समाचार-पत्रों और पत्रकारोंके लिये यही मार्ग बनता जाता है। हिन्दी पत्रोंके सामने भी यही लकीर खिचती जा रही है। यहां भी यब बहुत से समाचार-पत्र सर्व-साधारणके कल्याणके लिये नहीं रहे, सर्वराधारण उनके प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं। एक समय था, इस देशमें राधारण आदमी सर्व-साधारणके हितार्थ एक ऊँचा भाव लेकर पत्र निकालता था, और उस पत्रको जीवन-झेत्रमें स्थान मिल जाया करता था। आज वैरा नहीं हो सकता। आपके पास जबरदस्त विचार हों, और पैसा न हो, और पैरों बालेका चल न हो, तो आपके विचार आगे न फैल सकेंगे, आपका पत्र न चल राकेगा। इस देशमें भी समाचार-पत्रोंका आधार धन हो रहा है। धनसे ही वे निधलते हैं, धनहींके आधार पर वे चलते हैं, और वहीं वेदनाके राथ नहिना पढ़ता है कि उनमें काम करनेवाले बहुतसे पत्रकार भी धनहीं की अभ्यर्थना धरते हैं। अभी यहा पूरा अन्धकार नहीं हुआ है, किन्तु लक्षण बैसेही हैं। बुछती गांग पश्चात् यहांके समाचार-पत्र भी मैंशीनके राट्रा हो जायेंगे, और उनमें भाग करनेवाले पत्रकार केवल मैंशीनके पुरजे। व्यक्तित्व न रहेगा, रात्रि दौर असत्यका अन्तर न रहेगा, अन्यायके विरुद्ध उट जाने और गांगमें छिंग आफतोंके बुलाने की चाह न रहेगी, रह जायगा केवल मिनी ड्रैग और चलना। मैं तो उस अवस्थाको अच्छा नहीं कह सकता। मैं धने द्वारा अपेक्षा छोटे और छोटेसे भी छोटे, किन्तु कुछ गिलातों वाले द्वारा भी। पत्र-कार कैसा हो इस सम्बन्धमें दो रायें हैं। एक तो यह कि 'उमं

असत्य, न्याय या अन्यायके भगाड़में नहीं पड़ना चाहिये, एक पत्रमें वह नरम बात कहे, तो विना हिचक दूसरेमें वह गरम कह सकता है, जैसा बातावरण देखे, वैसा करे, अपने लिगने की शक्तिसे हटकर पैसे कमावे धर्म और अधर्मके भगाड़में न अपना ममय रखनी करे और न अपना दिमागही। दूसरी गद्य यह कि पत्रकार की समाजके प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेकके अनुसार अपने पाठकोंको ठीक मार्ग पर ले जाता है, वह जो बुल्ल लिखें, प्रमाण और परिणामका विचार रखकर लिखे, और अपनी नति-नतिमें नदेव शुद्ध और विवक्षील रहे। पसा कमाना उसका ध्येय नहीं है, लोक-न्सेवा उसका ध्येय है, और अपने कामसे जो पैसा वह कमाता है, वह ध्येय तक पहुंचानेके लिये एक साधन मात्र है। ससारके पत्र-कारोंमें दोनों तरहके आदमी हैं। पहिले दूसरी तरहके पत्रकार अधिक थे, अब इस उन्नतिके युगमें, पहिली तरहके। उन्नति समाचार-पत्रोंके आकरों प्रकारोंमें हुई है। खेद की बात है कि उन्नति आचरणों की नहीं हुई। हिन्दीके समाचार-पत्र भी उन्नतिके राज-मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि उनकी उन्नति उधर हो या न हो, किन्तु कम-से-कम वे आचरणके क्षेत्रमें पीछे न हटें, और जो सज्जन इस पुस्तक को पढ़ें, वे आचरण सम्बन्धी आदर्शको सदा ऊचा समझें। पैसेका मोह और बल की तृष्णा भारतवर्षके किसी भी नये पत्रकारको ऊचे आचरणके पवित्र आदर्शसे बहकने न दे, इस पुस्तको हिन्दी ससारके सामने रखते हुये यही मेरे हृदय की एकमात्र अभिलाषा है।

प्रताप कार्यालय, कानपुर

१६ मई १९३० ई०

गणेशशङ्कर विद्यार्थी।

ॐ नमः शिवाय

# पत्रकार-कला

---

## पत्रकार-कला और पत्रकार

---

प्रचलित ‘सम्पादन-कला’ शब्दके होते हुए भी इस पुस्तकमें नव-संगठित ‘पत्रकार-कला’ शब्दका प्रयोग किया जा रहा है। नवीनता-विरोधी साधारण भारतीय-जन-समुदायमें सम्भव है यह शब्द किञ्चित् असन्तोषका कारण बन बैठे। अतएव इस सम्बन्धमें ग्राम्यमें ही दो शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। बहुत अच्छा होता यदि सपादन-कलासे ही मतलब सिद्ध हो जाता। वह हो भी सकता था क्योंकि संपादन शब्दमें काफी व्यापकता है। सपादन शब्द “पद” धातुसे व्याकरणके कुछ नियमोंके अनुसार बना है। पद धातुका अर्थ किसी विषयमें गति होना है। पादनका अर्थ है वह किया जिससे किसी विषयमें गति

हो। इन प्रकार सपादनका अर्थ होगा वह किया जिसके द्वाग मिनी विषयमें  
मन्त्रकृस्तपसे गति हो। इस प्रायः कहा करते हैं अमुक नभा अमुक म्यानम  
सपादित हुई, अमुक मनुष्यने अमुक कार्य सपादित किया, आदि। इनसे सटनया  
हम वह कहते हैं कि किनी विषयमें मनवित मनुष्यको गति हुई अर्थात् उनसे वह  
काम किया। उस कथन-प्रणालीसे यह स्पष्ट हो जायगा कि इस जिनी भी ऐसी  
कियाको जो अपने अनुष्ठानको योग्यतापूर्वक पूर्ण करती हो सपादन वह सकते हैं।  
सपादन-कला शब्द उगी कियाने वना है। इसलिये उनके अर्थमें भी उननी ही  
व्यापकता होनी चाहिए दी। किन्तु जो रुढ़ि पढ़ गई है उनके अनुसार सपादन-  
कला शब्दमें वह व्यापकता नहीं मिलती। साधारण व्यवहारमें सपादन शब्दमें  
एकठेगीय भावका आरोप हो गया है। उस शब्दने प्रायः जो अभिप्राय लिया  
जाता है वह है समाचारपत्रमें सपादकीय लेख या टिप्पणियाँ आदि लिखनेका।  
अथवा, यदि और उदारतासे काम लिया गया, तो, समाचार-सत्त्वन आदिके  
कार्य भी इसकी परिभाषामें जोड़ दिये गये। अब, सपादन शब्दके अर्थकी  
परिधि इससे अधिक साधारण व्यवहारमें नहीं मानी जाती। इसलिए सपादन-  
कला शब्दके अर्थकी परिधि भी इससे अधिक बड़ी नहीं हो सकती। उवर जिस  
विषयपर ये पक्षियाँ लिखी जा रही हैं वह इतनी छोटी-सी परिधिमें घिरा नहीं  
रह सकता। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द संगठित किया  
जाय जो विषयका पूरा-पूरा दोतक हो। इसके लिए स्वभावतः दूसरे प्रचलित  
शब्द “पत्रकार” पर दृष्टि पड़ती है। पत्रकार शब्दका प्रयोग अगरेजीके  
जर्नलिस्ट शब्दके बदले किया जाता है। यहाँ जर्नलिज्मके जोड़का शब्द  
अपेक्षित था। इसलिये इस विषयको “पत्रकार-कला” के नामसे ही याद करना  
उचित समझा गया।

पत्रकार-कला शब्दका सम्बन्ध पत्रकार शब्दसे है। शब्दके साधारण अर्थके  
अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्तिको कहते हैं जो पत्रके बनानेमें सहायक  
। पत्रसे यहाँपर समाचारपत्रसे अभिप्राय है। समाचारपत्रको बनानेमें

सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। किन्तु समाचारपत्रके बनानेमें काराज बनानेवाले, स्थाही बनानेवालेसे लेकर मशीन बनानेवाले, टाइप बनानेवाले, टाइप जोड़नेवाले, छापनेवाले आदि न जाने कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। इसलिये उक्त व्याख्याके अनुसार ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने चाहिए। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे ही कामोंमें भी सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते। पुस्तककार उसका लेखक ही होता है। इसी प्रकार समाचारपत्रके बनानेवालोंमें भी यद्यपि ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकारके नामसे नहीं पुकारे जाते। पत्रकारके नामसे वे ही व्यक्ति पुकारे जाते हैं जिनका समाचारपत्रके लेखों समाचारों आदिसे सम्बन्ध रहता है। इस काममें लेख लिखनेवाले, लेखों और समाचारोंका सपादन वरनेवाले, समाचार-सग्रह करनेवाले, आलोचना करनेवाले आदि अनेक प्रकारके व्यक्ति शामिल होते हैं। आजकल तो इस शब्दकी परिधि और भी बढ़ा दी गई है। पाश्चात्य देशोंमें स्वीकृत की हुई इस शब्दकी नयी परिभाषाके अनुसार वे तमाम व्यक्ति पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्रकी उन्नतिमें सहायक होते हैं। इस अर्थ-निर्देशसे संपादकीय विभागके कर्मचारियोंके अतिरिक्त प्रबध-विभागके कुछ कर्मचारी तक पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं। इसी परिभाषाके अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी और प्रवंध-सपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे हैं।

पत्रकीय कार्योंमें अनेक कार्य समिलित हैं। केवल संपादन ही पत्रकीय कार्य नहीं है। यह अवश्य है कि सपादन इन कार्योंमें सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु सब-कुछ उसीको नहीं माना जा सकता। भारतवर्पके समाचारपत्रोंके कार्यालयोंमें अधिक कर्मचारी नहीं होते। हिन्दीके समाचारपत्रोंमें तो सपादकोंके अतिरिक्त अधिकाश स्थानोंमें और कोई होता ही नहीं और सपादक महानुभाव ही सपादक, प्रूफरीडर, रिपोर्टर, आलोचक आदि सब कुछ होते हैं। ऐसे समाचार-पत्र तो बहुत थोड़े हैं जिनमें पत्रकीय कामोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, भिन्न-भिन्न कार्योंके

लिए भिन्न-भिन्न कर्मचारी नियुक्त हों। इन्तु एक ही व्यक्ति द्वारा मिये जानेपर भी कार्योंकी विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एक ही व्यक्ति द्वारा मिये जानेपर भी सपादन, रिपोर्टिंग, प्रृफरीडिंग, आलोचना, समाचार-संख्यन आदि कार्योंना अलग-अलग होना बना ही रहता है। एक उत्तम समाचारपत्रके लिए वह आवश्यक होता है कि इन तमाम कार्योंके लिये अलग-अलग कर्मनारी रहे। कार्य-विभाजनसे कर्मचारियोंमें निपुणता आती है और कार्य विशेषज्ञ सपादन अधिक योग्यतापूर्वक होता है। एक आदमी सब वातोंमें उतनी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता जितनी कि वह एक वातमें कर सकता है। इसलिए समाचारपत्रोंमें कर्मचारि-मण्डलकी कमी नहीं होनी चाहिए।

पत्रकीय कर्मचारि-मण्डलमें सपादकका स्थान सबसे प्रधान है। पत्रकी नीतिका स्विर करना, उसके लियों आदिका संशोधन करना, उसमें कहीं गई नव वातोंसी जिम्मेदारी लेना, सपादकका ही काम है। सपादकके बाद उपसपादकोंका स्थान आता है। प्रधान सपादक द्वारा निर्दिष्ट आदेशानुसार समाचार-पत्र कार्यालयका तमाम सपादकीय कार्य उनके द्वारा ही होता है। पदकी दृष्टिसे यद्यपि ये प्रधान सपादकसे निम्न श्रेणीके हैं तथापि इनका कार्य प्रधान सपादककी अपेक्षा कहीं अधिक और उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। वास्तवमें ये ही इसी समाचार-पत्रके कर्ता-धर्ता होते हैं। इन दो प्रधान कर्मचारियोंके अतिरिक्त-रिपोर्टर, सवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो देश-विदेशमें स्थान-स्थानपर भ्रमण करके समाचार प्राप्त करते और उन्हें पत्रोंको भेजते रहते हैं। उनकी भी आवश्यकता और महत्ता कम नहीं होती। खास-खास आदमियोंसे वातचीत करके उनके विचार समाचार-पत्रोंमें देनेवाले भेट करनेवाले कर्मचारी, पत्रकीय कर्मचारि-मण्डलमें एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना करनेवाले, विशेष लेख लिखनेवाले आदि व्यक्ति भी इसी कर्मचारि-मण्डलके सदस्य होते हैं। आजकल यह मण्डल और भी विस्तृत हो गया है। समाचार-पत्रोंमें प्राय चित्र और कारटून भी निकलने लगे हैं। इसलिए फोटोग्राफर और

कारटून मेकर भी इस मण्डलसे बहुत कुछ सम्बन्धित हो गये हैं, यद्यपि अभी इनकी गणना शुद्ध पत्रकारोंमें नहीं हुई। इस प्रकार पत्रकार-कलाका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसमें सम्पादक, उप-सपादक, सहायक-सपादक, प्रबन्ध-सपादक, रिपोर्टर, सवाद-दाता, भेट करनेवाले, प्रूफरीडर, विशेष लेखक, आलोचक, चिज्ञापनकर प्रबन्ध करनेवाले, फोटोग्राफर, कारटून बनानेवाले आदि सब संश्चिष्ट हो जाते हैं।

पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्राम्यः एक ही मन-शक्ति दोनों कामोंके लिए आवश्यक होती है। लेखकका काम भी लिखना होता है और पत्रकारका काम भी लिखना ही होता है। फिर भी इन दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। सबसे प्रधान अन्तर तो यही होता है कि एक पुस्तक लिखता है और दूसरा समाचार-पत्र। लेखन-कला एक व्यक्तिकी अपनी चीज होती है और पत्रकार-कलामे व्यक्तियोंका एक समूह कार्य करता है। लेखककी पुस्तकका महत्व न्यूनाधिक अशमें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकारके कार्यमें यह बात नहीं होती। पत्रकारका कार्य समाचार और उनपर टिप्पणियाँ लिखना होता है, जिसके महत्वमें अधिक स्थिरता नहीं होती। पत्रकारीय कार्यका महत्व अधिकाशमें पत्रका दूसरा अङ्क निकलते-निकलते समाप्त हो जाता है। इन सब कारणोंसे काम करनेवाली मन-शक्तिके एक होते हुए भी आगे चलकर इन दोनों कलाओंकी आवश्यक योग्यताएँ पृथक-पृथक हो जाती हैं। इसलिए पत्रकार-कला और लेखन-कलामें से एक मनुष्य एक ही कलाका अभ्यास कर सकता है। अत्यन्त अलौकिक प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियोंको छोड़कर साधारणतया यही देखनेमें आता है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक ( पुस्तककार ) नहीं, और यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पत्रकार नहीं होता।

पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीब-करीब उस मुनिकी-सी हो जाती है जिसके सम्बन्धमें कहा गया है, “या निशा सर्व भूताना तस्या जागर्ति सगमी। यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।” पत्रकारके लिए रात-दिन काम रहता है। इस बातका कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कोन-सी

आवश्यकता आ जाय और उसे क्या करना पड़े। वह सदा कानूने लिए तैयार रहता है। जब सारा सजार घोर निश्चामे पड़ा होता है, तब भी वह कार्य करता हुआ पाया जाता है और जब नव कान करते रहते हैं, तब भी वह कान करते ही पाया जाता है। रात-दिन उसके लिए बराबर होते हैं। अपनी धुनमें भृत, सिद्ध योगीकी भाति, वह न रात देखता है न ठिन, सुबह देखता है न शाम, धूप देखता है न छाह, पानी देखता है न आग, युद्ध देखता है न शान्ति, गवुता देखता है न भिन्नता, हर नमय और हर परिस्थितिमें अपने काममें ही अनुरक्ष रहता है। उसे न सानेकी परवा होती है न पहचने की। अदम्य उन्नाहके साथ वह सदा अनवरत परिश्रम मिया करता है। उसका इद्य वडा लोभल होता है। सत्तारकी छोटी-ने-छोटी घटनासे वह प्रभावित हो जाता है। जीवनके नानाविव सर्पण उसमें विचित्र प्रभाव दालते हैं। उन प्रभावसे वह इतना व्यत्र हो उठता है कि क्रौच-वध घटनासे द्रवीभूत महर्पि वात्सीमिकी भाति उसे ( उस प्रभावको ) दूसरोंपर व्यक्त करनेके लिए वह छटपटाने लगता है और फिर जबतक औरों पर उस प्रभावका प्रकाश डाल नहीं लेता तबतक शान्त नहीं होता। उसका हृदय वहुत कठोर भी होता है। अपने सदृशसे विचलित होना वह जानता ही नहीं। लोभसे ललचाता नहीं, धमकियोंसे घबराता नहीं, निष्दासे उच्चना नहीं, प्रशसासे पिघलता नहीं, कष्टसे डरता नहीं और अपनानसे खिन्न होता नहीं। प्रलोभनोंको लुकराकर भर्त्सनाओंकी अवहेलना कर, यन्त्रणाओंकी परवा न कर अपना तन, मन, धन, तथा और सब बुछ स्वाहा करके भी वह अपने सकल्पपर दृढ़ रहता है। इसकी भाति सूलीकी तख्तीसे, मोरध्वजकी भाति आराकी धारसे और मीरावाङ्मीकी भाति विष-भरे प्यालेकी तहसे वह एक ही वात पुकारा करता है—वही अपना निश्चय, अपना दृढ़ सङ्कल्प, अपनी प्रचार-वस्तु।

पत्रकारका काम वडा टेढा है। इसमें प्रवेश करनेके पहिले रूब सोच-समझ लेना चाहिए। लार्ड मार्लेने एक भोजमें कहा था कि “मैं किसी नवयुवकको यह सलाह नहीं देता कि वह पत्रकार बने।” मैं लार्ड मार्लेनी उस सलाहको दुहराना

चाहता हूँ । इस काममें बड़े ल्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम और बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगोंमें पायी जाती है । भारतवर्षके लिए तो यह काम और भी कठिन है । अपने विरोधियोंके बार, अधिकारियोंके ग्रहार, कानूनकी चोटें और अपने ही आदमियोंकी सखितया भेलनी पड़ती हैं । यह जो है सो तो है ही, इसके अलावा, यहांपर शिक्षाका इतना अधिक अभाव है और समाचारपत्रोंकी महत्त्वासे लोग इतना अधिक अपरिचित हैं कि किसी पत्रको लिकालकर व्यापारिक दृष्टिसे चला सकना तक कठिन होता है । और ऐसी दशामें पत्र-सञ्चालकके लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारोंको उचित पुरस्कार दे सके, जिसका परिणाम यह होता है कि यहांके पत्रकारोंकी आय इतनी कम होती है कि आर्थिक सङ्कटसे उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता और कभी-कभी तो नौवत यहांतक आती है कि उन्हें अपना भरण-पोषण करना तक असम्भव हो जाता है । ऐसी दशामें इस टेढ़े, पेचीदे मार्गमें कदम रखनेके लिए किसको सलाह दी जाय ? यह काम तो—कम-से-कम इस समय, उन्हीं लोगोंके करनेका है जिनमें कोई विशेष अन्तर्दाह हो जो उन्हें चैन न लेने देता हो, जिनके हृदयोंमें एक अटूट लगन हो, जिसके सामने वे आय-व्ययको गिनते ही न हो, जिनमें ल्याग और सहिष्णुताकी वह प्रज्ञविज्ञ भावना हो कि बड़े-से-बड़े कष्ट और बड़ी-से-बड़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई पड़ती हो, और जो लोक-सेवाके महत्तम आदर्शपर लौ लगाए हुए काम, क्रोध, लोभ आदिसे दूर, निर्विकार चित्तसे निर्दिष्ट स्थानकी ओर दृढ़ता-पूर्वक आगे बढ़ना ही अपने जीवनका एकमात्र उद्देश्य बना चुके हों । ऐसे ही लोग इस कामके पात्र हैं और जबतक किसी मनुष्यमें इन दुर्लभ गुणोंका समावेश न हो जाय, तबतक उसका पत्रकारके गहनतर कार्यमें हाथ न डालना ही अच्छा है । उन लोगोंको तो, जो केवल १० से ४ बजे तक काम करके निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखपती और करोड़पती होनेके स्वप्न देखते हों, जो सुखके साथ गार्हस्थ्य जीवनका उपभोग करना चाहते हों, जो युद्धप्रयोगमें अपने कमाए हुए धनके बूतेपर चादर तानकर सुखकी नींद

सोना चाहते हों, और जो अन्य सासारिक आमोद-प्रमोदके साथ जीवन विताना चाहते हों, इस समय, इस कँटीले रास्तेपर भूलकर भी कठम न देना चाहिए।

किन्तु परिस्थिति ठीक इसके प्रतिकूल है। लोग इस कामसी ओर बहुत अधिक आगृष्ट हो रहे हैं। वे इसे हँसी-न्येल ही समझते हैं। साधारण गिरावंत पाठ्यक्रम समाप्त करते ही, यदि उनमें दो अक्षर लिखनेमी शक्ति नुड़ तो, वे फौरन इस ओर दौढ़ पड़ते हैं। और विना उसकी पात्रता प्राप्त किये ही उनमें हाथ-पैर फॅक्ने लगते हैं। वात यहाँ समाप्त नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी गलती तो यह होती है कि वे किसी समाचारपत्रके दफ्तरमें एक साधारण रिपोर्टर या सबाददाता होकर काम करना पसन्द नहीं करते, वरन् सीधे सम्पादक या यदि यह उतना सुलभ न हुआ तो उपसम्पादक तो जरूर होना चाहते हैं। कभी-कभी तो किसी प्रचलित पत्रमें इस प्रकारका स्थान न पाकर वे नया पत्र तक निकालनेकी धृष्टा कर धैठते हैं; किन्तु किसी हालतमें सम्पादकसे नीची जगहपर काम करनेके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे लोगोंके असफल होनेकी सदा आशाका रहती है और साधारण अनुभवसे यह वात रिक्द भी की जा चुकी है कि ऐसे लोग—जिनमें अत्यन्त असाधारण प्रतिभा और योग्यता होती है उन मनुष्योंको छोड़कर प्राय सब—असफल ही होते हैं। वात भी ठीक है। दोङ्नेके पहिले चलना सीखना चाहिए। सीटीका एक-एक डण्डा पकड़कर ही ऊपर चढ़ना चाहिए। रिपोर्टर आदि छोटे स्थानसे शुल करके ही बढ़ते-बढ़ते सम्पादक बननेका प्रयत्न करना चाहिए, एकवारणी नहीं। अधीरतापूर्ण अत्यधिक महत्वाकांक्षा अनिष्ट होती है। जिनके विचारोंमें प्रौढ़ता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं रखते। अप्रौढ़ विवेक-बुद्धि लेकर कोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं प्रकट कर सकता और यदि वह ऐसा करता है तो अनधिकार नेप्टा करता है और अपने इस कार्यसे न केवल अपने-आपको, वरन् देशको भी हानि पहुं चाता है। इसलिए जबतक सम्पादकीय कार्यका अनुभव न हो जाय और विचारोंमें प्रौढ़ता न आ जाय तबतक

२१) बननेकी महत्वाकांक्षा करना श्रेयस्कर होनेकी अपेक्षा कहीं अधिक

हानकर हाता है।

पत्रकारके लिए शिक्षा-सम्बन्धी किसी असाधारण योग्यताकी आवश्यकता नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है, कि पत्रकारको हैसियतसे सफलता प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको असाधारण विद्वान् होना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि उसमे इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह रोजमर्रा—बोल-चालकी भाषामें समाचार लिख सके और साधारण बुद्धिमानी और सच्चाईके साथ, स्पष्ट शब्दोंमें उनपर अपने विचार प्रकट कर सके। उसके लिए धूरन्धर पण्डित होनेकी अपेक्षा बहुश्रुत होना अधिक आवश्यक होता है। फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि जो मनुष्य बहुश्रुत होनेके साथ जितना अधिक विद्वान् होगा वह उतनी ही योग्यतासे काम कर सकेगा। किन्तु साधारणतः पत्रकारोंके लिए यही आवश्यक होता है कि वे किसी एक विषयका विशेष और अनेक विषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखें। अथवा यों कहिए कि—पत्रकारको समस्त विषयोंका कुछ और कुछ विषयोंका समस्त ज्ञान होना चाहिए। किन्तु समस्त विषयोंमें गति रखना मनुष्यके जैसे अत्य-जीवनके लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए सब विषयोंका ज्ञान न होनेपर भी हताश न हो जाना चाहिए। पत्रकारका काम इससे भी चूल सकता है कि जिन विषयोंका ज्ञान उसें न हो, उन विषयोंके सम्बन्धमें वह यह जानता ही कि उनका ज्ञान कहासे प्राप्त हो सकता है। फिर भी इतिहास, अर्थ-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र—ये तीन ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान पत्रकारके लिए आवश्यक होता है क्योंकि समाचार-पत्रोंका इन्हीं तीन विषयोंसे सबसे अधिक सम्बन्ध होता है। उसमे सब कुछ जाननेकी विलक्षण जिज्ञासा होनी चाहिए। सासारकी उपेक्षाके दार्शनिक विचार उसके लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं। वे व्यक्ति जो यह कहकर कि हमे अमुक घटनासे क्या पढ़ी है, किसी घटनाके सम्बन्धमें उपेक्षा प्रकट करते हैं, पत्रकार उनके योग्य नहीं होते। पत्रकारको तो घटनाओं और उनके कारणों, परिणामोंकी उधेड़-दुनमें रात-दिन लगा रहना चाहिए।

पत्रकारोंकी योग्यता और उनके गुणोंकी गिनती गिनाना बहुत

उनके कुछ गुण नेसर्गिक होते हैं और कुछ अभ्यास करनेमें भी प्राप्त किये जा सकते हैं। सच्चरित्रता, तीव्र स्मरण-शक्ति, वासनद्रुता, मौम्यभाव, आशावादिता, धीरता, सत्यता, दूरदर्भिता, साहस, परिश्रमगीलता, विवेचशक्ति, प्रत्युत्पन्न दुष्कृति उत्तरदायित्वकी भावना, सावधानी, तत्परता, उत्ताह आदि पत्रकारके लिए आवश्यक नेसर्गिक गुण हैं, ये प्रत्येक मनुष्यमें पैदा नहीं किये जा सकते। किन्तु न्यूनाधिक मात्रामें ये सब मनुष्योंमें विशमान अपश्य रहते हैं। इनलिए यदि इनका निरन्तर अभ्यास किया जाय तो ये खिल अवश्य उठेंगे। समयपर निर्धारित क्रमानुसार काम करनेकी आदत भी एक गुण है। यह गुण पत्रकारके लिए शागद्द सबसे अधिक आवश्यक होता है। पत्रकार बननेकी इच्छा रहनेवालोंको इसका अभ्यास विशेष रूपसे करना चाहिए। इसी प्रकार किसी कामको शीघ्रतापूर्वक समाप्त करनेकी आदत भी पत्रकारोंके लिए बहुत लाभप्रद गुण हैं। किन्तु उस गुणके सम्बन्धमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि शीघ्रताकी धूनमें कामकी अच्छाई का भोग न लग जाय। कामकी अच्छाईके साथ यदि शीघ्रता हो, तो लाज अच्छा, किन्तु कामको विगड़कर शीघ्रता करना कदापि श्रेयस्कर नहीं होता। एक बातकी ओर और भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि पत्रकार जनताका विश्वासपात्र सेवक होता है, और जिस प्रकार एक स्वामिभक्त सेवकको अपनी विश्वासपात्रता कायम रखनेकी जरूरत होती है, उसी प्रकार जनताके इस सेवकको भी अपनी विश्वासपात्रता सर्वव्ययेऽपि बनाये रखनी चाहिए। विश्वासघात करना ऐसे ही महापाप है, फिर इस अत्यन्त उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण कार्यमें तो वह महान्-से भी महान्तर पाप है। पत्रकारोंके लिए यह भी बहुत आवश्यक होता है कि उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र और बहुग्राही हो, अर्थात् ऐसी हो जो बहुत-सी बातोंको धारण कर सकती हो और धारण कर सकती हो, अल्पकालके लिए ही नहीं चिरकालके लिए। सब बातें 'नोट बुक' में दर्ज नहीं की जा सकतीं कि जब लिखने वैठें तब नोट बुक खोलकर सब बातें जान लें, और न सब किताबोंके गढ़र ही सब जगह प्राप्त होते हैं कि आवश्यकता पड़नेपर उनकी

मदद मिले। पत्रकारोंके लिए इस प्रकारके अनेक अवसर आते हैं, जब कागज-कलमके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ऐसे अवसरोंपर उन्नत स्मरणशक्ति ही काम आती है।

पत्रकारको अन्य आवश्यक योग्यताओंके साथ-साथ प्रस-सम्बन्धी उन तमाम वातोंको जाननेकी भी जरूरत होती है, जिनसे पत्र बननेमें सहायता मिलती है। उसे अधिकसे अधिक मित्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। अपना व्यवहार उसे ऐसा मधुर बना लेना चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नहीं। अक्षर सुन्दर और साफ लिखनेका अभ्यास भी पत्रकारके लिए बहुत लाभकी वस्तु होती है। यह सरलतापूर्वक प्राप्त भी किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी-सी सावधानीकी जरूरत है। इसके अतिरिक्त जैसे अन्य विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले लोगोंको तद्विषयक विशेषज्ञोंके जीवन-चरित्र पढ़नेकी जरूरत होती है, वैसे ही पत्रकारोंके लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारोंके जीवन-चरित्र पढ़नेकी आवश्यकता होती है। इससे उन्हें नया उत्साह मिलेगा। पत्रकारोंके लिए यह नितान्त आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार-पत्र पढ़नेके आदी हों। पत्रकीय कार्यमें नये-नये प्रवेश करनेवालोंके लिए तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता है कि वे अधिक संख्यामें समाचार-पत्र पढ़ें और उनके सुख्य लेखोंका खास तौरसे मनन करें। खास-खास पत्रोंके सम्बन्धमें तो उन्हें यह नियम बना लेना चाहिए कि उन पत्रोंका एक-एक अक्षर वे पढ़ जाया करें। इन योग्यताओं और गुणोंके साथ यदि पत्रकारमें साधारण फोटोग्राफीकी योग्यता भी हो, तो उसे काममें अधिक सहायता मिल सकती है।

पत्रकार अनेक हो गये हैं। विदेशोंमें तो उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। हमारे देशमें भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी पत्रकारोंकी गणना करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किन्तु अपने यहाके पत्रकारोंका स्मरण किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। अपने यहांके प्राचीनतम पत्रकारोंका उत्तेजन करते हुए श्री नरदेव शास्त्रीने कुछ दिन हुए एक लेखमें ( स्मरण नहीं, कि वह

किस पत्रिकामें निकला था ) व्यासादिक ऋषियोंको पत्रकार बताया था । द्वितीय गुजराती-पत्रकार-परिपिद्धके सभापति, गुजराती भाषाके प्रमिल 'गुजराती' पत्रके सुयोग्य सम्पादक श्री मणिलाल द्वच्छाराम देशार्जने भी अपने भाषणमें या भौति व्यासादि ऋषियोंको पत्रकार कहा है । गान कुछ अशोमें भले ही ठीक भालम हो, किन्तु इन महर्षियोंको पत्रकारोंकी श्रेणीमें गिनना उचित नहीं है । वात्सीकि व्यासादि, ऋषियोंने ग्रन्थोंका लेखन और सम्पादन अवश्य किया और इसलिए वे लेखक और सम्पादक, ये, ऐसे भी इनकार नहीं किया जा सकता । किन्तु उनका वह महान् काम उस श्रेणीका काम नहीं था, जिस श्रेणीके कामका जिक्र वर्तमान पत्रकार-कलामें किया जाता है । ऊपर कहा जा चुका है कि पत्रकार-कलाका महत्व प्रायः अत्यकालिक होता है । उन महर्षियोंका काम अत्यकालिक तो क्या स्थायी और शाब्दित था । इनलिए और इनलिए भी कि वर्तमान पत्रकार-कलाका उद्गम उन महर्षियोंके कार्योंके आधारपर नहीं हुआ, वे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सकते । इन महापुस्तकोंकी गणना शीर्षस्थानीय ग्रन्थकारोंमें ही शोभा प्राप्ती है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान होना भी चाहिए । हमारे यहा पत्रकारोंका प्रादुर्भाव अभी थोड़े समय पहिलेका है और वास्तविक पत्रकार-कला तो स्वर्गीय शिशिरकुमार धोष, स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, स्वर्गीय मोतीलाल धोष, स्वर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदिके जमानेसे ग्रासम्भ हुई । श्री सुब्रह्मण्य ऐयर, श्री रामानन्द चट्ठीं, श्री चिन्तामणि, श्री नटराजन, स्वर्गीय रंगा स्वामी ऐयंगर, श्री माखनलाल सेन आदि इसी युगके प्रसिद्ध पत्रकार हैं । पत्रकार-कलाकी उन्नति करनेमें इन महारथियोंने बड़ी सहायता दी है । श्री एन० सी० केलकर, स्वर्गीय लाला लाजपतराय, महात्मा गांधी आदिसे भी इस विषयमें अमूल्य सहायता प्राप्त हुई और हो रही है ।

हिन्दीमें जिन महजनोंने पत्रकार-कलाको उन्नत किया है, उनमें स्वर्गीय भारतेन्दु हरिद्वन्द्र, स्वर्गीय रुद्रदत्त, स्वर्गीय श्री बालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय राधाचरण गोस्वामी, स्वर्गीय दुर्गाप्रसादजी मिश्र, स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त, श्री अमृतलाल चक्रवर्ती,

स्वर्गीय प्रतापनारायण मिश्र, स्वर्गीय माधवराव संप्रेके नाम विशेष स्थान रखते हैं। इस श्रेणीमें एक महापुरुषका नाम लेना अभी और बाकी है, वह है आचार्य श्री महावीरप्रसाद् द्विवेदीका नाम। द्विवेदीजीने इस कलाकी प्रवाह धारा ही मोड़ दी थी। सरस्वतीके सजे हुए पटलपर अपनी ओजस्विनी लेखनी द्वारा आचार्य महावीरप्रसादने पत्रकार-कलाका एक नया ही रूप सामने ला, उपस्थित किया था। नये आकार-प्रकारमें नये ढंगसे मासिक-पत्र निकालनेका आदि श्रेय आपही को है। परिष्कृत गद्य-न्लेखन और समालोचना-पद्धतिके तो आप प्रधान प्रवर्तक रहे हैं। द्विवेदीजीकी सेवाएँ इस विषयमें बहुत बड़ी हैं, और हिन्दी-संसार उनसे कभी उत्तेजना नहीं हो सकता। इन संज्ञनोंके अतिरिक्त श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, श्री वाघूराव विष्णुपराङ्कर, श्री लक्ष्मण नारायण गद्दे, श्री मूलचन्द्रजी अग्रवाल, श्री कृष्णफान्त माल्यीय, श्री सुन्दरलाल, स्वर्गीय श्री गणेशशक्त्र विद्यार्थी, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रो० इन्द्र आदि संज्ञनोंने इस कलाकी उन्नतिके लिए बहुत कुछ किया और वरावर करते जा रहे हैं। श्री महादेवप्रसाद सेठको इस कलाके एक विशेष अंगको ला उपस्थित करनेका श्रेय है। यद्यपि 'रमता योगी' और 'भनसुखा' की कृपासे हास्य-पूर्ण टिप्पणियोंसे सजे हुए समाचारोंका प्रकाशित होना पहले ही से शुरू हो गया था, तथापि विशेष रूपसे ऐसे समाचारोंसे सजे हुए पत्रको निकालनेका श्रेय सेठजीको ही है। श्री नवजादिकलालजी श्रीवरस्तवके मूल्यवान सहयोगसे सेठजीने इस दिशामें काफी काम किया था। किन्तु हुएकी बात है कि उनका पत्र अधिक दिन तक न चल सका। फिर भी उनसे इतना अवश्य हुआ कि इन प्रकारके पत्र निकालनेकी ओर लोगोंका ध्यान नया और अबतक उस दिशामें कुछ अवस्थ नहिसे ही सही, प्रयास बराबर हो रहा है। श्रीविज्ञम्भरजाय कौणिकने भी नापातक मासिक-पत्र निकालकर एक नया काम पेश किया था, किन्तु दुर्भाग्यवश वह चल न सका। इसके पहिले से भी दो-एक ऐसे पत्र निकलते थे, जिनमेंसे कुछ अबतक चल भी रहे हैं। किन्तु कौरिकजीका पत्र अब तक निराला था।

हमारे यहाँके बहुतन्से पत्रकार विदेशोंमें पढ़े हुए हैं। उच्च तो अपने निजी कारणोंसे और अधिकारि विदेशी शासनके पापके कारण विदेशोंमें नाक छान रहे हैं। राजा महेन्द्र प्रताप, श्री लला दरदयाल, दा० तारग्नाथ दाम, दा० सुधीन्द्र बोस, श्री सैयद हजन आदि न जाने किनने योग्यतम पत्रकार बाहर पढ़े हुए हैं। यदि ये सब पत्रकार यहाँ दोते, तो आज हमें न जाने कितना लाभ प्राप्त हुआ होता। किन्तु पराधीनतामी परतान्तापिनी राक्षिसिणी यह कब होने देती है? हमारे सौभाग्यका यह बहुत बड़ा दिन होगा, जब पराधीनताकी वेदियोंको काटकर हम अपने इन निर्वासित नर-ननोंको अपने बीच ला सकेंगे और इनकी शानमाला, विचार-प्रौद्धता और अनुभवसे अपनी पत्रकार-कलाको जमुन्त और सुसज्जित कर सकेंगे।





चलना पड़ता है, जिस पथपर वहाके समाचार-पत्र उन्हें चलाना चाहते हैं।” जो हो, उसमें कोई सन्देह नहीं कि समाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊना है। भारतवर्षमें भी इनकी महत्ता धीरे-धीरे बढ़ रही है। टेशके सब श्रेणीके मनुष्योंको अब इनकी महत्ता और उपयोगिता प्रतीत होने लगी है। युद्ध समय पहिले तक सत्ताधारी लोग युद्ध उपेक्षा-स्ती करते थे। वे समाचार-पत्रोंका पटना अपनी शानके खिलाफ समझते थे। किन्तु अब यह बात नहीं रही। अब तो समाचार-पत्रोंका पटना बड़े-बड़े सत्ताधीश और भी आवश्यक रामबने लगे हैं। क्योंकि उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता रहती है कि कहीं कोई समाचार ऐसा तो प्रकाशित नहीं हो रहा है, जो उनकी स्थितिके सम्बन्धमें कोई अभ फैला रहा हो। और जब इस प्रकारका कोई समाचार प्रकाशित होता है, तब वे शीघ्रतापूर्वक उसका विरोध करताते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रोंकी महत्ता ‘अन् प्रायः सभी भानने, लगे हैं।

इन पत्रियोंमें इसी महत्वपूर्ण निष्पत्रपर युद्ध लिरानेका प्रयत्न किया जायगा। यह समाचार-पत्रोंका एक ऐतिहासिक पर्यालोचन-सा होगा। किन्तु विषयमें प्रवेश करनेके पहिले, इस स्थानपर “समाचार-पत्र” शब्दपर धोका-सा प्रकाश ढाल देना अनुचित न होगा। समाचार-पत्रोंका नाम समाचार-पत्र ही क्यों पढ़ा, समाचार-ग्रन्थ, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेख आदि नाम इसे क्यों न दिये गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार-पत्र नामकी सम्पत्ति हमने अप्रेजोसे प्राप्त की है। अंग्रेजीमें समाचार-पत्रोंको न्यूज पेपर्स के नामसे पुकारते हैं। हिन्दीमें न्यूज पेपर्स का अर्थ समाचार-पत्र होता है। हमने वही शब्द अपने लिए अहण कर लिया है। इसलिए हिन्दीमें इस शब्दके इतिहासमें कोई रहस्य नहीं, किन्तु अंग्रेजीमें इस शब्दका खासा मनोरञ्जक इतिहास है। पहिले अंग्रेजीमें समाचार-पत्रोंका नाम न्यूज पेपर नहीं था, जैसा कि आगेके वर्णनसे मालूम होगा। पहिले पहिल समाचार-पत्रोंका जन्म विशेष कर्मचारियों ५५१। द्वारा अधिकारियोंके पास भेजी जानेवाली चिठ्ठियोंसे हुआ।

ये चिट्ठिया एक साथ ज़िख्द वांधफर सार्वजनिक मिसल ( Public Record ) की भाँति रखी जाती थीं। इसलिए पहले इनका नाम न्यूज बुक ( समाचार-ग्रन्थ ) रखा गया। फिर जब एक सम्वाददाता अनेक अधिकारियोंके पास समाचार चिट्ठियाँ भेजने लगा, तब इसका नाम न्यूज लेयर ( समाचार चिट्ठी ) तथा कुछ और आगे चलकर न्यूज शीट ( समाचार कागज ) पड़ा। इसके बाद धीरे-धीरे समाचार-पत्रोंकी विशेष उन्नति हुई, और इनका नाम न्यूज पेपर ( समाचार पत्र ) पड़ा। हिन्दीने इसी नामको अपना लिया।

समाचार-पत्रोंके जन्मके सम्बन्धमें कहा जाता है, कि पहले जब समाचार-पत्र न थे, तब यह चलन था, कि राष्ट्रके बड़े-बड़े अधिकारी, अपने आदमी विशेष स्थलोंपर नियुक्त कर देते थे। ये लोग अपने स्थानकी खास-खास बातें पत्र के रूपमें लिखकर अधिकारियोंको सूचनाके लिए भेजा करते थे। धीरे-धीरे व्यय-भारसे बचनेके विचारसे एकसे अधिक अधिकारी एक ही आदमीसे समाचार समाचारने लगे। दूसरी ओर ऐसे आदमी यह प्रयत्न करने लगे, कि वे अकेले ही कई अधिकारियोंको समाचार भेजकर अधिक धन उपार्जन करे। इस प्रकार काम करनेसे एक ओर तो अधिकारियोंको लाभ हुआ—वे अलग-अलग आदमी रखनेका अधिक व्यय भार उठानेसे बचने लगे। दूसरी ओर इस प्रकार के सम्बाद-दाताओंकी आमदनी भी, कई अधिकारियोंसे थोड़ी-थोड़ी सहायता मिलनेके कारण, बढ़ गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकारके सम्बाद-दाताओंकी सख्त्या बढ़ने लगी। एक-एक संवाददाताके पास कई अधिकारियोंका काम आ जानेसे एक ही समाचार कई बार लिखनेकी ज़रूरत पड़ने लगी। और इसी प्रकार जब चिट्ठियोंकी सख्त्या बहुत अधिक हो गयी और छापेखानोंका आविष्कार हो गया, तब सम्बाददाता अधिक परिश्रमसे बचनेके लिए चिट्ठियाँ छपवाकर अधिकारियोंके पास भेजने लगे। इन्हीं चिट्ठियोंने आगे चलकर समाचार-पत्रोंका रूप धारण किया। इन चिट्ठियोंमें लड़ाईकी खबरें, चुनावकी बातें खेल-कूदकी सूचनाएं, आग आदि हुर्घटनाओंके समाचार भेजे जाते थे। ये

चिट्ठियाँ सार्वजनिक मिगलोंके रूपमें सुरक्षित रीतिसे रखी जाती थीं। कभी-कभी तो यह भी होता था कि एक प्रान्तके अधिकारी दूसरे प्रान्तके अधिकारियोंमें सूचना देनेके विचारसे इन चिट्ठियोंको मिन्न-भिन्न स्थानोंमें भेजते भी थे। इन प्रकार पत्रोंको विभिन्न स्थानोंमें भेजनेकी नींव पढ़ गयी थी और समाचार-पत्रोंके अनुरूप सब सामान तैयार हो गया था। फिर अगुरूल ममय पासर वे वास्तविक समाचार पत्रोंके रूपमें सामने आये। अब वे केवल अग्रिमार्थियोंके पाल भेजी जानेवाली चिट्ठियाँ ही नहीं रहे, बरन् एक नार्वजनिक चीज हो गये हैं।

समाचार-पत्रकी परिभाषा भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न रूपसे करते हैं। इफ्लैण्डका न्यूज-पेपर लायबल रजिस्ट्रेशन एमट इनकी परिभाषा इन प्रकार करता है।—

Any paper containing public news, intelligence or occurrences or any remark or observations therein printed for sale and published periodically or in parts or numbers at intervals not exceeding 26 days

अर्थात् कोई भी पचास समाचार-पत्र कहा जायगा, वशर्टे कि उसमें सार्वजनिक समाचार, सूचनाएं या घटनाएँ छपी हो, अथवा इन समाचारोंके सम्बन्धमें कोई टीका—टिप्पणी हों, और वह एक निश्चित अवधिके बाद, जो २६ दिनसे अधिक की न हो, विक्रीके लिये प्रकाशित होता हो।

ग्रिटिंश पोस्ट आफिसके नियमोंमें समाचार-पत्रकी यह परिभाषा दी गयी है।-

Any publication printed and published in numbers at intervals not more than seven days consisting wholly or in parts of political or other news or of articles relating thereto or of other current topics with or without advertisement

अर्थात् ऐसे परचे, जो निश्चित अवधिके बाद, जो ७ दिनसे अधिककी न प्रकाशित होते हों और जिनमें राजनीति या अन्य प्रकारके समाचार या



रूपसे किसी विशेष पत्रकी प्राचीनता नहीं निश्च कर सके। जहाँ तक प्राचीनता सिद्ध करनेकी बात है, वहा तक परिउत नन्दकुमारदेवजी भी अगफल हो रहे हैं। उन्होंने सिद्ध करनेकी चेष्टा ही नहीं की। शायद उन्हीं आवश्यकता भी नहीं। एनसाइक्लोपिडिया मिटेनिकारे उपर्युक्त लेगार महाभायने ‘भन्यली पेनिन न्यूज’ नामक पत्रका पता लगाया है। कहते हैं, यह पत्र छठी शताब्दीमें चीनकी राजवानी पेनिनसे निर्मिता था, इसके बाद पेनिन गजट नामक पत्रकी खोज मिलती है। इस पत्रका समय एनसाइक्लोपिडिया मिटेनिकारे अनुमान ६२८—९०५ है, परन्तु प० नन्दकुमारदेव गर्मी अपनी पुस्तकमें जो गम्बत् १९८० में प्रकाशित हुई है लिखते हैं कि पेनिन गजट एक वर्षसे निकलता है। शायद शर्मा-जीकी पुस्तकमें कुछ छापेकी गलती रह गयी है। क्योंकि गर्मजी आगे चलकर लिखते हैं, कि इस पत्रके सब्रह सम्पादक अपतक फाँसोपर लटकाये जा चुके हैं एक सालकी अवधिमें १७ सम्पादकोंको फासी दे देनेकी बात समझमें नहीं आती। अस्तु, समाचार-पत्रोंका सुदूर भूतालिक इतिहास अन्धकारनय है। पहिले नियमित-रूपसे समाचार-पत्रोंका कोई प्रवन्ध नहीं था। उनमा वास्तविक जन्म छापेखानेके आविष्कारके साथ हुआ। किन्तु पहले वे कहांसे प्रकाशित हुए, इस सम्बन्धमें मत-भेद है। कुछ लोग यूरोपको और कुछ चीनको पत्रोंका जन्म-स्थान मानते हैं। इस सम्बन्धमें चीनका पक्ष अधिक सबल है। चीनमें ९०१ तरहमें जब छापेखानेका अविष्कार भी नहीं हुआ था, समाचार-पत्रोंका पता लगता है। उस समय “क्रियल” नामका अच्छा समाचार-पत्र निकलता था। कहते हैं, यह समाचार-पत्र बीचका थोड़ासा समय छोड़कर जब वह किसी कारणसे बन्द हो गया था, तीन चार सदियों तक चला और पिछले दिनोंमें तो दिनमें तीन-तीन बार तक प्रकाशित होता रहा। यूरोपमें इतनी जल्दी कोई समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। वहापर सबसे पहले इटली और जर्मनीमें समाचार-पत्रोंका जन्म होना बताया जाता है, किन्तु वहा भी इतने पहलेसे समाचार-पत्र निकलनेकी बात मालूम नहीं पड़ती। जर्मनी और इटलीके बाद फ्रान्सका नम्बर आता

है। वहांपर सन् १६३१ के पहले किसी प्रकारके समाचार-पत्रका सूराग नहीं लगता। सन् १६३१ में वहाँके एक प्रसिद्ध डाकटर अपने रोगियोंको बहलानेके विचारसे कागजपर इधर-उधरके समाचार लिखकर सुनाया करते थे। धीरे-धीरे ज्यो-ज्यों लोगोंमें इस प्रकारके समाचार पढ़नेकी रुचि बढ़ी, त्योंत्यों डाकटर साहबने वह पर्चा और अधिक सख्त्यामें प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और उसकी कीमत मुर्करर कर दी। फिर यही पर्चा समाचार-पत्रके रूपमें निकला और बाजारमें आम-तौरसे बिकने लगा। कहते हैं, कि इसी प्रकार वहां समाचार-पत्रका जन्म हुआ। बादमें यह विषय बहुत सहत्वपूर्ण समझा जाने लगा। एक मरतबा एक फ्रान्सीसी सज्जनने समाचार-पत्र निकालनेके सम्बन्धमें बड़े जोर दार शब्दोंमें कहा था:—

“Suffer yourself to be blamed, imprisoned condemned suffer yourself even to be hanged, but publish your opinions It is not only a right but it is a duty”, समाचार-पत्र निकालने के कारण चाहे कोई कोसे, चाहे जेलमें डाले, चाहे निन्दा करे और चाहे फाँसीपर लटका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवश्य प्रकाशित करो। यह तुम्हारा अधिकार ही नहीं, कर्त्तव्य भी है।

कहते हैं, लोगोंमें फ्रान्सीसी सज्जनके इस कथनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वे समाचार-पत्र निकालनेकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। अग्रेजी-भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र “आक्स फोर्ड गजट” माना जाता है। इसका प्रकाशन १६६५ ईसवीमें हुआ था, किन्तु इस प्रकारसे यत्र-तत्र प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रोंके होते हुए भी जिस रूपमें आज-कल समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं, उस रूपमें उनका वास्तविक प्रकाशन १८वीं शताब्दीसे शुरू हुआ। इसी शताब्दीमें लन्दनके “टाइम्स” नामक विख्यात पत्रका भी जन्म हुआ था।

भारतवर्पमें अग्रेजोंके शासन-कालसे पहले समाचार-पत्रोंका कोई पता न

था। सबसे पहिले अग्रेजी शासन-कालमें पादियों द्वारा समाचार-पत्र निकाल रखा। इस पत्रका नाम “हिक्सीज बगाल गजट” था। स्वतन्त्र स्पर्से सबसे पहिला निम्नलिखित वाला यह पत्र सन् १७८० ईसवीमें प्रकाशित हुआ था। उसके बाद और भी कई पत्र निकले। किन्तु ये अखबार अग्रेजी-भाषामें निकलते थे। देशी भाषामें सबसे पुराना समाचार-पत्र “समाचार-र्ड्डि” बताया जाता है। इसे इसाइयोंने १८१८ ईसवीमें श्रीरामपुरसे प्रकाशित किया था। वर्तमान पत्रोंमें देशी भाषाका सबसे पुराना समाचार-पत्र गुजरातीका “दम्भड़-नमाचार” नामक पत्र है। इसका जन्म १८२२ में हुआ था। उर्दूकी अखबार नवीसीका इतिहास सन् १८३३ ईसवीसे शुरू होता है। कहते हैं इस सन्में देहलीसे उर्दूका समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ था। किन्तु उस पत्रके नामके सम्बन्धमें कोई वात सप्रमाण नहीं मिलती। स्वर्गीय वा० वालमुकुन्दजी गुप्तने अपनी निवन्धा-वलीमें उसे “र्दू-अखबार”के नामसे याद किया है। दूसरा पत्र जिसके सम्बन्धमें कुछ वात मालूम है, लाहौरसे प्रकाशित होनेवाला ‘‘कोहनूर’’ नामक पत्र है। यह पत्र सन् १८५० में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ‘‘अवध-अखबार’’ ‘‘अखबारे-आम’’ ‘‘अवध-पत्र’’ आदि उर्दूके समाचार-पत्र प्रकाशित हुए और इस समय अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। उर्दूके अधिकाश पत्र पञ्चावसे प्रकाशित होते हैं। बुज-प्रान्त और बजालसे भी कई पत्र उर्दूमें निकलते हैं।

हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास सन् १८२६से आरम्भ होता है। उसी कालकाल से ‘‘उदन्त-मार्तण्ड’’ नामका सासाहिक-पत्र निकला था। उसके सम्पादक और प्रवर्तक श्रीयुगलकिशोर शुक्ल थे। काशी निवासी श्रीराधाकृष्ण दासने हिन्दी समाचार-पत्रोंका एक इतिहास लिखा था। प्रारम्भिक समाचार-पत्रोंके इतिहासका वही आधार स्व० वा० वालमुकुन्दने भी लिया है। अपने इतिहास-प्रन्थमे श्रीराधाकृष्ण दासने ‘‘वनारस समाचार’’ नामक पत्रको सबसे इन्द्रियोंका पत्र कहा है। परन्तु यह बात अब खोजसे गलत सावित हो





गयी है, और उदन्त-मार्टण्ड' सबसे पुराना सिद्ध हो चुका है। उसके बाद 'बङ्ग-दूत' ( १८२९ ) के प्रकाशित होनेका पता चलता है। यह पत्र मूल-रूपसे बङ्गलामें था। परन्तु इसका हिन्दी-संस्करण भी प्रकाशित होता था। १८३४ में 'प्रजा-मित्र' नामक एक पत्रके प्रकाशनकी सूचना निकली थी। परन्तु वह प्रकाशित हुआ या नहीं, यह नहीं मालूम हौ सका। इस प्रकार 'बनारस-अख-वारके पहिले कई पत्र निकल चुके थे। 'बनारस-अखबार' राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने १८४५ ईसवीमें प्रकाशित करवाया था। इसके सम्पादक एक महाराष्ट्र सजन थे, जिनका नाम श्रीगोविन्द रघुनाथ थते था। कहते हैं कि इस पत्रकी भाषा बहुत त्रुटिपूर्ण थी। भाषाका सुधार वास्तवमें भारतेन्दु वाबू हरिद्वन्दके समयमें हुआ। इसके पहिले श्री लल्लालालआदिने गद्य लिखनेका श्रीगणेश कर दिया था। किन्तु वास्तविक उन्नति वाबू हरिद्वन्दके जमानेमें ही हुई। भारतेन्दुजीने प्रारम्भमें "कवि बचन सुधा" नामक एक मासिक पत्र निकाला। सन् १८६८ मे इस पत्रका पहिला अङ्क सामने आया। "कवि बचन-सुधा"में पहिले ग्राचीन कवियोंकी कविताएं प्रकाशित होती थीं। धीरे-धीरे भारतेन्दु वाबूका ध्यान गद्यकी ओर गया और उन्होंने अपने पत्रमें गद्यको भी स्थान देना शुरू किया और उसे मासिकसे क्रमशः पाक्षिक और अन्तमे सासा-हिक समाचार-पत्र बना दिया। इस पत्रमें राजनीति, समाज शास्त्र, साहित्य आदि विषयोपर लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्रके तीन साल बाद अलमोड़ासे "अलमोड़ा-सामाचार" नामक एक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। यह पहिलेसे ही सासाहिक रूपमें सामने आया। इसके बाद सन् १८७२ ईसवीमें बॉकीपुरसे "विहार-बन्धु" नामक सासाहिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशनमें प० केशवराम भट्ट और प० साधोराम भट्टका उद्योग विशेष उत्तेजनीय है। इन पत्रोंके अतिरिक्त स्व० लाला श्रीनिवास दासके प्रयत्नसे दिल्लीसे "सत्यादर्श" नामका पत्र सन् १८७४ में निकला। सन् १८७६ में अलीगढ़से वाबू तोताराम दमकि प्रयत्नसे "भारत-बन्धु" नामक सासाहिक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ।

और फिर धीरे-धीरे नवीन प्रगालीके नमाचार-पत्रोंका प्रादुर्भाव हुआ। “मिन-विलास”, “भारत मित्र”, “आर मुगानिवि” ‘उचितपत्रा’ आदि कई नमाचार-पत्र सामने आये और इन नमन तो नमाचार-पत्रोंकी आनन्दस्ताने अधिक भरमार है।

‘आवश्यकतासे अविकृ’ कहनेने अभिप्राय बहुत कुछ बैना ही है जैसा कि प्रथम सम्पादक नमोलनके मुगोल रामायति प० वाम्पाय जिगु पराउरने अपने भाषणमें एक स्थानपर व्यक्त किया ‘ग। वास्तवमें हिन्दी जनता नमाचार-पत्रोंके लाभोंका अनुभव नहीं कर रही। उमे उनकी आनन्दस्ता प्रतीत नहीं होती। किन्तु समाचार-पत्र एक प्रकारसे जर्दस्ती उनके मरमटे जाते हैं और उमे समाचार-पत्रोंकी नहता अनुभव करनी जाती है। इसीलिए ‘आवश्यकतासे अधिक’ भरमारका जिक्र किया जाता है। वैसे तो भारतवर्ष जैसे विशाल देशके लिये और हिन्दी जैसी व्यापक भाषाके लिए इससे कई गुने अधिक समाचार-पत्र भी हों तो भी थोड़े ही निष्ठ होंगे। आवश्यकतासे अधिक भरमार कहनेमें एक अभिप्राय यह भी है कि हिन्दीमें कुछ इने-गिने समाचार-पत्र ही ऐसे हैं, जो देशके लिये दितकर तथा आनश्यक सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा अविकाशमें अनावश्यक समाचार-पत्रोंकी भरमार है।

इस कथनसे मतलब यह नहीं है, कि हिन्दीमें ऐसे समाचार-पत्र हैं ही नहीं, जो देशकी बलशाली सम्पत्ति हो। इसके प्रतिकूल वात यह है, कि हिन्दीमें कई ऐसे पत्र हैं, जो किसी भी भाषाके उच्चकोटिके पत्रोंसे मुकाबिला कर सकते हैं। दैनिक पत्रोंमें हिन्दुस्तान, अर्जुन, प्रताप, भारत, आज, विश्वमित्र, आदि, साप्त-हिंक पत्रोंमें सैनिक, प्रताप, नवशक्ति, कर्मवीर, नव राजस्थान अदि, तथा मासिक पत्रोंमें विशाल मारत विश्वमित्र, सरस्वती, माझुरी आदि ऐसे ही उच्चकोटिके पत्रोंकी गणनामें गिने जाने योग्य हैं, इन पत्रोंके अतिरिक्त और भी अनेक पत्रिकाएँ हैं जो अपने-अपने ढंगसे देश और जातिकी सेवाएँ कर रही हैं।

प्रारम्भकालमें हिन्दीके समाचार-पत्रोंमें प्रायः साहित्यिक चर्चा रहती थी। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और जनताकी प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न दिशाओंकी ओर मुड़ी, त्यों-त्यों अन्यान्य विषयोंका भी प्रवेश होने लगा। अब यह स्थिति आ गई है कि जनताकी भिन्न-भिन्न रुचियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समाचार-पत्र कई विभिन्न विषयोंको अपनी-अपनी विभिन्न नीतियोंके साथ प्रकाशित करते हैं। साहित्य, राजनीति, धर्म, मनोरज्जन, देशी-राज्य, खोज, स्त्री, बालक, व्यापार, सिनेमा आदि अनेक विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र अलग-अलग प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक पत्रोंमें विशाल-भारत, सरस्वती, माधुरी, विश्वमित्र, सुधा आदि पत्र, धार्मिक पत्रोंमें आर्य-मित्र, भारत-मित्र, वीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रोंमें आज, नवशक्ति, प्रताप, सैनिक आदि पत्र हैं। इस श्रेणीके पत्रोंमें प्रभाका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय था। मासिक पत्रोंमें राजनीतिकी वही एक पत्रिका थी। उसके बन्द हो जानेसे हिन्दी ससारकी वङ्गी हानि हुई है। मनोरज्जन-सम्बन्धी पत्रोंमें मदारी, हिन्दू-पञ्च आदि पत्र, देशी राज्योंके सम्बन्धमें राजस्थान, जयाजी प्रताप आदि पत्र, खोज-सम्बन्धी पत्रोंमें नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका आदि पत्र, ख्रियोपयोगी पत्रोंमें सहेली आदि, बालोपयोगी पत्रोंमें बाल-सखा, बालक, शिशु, खिलौना, बानरु आदि, सिनेमा-सम्बन्धी पत्रोंमें चित्रपट, सिनेमा-संसार आदि पत्र विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। इन पत्रोंमें अपने निश्चित विषयको अधिक स्थान मिलता है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समाचार-पत्र हैं, जो केवल व्यावसायिक हैं, जिनमें केवल व्यापार-व्यवसायकी बातें ही स्थान पाती हैं।

इन भेदोंके अतिरिक्त समाचार-पत्रोंके और भी कई भेद हो गए हैं। यह घतलानेकी आवश्यकता नहीं, कि समाचार-पत्रोंका राजनीतिक प्रगतिसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके कारण समाचार-पत्र दो स्पष्ट श्रेणियोंमें विभक्त हो गये हैं। एक निष्पक्ष समाचार-पत्रोंकी श्रेणी है और दूसरी दल-बन्दीवालोंकी। राजनीतिक जगतमें सत-भेद होनेके कारण दल-बन्दियाँ होने लगी। तब

प्रत्येक दलको अपने मतके प्रचारके लिये और देशमें अपने धनुष्ठल बातावरण तयार करनेके लिए नमाचार-पत्रोंकी आपम्भमता परी और प्रायः प्रत्येक दलने अपना एक सुसम्बन्ध प्रकाशित किया। इस प्रकारके प्रचारक पत्र अनेक भाषाओंमें प्रकाशित हुए। हिन्दीमें भी वे समाज न्यूमें प्रकाशित हुए। दलविशेषका समर्थन करनेके लिए कुछ तो नये पत्र निकले और कुछ पुराने पत्र ही उसका समर्थन करते-करते उनके सुसम्बन्ध बन गये। अब तो दलवन्दीका रोग इतना बढ़ गया है कि बहुत ही कम समाचार-पत्र उम्म रोगसे मुक्त रह पाये हैं। और निष्पक्ष समाचार-पत्रोंकी सत्या कुछ इनी-गिनी ही रद गई है। राजनीतिक-दलवन्दियोंके अतिरिक्त धर्मिक, साहित्यिक आदि और भी कई दलवन्दियाँ हैं और उनके समर्थनमें भी हिन्दीमें अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रोंके कई भेद हो गये हैं।

इन भेदोंसे रामाचार-पत्र-संसारको नुकसान ही हुआ हो, यह बात नहीं है। दलवन्दीके दल-दलमें फँसे रहनेपर भी कई समाचार-पत्र अन्य सब बातोंमें यथोचित सामग्री जुटानेमें कोई कोर-क्सर नहीं रखते। इस प्रकार सामूहिक-रूपसे रामाचार-पत्रोंकी उच्चता ही हुई है। अब भी ज्यो-त्यों लोग सामाजिक आवश्यकताओं और नये-नये आविष्कारोंसे परिचित होते जाते हैं, खो-त्यों समाचार-पत्रोंमें नये-नये सुधार होते जाते हैं। सबसे पहिले समाचार-पत्र हलके कागजपर लीथो आदिकी छपाईसे बहुत मामूली ढगसे प्रकाशित होते थे। धीरे-धीरे छापेखानोंके टाइपसे छापे जाने लगे और उनमें अच्छा कागज लगाया जाने लगा। सुन्दरता, छपाई-सफाई आदिकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट हुआ और पत्र-संशालक उसकी पूर्तिके लिये आगे आये। इस सम्बन्धमें यद्यपि सरस्वतीके प्रकाशनके साथ-ही लोगोंकी प्रवृत्ति हो चली थी तथापि माधुरीके प्रकाशनसे इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जबसे यह पत्रिका सज-धजके साथ प्रकाशित हुई, तबसे इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पत्रोंमें और सुधार भी हुए। कुछ समाचार-पत्रोंने पाठकोंकी जानकारी बढ़ानेके विचारसे,

कुछने उनके मनोरञ्जनके विचारसे और कुछने दूसरोंकी देखा-देखी ही धीरे-धीरे पत्रोंमें चित्र, कारटून आदि देना शुरू किया । यह भी पत्रोंकी उन्नतिका एक अग्र हुआ । इस समय हिन्दीके मासिक और साप्ताहिक पत्रोंमें तो प्रायः सभी सचित्र प्रकाशित होते हैं । इनके अतिरिक्त प्रायः सभी दैनिक पत्र भी समय-समयपर चित्र और कारटून प्रकाशित किया करते हैं । इतना होते हुए भी पत्रोंकी कीमत कम रखनेकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है । पहिले साप्ताहिक-पत्रोंकी कीमत बहुत अधिक होती थी । छोटे-छोटे और खराब कागजोपर छपे हुए पत्रोंकी कीमत भी छः-छः सात-सात रुपया रखती जाती थी । इसीलिये श्रीराधाकृष्ण दासजीको अपनी पुस्तकमें समाचार-पत्रोंके मूल्यकी अधिकताकी शिकायत करनी पड़ी थी । किन्तु इस समय यह बात नहीं । अब छपाई, कागज, सफाई आदि सुधारोंके साथ-साथ कीमत भी कम रहती है । भारतवर्ष जैसे दीन देशके लिए कीमतका कम होना बहुत बड़ी बात है । प्रसन्नताकी बात है कि समाचार-पत्र सब प्रकार उपयोगी बननेके लिए आगे बढ़ रहे हैं । इनमेंसे अनेक अपने उद्देश्यमें सफल भी हो रहे हैं । फिर भी अभी आगे बढ़नेकी जरूरत है । हिन्दी-भाषी-जनतामें समाचार जाननेकी उत्सुकता अभी पर्याप्त परिमाणमें जाग्रत नहीं हुई । इसलिए इस बातकी भी आवश्यकता है, कि समाचार-पत्र जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाये जायँ ।

## समाचार-पत्र

( पर्यालोचना )

---

जब समाचार-पत्र न थे, तब हमें उनकी आवश्यकता भी प्रतीत न होती थी । उस समय हमारी दुनिया ही दूसरी थी । किन्तु अब समाचार-पत्रोंके लाभका हमें चक्का लग गया है, इसलिए अब उनके बिना हमारा गुज़ार नहीं होता । यह वात ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे, त्यों-त्यों सल्यतर होती जायगी । जितनी आवश्यकता हम आज प्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन बाद उससे अधिक आवश्यकता प्रतीत करने लगेंगे । जहाँ—पाश्चात्य देशोंमें और पौर्वात्य स्वतन्त्र देशोंमें भी— समाचार-पत्रोंका चक्का लग गया है, वहाँ यह दशा हो भी रही है । हमारे जीवनका प्रवाह ही कुछ ऐसे सुखसे वह रहा है कि बिना समाचार-पत्रोंके काम

ही नहीं चलेगा। अभी तो हम समाचार-पत्रोंको केवल सुविधा या मनोरञ्जन और कभी-कभी विलासिताके लिए चाहते हैं; किन्तु आगे चलकर वह समय आनेवाला है, जब वे हमारे जीवनके आवश्यक अङ्ग हो जायेंगे।

समाचार-पत्रोंका कार्य बहुत व्यापक है। भिज्ञ-भिज्ञ मनुष्योंके लिए, भिज्ञ-भिज्ञ प्रकारके सामाजिक, उन्हें तैयार करने पड़ते हैं। जो लोग जिस बातको पसन्द करते हैं, वे उसका प्रतिविव समाचार-पत्रोंमें पाते हैं। समाचार, साहित्य-चर्चा, कविता, मनोरञ्जन, सगीत आदि नाना प्रकारके विषयोंका प्रवेश समाचार-पत्रोंमें रहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनद्वारा भी समाजका बड़ा हित किया जाता है। केकार लोग इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि वे अमुक-अमुक योग्यता रखते हैं और काम चाहते हैं, काम प्राप्त कर सकते हैं; रोजगार, व्यापार, कल-कारखाना और दफ्तरखाले इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि उन्हें अमुक-अमुक योग्यताका आदमी काम करनेके लिए चाहिए, नौकर प्राप्त कर सकते हैं; किसी चीजके चाहनेवाले उस चीजके सबधका विज्ञापन देकर यह माल्यम कर सकते हैं कि वह चीज कहाँपर, किस भावसे और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और बेचनेवाले अपनी चीजका विज्ञापन देकर उसकी तरफ जनताको आकर्षित कर सकते हैं, और उसकी विक्रीका पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक दृष्टिसे समाचार-पत्र सर्वसाधारणकी सेवा करते हैं। वे समाचार-संग्रह करके जनताको देशकी और संसारकी घटनाओंसे परिचित कराते हैं, अपने विचार प्रकटकर घटना विशेषसे देशपर पड़नेवाले प्रभावका बोध करते हैं, और विज्ञापन देकर व्यापार और बेकारी आदिकी असुविधाएँ कम करते हैं।

समाचार-पत्र-प्रकाशन एक व्यापार है। एक व्यापारके लिये जिन-जिन बातोंकी ज़रूरत पड़ती है, वे सब इसमें भी ज़रूरी होती हैं। ग्राहकोंकी सख्त्या बढ़ाना, विज्ञापन प्राप्त करनेकी कौशिश करना, स्थयं अपना विज्ञापन करना, नौकर-चाकर रखना, बाक्सायदा खरीद-फरोखत करना आदि प्रायः समस्त व्यापार-सम्बन्धी बातें इसमें आती हैं। फिर भी अभी यह नितांत व्यापारिक-रूपमें नहीं

थाया। रुख उन तरफ ज़म्ल है। अभी तो जो लोग इस व्यापारको दरते हैं वे प्रत्यक्ष धनोपार्जनकी दृष्टिसे नहीं करते। उनके हृदयमें यह भाव यदि रहता भी है, तो बहुत-कुछ अप्रव्यक्ष स्थिर रहता है। किन्तु, कुछ उठाहरण योरुज़ जहा शुद्ध देश-भक्ति, समाज व्यापार साहिल-नैवाके नामने पत्र निकाले जाते हैं, अन्यत्र अविज्ञागम स्वार्थ-भाव रहता अपश्य है, फिर वह अप्रव्यक्ष ही क्यों न हो। यह भाव दिनोंदिन उत्तिर कर रहा है और वह समय शीघ्र ही आगेवाला है, जब वह ताम शुद्ध व्यापारकी दृष्टिसे निया जायगा और बड़े-बड़े व्यापारी, सपादक और रिपोर्टर आदि नौकर रुक्कर इन व्यापारों सचालन करेंगे। उस समय आपसकी प्रतिदूनिता बढ़नी और एक समाचार-पत्र दूसरेसे कम कीमतपर अधिक सुविधाएँ देनेसे प्रयत्न करेगा। किन्तु साथ-ही-साथ सपादकोंकी स्वतत्रता घटकर प्रवधकोंका प्रभाव बढ़ेगा। यह अवस्था देशके लिए आशीर्वाद सिद्ध होगी या अभिशाप, इस सम्बन्धमें यदि समयकी गति-विधि से कुछ असुमान कर सकना समझ हो, तो यह स्पष्ट दिखालाइ पड़ रहा है कि समाचार-पत्रोंपर पूँजीपतियोंका शासन होगा और वे अपने तुच्छ-स्वार्थके अनुसार देशकी इस विशाल-विभूतिका सदुपयोग या दुरुपयोग सब-कुछ करनेमें तनिक भी आगा-पीछा न करेंगे। स्वतत्र विचारवाले पत्र धनाभावके कारण उनका मुकाबिला न कर सकेंगे। पूँजीपतियोंके पत्र वर्दिया छपे, कटे साफ कागज और सुन्दर टाइपवाले होंगे, उनके मुकाबिलेमें कम सज-धजके समाचार-पत्रोंकी पूछ न होगी, और स्वतत्र-सपादक उतना धन लगा न सकेंगे कि उतनी ही या उससे अधिक सज-धजके पत्र निकालें। इन सब वातोंका परिणाम यह होगा कि वे समाचार-पत्र निकाल ही न सकेंगे और पूँजीपति निष्कटक राज्य करेंगे। समाचार-पत्रोंमें पूँजीपतियोंका हाथ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। अभीसे यह दशा आ गई है कि यदि कोई पत्र किसी पूँजीपतिके विरुद्ध हुआ, तो उसे द्रव्य आदिका भोह दिखाकर वशमें करनेकी कोशिश की जाती है और अनेक समाचार-पत्र इस प्रकार पूँजीपतियों की हाँ-मे-हाँ मिलाने भी लगते हैं। किन्तु अभी स्वतत्र विचारवाले

स्वतंत्र-सम्पादक और उनके स्वतंत्र-पत्र मौजूद हैं, इनपर अभी पूजीपतियोंका जादू असर नहीं करता। किन्तु उस समय जब पत्रोंके पूर्ण स्वामी भी पूजीपति ही होंगे, तब कौन उनके खिलाफ कुछ लिखनेकी हिम्मत कर सकेगा? इस सम्बन्धमें देशके हितचिंतकों और स्वतंत्र-संपादन-कलाके समर्थकोंको अभीसे सतर्क और सावधान रहनेकी आवश्यकता है।

देशके जीवनमें समाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊँचा है, वे जैसा चाहें जनताको उसी प्रकार धुमा सकते हैं। उनकी इसी प्रभावशालिताका अनुभवकर कोई चिद्रशी राष्ट्र आजकल जब किसी दूसरे देशपर अपना शासनाधिकार जमाने-की कोशिश करता है, तब वहाँके समाचार-पत्रोंको दबानेका सबसे पहिले प्रयत्न करता है। भारतवर्षमें यह प्रत्यक्ष रूपसे हो रहा है। पिछले यूरोपीय महासमरके समय दुश्मनोंको हरानेसे अधिक समाचार-पत्रोंको कावृमें रखनेका प्रयत्न किया जाता था। समाचार-पत्रोंके प्रभावसे बड़े-बड़े सत्ताधारी कांपा करते हैं। भारतवर्ष-जैसे देशमें तो, जहाँपर जन-साधारणमें न्यायान्याय, कर्तव्याकर्तव्य और सत्यात्मके विवेचनका अभ्यास नहीं है, अंगिकारके कारण जहाँके मनुष्य लिखी हुई घातोंपर ब्रह्माके वाक्योंसे अधिक विश्वास कर लेते हैं, जहाँ अपने-आप किसी समस्यापर कुछ सोच सकता पहाड़ दिखलाई पड़ता है, समाचार-पत्रोंका प्रभाव घौंर नी अधिक पड़ता है। परन्तु विभिन्न कारणोंमें ( कारणोंका उल्लेख आगे किसी अध्यायमें विस्तारपूर्वक किया गया है ) पाठकोंकी संख्या कम होनेके कारण इस प्रभावका प्रत्यक्ष प्रदर्शन बहुत कम हो पाता है। फिर भी इन घातोंका छापा हम्म चुनाव आदिके अवसरोंपर देखनेमें आता है। समाचार-पत्रों और परन्तु छापा जनतामें अपने-आपने पक्के सोग अपनी-अपनी घातें प्रशाशित करते हैं। जनतामें भूति उर्मांडोल होती रहती है और उच्चके लिए यह निर्णय कर सकता है कि जिसों ध्रेय देना चाहिए, जिसको नहीं। चुनाव-का रस्य पूर्णत्वमें नाल आया ही बरता है। इनमें अलापा और भी दमकता है कि देखनेमें जाते हैं जब समाचार-पत्रोंके प्रभावका प्रत्यक्ष प्रभ-

है। 'रंगीला-रसूल' के मामलेने पजावके समाचार-पत्रोंने जनतामें जो उत्तेजना पैदा कर दी, वह अभी थोड़े ही दिनकी घटना है और नमानार-पत्रोंकी प्रभाव-राशिलताका जलत उदाहरण है।

भिन्न-भिन्न सत्याओंका विज्ञान करनेमें भी समाचार-पत्रोंसे बड़ी मद्दतता मिलती है। समानार-पत्रोंद्वारा उम सत्याके कार्य-कलनका वर्णन दरके उमके किये हुए कामोंका विज्ञापन करके, उसके रोचक और उन्योगी उद्देश्योंना प्रचार करके बड़ी उन्नति की जा सकती है। इनीलिये प्रायः यह देखनेमें आता है कि प्रत्येक महत्त्व-रूप-सत्या अरना एक मुख्यपत्र भी रहती है।

लोकतंत्रके इस ज्ञानेमें जब प्रत्येक नेता या शासकों जन-साधारणका मत अपने पदमें करनेकी जातरत रहती है, समानार-पत्रोंकी आवश्यकता और भी बड़ी हुई है। शासक या नेता समाचार-पत्रोंद्वारा अपनी नीतिका उल्लेखनहु जनताको अपनी कार्य-प्रणाली और अपने उद्देश्योंसे परिचित कराता रहता है और इस प्रकार अपने काम समझने और उन्हीं दाद देनेका जनताको भौका देता है। यह बात तो हुई शासक या नेताकी दृष्टिसे समाचार-पत्रोंकी आवश्यकताके सम्बन्धकी, दूररी और शासित या जन-साधारणकी दृष्टिसे भी समाचार-पत्रोंकी उपयोगिता होती है। वे जानना चाहते हैं कि अमुक शासक या अमुक नेता हमारे हिताहितके सम्बन्धमें क्या कर रहा है। यदि वह कार्य अनुकूल प्रतीत हुआ, तो उसकी प्रशंसा करके उसको उत्साहित करनेका प्रयत्न किया जाता है और यदि कामोंमें प्रतिकूलता हुई तो समाचार-पत्रोंद्वारा ही यथावत् आलोचना करके उन्हें अपनी गति-विधि सुधारनेका अवसर दिया जाता है।

समाचार-पत्र लोक-शिक्षणका एक प्रधान साधन होते हैं। बड़ेसे-बड़ा प्रोफेसर या अध्यापक उतनी जन-सख्याको शिक्षा नहीं दे सकता, जितनी बड़ी जन-सख्याको समाचार-पत्र शिक्षा दे सकते हैं। उनके शिक्षणकी रीति भी विचित्र होती है। वे जिस मतके प्रतिपादक हुए, उस मतसे सहानुभूति उत्पन्न हो जाएँ समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकारके न हुए तो उन्हें

ऐसी भाषामें और इस प्रकार लिखकर कि वे वैसे हो जायें, जनतामें अपने प्रतिपाद्य विषयका प्रचार करते हैं। उनका शिक्षाका साधन होना एक और प्रकारसे भी सिद्ध होता है। भिन्न-भिन्न विचारवाले समाचार-पत्र एक ही विषयको विभिन्न रूपसे सामने लाकर उपस्थित करते हैं। एक ही सम्बन्धमें कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। पाठक दोनों विचारोंको पढ़ते हैं, वे थोड़ी देरके लिये चक्करमें पढ़ जाते हैं। उन्हें दोनों मतवालोंकी बातोंमें तथ्य मालूम होता है। किसको मानें, किसको न मानें; यह सवाल उनके लिए बड़ा टेढ़ा हो जाता है, वे एक उलझनमें पढ़ जाते हैं। उलझनमें पड़कर स्वभावतः वे एक निर्णयपर पहुँचनेकी कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उनमें विवेक-शक्ति उत्पन्न होती है। यह तो हर्दि अप्रत्यक्षरूपसे लोक-शिक्षणके प्रयत्नकी बात, इसके अतिरिक्त 'समादकीय-कालमो' में अपने विचार प्रकटकर और कभी-कभी तद्विषयक समाचार और विज्ञापन छापकर वे प्रत्यक्ष रूपसे भी लोक-शिक्षणका काम करते हैं। किसी विषयको आगे बढ़ानेके लिए वे इन तीनों प्रकारोंसे—समाचार देना, विचार प्रकट करना, और विज्ञापन देना—काम लेते हैं। समाचार-पत्र प्रायः इन्हीं तीन प्रकारोंसे लोक-शिक्षण और प्रचार-कार्य करते हैं।

समाचार-पत्रोंका एक महत्व-पूर्ण कार्य यह भी होता है कि वे एक समाज, सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रकी जनताको दूसरे समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्रकी बातोंसे परिचित कराते रहते हैं। समाचार-पत्र अन्तर्समाज, अन्तर्संस्था या अन्तर्देशीय-सम्बन्ध स्थापित करनेमें एक सम्मेलन-सूचका काम देते हैं। एक स्थानपर चैठे-चैठे हम सारे सासारकी बातें उन्हींके लिए जान लेते हैं। कौन समाज, या कौन देश किस दिशामें क्या कर रहा है, उसके उस घटका क्या परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कर्त्तव्य कर सकते हैं, और उसके करनेसे कर्त्तव्य का लाभ उठा सकते हैं। उसे परिस्थितियोंकी कौन-न्हीं अनुकूलता प्राप्त है, वह हमें भी किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, आदि बातें समाचार-पत्र हमें बताते हैं, और उनका द्वारा प्रस्तुत हम अपने नित्यार और अपनी उन्नतिका प्रयत्न

करते हैं। उन प्रथिए तो हमारी वर्तमान जागृतिसा बहुत अधिक थ्रेय समाचार-पत्रोंको है। यदि प्रचार और लोन-शिक्षणका यह साधन हमें प्राप्त न होता, तो हमारी वर्तमान जागृतिसी यह गति फ़ड़ापि न होती।

समाचार-पत्र जनताके प्रतिनिधि हैं। जनता उनके हारा अपने भनोभानेको, अपनी शिकायतोंको और दापने प्रशंसा और लुनगता आदिके भावोंको व्यक्त करके सम्बन्धित लोगोंसे अपेक्षित कार्यपाठीकी खाड़ी और प्रार्थना करती है। प्रत्येक विचार और प्रत्येक थ्रेणीके व्यक्ति इस प्रकार समाचार-पत्रोंना उपयोग कर सकते हैं, और करते भी हैं। इस प्रकार प्रत्येक इस्टिसे देखनेसे समाचार-पत्र एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सत्या किन्तु होते हैं।

किन्तु जहाँ इन्होंने यह महत्ता और प्रभावशालिता प्राप्त की है, वहाँ इनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। यह स्वभावरिद्ध और सर्वमान्य बात है कि जो जितना अधिक ऊँचा और महान् होता है, उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही ऊँचा और उतना ही महान् होता है। समाचार-पत्रोंको अपने इस महान् उत्तरदायित्वका सदा ध्यान रखना चाहिये। जिस विषयमें जो विचार वे प्रकट करें, उनमें काफी विवेक-नुद्दि जागरुकता, सजार्द, ईमानदारी और नेकनीयती होनी चाहिए। और जो बातें कही जायें, वे साफ-साफ सबकी समझमें आने-वाली स्पष्ट-भाषामें कही जानी चाहिए। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक विषयपर वे अपने विचार निश्चित कर लें और फिर उन निश्चित विचारोंके अनुसार जनताको आगे बढ़ानेका साधुतापूर्ण सतत प्रयत्न करें। इस सम्बन्धमें साधारणतया तीन प्रकारकी नीति बरती जाती है। किसी विषयपर मनुष्योंके प्रायः तीन सिद्धान्त होते हैं। एक यह कि पुरानी बातोंका आंख मूँदकर समर्थन किया जाय, और वर्तमान रीति-रिवाजको पुराने ढंगमें परिवर्तित कर दिया जाय, दूसरे यह कि समयके अनुसार जो कुछ बरता जा रहा है, उसको अवाधित रूपसे चलने दिया जाय उसमें किसी प्रकारका संशोधन एवं परिवर्तन न किया जाय, और तीसरे यह कि वर्तमान रीति-रिवाजको नये हाँचेमें ढाल दिया जाय।

परिवर्तन चाहनेवाले लोगोंकी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो वह श्रेणी, जो धीरे-धीरे परिवर्तन चाहती है और दूसरी वह जो एक क्रांति करके वर्तमान बातावरणको एकवारणी नष्ट-ब्रह्मकर उसमें एक विचित्र परिवर्तन कर डालना चाहती है। ये दोनों श्रेणियाँ उपर्युक्त प्रथम और तृतीय दोनों सिद्धान्तोंके मानने-वाले मनुष्योंमें हो सकती हैं। समाचार-पत्रोंको इन्हीं सिद्धान्तों और नीतियोंमेंसे एक-न-एक सिद्धान्त और नीति पसंद करके उसीके अनुसार अपने विचार-प्रवाहकी गति मोड़ना चाहिये। इस सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि समाचार-पत्र इन सिद्धान्तोंमेंसे जिनको ठीक समझें उनको सभी बातोंमें प्रयुक्त करें। यह विलकुल स्वाभाविक है कि किसी एक विषयमें वे एक सिद्धान्तके पक्षपाती हों और किसी दूसरे विषयमें किसी दूसरे सिद्धान्तके। इसमें कोई ऐब नहीं कि राजनीतिक मामलोंमें एक पत्र नवीन ढंगके परिवर्तनके लिए क्रांति कर देनेके सिद्धान्तका पक्षपाती हो और वही धार्मिक मामलोंमें पुरानी लक्षीर-का-फकीर बनकर काम करना पसन्द करता हो। ये दोनों भावनाएँ साथ-साथ काम कर सकती हैं। किन्तु एक ही विषयमें कभी कुछ और कभी कुछ विचार रखना कीर्झ मूल्य नहीं रखता। इसलिये समाचार-पत्रोंको एक निश्चित सिद्धान्तके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, और अपने विचारोंमें सदैव समता कायम रखनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषयके पहिलेके लेखसे उसका मिलानकर देख लिया जाय कि दोनों लेखोंके विचारोंमें कोई खटकनेवाला अन्तर तो नहीं आ गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारोंमें परिवर्तन करते रहनेसे पत्रको जनतामें अधिक आदर नहीं प्राप्त होता। एक पत्रका कभी कुछ और कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति असुचि और अश्रद्धा उत्पन्न कर देता है। इस सम्बन्धमें समाचार-पत्र और नेताओंकी बात एक-सी हीती है। दोनोंके लिए बराबर विचारोंका बदलते रहना अहितकर है।

समाचार-पत्रोंके विविध कायोंकी गणना इतने ही से समाप्त नहीं हो जाती। समाचार देना, अपने विचार प्रकट करना और व्यापारकी सूचनाएँ देना उनके

काम वाकश्य हैं, किन्तु वे काम किसी दूररे अन्तर्दित दृश्यों साथनभाव हैं। यह अन्तर्दित उद्देश्य भिज-भिज समाचार-पत्रोंकी लीतिके अनुसार भिज-भिज होता है। यदि पत्र किसी दल-विधेयक द्वाता है या उसका सम्बन्ध किसी विशेष समुदायसे होता है, तो वह उपर्युक्त तीनों प्रकारोंसे—समाचार-विचार-विज्ञापन द्वारा—अपने उस दल या समुदायका दित्त-साधन करता है और यदि पत्र स्वतंत्र-विचारका हुआ, तो वह समटित्यमें देश या राष्ट्रके द्वितीय स्लाल रखता है और हर प्रकारसे उनका दित्त-साधन करता है। विशेष नियम और समुदायसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र ( सकीर्ण साम्राज्यिक भागवाले ) केवल नाम-भान्नके पत्र होते हैं। एक दृष्टिमें विचार करनेपर ये समाचार-पत्र माने जा सकते हैं, किन्तु दूसरी दृष्टिसे वे समाचार-पत्रकी गणनामें भी नहीं आ सकते। वास्तविक समाचार-पत्र तो स्वतंत्र-विचारवाले, समटित्यप्से देश या राष्ट्रपर न्योछावर होनेवाले समाचार-पत्र ही होते हैं। स्वतंत्र-समाचार-पत्र देशकी भिज-भिज समस्याओंपर प्रकाश डालते हैं। उनका क्षेत्र सामुदायिक या एकेश्विक समाचार-पत्रोंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत और विशाल होता है। उम समय तो उनका कार्य और भी विशाल हो जाता है, जब वे किसी आन्दोलनका नेतृत्व प्रहण करते हैं। ऐसे अवसरोंपर जब समाचार-पत्र शहू-नाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब उनका रौद्र और शाकरीय-रूप देराते ही घनता है। उनके नेतृत्वके प्रभावका मुकावला वड़े-वड़े नेता नहीं कर सकते। जिस आन्दोलनको वे उठाते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कभी-कभी अपने विज्ञापनोंसे भी वे जनता के दृश्य में आन्दोलन सम्बन्धी बातें ठूँस ठूँसकर भर देते हैं, जिससे स्वतः ही उसके दृश्यमें आन्दोलनकी ओर प्रश्नति उत्पन्न हो जाती है। किन्तु यह दु सको बात है कि हिन्दीके अधिकाश समाचारपत्र इस कामकी ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकाशमें मालम यह होता है कि वे समाचार दे देने और किसी विषयपर सम्पादकीय लेस लिख देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझते हैं। बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी

आन्दोलनको आगे बढ़ानेके लिए एक नेताकी भाँति बढ़ते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसका कारण समाचारपत्र विषयक कर्तव्य-शानकी कसी है। हमारे समाचारपत्रोंका व्यस्तस्थिकाल है। अभी उनमें प्रौढ़ावस्था नहीं आई। वे निर्देश्य होकर भटक रहे हैं। किन्तु कुछ व्याकुलता अवस्था है। किसी चीज़ की खोजमें हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि वह चीज़ क्या है? इसीलिए वे इस महत्तर और गुहतर कार्यकी ओर (किसी आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करनेकी ओर) प्रवृत्त नहीं होते।

समाचारपत्रोंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। समाचार दे देने, विचार प्रकट कर देने, व्यापार सम्बन्धी सूचनाएँ दे देने और किसी आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण कर लेनेके बाद भी उनके कार्यक्षेत्रकी सीमा पूरी नहीं हो जाती। उनके अनेक कार्य फिर भी बाकी रह जाते हैं। वे कार्य हैं समाजके वास्तविक रूपका प्रदर्शन करना, समाजके गुण-दोषोंका विवेचन करना, उसके लिए सुधार-नार्मा ग्रन्थित करना और इन सब बातोंमें अधिकसे अधिक मनोरञ्जक ढगसे काम लेना। हिन्दी-पत्रोंके लिए मनोरञ्जन पर विशेष ध्यान रखनेकी इसलिए आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषी जनतामें अभी गहन समस्याओं पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेका अभ्यास नहीं है। उसके लिए तो मनोरञ्जक टंडसे विषय का विश्लेषण करना ही कुछ आकर्षक हो सकता है। निर्देश्य होकर समाचार दे देना या विचार प्रकट कर देना समाचारपत्रोंका कार्य नहीं है। उनका वास्तविक कार्य तो यह है कि वे सामाजिक बुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे टंडसे समाचार प्रकाशित करें जिससे वे बुराइयाँ सुधरें और अच्छाइयोंको अधिक प्रोत्ताहन मिले। उनके सम्पादकीय विचार ऐसे होने चाहिए जिनमें समाजके गुण-दोषोंका पूरा-पूरा विवेचन हो और समाजको सुधारनेका रास्ता मिले। ये बातें समाचार पत्रकी खास बातें हैं। इन पर जितना ही अधिक ध्यान दिया जायगा, समाचारपत्र देशके लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। समाचारपत्रों को ईमानदारी और सच्ची समाज-सेवाके भावसे प्रेरित होकर जो कुछ ।..

हो, लिखना चाहिए। उन मम्बन्नमें उनकी प्रतिष्ठाका सदा स्मरण रखना चाहिए। जनताका जिस समानारपत्र पर जितना विवाद होगा, वह समाचार-पत्र उत्तरी ही अधिक उमति कर रकेगा। उनके प्रतिशूल उनकी प्रतिष्ठा, गांधी समाज-सेवा और विवादपत्रताका मशुनित स्वरूप न रखना यदि प्रभाव और असावधानी की गई, तो समानारपत्रोंसे स्वयं जो भड़ा लगेगा, वह तो लगेगा ही उसके थलावा देशको भी आघात पहुँचनेका सदा भय रहेगा।

यह प्रमाणताकी बात है कि समाचारपत्रोंकी ओर जनताकी हनि धारिकाधिक घढ़ रही है और जिस परिमाणमें उन रुचिकी वृद्धि होती है, उनी परिमाणमें समाचारपत्रोंका प्रभाव भी घड़ता जा रहा है। किन्तु इस बढ़ते हुए प्रभावमें कहों-कहों बड़े निन्दनीय टक्कसे अपना स्वार्थ-साधन किया जा रहा है। हो यह रहा है कि कोई धनियोंको किसी विशेष रूपस्वरूप उद्धाटन की धमनी दें दे कर और कोई किसी धनिककी मिथ्या प्रशस्ता करके धन कमानेकी नीच नीति ग्रहण कर रहे हैं। समाचारपत्रोंके लिए यह अल्पत लज्जा और परितापकी बात है। किन्तु इतना ही नहीं होता। स्वार्थके पीछे अन्धे होकर कहों-कहों लोग अन्य उपायोंसे भी जनताको धोरा देते और उन्हें छाते हैं। कहों समाचारपत्रोंकी लिमिटेड कम्पनियाँ सोल कर हिस्सेदारोंको धोरा दिया जाता है और देश-सेवा की दुहाइयाँ देकर धूर्त और कपटी समाचारपत्र-संचालक पत्रकार-कलाको कल-कित करते हुए अपनी कुत्सित स्वार्थ-भावनाकी तृप्ति करते हैं। और कहीं यहाँ तक नीचता दिखायी जाती है कि पहिले तो इस आशयके विज्ञापन दिये जाते हैं कि हम अमुक पत्र निकालने जा रहे हैं और लोभ-लालचके लिए यह भी कहा जाता है कि उस पत्रका मूल्य यदि एक महीने या किसी अन्य अवधिके अन्दर पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी मिल जायगा। मगर जब ग्राहक लोग पेशगी मूल्य भेज देते हैं तब उनके रूपये हजम कर लिये जाते हैं और उनके रूपयोंके बदलेमें उन्हें कोई पत्र नहीं मिलता। कहीं-कहीं । संख्या देकर पत्र बन्द होनेकी घोषणा कर दी जाती है और कहीं वह

एकाध अङ्क भी सफाचटकर लिया जाता है।

समाचारपत्रोंके बढ़ते हुए प्रचारका एक परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों की नजर-अन्दाज बढ़ गयी है। अच्छे-अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी रुचि भी उन्नत हो गयी है और उन्हें घटिया माल पसन्द नहीं आता। लोग भिन्न-भिन्न विषयोंका समावेश करके, भाँति-भाँति के चिन्ह और कार्टून दे-दे करके, अच्छे-अच्छे विशेषाक निकालकर, अच्छा कागज लगाकर, अच्छे टाइपमें छपाकर समाचारपत्रोंको देखने और पढ़नेमे रोचक बनानेका प्रयत्न करते हैं और फिर इस बातपर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयोंके होते हुए भी पाठकोसे कम-से-कम मूल्य लिया जाय। उधर दूसरी ओर कर्मचारि-भण्डल बढ़ने लगा है। अब वह जमाना गया, जब एक सम्पादक ही सब काम कर लेता था। अब तो समाचार-पत्रके कार्यालयमें प्रबन्धक-विभागके अलावा सम्पादक उपसम्पादक, प्रूफरीडर आदिका होना आवश्यक हो गया है। इन सब कर्मचारियोंको वेतनके अतिरिक्त समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि प्राप्त करनेके लिमित आने-जानेका रेल-भाड़ा आदि भी देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र समाचार-समितियोंसे जो समाचार लेते हैं, उनके लिए भी उन्हें दाम देने पड़ते हैं। इन सब बातोंसे समाचार-पत्रोंकी प्रतिद्वन्द्विता बहुत कीमती हो गई है। वह समय बहुत शीघ्र आनेवाला है, ( बहुत कुछ आ गया है ) जब समाचार-पत्र निकाल कर चला ले जाना कोई आसान काम न होगा। उसके लिए बहुत बड़ी धन-राशि लगानेकी आवश्यकता पड़ेगी और उसको लगाकर भी पहिले कुछ दिन घाटेमें ही काम करना पड़ेगा। यह बात साधारण मनुष्योंकी शक्तिसे बाहरकी बात होगी। अभीसे प्रतिद्वन्द्वितामें अपने पत्रको सफलता-पूर्वक चला ले जानेके लिए मूल्यकी कमीपर यहाँ तक ध्यान रखा जाने लगा है कि मूल्य लगतकी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो उसे लागतसे ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि फिर काफी ग्राहक-सत्त्वा हो जानेपर भी समाचार-पत्रोंका चल निकलता सन्देहस्पद ही बना

रहेगा। जब नूत्य लागतसे कम रहेगा, तब किन्तु ही प्रादृढ़ क्षमों न हो जाय, उससे लाभ न उठाया जा सकेगा। लाभके लिये उन्हें विग्रापनोंहाँ मुह देनना पड़ेगा। यदि विग्रापन काफी तादादमें मिल गये, तब तो शनीमन, नहीं तो उलटा धाटा होगा और यदि सचालक धाटा बरटाइन न चाह सके, तो पत्रके बन्द होने तक की नौवत थाएगी। ऐसे दशाके प्रादृढ़का प्रारम्भ हो गया है।

वर्तमान दशामें समाचार-पत्र निकालकर चला ले जानेको केवल दो मूरतें हैं। एक तो जनतामें समाचार-पत्रोंके प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो जाय जिसे उन्हें सूब पढ़ें और उनके वास्तविक गुण-दोषको गमन्में केवल वाहिरी रूप-जग्ग देताकर ही मुख्य न हो जायें और दूसरे समालकोंके पास इतना धन हो कि वे पत्रको सुन्दरता और सजावट आदिके विचारसे आकर्षित और भनोमोहक बना सकें और इसके बाद भी कुछ दिनों तक घाटेके साथ पत्रका प्रकाशन करते रह जाएँ। पहली दशा साधारण सामर्थ्यवाले उत्साही लोगोंके लिए भी अनुकूल हो सकती है। यदि जनतामें उनके पत्रका आदर हो जाय, तो उन्हें लाभ हो सकेगा और इस लाभसे अच्छे-अच्छे लेखकोंको पुरस्कार आदि देकर वे उपयोगी और सुन्दर लेख प्राप्त करके अपने पत्रको अधिक सुन्दर बना सकेंगे। दूसरी दशा केवल धनिकोंके लिए अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे किसी दशामें भी पुरस्कार आदिका प्रबन्ध करके प्रतिष्ठित लेखकोंके लिए प्राप्त कर सकेंगे और अपने पत्रको सुन्दर और उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु।

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रोंकी ओर जनताकी रुचि अधिकाधिक बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई रुचिका परिणाम यह हो रहा है कि समाचार-पत्रों की सख्त्या भी बढ़ रही है। आगे चलकर इस सख्त्याके और भी बढ़नेकी सम्भावना है। इसका परिणाम यह होगा कि समाचार-पत्रोंकी विक्रीका क्षेत्र सकुचित होता जायगा। प्रत्येक स्थानसे पत्र निकलेंगे। स्थानीय हिताहितका जो विचार तत्स्थानीय परिस्थितिमें रहनेवाला पत्र प्रकट कर सकेगा वह दूसरा पत्र न कर सकेगा, और यदि वह परिश्रम करके वैसा करेगा भी, तो, उतनी जल्दी तो

वह वहाँकी जनताको किसी भी हालतमें समाचार न दे सकेगा, जितनी जल्दी तत्थानीय पत्र देगा। इसलिए स्वभावतः जनता स्थानीय पत्रकी ओर अधिक आकृष्ट होगी और दूर स्थानीय पत्रोंकी ओर कम। इस प्रकार पत्रोंकी सीमा संकुचित होती जायगी। पत्रोंके अधिक प्रचारसे एक बात और भी होगी। वह यह कि प्रत्येक समाचार-पत्रको समाचार समितियोंसे समाचार लेने पड़ेंगे। उस समय आज कलकी तरह केवल अन्नरेजी पत्रोंकी जूठन समेटनेसे काम न चलेगा। उस हालतमें केवल समाचारोंकी दृष्टिसे पत्रोंमें कोई घडा अन्तर न रह जायगा। प्रायः एकही से समाचार सर्वत्र प्रकाशित हुआ करेंगे। क्योंकि समाचारोंकी जुटानेवाली एक ही संस्था ( समाचार-समितिया ) होगी। इसलिये जो बातें पत्र विशेष की विशेषता प्रकट करेंगी वे घटनाओंके समाचार नहीं, अन्य बातें होगी।

विविध समाचार और लेख, मनोहर कहानियाँ और चित्र, कविताएँ और समालोचनाएँ आदि देकर पत्रोंका भहत्व बहुत कुछ बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक कवितायोंका सम्बन्ध है, वहाँ तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओंके पत्रोंसे बढ़े-चढ़े हैं। कुछ समय पहले तो अच्छी कविताएँ न मिलती थीं और इसीलिए द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापति श्रीमाखनलालजी चतुर्वेदीको इस विषयपर आँसू बहाने पड़े थे। किन्तु अब इस दिशामें काफी सुधार हो गया है। विषय अच्छा है और समाचार-पत्रोंमें इसको स्थान मिलना प्रसन्नता और हित की बात है। इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके द्वारा लोक-शिक्षण सम्बन्धी समाचार-पत्रके उद्देश्यमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी।

अन्तमें, हिन्दी पत्रोंके स्वरके ( Tone ) सम्बन्धमें दो शब्द लिख देना अप्रासंगिक न होगा। इस दिशामें हमारे समाचार-पत्रोंने काफी उन्नति की है। अनेक विषय-वाधाओं और रुकावटोंके होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अस्थाचारको मिटाने और जनताकी शिकायतोंको दूर करनेके लिए अपने स्वरको काफी ऊँचा उठाया है। शासन-प्रणाली की निरंकुशताओं और दुर्व्यवहारों की

कहीं-जही आलोचना करनेमें हमारे समाचार-पत्र सुख लागे हैं। लोग कहते हैं, कि यह खरोन्ति अन्य भाषाओं की सरोकृतियों देनेते हुए बहुत बन हैं। इस कथनके साथ-साथ यान तौरने बदलाए समाचार-पत्रोंकी ओर दशारा मिला जाता है। किन्तु यह बात तब दृष्ट नहीं नाल्म होती। हमारे पत्रोंका स्वर किसी भी भाषाके पत्रोंमें स्वरसे नीचा नहीं है। तभापि ददि धोषी देवके लिये यह भान भी लिया जाय कि हमारा स्वर कुछ नीचा है, तो भी उने नन्दोपद्म ही मानना चाहिये। हमारी जनता उन भाषाओंकी जनतारी अपेक्षा शिर्जा बाटिमें छित्ती पिछड़ी हुई है? ऐसी दशामें यदि हमारे समाचार-पत्रोंके स्वरमें इतनी भी उन्नति हुई, तो यह काफी ही नमस्ती जानी चाहिये। यदि हमारी उन्नतिका यह क्रम बना रहा, तो विद्यन्त निरुट भविष्यमें इस प्रसारकी ताताजनी करनेवाले देखेंगे कि उनके पत्रोंकी अपेक्षा हमारे पत्र कितने ऊँचे उठे हुए हैं। तथात्तु।



इतने-इतने बड़े हैं कि भारतर्पके बड़े से बड़े भील उनकी वराचरी मुदिफ्लसे कर पाएँगे। जहाँ उनके कारणाने होते हैं, वहाँ एक उपनिवेश-ना बस जाता है। हजारों नौकर रहते हैं, नौकरों की रभाएँ, देल-कूद की 'टीमें', नाच-गाने की पार्टीयाँ, आदि गभी सुनिवाओंना प्रवन्ध बारखानेमि होता है। अधिकांश बड़े-बड़े पत्र केवल छापाऊने और प्रकाशन-निपाटनके विभाग ही नोलकर नहीं रह जाते। उनके कागज बनानेके कारखाने भी अपने निजी होते हैं। उनके लिए वे लकड़ीके जहाजरे जहाज रारीद लेते हैं और उन्होंने अपने लिये कागज तैयार करते हैं। अपनी आवश्यकता की मिनी चीज़के लिये वे दूररेके मोहताज नहीं होते। जिन-जिन वस्तुओंकी एक समाचार-पत्रको आवश्यकता होती है, वे सब वे अपने पास सदा तैयार रखते हैं। यहाँ तक कि समाचारोंके आने-जानेके लिये अपने तारु अपने वेतारके तारु, अपने जहाज, अपने हवाई जहाज, अपनी मोटरें, वाइसिकलें आदि तक वे अलग रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जल्दीसे जल्दी समाचार मगाये और भेजे जा सकें।

वहाँ समाचार-पत्रोंको ग्राहक सख्त्याके लिए रोना नहीं पढ़ता। साधारण पत्रोंके भी लाखों ग्राहक होते हैं। एक बार (कई बरस पहिले की बात है) इत्तलैण्डके कुछ समाचार-पत्रोंकी ग्राहक-संख्याका उल्लेख पढ़नेको मिला था। उसके अनुसार उस समय दैनिकोंमें 'डेलीमिरर' की ग्राहक सख्त्या १० लाखसे अधिक, सचिव 'डेलीस्केच' तथा 'डेलीग्राफिक' की सख्त्या लगभग १० लाख और सप्ताहिकोंमें सचिव 'सन्डे पिकटोरियल' की ग्राहक-सख्त्या २३,६३,००० और 'न्यूज आफ दी वर्ल्ड' की ३० लाखसे अधिक थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि 'टाइम्स' और 'डेलीमेल' जैसे सबसे अधिक लोकप्रिय पत्रों की ग्राहक-सख्त्या का इसमें उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा सकता है कि जब मध्यम श्रेणीके समाचार-पत्रोंकी ग्राहक-सख्त्याका यह हाल है, तब उच्चकोटिके पत्रोंकी ग्राहक-सख्त्या कितनी अधिक होगी। अस्तु। ग्राहक-सख्त्याकी अधिकताका अन्दाजा एक बातसे और भी लगाया जा सकता है। वह यह कि एक-एक

पत्रको इतना अधिक कागज छापना पढ़ता है कि यदि वह एकहरा करके बिछा दिया जाय, तो ५०-५०, ६०-६०, मील तक जमीन ढूँक जाय ! ग्राहक-संख्या-सम्बन्धी इन अङ्कोंसे पता चलेगा कि भारतवर्षीय और विशेषकर हिन्दी-पत्रोंकी ग्राहक-संख्या और विदेशी-पत्रोंकी ग्राहक-संख्यामें कितना आश्वर्यकारक अन्तर है । वहाँ साधारणसे साधारण-पत्रकी ग्राहक-संख्या भी तीन-चार लाखसे कम नहीं होती । जहाँ पर यह हालत है कि एक मेहतर तक रास्ता साफ करता जाता और समाचार-पत्र पढ़ता जाता है, वहा यदि पत्रोंकी ग्राहक-संख्या इस प्रकारकी हो, तो आश्वर्यकी बात ही क्या है ? अस्तु ।

बढ़ती हुई ग्राहक-संख्या ने इस बातकी भी आवश्यकता उत्पन्न कर दी कि छापनेकी मशीनें भी अच्छी हों । अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीनें बन गई हैं, जो एक घण्टेमें लाखों अखबार छाप सकती हैं । छापेकी मशीनोंके अलावा अन्य प्रकारकी मशीनें भी तैयार की गई हैं । मशीनरी की इस उन्नति ने काम को अधिक सुविधाजनक बना दिया है । जिस कामको देखिए, मशीनसे होता है । लाइनो टाइप की मशीनें, जिनमें रोज टाइप बनता और गलता है, अच्छे से अच्छे अक्षर मुहश्या करती हैं । टाइपके अच्छे और ताजे होनेके कारण पत्रों की छापाई सुन्दर और अच्छी होती है । राटरी मशीनें बनी हैं, जिनके द्वारा एक ओर पत्र छपता जाता है और दूसरी ओर वह अपने आप 'फोटो' होता जाता है, बेधता जाता है, उसपर पते और टिकट चिपकते जाते हैं और वह 'डिस्पैच' होता जाता है ।

फिरी रास भोज गा उल्लंग आदिमें आमिल होनेके लिये वे अपने बास्ते अन्धी पोशाक बनवा सकें। उन तमाम बातोंका परिणाम यह हुआ कि लोग इन कार्य की ओर अधिक आगृष्ट हुए। इससे वहाँके पत्र-संचालकोंनो लच्छे-लच्छे कर्मचारी भी प्राप्त होने लगे। वहा योग्य और शिक्षित व्यक्ति ही इन कामके लिये नियुक्त फिये जाते हैं। हमारे वहा की भाँति अर्थ-शिक्षितों और नासि-रियोंकी ही भरती नहीं होती। वहा पर पूर्ण दक्षता और काफी अनुभव प्राप्त किये विना कोई व्यक्ति सम्पादक नहीं बन सकता। माराश यह कि प्रत्येक दिशामें वहा काफी उचिति हो रही है। उस उन्नतिमा एक अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ है कि इस सम्बन्धमें भी व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विताका प्रवेश हो गया है। इम प्रतिद्वन्द्वितामें सफलता प्राप्त करनेके लिये वहाँके पत्र-संगालकोंनो लागतसे भी कम दामों पर पत्र बेंचने पड़ते हैं। इसलिये लासों की ग्राहक-सख्त्याके होते हुये भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सकते, जब तक उन्हें काफी विज्ञापन न मिले। लन्दनके मज़ारूरदलके एक मात्र पत्र 'लेली हेरल्ड' की यही दशा है। उसके ग्राहक लगभग ४ लाख हैं। किन्तु पूजोपतियों का विरोधी होनेके कारण उसे विज्ञापन कम मिलते हैं। इसलिये उसे घाटा ही रहता है। और वार-चार सहायताके लिये अपील करनी पड़ती है।

वहाँके पत्रों और हमारे यहाँके पत्रोंमें एक यह अन्तर भी है कि वहाँके पत्रोंके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे सम्पादकका नाम दें। किन्तु हमारे यहाँ नाम देना कानून लाजिमी है। नामका असर पड़ता ही है। इसलिये यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्य-कुशल, अनुभवी और सम्पादन-कला निष्णात भी हो, तो भी वह उस मनुष्यके मुकाबलेमें जो इतना अधिक योग्य न होते हुये भी ख्याति पा चुका है, अपने पत्रको जमानेमें वही कठिनताका अनुभव करेगा। अतः जिस सम्पादकको अपना पत्र जमाना होता है उसे सार्वजनिक आन्दोलनोंमें भी काम करना पड़ता है और इस प्रकार उसका ध्यान और उसकी शक्तिया दो भिन्न-भिन्न दिशाओंमें बँट जाती हैं और सम्पादन-कार्यमें आवश्यक

ध्यान, समय और शक्तियाँ न लगा संकरेके कारण वह उस दिशामें उतनी उन्नति नहीं कर पाता।

यों तो पाश्चात्य देशोंमें पत्रकार-कला की प्रायः सर्वत्र उन्नति हुई है। किन्तु इस कलाकी सबसे अधिक उन्नति अमेरिकामें हुई। वहाँ पर प्रायः प्रत्येक विषय के अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। और, यदि एक ही पत्रमें अनेक विषयोंका समावेश किया जाता है, तो अलग-अलग विषयके लिये अलग-अलग सम्पादक नियुक्त होते हैं। वहापर पत्रकार-कलाकी शिक्षाके लिये १०७ से अधिक कालेज और विश्वविद्यालय हैं। इनमें से २८ विश्वविद्यालय और १७ कालेज सरकार द्वारा सञ्चालित होते हैं। शेष म्युनिसिपल बोर्डों और स्थानीय सम्पादकों द्वारा चलते हैं। अमेरिकामें जितने समाचार-पत्र निकलते हैं, उतने संसारके किसी भी देशमें नहीं निकलते। यद्यपि वहाँ की आवादी सावे म्यारह करोड़से कुछ ही अधिक है, तथापि वहाँ २०,६८१ समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं; जब कि भारतवर्षमें जहाँ की आवादी लगभग ३२ करोड़ है, केवल ३४४९ समाचार-पत्र ही प्रकाशित होते हैं। अमेरिकाके प्रायः प्रत्येक समाचार-पत्रके पास अपनी निजी समाचार-समिति होती है। इन समितियोंमें फिर परस्पर समाचार विनियम और क्र्य-विक्र्य भी होता है। अमेरिकाके समाचार-पत्रों की एक खास बात यह है कि उनमें सनसनी फैलानेवाले समाचारों और गल्योंको अधिक महत्व दिया जाता है। महत्व तो इसको प्रायः सर्वत्र ही दिया जाता है, किन्तु वहा इसकी इनी अधिकता है कि सनसनी सेज घनानेके लिये कूटी बातें तक जोढ़ गांठ दी जाती हैं। दूसरे पाश्चात्य देशोंमें यह बात नहीं है। यहा इन समाचारोंको महत्व तो अबश्य दिया जाता है, किन्तु इसके लिये इस्टी बातें गढ़ी नहीं जातीं। जन्मनीकि समाचार-पत्र तो इतने बढ़े हुये हैं यि इन बातोंरो अधिक महत्व भी नहीं देते। यहाके समाचार-पत्र वैज्ञानिक यातोंसे अधिक महत्व देते हैं। इलैक्ट्रोके समाचार-पत्र व्यावहारिका और रोजसरफ़ी पटनायोंदो अधिक भ्रेय देते हैं।

यूरोपके पत्रोंमें इलैण्डके 'ट्रायर' और 'डेलीमेल' ने जिनना नाम कमाया है, उतना दूसरे किसी पत्रको नहीं नहीं हुआ। 'ट्रायर' की स्थातिका कारण यह है कि उसने अन्य वार्ताओंके गाथ-नाय नर्सगाभारणकी शिकायतोंको प्रसारित किया और उनको रफा करनेके लिये काफी आनंदोलन किया और अब भी करना जा रहा है। 'डेलीमेल' की प्रतिष्ठाका कारण उसके सशाल ही आश्रयकारक पत्र-प्रकाशन-सम्बन्धी स्कीमें हैं। लार्ड नार्थ शिफ इलैण्डके बहुत बड़े समाचार-पत्र-सम्बालक हो चुके हैं। वे अपने टेगमें ही नहीं, समन्वयमें इस गुणके लिये स्थातिपा चुके हैं। यही महापुरुष 'डेलीमेल' के जन्मदाता थे। जिस समय 'डेलीमेल' का जन्म हुआ था, पत्रकार-कला काफी उन्नति कर चुकी थी—प्रतिदिन्दिता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय पत्र निकालकर चला ले जाना कोई आसान काम न था। लार्ड नार्थशिफ ने इसी वातावरणमें पत्र निकालना तय किया। तमाम आयोजन करके लार्ड नार्थशिफ ने सन् १८३६ ई० के फरवरी महीने की १५वीं तारीखको 'डेलीमेलका' पहला अङ्क छपवाया। तबसे ढाई महीने तक अखबार रोजाना घरावर छपता रहा, मिन्तु लार्ड नार्थशिफ ने उसे दफ्तरसे बाहर नहीं निकलने दिया। इस बीचमें उन्होंने दूसरे पत्रोंसे अपने पत्रका मुकाबला करके और लगातार काम करके अपने कर्मचारिमण्डलको अभ्यासका मौका देकर पूरी तैयारी कर ली। इस प्रकार जब सब तरह की तैयारी हो गई, तब पूरे ढाई महीने बाद, ४ मई १८९६ को 'डेलीमेल' का प्रथम अङ्क प्रकाशित होकर बाहर आया। पहले ही दिन उस पत्रकी ३,९७,२९५ प्रतिया विकी। पहले अङ्कसे इस पत्रकी धाक जम गई और इस समय तो इसकी ग्राहक संख्या बीस लाखसे भी अधिक है। लन्दन, पेरिस और मानचेस्टर में इसकी तीन कार्यालय हैं। तीनों स्थानोंमें, इसके तीन संस्करण निकलते हैं। इसमें सालमें ६०,००० पौण्ड, स्थाही खर्च होती है। इसके अपने निजी तार पेरिससे लन्दन तक लगे हुये हैं। बेतारके तार भी हैं। इसके अलावा हवाई जहाँज जल-जहाज मोटर आदि न जाने कितने अन्य साधन हैं, जिनके द्वारा

शीघ्रातिशीघ्र समाचार इसके पास पहुंचते रहते हैं। इसका केवल सोटर-विभाग छ़ लारामा है। अपने ग्राहकोंके लिये इसने यह कह रखा है—“ऐलीमेलके ग्राहक हो जाइए। अगर कोई ग्राहक किसी आकस्मिक घटनाके कारण मरे गा, तो उसके घरकी सहायताके लिए हम दस-पाच हजार रुपये देंगे।” यह केवल कहा ही नहीं जाता। ऐसा प्रत्यधितः होता भी है। इसके अलावा अच्छे-अच्छे तैराकों, अच्छे-अच्छे खेल-न्तमाशा करनेवालोंके लिए भी इसकी ओर से इनाम दिया जाता है। इन बातों ने इसकी ख्याति और बढ़ा दी है। लोकप्रिय होनेके कारण इसे विज्ञापन भी शूब्ध मिलते हैं। अभी ऊछ दिन हुए, इसके विज्ञापनसे सम्बन्ध रखनेवाली एक तालिका प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार सन् १९२७ की २८ फरवरीको ‘ऐलीमेल’ की विज्ञापन-आय १०९७३ पौंड, ३ मार्चमें ११,२७९ पौंड, ७ मार्चमें १३,४३३ पौंड और ९ मईको ११,८०६ पौंड हुई थी। इस टिकादसे पता चलेगा कि टेट-नैट दो-दो लाख रुपये रोजसी आमदनी फेजल विज्ञापनसे होती है। ‘टार्म’ पत्रक समाचार भी इष्ट बम नहीं है। यहाँ देखते हैं जारी उन्नज वारउना है, बहु पूरा गहरन्ना बन गया है। इजारों नैसर रहते हैं। उनके ऐल्कै-कृद्वने नाचने-गानेके लिये नमुनित प्रग्रन्थ रखता है और अनेक जागज, स्वाती आदिके अस्तानों जी काफी चालू-साल रहती है। ‘टार्म’ के प्रधान नमांदगर बैनन इलेक्ट्रोके प्रबल सवित्रके दृष्टिकोण समझता है।

कर्मचारिन्सख्या भी उन्हीं ही वड़ी है। इन दोनों कम्पनियोंमें पारस्परिक प्रति-द्वन्द्विता भी न्यूब नला करती है। दोनों इन बानेश्वर प्राप्त करनी हैं कि एक दूसरे से अधिक प्रामाणिक और विस्तृत समानार निकालें। गत भू-ओलके समय इन कम्पनियों ने तल्लम्बन्धी नमाचार प्राप्त करने के लिये लानो गेन ( जापानी तिक्के ) रार्च किये थे। भू-ओलके समानार प्राप्त करने के लिये इन्होंने अपने हवाड़ जहाज मुकर्तर किये थे। इनके अनिरिक्ष इन विनारमें कि कहीं गेना न हो जाय कि हवाड़ जहाज कहीं रास्तेमें चिंगार जाय और समानार आनेमें देरी हो या वे आ ही न गए, हवाड़ जहाजोंके माथ नमानार लानेके लिये गिराये हुए कबूतर भी भेजे जाते थे। भूतपूर्व-जापान-समाट की मृत्युके समय दोनों कम्पनियों समाटके भवनके पास ही अपने-अपने कार्गल्ग्राम घासित करके घट्टे-घट्टेके समाचार प्राप्त करती थी। समाट की मृत्युके १५ मिनट बाद ही समाचार-पत्रोंमें वह समाचार प्रकाशित होकर जनताके सामने आ गया था। इन कम्पनियोंके कार्य ऐसे ही अद्भुत हैं। इन कम्पनियोंके अलावा भी जापानमें अनेक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। जन-सख्याके निचारसे तो वहाँके समाचार-पत्रों की सख्या आश्र्य पैदा करनेवाली है। जन-सख्या वहाँ की लग-भग ६ करोड़ है। इस जन-सख्यामें वहाँसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि कुल मिलाकर ४५९२ पत्र प्रकाशित होते हैं।

इसकी पत्रकार-कला भी काफी उन्नत है। किन्तु ; वहाँ कागजकी कमी रहती है। इस कारणसे वहाँ समाचार-पत्रोंका आकार उतना बड़ा नहीं होता, जितना पाश्चात्य देशोंके समाचार-पत्रोंका। इसके साथ-साथ कागजकी कमीका परिणाम यह भी हुआ है कि इसके समाचार-पत्रोंमें केवल वे ही समाचार और लेख स्थान पाते हैं, जो बहुत आवश्यक होते हैं। पाश्चात्य देशोंके समाचार-पत्रोंका आकार तो इतना बड़ा होता है कि बहुतसे लोग समाचार-पत्रोंके इसलिए भी ग्राहक हो जाते हैं कि उन्हें जितने सूच्ये रार्च करने पड़ते हैं, सालमें उतनेके रही कागज मिल जाते हैं और समाचार आदि, जो पढ़नेको मिल जाते

हैं, वे घाते में।

इस देशकी दशा सबसे निराली है। जैसे अन्य वातोंमें, वैसे ही समाचार-पत्रोंके मामलेमें भी यह देश दूसरे देशोंसे पिछड़ा हुआ है। अज्ञरेजी पत्रोंकी हालत तो कुछ अच्छी भी है; किन्तु देशी भाषाओंके समाचार-पत्रोंकी और विशेष कर हिन्दीके समाचार-पत्रों की हालत बड़ी ही विचित्र है। समाचार-पत्रोंके सम्बन्धमें ( मासिक पत्रोंको छोड़ कर ) भारतवर्ष की अन्य प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दीसे आगे बढ़ी हुई हैं। हिन्दीके दैनिक-पत्रों और अज्ञरेजी तथा कुछ अन्य एतदेशीय भाषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यर्थ है। हिन्दीमें अधिकांशमें होता यह है कि समाचार-पत्र, चाहे वे दैनिक हों, चाहे साप्ताहिक, अज्ञरेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओंके पत्रोंका उत्था-सात्र छापकर अपने कालम भर देते हैं। कुछ इने-गिने पत्रोंको छोड़कर अन्यत्र भौलिक समाचार बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अज्ञरेजी तथा अन्य भाषाओंके अधिकांश समाचार-पत्र ताजे-से-ताजे समाचार देनेकी कोशिश करते हैं। यह मान लेने में किसीको एतराज नहीं हो सकता कि हिन्दी-भाषी जनता की हालत ऐसी है कि उसमें ताजे समाचार एकत्र करनेके लिए अधिक खर्च करके पत्रका चला ले जाना कठिन है, तथापि यह भी सत्य है कि यह असम्भव नहीं है। दूसरी दिशाओंमें यदि आवश्यक परिश्रम किया जाय, तो इस प्रकार खर्च करके पत्र चल सकता है, और चल सकता है काफी प्रतिष्ठाके साथ। हमारे यहाँ विभिन्न विषयोंके अलग-अलग समाचार-पत्र बहुत कम उपलब्ध हैं। इनमें सख्त्या-वृद्धि की आवश्यकता है। एक ही पत्रमें अनेक विषयोंका समावेश करने की सूखतमें भी हमारे यहाँ एक बड़ी व्यापक त्रुटि है। वह यह कि एक ही सम्पादक भिन्न-भिन्न विषयोंके सम्पादनके लिये नियुक्त रहता है। यह वात खटकने की है। या तो अलग-अलग पत्र निकाल कर उनके लिये उस विषयके ज्ञाता-सम्पादक नियुक्त करना चाहिये या यदि एक ही पत्रमें विभिन्न विषयोंके समावेश की आवश्यकता हो, तो उसके लिये प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक

नियुक्त करना चाहिये। इतना करने पर भी हिन्दीके पत्र अङ्गरेजी-भाषोंके समकक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं है। कगाँवी की अङ्गरेजी-भाषोंको जो अधिकारीए प्राप्त हैं, वे हिन्दी पत्रोंको नहीं। अङ्गरेजी भाषा राजभाषा है। वह हमपर राजी-चेराजी ढूँसी जाती है। हमारी गिक्का-दीजामें उम्मा आवरण मढ़ा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करनेके प्रयत्न राखन अङ्गरेजी भाषा में ही मिलते हैं। इन कारणोंसे अङ्गरेजीके पत्रोंने सुनिवा और तटितर भाषाओंके पत्रोंको असुविधा होती है। अङ्गरेजीमें ही उन-गिक्काना प्रबन्ध होनेके कारण, उस भाषामें अच्छे-अच्छे लेख प्राप्त हो जाते हैं; उसी भाषामें तार लिखे जानेके कारण, जों ही तार प्राप्त हुए, लोंटी आवश्यक सम्पादन कर उनको छपनेके लिये प्रेसमें दे देनेमें आमानी होती है। किन्तु हिन्दीके लिये यह बात नहीं है। हिन्दीमें तो पहिले तारका हिन्दी अनुवाद किया जायगा, फिर उसका उचित सम्पादन होगा, तब कहों छपनेका भौका आएगा। इन कठिनाइयोंके कारण हिन्दी पत्रोंको समाचार-सफलनमें अधिक समय लगता है और असुविधा भी होती है। उसके अतिरिक्त उग-शिक्षा प्राप्त वे सज्जन, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है; हिन्दीमें लिराना अपनी शानके खिलाफ समझते हैं। यह बात कुछ दिन पहले तो बहुत ही अधिक थी—किन्तु असहयोग की लहरके बाद उस दिशामें भी कुछ सुधार हुआ है और लोग हिन्दीमें लिराने की ओर आकृष्ट हुये हैं; किन्तु अब भी एक अङ्गरेज आती ही है। वह यह कि शिक्षाका माध्यम हिन्दी न होनेके कारण शिक्षित-जन समुदाय अक्सर हिन्दीमें अपने भाव व्यक्त करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर, इच्छा रखते हुये भी हिन्दीमें लिखने की हिम्मत नहीं करता। इससे हिन्दी-पत्रोंको अपने विद्वान् शिक्षितों के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं। हमारे पत्रोंके गत्यवरोधका एक कारण यह भी है।

भिन्न-भिन्न भाषाओंके समाचार-पत्रों की साधारण तुलनाके बाद, एक ही भाषाके विभिन्न प्रकारके समाचार-पत्रों की तुलनाकी बात आती है।

उक्त विभिन्नतासे यहां पर मेरा मतलब विषय-सम्बन्धी विभिन्नतासे नहीं। मेरा मतलब उनके समयानुसार प्रकाशन-सम्बन्धी विभिन्नतासे है। इस श्रेणीमें दैनिक, द्विदैनिक, अर्ध-साप्ताहिक, पाष्ठिक, मासिक, द्विमासिक, त्री-मासिक, षण्मासिक या अर्धवार्षिक आदि अनेक पत्र आते हैं। किन्तु इनमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रीमासिक और वार्षिक ही गणनीय हैं। शेष इन्हींमें से किसी एक की तरहके होते हैं। पत्रोंकी ये श्रेणियाँ इतनी परिचित हो गई हैं कि इस सम्बन्धमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। समाचार-पत्रोंके साधारण पाठक इन पत्रोंका अन्तर अच्छी तरह समझते हैं। दैनिक-पत्र देशकी सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त श्रीप्रकाशजी ने एक बार अपने लेखमें लिखा था कि दैनिक-पत्रोंका प्रभाव देशके शासन पर सबसे अधिक पड़ता है। दैनिक ही ऐसे पत्र हैं, जिनमें सबसे अधिक समाचार, सबसे अधिक टिप्पणियाँ, लेख आदि छप सकते हैं। इन तमाम बातों का शासन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि जीवनकी अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफी प्रभाव पड़ता है। दैनिक-पत्रोंसे मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रोंका काम निकल सकता है; क्योंकि उनमें इतना स्थान रहता है कि किसी भी विषय पर बड़े-बड़े विद्वता-पूर्ण लेख दिये जा सकते हैं। अज्ञरेजी, बज्जला, गुजराती आदि भाषाओंके अनेक पत्र ऐसा करते भी हैं। किन्तु, दुःख है कि हिन्दीमें दैनिक-पत्रोंके इस आदर्शकीय उपयोग की ओर एकाध पत्रको छोड़ और कोई समाचार-पत्र ध्यान नहीं देता। अधिकांशमें दैनिक-पत्रोंमें विशेष विषयों पर लेख देखनेको नहीं मिलते। दैनिकके बाद साप्ताहिकोंका नम्बर आता है। साप्ताहिक-पत्रका मुख्य कर्तव्य यह है कि वह देश और विदेशकी खास-खास घटनाओंका आलोचनात्मक विवरण प्रकाशित करे। आदर्श साप्ताहिक-पत्रमें समाचारोंको उतना स्थान नहीं मिलता, जितना आलोचनात्मक टिप्पणियोंको। किन्तु हिन्दीके लिए यह बात अभी लागू नहीं होती। कारण यह है कि हिन्दी-भाषी जनता दैनिक-समाचार-पत्रोंसे

उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती, जितना उसे उठाना चाहिये। देखतोंमें तो, जिनकी सत्या शहरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक है, देनिक-पत्रोंकी बहुत ही कम पहुंच होती है। कुछ तो उक आटिके ब्रूटि-मूर्ग प्रमाणके कारण और कुछ अन्य कारणोंसे देनिक-पत्र देखतवालोंने लिए अधिक उपयोगी भी नहीं हो पाते। वे अधिकांशमें साप्ताहिक-पत्रों पर ही अवलम्बित रहते हैं। इमर्निये हिन्दीके साप्ताहिक-पत्रोंमें विनार और रामानार दोनोंजा काफी सम्मिश्रण रहना ही आवश्यक होता है। भासिक-पत्रोंने केवल इतना सम्बन्ध होता है कि उनपर टिप्पणी या कभी-कभी एकाध लेख लिरा दिया जाता है, अन्यथा इनमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, गाहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन और नये शास्त्रियोंके मन्तव्यों पर विचार-सक लेख ही प्रकाशित होते हैं। इस ओर इनमें गत्यों और उपन्यासोंके निकालने की प्रथा भी चल पड़ी है। यह बात हिन्दीतर एतदेशीय भाषाओंके मासिक-पत्रोंमें तो इतनी अधिक है कि उनके आधेसे अधिक पृष्ठ केवल गत्यों और उपन्यासोंसे भरे होते हैं। गत्यें और उपन्यास इन दृष्टिसे कि वे मनोरबन पूर्वक ज्ञान-वर्धन करने और आन्दोलन-प्रिशेष की ओर प्रवृत्त करनेके सबसे अच्छे साधन होते हैं, बहुत अच्छे हैं। मानव-स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह कथा-कहानियोंसे अधिक प्रेम रखता है, इसलिये गत्ये और उपन्यास पढ़े भी खूब जाते हैं और इस प्रकार मासिक-पत्रोंको अपनी रोचकता और उपयोगिता बढ़ानेमें इनसे बड़ी सहायता मिलती है। किन्तु मेरी समझमें मासिक-पत्रोंमें इनका प्रकाशन उतने ही अशमें उचित है, जितने अशमें वह हिन्दीके मासिक-पत्रोंमें होता है। इनकी भरमार ठीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य विषयोंके लेखोंके लिए स्थानकी कमी हो जाती है और विषय बिना पूर्ण विचार किये हुये ही पढ़े रह सकते हैं। यह बात उन मासिक-पत्रोंके लिये लागू नहीं होती, जो केवल गत्यों और उपन्यासोंके प्रकाशनके निमित्त ही निकाले जाते हैं। अब रही त्रैमासिक, और वाष्पिक पत्रोंकी बात। ये पत्र करीब-

करीब एक ही श्रेणीके होते हैं। और, ये किसी खास विषयके विशेषज्ञोंके लिये ही होते हैं। इन पत्रोंमें विषय-विशेषके बहुत गवेषणा-पूर्ण विचारवान् लेख ही स्थान पाते हैं और उनसे उस विषयके विशेषज्ञोंका ही मनोरञ्जन होता है। ये पत्र एक प्रकारकी पुस्तके होते हैं। इनमें प्रकाशित लेख और लेख-मालाएँ कभी-कभी पुस्तकाकार अलगसे प्रकाशित भी कर दी जाती हैं। हिन्दीमें नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका काशी विद्यापीठ की पत्रिका आदि पत्रिकाएँ इसी कोटि की हैं। ये पत्र भी त्रैमासिक-पत्र ही हैं। षष्मासिक और वार्षिक-पत्र तो हिन्दीमें इस समय हैं ही नहीं। किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि यदि वृद्धि करती गई, जो निश्चय है कि करती जायगी, तो शीघ्र ही इन पत्रोंके प्रकाशन का भी समय आ जायगा। अस्तु ।

---

## रिपोर्टिङ

एक

पत्रकीय कार्यों में रिपोर्टिंग बहुत ही महत्व-पूर्ण और आवश्यक कार्य है। रिपोर्टिंग वाय-जगत्से सम्पादकका सम्बन्ध रणापित करनेवाली प्रधान शृङ्खला है। यह अज्ञरेजी शब्द है। हिन्दीमें वह ऐसे ही अपना लिया गया है। इस शब्दका अर्थ है वह काम जिससे इवर-उवरसे समाचार संग्रह करके समाचार-पत्रोंके पास भेजे जाते हैं। इस कामके करनेवाले कर्मचारी रिपोर्टर कहलाते हैं। इन कर्मचारियों पर समाचार-पत्रोंका बहुत विश्वासदार रहता है। विदेशोंमें तो ऐसे उदाहरण तक पाये गये हैं, जहा समाचार-पत्रोंमें न सम्पादक थे, न सहायक-सम्पादक, केवल रिपोर्टर ही सब काम विया करते थे।

( हेडिंगका चित्र )

महाराज मुद्रावर्ष  
प्रदान ददाखारण

त्रिलोकीयहा शक्तिपूर्ण द्वन्द्वक एवं



रिपोर्टर इधर-उधर धूम कर भिन्न-भिन्न विषयोंके समाचार एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्न समाचार-पत्रोंके पास भेजते हैं। इसमें उन्हें नाना प्रकारकी कठिनाइयों और विपत्तियों तकका सामना करना पड़ता है। फिर भी अपनी धुनके ये इतने पक्के होते हैं कि कठों और विपत्तियों की परवान करके रातो-दिन अपने इसी काममें लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने की इस धुनमें, अपनी जन्म तक जोखिममें डाल कर, ये साहसी कर्मचारी ऊचे हवाई जहाजों तक, नीचे खानोंकी कन्दराओं तक, जलमें टूटे हुए जहाजों तक और स्थलमें आगकी जलती हुई भयकर ज्वालाओं तक, धावा मारते हैं।

इनका और सम्बाद-दाताओंका काम प्रायः एक-सा होता है। अन्तर केवल यह होता है कि सम्बाद-दाता अपने निवास स्थानके या आस-पासके समाचार भेजता है, अथवा, यदि वह किसी विशेष-स्थान पर जाता है, तो वहाके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है; किन्तु रिपोर्टर भिन्न-शिव्व स्थानोंमें भ्रमण करता रहता है और समाचारों की तलाशमें रहा करता है। सम्बाद-दाताको समाचार ढूँढ़ने नहीं पड़ते—यह और बात है कि विशेष समाचारकी अनेक अप्रकट बातें वह ढूँढ़े, किन्तु रिपोर्टरको समाचार ढूँढ़ने पड़ते हैं।

रिपोर्टर कई प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके रिपोर्टर वे होते हैं, जो किसी एक ही समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे रिपोर्टरोंको जो समाचार भिलते हैं, उन्हें वे केवल उसी समाचार-पत्रको भेजते हैं, जिससे उनका सम्बन्ध होता है। दूसरे ऐसे रिपोर्टर होते हैं, जो किसी खास पत्रसे सम्बन्ध नहीं रखते, घरन् एक ही साथ अनेक पत्रोंकी सेवाएं करते हैं। कुछ रिपोर्टर ऐसे भी होते हैं, जो एक ही स्थानके और एक ही विषयके समाचार भेजते हैं। ऐसे रिपोर्टर अदालतों, कचहरियों, ( डिस्ट्रिक्टबोर्ड, म्युनिसिपलिटी वर्गरह ) कौसिलों आदिसे रहते हैं।

रिपोर्टरोंका काम बड़ी जिम्मेदारीका काम है। ऐसे अवसरों पर, जब देशमें भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रोंके नेताओंमें मत भेद होता है, यह उत्तरदायित्व और भी

बढ़ जाता है। उनको अपने समानार भेजनेमें वही मावभानीमें काम लेनेकी जरूरत पड़ती है। रिपोर्टरों को समग्र की पाबन्दीका बहुत अधिक ज्ञान रखने की जरूरत होती है। आवश्यक स्थानों पर उन्हें ठोक नमग पर पहुँच जाने सी जरूरत रहती है। उनकी नेत्रेनिधि और कर्णेन्द्रिय वही तीव्र होनी चाहिये। गवर्नर प्रधान गुण, जो एक रिपोर्टरके लिये आवश्यक होता है, वह अक्षि है, जिसके गहरे मनुष्य वातांको वही जल्दी गमक देना और यह जान लेना है कि इस विषयको कितना महत्त्व देना चाहिये। सभा-सोमार्टियों तथा अन्य घटनास्थानों पर अनेक वातें होती हैं, अनेक प्रकारके कानूनात पेश होते हैं, रिपोर्टर को उन नाना-विधि भापगो, कागजो और घटना-नक्काशोंसे अपने भतलव की वात दूँद निकालनी होती है। इसलिये इस गुणकी बहुत वही जरूरत होती है। एक और गुणकी भी आवश्यकता रिपोर्टरको होती है और वह गुण है अच्छा स्वास्थ्य। रिपोर्टरोंको विभिन्न-वातावरणोंमें भिन्न-भिन्न अवसरों और परिस्थितियोंमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी वह भीइके बीचमें बैठा हुआ पाया जाता है। कभी गुरुः सैदानमें धूपमें किसी घटनाका निरीक्षण करता हुआ मिलता है और कभी जाड़े-गरमी-वरसातके तीव्रतम प्रकोपमें काम करता हुआ पाया जाता है। कभी-कभी घटनाओंका चक्र इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि दिन-दिन और रात-रात भर उसे उन्होंकी देस-रेसमें इधर-उधर भटकना पड़ जाता है। ऐसे अवसरों पर कभी-कभी तो यहा तक नौवत आती है कि उसे जलपान करने तकका अवसर नही मिलता। इस प्रकारके कामोंमें यदि अच्छा स्वास्थ्य न हो, तो मनुष्य बहुत जल्द बीमार पड़ सकता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक होता है कि रिपोर्टरका स्वास्थ्य अच्छा हो। इन प्राकृतिक गुणोंके अतिरिक्त रिपोर्टरमें कई कृत्रिम गुणोंकी भी आवश्यकता होती है। रिपोर्टरको अधिकमें अधिक विषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिये। जितने

‘ अधिक विषयोंमें उसका प्रवेश होगा, उतनी ही अधिक योग्यताके साथ वह  
‘ कार्यका सम्पादन कर सकेगा। रिपोर्टरके लिये शार्ट हैंडका ज्ञान होना

भी आवश्यक है। किन्तु, यदि उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो, तो इस ज्ञानके बिना भी काम चल सकता है। फिर भी, जो लोग नियमित रूप से रिपोर्टिंग का काम करना चाहते हों, उनके लिये हर हालतमें शार्ट-हैंडका ज्ञान आवश्यक और लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस वातकी भी आवश्यकता रहती है कि वे खास-खास भाषाओंके कुछ वाक्यों, वाक्यांशों और प्रचार में आने वाले शब्दोंको जानें, इतिहासका साधारण ज्ञान रखें और समाचार जगतसे इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखें कि जो बात जब हो, उसका उन्हें उसी वक्त पता हो जाय। इन गुणोंकी अक्सर जरूरत पड़ा करती है। सार्वजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान-दातागण अपने भाषणमें आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न भाषाओंके उद्धरण दिया करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख किया करते हैं, ससारकी रोज-रोज परिवर्तित होने वाली स्थितियोंका जिक्र किया करते हैं। यदि रिपोर्टर इन गुणोंसे युक्त न हो, तो वह इन सब वातोंको समझनेमें असमर्थ होगा और परिणाम स्वरूप इस वातकी सदा आशका रहेगी कि इनके सबधर्में वह जो रिपोर्ट दें, वह गलत निकले। एक गुण यदि और हो, तो रिपोर्टरके लिये वह ही लाभकी वात हो। वह है फोटोग्राफी जानना। इस विद्याका ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और व्यक्ति-विशेषके भी चिन्ह ले सकता है और समाचारोंके साथ उन्हें भेज कर अधिक रोचकता ला सकता है। इन गुणोंसे युक्त रिपोर्टर वहीं चतुरताके साथ अपने समाचार भेज सकता है। कभी-कभी तो इन गुणोंसे युक्त रिपोर्टर वक्ताके भावोंको इतनी सुन्दरता और स्पष्टताके साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी सुन्दरता और स्पष्टताके साथ वक्ता स्वयं उन्हें व्यक्त करनेमें असमर्थ होता है।

मनुष्यके स्वभावके अनुकूल भिन्न-भिन्न रिपोर्टर भिन्न-भिन्न दिशाओंमें अधिक रुचि रखते हैं। एक रिपोर्टर किसी एक कामके लिये अधिक उपयुक्त होता है, दूसरा किसी दूसरे कामके लिये। ऐसे अवसरों पर, जब विशेष रिपोर्टरोंको कुछ कामोंके लिये नियुक्त करनेकी आवश्यकता पड़े, उनके स्वभाव और रुचिके अनुसार कामोंका वैटवारा करना अधिक हितकर होता है।

रिपोर्टिंग और समाचार-पत्रोंका इतना अनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी, रिपोर्टिंग का इतिहास समाचार-पत्रोंके इतिहास की अपेक्षा नद्या है। जब कि समाचार-पत्रोंका अनुर छठों और सातवीं शताब्दी तकसे भिलता है और मोहर्वी शताब्दीके अन्तमें उगके नियमित सूत्र-पात्रका पता लगता है, तब रिपोर्टिंगका पता १८वीं शताब्दीसे पहिले कहीं नहीं लगता और नियम बद्द रिपोर्टिंगका १९वीं शताब्दीसे प्रारम्भ हुआ है। हिन्दी-पत्रोंके इनिटिएटिव्समें तो आज तक नियम-बद्द रिपोर्टिंगका पता नहीं। अन्नरेजी समाचार-पत्रोंके इतिहासमें सूत्र-पात्र सबसे पहिले ग्रालैण्ड की भद्राराजी घीन एनीके शासन कालसे होता है। उस समय कोई नियम-बद्द समाचार-पत्र नहीं थे। इनलिये रिपोर्टिंग जिम स्पमें आज है, उस रूपमें उस समय नहीं था। होता यह था कि पार्लियामेण्टमें जो वातें होती थीं, वे कुछ शास लोगों की जानकारीके लिये प्रति मास एकत्र करके प्रकाशित की जाती थीं। यही रिपोर्टिंगके इतिहासमा श्रीगणेश था। इस प्रथाके अनुसार जो समाचार प्रकाशित होने लगे, वे जनतामें बड़े चावसे पटे जाने लगे। इन समाचारोंमें अधिकांशमें शासन-सम्बन्धी राजनीति विषयक वातें रहती थीं। इनमें शासकर्वग अपनी आवश्यकता और रुचिके अनुसार वातें प्रकाशित करताते थे। और जो वातें शासन तन्त्रके लिये अनिष्ट मालूम होती थी उन्हें छिपा देते थे। परन्तु इनके प्रकाशित होनेसे जनतामें सब तरह की वातें जानने की उत्सुकता पैदा हुई। इसलिये उसकी रुचिके अनुसार धीरे-धीरे उक्त विषयके भले बुरे सभी प्रकारके समाचार प्रकाशित होने लगे। उधर शासक वृन्द अपनी वातें छिपाना चाहते थे। इसलिये सन् १७२८ ईस्टीमें एक कानून घनाकर लोगोंको रोका गया कि वे पार्लियामेण्ट की वातें प्रकाशित न करें। किन्तु कुछ दिनों तक वे वातें पढ़ पढ़कर लोगों की प्रश्नति बढ़ गई थी, इसलिये जनता ने इस कानूनका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पार्लियामेण्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट लेनेका हक है। यह आन्दोलन सालों तक चलता । इस बीचमें कुछ समाचार-पत्र भी प्रकाशित होने लगे। इससे आन्दो-

लनको सहायता मिली। उधर अधिकारियोंने जनताका यह आन्दोलन देखकर और सख्ती करनी शुरू की। नौबत यहाँ तक आई कि १७७१में कुछ समाचार-पत्र हिरासतमें ले लिये गये। इससे जनतामें और भी सनसनी फैली और आन्दोलन ने और अधिक जोर पकड़ा। परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही वर्ष यानी १७७२ में जनताको यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह पार्लियामेण्ट की कार्यवाही की रिपोर्ट ले और प्रकाशित करे। इस प्रकार रिपोर्टङ्गका सूत्रपात हुआ। रिपोर्टङ्गका नया अधिकार पानेके बादसे इस विषयसे लोग अधिक दिलचस्पी लेने लगे और पार्लियामेण्ट की रिपोर्टोंके अलावा अन्य साधारण सभा सोसाइटियों की रिपोर्ट भी ली जाने लगी। प्रारम्भमें रिपोर्टर प्रायः सभाओंमें दिये जानेवाले भाषण-भान्न ही भेजते थे। वह भी इधर-उधर जाकर और पता लगाकर नहीं। अपने निवास स्थान पर या उसके आस-पास होनेवाली सभाओं के भाषणोंके ही समाचार भेजते थे। पहिले ऐसे साधन ही नहीं थे, जिससे रिपोर्टर एक स्थानसे दूसरे स्थान पर सुविधा पूर्वक जा सकता। फिर जब रेलवे का प्रचार हुआ, तब वे बाहरके स्थानोंमें भी पहुंचने लगे और वहाँसे भी समाचार भेजने लगे। किन्तु उस समय तक किसी समाचार-पत्रके पास अपने खास रिपोर्टर नहीं थे। १९वीं शताब्दीके आरम्भमें सबसे पहिले इन्डियन एंड कंपनी "मारनिंग क्रानिकल" नामक समाचार-पत्र ने अपने यहा कुछ रिपोर्टर रखे। इसके बाद दूसरे पत्रोंमें भी इसका अनुकरण किया गया। पहिले जो समाचार रिपोर्टर भेजते थे वे डाकके जरियेसे जाते थे, इसलिये देरको पहुंचते थे। किन्तु तारोंका प्रबन्ध हो जानेके बादसे यह बात जाती रही और तारों द्वारा जल्दी समाचार भेजे जाने लगे। देहाती समाचार-पत्रोंका हाल इससे भिन्न था। वे शहराती पत्रोंसे समाचार लेकर अपने पत्रमें प्रकाशित करते थे। किन्तु जब रेलवे और तार की सुविधाएँ प्राप्त हुईं और नागरिक और देहाती सब लोगोंको जल्दीसे जल्दी समाचार मिलने लगे, तब देहाती समाचार-पत्रोंको भी आवश्यकता हुई कि रिपोर्टर रखें और उन्होंने भी अपने-अपने रिपोर्टर रखे। इस प्रकार नगर और

देहात दोनोंमें रिपोर्टरोंका प्रचार हो गया।

रिपोर्टर शहर और देहात दोनों स्थानोंमें रहते हैं। इनका काम होता है कि जहाँ कहीं कोई सभा हो, कचहरी हो, आग ल्यो, लड्डाउ हो जाय, कल हो जाय, आदी हो, गमी हो, गालिया लड़ जाय, ऐसी सत्थाना निर्माण हो, कोई नया आविष्कार हो, नेल तमाशा हो, या ऐसी ही कोई और घटना घटे, वहाँ वे तुरन्त पहुँचे और वहाँ की तमाम बातोंको जानकर उन्हें लिखे और समाचार-पत्रोंके पास भेजें। यह ग्राम शहरों की अपेक्षा देहातोंमें अधिक सरलता और सुविधासे हो गकता है। शहरोंमें एक तो अनेक समाचार-पत्रोंके रिपोर्टर होते हैं, जो भवके सब इन स्थानों पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, इनमें ऐसी एक फो नुविधा और सरलता पूर्वक समाचारोंका पता लगानेका मौका नहीं मिलता। दूसरे शहर की आवादी वज़ी होनेके कारण यह भी होता है कि भव घटनाओं की सूचना तक सब रिपोर्टरोंको नहीं मिलती। वे बेचारे वहाँ तक पहुँचे कहासे और घटनाओंके सम्बन्धमें समाचार भेजें तो कहासे ? एक बात और भी होती है। देहातों की जनतामें, रिपोर्टरोंको लोग जितनी श्रद्धा की दृष्टिसे देखते हैं, उतनीसे शहरोंमें नहीं देखते। फलतः उन्हें देहातोंमें जितनी सुविधा मिलती है। उतनी शहरोंमें नहीं मिलती, फिर भी रिपोर्टरोंका कर्तव्य है कि जहाँ तक अधिक समाचार प्राप्त हो सकें पता लगाकर लियें ; समाचारोंका पता खास तौरसे अदालतों, अस्पतालोंके कर्मचारियों रेलवेके कर्मचारियों, सार्वजनिक नेताओं तथा ऐसे ही अन्य लोगोंसे लगता है। रिपोर्टरोंका कर्तव्य है कि वे इन सबसे मिल-जुलकर समाचारोंका पता लगाते रहें। समाचार भेजनेमें प्रायः इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये कि जिस घटनाका वर्णन करना हो, उस घटनाका समय क्या था, उससे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति कौन-कौन थे, घटना क्या थी, कैसी परिस्थितिमें वह घटी, कारण क्या था और फिर नतीजा क्या हुआ—आदि बातें लिखनेमें आ जाय। समाचार प्रायः छोटे-छोटे पैरेग्राफोंमें लिखे जाने हैं। फिर भी, इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि रिपोर्टरमें तद्विषयक सब

बातें संक्षेपमें अवश्य आ जायं। जिन समाचारोंके सम्बन्धमें जनता अधिक उत्सुकता रखती है, उनका सविस्तार वर्णन पत्रके लिये हितकर होगा।

रिपोर्टरोंका कर्तव्य बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण और बहुत पैचीदा होता है। उनके भेजे हुये समाचारोंसे जनताके हिताहितका बहुत बड़ा सरोकार होता है। इसलिये रिपोर्टरोंका सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास-पात्रतामें कभी अन्तर न आने दें और जो समाचार भेजें, वे बिलकुल सत्य और अल्यन्त स्पष्ट हों। ऐसा न होनेसे अर्थका अनर्थ हो जानेका सदा भय रहता है। रिपोर्टरोंके लिये यही आवश्यक नहीं होता कि वे किसी घटना विशेषका वर्णन करके रह जायं। सम्पादक और जनता उनसे जिस बात की आशा करती हैं, वह घटना-विशेष की वर्णनात्मक सूचना-सात्र नहीं हैं; वरन् इसके अतिरिक्त वे यह भी चाहते हैं कि रिपोर्टर उन्हें वहाके तत्कालीन बातावरण—परिस्थितिके सम्बन्धमें भी कुछ बतायें। यह भावना अब अधिकाधिक वृद्धि पा रही है। और कुछ सम्पादक तो विशेष रूपसे अपने रिपोर्टरोंको यह हिदायत दे कर भेजते हैं कि वर्णनासक निबन्ध भेजने की अपेक्षा वहांके बातावरणसे सम्बन्ध रखनेवाला भावात्मक विवरण भेजना। क्या-क्या हुआ, किसने किस समय क्या किया,—आदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग यह जनाने की अधिक इच्छा रखते हैं कि किस की किस बातका अथवा किस स्थिति, किस घटनाका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। समाचार भेजते समय यह भी आवश्यक होता है कि जितनी जल्दी हो सके-उतनी जल्दी वे भेज दिये जायें। जनता—विशेष कर समाचार-पत्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जनता—इस बातके लिये वही उत्सुक रहती है कि संसार की जो घटना घटे उसे वह शीघ्रातिशीघ्र जान ले। जो समाचार-पत्र जनता की इस रुचि की पूर्ति करते हैं, उनका वह अधिक आदर करती है। इसलिये समाचारोंका शीघ्र भेजना न केवल जनताके हितसे ही, वरन् पत्रोंके हितके विचारसे भी आवश्यक होता है।

समाचारोंके लिखनेमें भी वही वृद्धिभानी और सतर्कताकी जरूरत होती है।

उनकी भाषा रोजर्मर्ट—चौल-नाल की होनी चाहिये। जो समाचार लिखा जाय, उसमें उस स्थिति और सत्यताके अतिरिक्त यह ध्यान भी रखा जाना चाहिये कि अपना भाव कमने कम गव्दोंमें और स्थितामें साथ बदल हो। समाचार भेजते समय रिपोर्टरको हिंगी नाम वात पर आने विचार प्रकृति रखने की आपश्यकता नहीं होती। उसे यथा-मन्त्राद थाने विचार प्रकृति रखनेमें दूर ही रहना चाहिये। एक वात और भी और वह यह कि ममादकीम 'हम' का प्रयोग जान-बूझ कर बनाना चाहिये। जारी कर्ता 'हमारा स्लाल' या 'हम आशा करते हैं' आदि वाते लिखनी हों, वहाँ ऐसा रख्याल किया जाना है या 'ऐसी आशा की जाती है' आदि वास्तव लिखना चाहिये क्योंकि वास्तवमें रिपोर्टर अपने विचार नहीं उसक्षणातिमें रखनेवाले लोगोंके विचार बदल करता है। मामले मुकद्दमे आदिका समाचार भेजते हुए, रास कर ऐसे मुकद्दमोंमा समाचार भेजते हुये—जिनका फैसला न हो चुका हो, इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि किसीके प्रति निश्चित स्पष्टीकरण कोई अभियोग न लगने पावे। लिखनेमें 'कहा जाता है' कहते हैं, 'लोगोंका कहना है' आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की वातोंका फैसला होने तक अदालत की वातें गन्डेहात्मक ही रखनी चाहिये। घटनाके समय की सूचना जहाँ तक सम्भव हो, समाचारके पहिले ही आ जाय और ऐसे ढगसे इसका उल्लेख हो, जिससे समाचार ताजासे-ताजा दिखलाई पड़े। एक वात और भी ध्यान देने की है। वह यह कि कागज़के जितने तरत्तों पर समाचार लिये जाय, उनमें ठीक-ठीक पृष्ठ सख्त्या अवश्य लिखी हो और समाचार-पत्रके दफ्तरको भेजनेके पहिले वह सावधानीके साथ दोहरा लिया गया हो। यह ख्याल रखना चाहिये कि रिपोर्टर की गलतीसे स्वयं रिपोर्टर का, समाचार-पत्रका और जनताका—सबका नुकसान ही है। एकवार गलत समाचार प्रकाशित हो जाने पर चाहे फिर उसका शीघ्र ही प्रतिवाद भी क्यों न प्रकाशित कर दिया जाय, वड़ीसे-बड़ी हानि तक हो सकती है। समाचार की भाषाके सम्बन्ध में यह ख्याल रखना चाहिये कि जहाँ तक अपनी भाषासे काम चलता हो, वहा-

तक अन्य भाषाके शब्दोंका प्रयोग न हो। विशेष नाम बहुत माफ अक्षरोंमें लिखे जाने चाहिये, ताकि सम्पादकोंको उनके पढ़नेमें भ्रम न हो। दूसरे शब्द तो लेखके प्रसगसे जाने जा सकते हैं; किन्तु विशेष नामोंमें भ्रम हो जाने की पूर्ण आशङ्का रहती है। इसलिये इस मामलेमें अधिक सावधान रहना चाहिये। रिपोर्ट भेज चुकनेके बाद भी रिपोर्टरको अपने समाचार-पत्रके प्रति उदास होकर न बैठ जाना चाहिये। अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानीसे पढ़ने रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि अपने भेजे हुए समाचारोंमें किस प्रकारके संशोधन किये गये हैं। इस प्रकारके निरीक्षणसे उसे आगे के शिखा मिलेगी और वह अधिक योग्यता-पूर्वक समाचार भेज राखेगा। रिपोर्टर को इस बातके लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि वह अधिकसे अविक विश्वास-पात्र माना जाय। इस कीतिका उसे जितना अधिक लोभ होगा, उसके हितमें वह उतना ही अधिक अच्छा होगा। इस ख्यातिको प्राप्त करनेमें सबके साथ सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार करना, जिस समयके लिए जो काम निश्चित हो, ठीक उसी समय उस काम पर अवश्यमेव लग जाना, अनुसन्धानके कार्योंमें अविक सावधनी रखना आदि बातें बड़ी सहायक हो सकती हैं।

रिपोर्टरमें मिलनसार होनेका गुण तथा अधिकसे अधिक जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकताका होना बड़ा आवश्यक होता है। उसे प्रायः समस्त सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, सार्वजनिक संस्थाओं आदिसे परिचित रहना चाहिये। इनके सम्बन्धमें जितनी अधिक जानकारी होगी, रिपोर्टरका काम उतना ही अधिक सरल और सुन्दर होगा। उसे अपनी डायरी सदा लोगोंके परिचयसे भरी रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसकी डायरीमें इन बातोंका भी उल्लेख रहना चाहिए कि कहाँ, कब और कौनसे उत्सव आदि मनाये जायगे। इससे वह ठीक अवसर पर ठीक स्थान पर पहुंच सकेगा। रिपोर्टर की डायरीमें ऐसे लोगोंके पते भी रहने चाहिए, जिनके पास समाचारों की प्राप्तिके लिये उन्हें बार-बार जाना पड़ता हो या जहासे उनके समाचारोंके प्राप्त होने की आशा हो। रिपोर्टरको

विशेष रूपसे यह भ्यान रखना चाहिये कि इन सभामें कौन नी विशेष घटना हो गई, कौन सा विषय आगे के लिये व्यवित कर दिया गया आहि। सभा मोमाटियोंमें कभी-कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टरके लिये डेस्कों आटिका प्रबन्ध नहीं रहता। इन्हिने रिपोर्टरके लिये यह भी आवश्यक है कि वह डेस्कों या बेजों पर ही लिखनेका आदी न हो, उसके बिना भी नाम चला गके। सामने वैठे हुये दर्शक की पीठ, आने गुटने और अधिक असुनिखा होने पर केवल नोट दुरुके आधार पर कागज़ रख कर लिखनेका उसे अभ्यास होना चाहिये।

सभाएँ रिपोर्टरोंके लिये समानार प्राप्तिका राम झरिया होती हैं। इन्हिये यदि यहा पर सभाओंके सम्बन्धमें रिपोर्टरके कुछ विशेष कर्तव्योंका उत्तेजत कर दिया जाय, तो अनुचित न होगा। सभाओंमें रिपोर्टरोंको सभने अधिक सुविधा दी जाती है। वे मध्यके वहत निरुट बैठाए जाते हैं। सम्बन्धित कर्मनारी उन्हें हर तरह की बातें बतानेके लिए तैयार रहते हैं। उनके लिये डेस्कों और बेजोंका प्रबन्ध कर दिया जाता है और अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी दी जाती हैं। रिपोर्टरोंको मार्वजनिक सभाओंके सूचित समयसे पूर्व ही उस स्थान पर पहुँच जाना चाहिये, जहा पर सभा होनेको हो और सभाके सम्बन्ध की जितनी बात बाहरसे मालूम हो सकें, सब पहिले ही मालूम कर लेनी चाहिये। यदि किसी सभाका पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय, तो रिपोर्टरके लिये यह अधिक अच्छा होता है कि उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट पहिले ही से ऐसे ढंगसे तैयार करले, जिससे सभामें होनेवाली ऐसी बातें, जो अनुमान पर तैयारकी गई पहिली रिपोर्टमें न हों सरलता पूर्वक बढ़ाई जा सके। इस प्रकार की पहिले ही से तैयार की हुई रिपोर्टसे सुविधा यह होगी कि सभा समाप्त होते ही आवश्यक सशोधन परिवर्तन करके रिपोर्ट समाचार-पत्रके पास शीघ्रसे शीघ्र भेजी जा सकेगी। किन्तु यह काम सबका नहीं है। अनुभवी रिपोर्टर ही इसे कर सकते हैं। साधारण तौरसे सभाओंके विवरणोंमें, उनमें पढ़े जाने-

वाले पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष स्थलके उद्धरण, जिन-जिन बातोंसे जनतामें हर्ष-ध्वनि हुई हो या जिन-जिन बातोंसे जनता ने विरोधका भाव व्यक्त किया हो आदि बातोंके उल्लेख की खास तौरसे जारूरत होती है। जिन उद्धरणोंमें सख्त्या दी गई हो, उनका उल्लेख बहुत सावधानीके साथ करना चाहिये, जिससे उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। यदि इन बातोंमें या किसीके भाषणके सम्बन्धमें कोई बात समझमें न आई हो या विसी कारणसे उल्लेख करनेसे रह गई हो, तो सभाके विसर्जनके बाद वक्ता महोदयसे मिलकर उस सम्बन्ध की वास्तविक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये। अथवा जाहासे उद्धरण दिये गये हों, उसको देखकर अपना लेख शुद्ध कर लेना चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाज वक्ता गलती कर जाते हैं। ऐसी अवस्थामें रिपोर्टरका यह धर्म तो नहीं होता कि वह उसे सही करके प्रकाशित करे; किन्तु यह आवश्यक होता है कि वह वक्ता की बातके सामने ब्रेकेट बनाकर सही बात अपनी ओरसे लिख दे। ऐसा न करनेसे लोगोंमें यह भ्रम फैलनेका डर हो सकता है कि रिपोर्टर स्वयं भी वस्तु-स्थितिसे परिचित नहीं है और यह धारणा रिपोर्टर की कीर्तिमें वाधा डाल सकती है। भाषणोंका उल्लेख करते हुये महत्व पूर्ण वाक्य, जहां तक सम्भव हो, स्वयं वक्ताके ही शब्दोंमें देना चाहिये। शार्ट-हैप्ड की लिपि-प्रणाली की कृपासे यह काम सरलता पूर्वक किया जाता है। अन्यथा यह बात न थी। सच बात तो यह है कि पहिले रिपोर्टरोंको भाषणों की रिपोर्ट न देनी पड़ती थी। एक प्रकारसे भाषण स्वयं तैयार करने पड़ते थे। किन्तु, शार्टहैप्ड लिपि-प्रणालीसे अब वह अवस्था जाती रही। रिपोर्टरको सभामें सम्मिलित होनेवाले सब गण्यमान सज्जनोंसे पहिले ही से परिचित रहना चाहिये। सभामें जाते ही पहिले यह जान लेना चाहिये कि मञ्च पर भी विशेष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति कौन-कौन हैं। अन्य खास-खास व्यक्तियोंका परिचय भी पहिलेसे प्राप्तकर लेना चाहिये। किन्तु इतना होने पर भी यदि किसी वक्ता का नाम उसके भाषण देनेके समय याद न रहे, तो उसके पहिनाव, चाल-ढाल,

या भाषणके टहा आदि की रिनी ऐमी बातों उत्सेन करके, दो निराली हो, उनके भाषणसा गमाचार लियु रेना चाहिये और किर मभासी गमासिनें उधर-उधर पता लगाकर व्यक्तिसा नामोत्प्रेय कर देना चाहिये। इन टयामें यदि अवकाश न हो, तो यिन नाम डिये हुए भी रेनल उन निगड़े चिन्हसे भी काम चल सकता है। इन्तु पता लगानेके लिए दार्यालाले जै बीचमें इनी प्रकार की पृष्ठताँछ न शुरा करनी चाहिये। रिपोर्टरोंके, लिये यह बहुत सख्त नियम है, कि गमाओंने वे विलक्षण गूँजन् काम करें। उन्हें न अपने निजी कामके लिये गमाके बीचमें बोलनेका हक है और न कामके लिए ही। यह नियम इतना बठोर है कि वे गमाके नाय या अलग न गुर्जीके स्थानपर सुशी जाहिर कर सकते हैं और न रडाके स्थान पर रड़।

रिपोर्टरोंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनके कर्तव्योंमा एकब वर्णन करना एक प्रकारसे असम्भव है। किन-किन अवसरों पर क्या-क्या करना चाहिये इसका निर्णय रिपोर्टर की बुद्धि पर ही निर्भर रहता है। इनलिये इन आवश्यक और प्रचलित घातोंको वह कर ही सन्तोष दिया जाता है।

रिपोर्टर्ज की महत्ता विदेशी नमाचार-पत्र जानते हैं। हमारे देशके समाचार-पत्रों और उनके सचालकोंको अभी इसका अनुभय नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इसे जानते ही नहीं। इन्तु, उन्हें इसको कार्य रूपमें देरानेसा अवसर ही नहीं मिलता। यहाकी तो दशा ही वडी विचित्र है। शिक्षाका अभाव, नवयुग की लहर की न्यूनता, देश की दण्डिता, आदि कारणोंसे हमारे यहाके समाचार-पत्र रिपोर्टर रखतेही नहीं। यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समाचार-पत्रोंको छोड़कर शेष समाचार-पत्र अज्ञरेजी अखबारोंसे लेलेकर समाचार भरते रहते हैं। उनका अलगासे न कोई रिपोर्टर रहता है और न कोई सम्बाददाता। विशेष समाचार-पत्र भी जिनका जिक उपर किया गया है, विशेष अवसरों पर ही अपने रिपोर्टर क्षौर सम्बाददाता नियुक्त करते हैं। उनके यहां भी नियम-बद्ध स्थायी रिपोर्टर मण्डल नहीं हैं। इतना ही क्यों ऐसे समाचार-पत्र भी

यहा हैं, जो समाचार समितियोंसे भी समाचार नहीं लेते। अभी हिन्दी पाठकोंमें यह बात पैदा नहीं हुई कि वे जल्दीसे जल्दी मौलिक स्पर्में समाचार पढ़नेके लिये उत्कृष्ट रहें। हमारे यहाके पत्रोंमें इस प्रकार की शिथिलताओंका यही एक प्रधान कारण है। यदि जनता की मनोभावनामें परिवर्तन हो जाय, वह ताजीसे ताजी खबरें, असली मौलिक स्पर्में देखने की रुचि पैदा कर ले, जिन पत्रोंमें इन बातों की बहुतायत हो, उनका पढ़ना पसन्द करने लगें, तो फिर समाचार-पत्रोंके कायालियोंमें रिपोर्टरोंके दल बन जाय और समाचार-पत्र देश की एक उपयोगी और शक्तिशाली सम्पत्ति हो जाय।

—:o:—

## सम्पादकदाता

— : —

सम्पादक, रिपोर्टर, सम्पादकदाता आदि समाचार-पत्रोंके बहुत आवश्यक कर्मचारी हैं। अच्छे समाचार-पत्रोंके लिये इनकी धड़ी आवश्यकता होती है। वे समाचार-पत्र, जिनमें ये कर्मचारी नहीं हैं, सचमुच अभागे हैं। इन कर्मचारियोंके हुए विना समाचार-पत्रोंमें अपना निजी—ऐसा जो अन्यत्र न हो—कुछ होना कई अशोमें असम्भव-सा हो जाता है। न्यूज एजन्सीज ( समाचार-समितिया ) एकसे ही समाचार सब समाचार-पत्रोंके पास भेजती हैं। यदि केवल वे ही समाचार देकर पत्रके सम्बालक और सम्पादक सन्तोष कर बैठे, तो अनेक पत्रों की विशेषता ही कुछ न रह जाती। उनमें विशेषता पैदा

करनेके निमित्ति समाचार-पत्रोंके लिए यह आवश्यक है कि उनके पास उनके निजी रिपोर्टर और सम्वाददाता हों।

यहां पर रिपोर्टर और सम्वाददाता दो अलग-अलग कर्मचारियोंका उल्लेख किया गया है। दोनोंके कार्यों और कर्तव्योंमें बहुत कुछ साम्य होनेके कारण अधिकांशमें इनमें कोई अन्तर नहीं माना जाता। किन्तु इनमें अन्तर अवश्य होता है। रिपोर्टर समाचार-पत्रोंका ऐसा साधारण कर्मचारी है, जो स्थान-स्थान पर और किसी भी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है और उन्हें पत्रके पास भेजता है, किन्तु सम्वाददाता हमेशा इधर-उधर नहीं जाया करते। उनकी नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष स्थानों पर की जाती है। जब कहीं कोई खास घटना घटी, कोई उत्तरव हुआ, सभा हुई और वारदात हुई, तब सम्वाददाताओं की नियुक्ति होती है। वे उस स्थल और अवसर पर जाकर तभाम बातों की छानबीन करते और उसकी सूचना समाचार-पत्रके पास भेजते हैं। वे लोग भी सम्वाददाता कहलाते हैं, जो किसी विशेष स्थानके रहनेवाले होते हैं और उन्हें उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजनेका अधिकार या हुक्म दे दिया जाता है। रिपोर्टर एकही स्थानके लिए बैठे नहीं होते। उनके जिम्मे सब तरहके काम होते हैं। कहीं जाकर समाचार लानेके लिए वे भेजे जा सकते हैं। उनके गुणों और कार्योंमें भी काफी अन्तर होता है। चूंकि सम्वाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष घटनाके लिए होती है, उनके लिये यह आवश्यक होता है कि वे उस विषय की अच्छी जानकारी रखते हों। रिपोर्टरोंके लिए यह आवश्यक नहीं। क्योंकि उनको एकही या एकसी ही घटनाका समाचार भेजनेका काम नहीं सौंपा जाता। उन्हें अनेक स्थानों पर और अनेक प्रकारकी घटनाओंके समाचार भेजने होते हैं और यह असम्भव है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्यमें शूर्ण दक्षता और प्रत्येक विषयका पूर्ण ज्ञान रखता हो। इसलिए रिपोर्टरोंके लिए केवल इतनाही काफी होता है कि वे अनेक विषयोंका धोड़ा-धोड़ा ज्ञान

रखते हों। विंगेप जानहारी की उन्हें अपमानिता नहीं होती, यह और यह उन्हें कि उनमें ऐसी विंगेप योगता भी हो। इन्हुंने समाजदलाते किए जाने विषयक पूर्ण ज्ञान आवश्यक होता है, जहाँ तो उन्हें भेजे गए समाजमें आवश्यक महत्व नहीं आता। रिपोर्टरों द्वारा समाजदल भेजनेमें, जागरात्तदा, यह अधिकार नहीं होता कि वह उन घटनाओंहें गमनमें तुउ गयनी हो, किन्तु सम्बाददाताओं द्वारा अभिन्न गर्वया प्राप्त होता है। उनके अनिवार्य रिपोर्टरोंमें चर्चन घटना-मन्त्रालय मा होता है अर्थात् तुउ राजसार वातोंका जिक उनके वर्णनमें होता है परन्तु सम्बाददातारा वर्णन करके विस्तृत और प्रायः सब वातोंको लिए हुए होता है। उनी प्रतारके और भी भेद होते हैं। फिर भी इन दोनों रम्नारियोंके अंतिक काम एतने ही होते हैं। और ऐसी दशामें उनके कायों और कर्तव्योंमें भी समना होती है।

सम्बाददाताओंका इतिहास बहुत पुराना है। वह रिपोर्टरोंके इतिहाससे पुराना तो है ही किन्तु यदि यह कहा जाय कि उनका इतिहास समाचार पत्रोंमें भी अधिक पुराना है तो भी कोई अत्युक्ति नहीं क्योंकि समाचार-पत्रोंका—जिन प्रकार वे इस समय ससागरे विद्यमान हैं, उस प्रकारके समाचार-पत्रोंका—जब नामोनिशान तक न था तब भी सम्बाददातागण अपना कार्य करते थे। उनके सम्बादों ने ही समाचार-पत्रोंको जन्म दिया। ‘समाचार-पत्र’ शीर्षक अद्यायमें कहा जा चुका है कि जब समाचार-पत्र आदि की कोई व्यवस्था न थी तब सबसे पहिले सम्बाददातागण अधिकारियोंकी जानहारीके लिए विशेष-विशेष समाचार भेजा करते थे और आगे चलकर इन्हीं समाचारोंने समाचार-पत्रोंका स्पष्ट धारण कर लिया। सच पूछिए तो समाचार-पत्रोंकी नीव ही इन सम्बाददातागण की डाली हुई है। रिपोर्टर और सम्पादक आदि वाद की उपज हैं। प्रारम्भ कालमें अधिकारियोंके पास समाचार भेजनेवाले लोगोंको यहाँ पर सम्बाददाता ही माना गया है रिपोर्टर नहीं। इसका कारण यह है कि वे रिपोर्टरोंकी भाति समाचारोंके लिए स्थान-स्थानपर मारे-मारे न घूमा करते थे प्रत्युत् वे एक स्थानपर

रहकर किसी विशेष कार्य सम्बन्धी सूचनाएँ ही दिया करते थे। ये बातें हिन्दी समाचार-पत्रोंके इतिहासमें लागू नहीं होतीं। हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास इससे उलटा है। वहां तो छूटते ही पहिले समाचार-पत्र निकल पडे और फिर कर्मचारियों आदिकी जो कुछ ईजाद हुई, वह हुई। हिन्दीमें तो विदेशोंके पके पकाये भोजनों की थाली ज्यों की त्यों उठाकर रख ली गई है। उसमें पहिले चूल्हा जलानेवाले, रोटी पकानेवाले और परोसनेवाले लोगों की आवश्यकता नहीं रही। उस परोसी हुई थालीके सामने आ जानेके बाद अपने अनुकूल भोजन की आवश्यकताके अनुसार, बादमें इन कर्मचारियों की यत्र-तत्र नियुक्ति होने लगी है। पहिले समाचार-पत्र निकलने लगे। इसके बाद पत्रको अधिक सुन्दर, अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए कार्यालयोंमें रिपोर्टर और सम्वाददाता आदि रखे जाने लगे। किन्तु इन कर्मचारियों की हिन्दी पत्रोंमें आज भी काफी सख्ता नहीं है। काफी क्या, न जाने कितने समाचार-पत्र तो ऐसे भरे पड़े हैं, जिनमें इन कर्मचारियोंके नाते मिट्टीका एक पुतला भी नहीं है। जहा पर हैं, वहां भी बहुत थोड़े—एकाध ही। इसका कारण है। वह यह कि हमारी जनतामें अभी ताजे और विविध प्रकारके तथा वास्तविक समाचार जानने की उत्सुकता ही नहीं उत्पन्न हुई। समाचार-पत्रों की पूछ ही कम है, उनकी आमदनी भी काफी नहीं; वे बेचारे कर्मचारी रखे तो कैसे? इसलिये हिन्दीमें न तो सम्वाददाताओंका पता चलता है और न रिपोर्टरोंका। हालत यहा तक है कि समाचार समितियों तकका यथेष्ट उपयोग उनमें नहीं होता। यह दशा केवल सासाहिकों ही की नहीं है, बल्कि दैनिकों तक की है। इन समाचार-पत्रोंमें होता यह है कि निकटतम स्थानके अन्नरेजी समाचार-पत्रोंसे जो जट्ठीसे जट्ठी प्राप्त हो सकते हैं, अनुबाद करके समाचार छाप दिये जाते हैं और उन्हींके अनुसार सम्पादकीय काल्पनिकों अपने विचार प्रकट कर दिये जाते हैं। बस, पत्रका काम समाप्त हुआ मान लिया जाता है।

सम्बाददाताओं और रिपोर्टरों के कामोंमें बहुत कुछ समता होती है। इन लिये रिपोर्टरोंके सम्बन्धमें वर्णन करते हुए निन शुणोंता होना आवश्यक बतलाया गया है, ये समन्वय तो सम्बाददाताओं होने ही नहिं उनके अतिरिक्त अपने कार्ग की विशेषताके अनुनार अन्य शुणोंता होना भी आवश्यक होता है। सम्बाददाताओंमें शार्टहैण्ड टाप राट्टिका ज्ञान होना एक प्रमाणसे अनिवार्य होता है। उन्हें अपने विषय की अधिकत्ते अभिक वातें जानने की आवश्यकता होती है। विशेष अपनरो पर नियोगिता विशेष नेता या अन्य वक्ताओं की वक्तृता अभिक विस्तारके साथ देनी होती है। इन अपनरों पर यदि शार्टहैण्डका ज्ञान उन्हें न दो, तो वे अपना राम जेना चाहिये वैसा न कर सकेंगे। उनके कान और उनकी आंतें भी घरी तेज होनी चाहिये, ताकि कोई वात ऐसी न निकल जाने पाये, जिसे वे देखा या सुन न सकें। इन इन्द्रियोंमें जितनी अधिक चपलता होगी, सम्बाददाताके लिये उतने ही अधिक लाभ की वात होगी। सम्बाददाताओंके लिये एक शुण और आवश्यक है। वह यह कि उनकी स्मरणशक्ति काफी तीव्र हो। इससे वे अपने अभिलिपित विषयपर रायजनी करते समय पूर्वी की एक सी ही कई घटनाओंना या परस्पर मिरोविनी वातोंका उत्तेज करके अपने वर्णनको अधिक रोचक और उपयोगी बनानेमें समर्थ होंगे, जो उनके लिये प्रशंसा और प्रतिष्ठा की वात होगी। सम्बाददाताओंके अन्य शुणोंमें मिथभाषी होना, वाक्पटु होना, सदाचारी होना, धीर होना, साहसी होना, हरएक कामके लिये सदा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार करना जिससे शत्रुता कम और मित्रता अधिक बढ़े, आदि वहुत उपयोगी और लाभप्रद शुण हैं। सबसे बढ़कर उनके लिये समय की पावन्दी रखते हुये, एक नियमित समय विभाजनके अनुसार काम करना आवश्यक होता है। यदि उनमें यह शुण न हुआ और वे काहिलों की भाति कभी कुछ और कभी कुछ करनेके आदी हुये, तो वे अच्छे सम्बाददाता कभी न हो सकेंगे।

**सम्बाददाता प्रायः** ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते हैं, जब कोई विशेष

घटना घटती है, जैसे यदि कहीं पर दक्षा हो गया हो, कहीं कोई युद्ध हो रहा हो, किसी स्थानपर कोई नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसीने सीषण अत्याचार किया हो, किसी विशेष महत्व रखनेवाले विपय पर कोई सभा हो, किसी बहुत बड़े आदमीका आगमन हुआ हो, उसका भाषण होनेवाला हो, किसी विशेष सस्थाका कोई महत्व पूर्ण उत्सव या अधिवेशन हो रहा हो, कोई बड़ा सनसनीखेज मुकद्दमा हो रहा हो, आदि-आदि। इन अवसरों पर विशेष रूपसे जाच पड़ताल करनेके लिये जानेवाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारी होती है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति ही सम्वाददाता नियुक्त किया जाय, जिसपर सम्पादकका पूरा-पूरा विश्वास हो और सम्वाददाताको, बदलेमें, यह उचित और आवश्यक है कि वह बड़ी तत्परता और सावधानीसे अपने कर्तव्य-कार्यका सम्पादन करे।

सम्वाददाताओंका काम रिपोर्टरोंके काम की अपेक्षा अधिक सुलभा हुआ होता है। उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि अदालतों, सभा सोसाइटियो, दफतरों और मठोंमें समाचारों की तलाशमें फेरी लगाते फिरें, एक निश्चित स्थानपर उनकी नियुक्ति होती है और वहीसे समाचार लाना उनका काम होता है। किन्तु इससे यह भी न समझ लेना चाहिये कि उनका काम नितान्त सरल और सदा सुखसाध्य होता है। उसमें भी कठिनाइयां आ जाती हैं और विस्तृत जानकारीके लिये एक ही स्थानपर न पड़े रह कर, उसमें भी दर-दर भटकने की आवश्यकता पड़ जाती हैं। सभा सोसाइटी या किसी विशेष सस्थाके अधिवेशन, किसी विशेष आन्दोलन की प्रगति आदिके ऐसे अवसरों पर जिनमें आपसमें काफी मतभेद होता है, सम्वाददाताका काम और भी कठिन हो जाता है। उसे पक्ष और विपक्ष—दोनों दलों की तमाम बाते जानने की जरूरत पड़ती है और दोनोंका हाल देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त सम्वाददाताको केवल घटनाका थोड़ा सा हाल लिखकर ही नहीं रह जाना होता। उसको इन बातोंका उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस कारणसे

पढ़ी, हिन्दू परिस्थितियों घटी, किंगके हाथा उसको प्रोत्ताहित किया गया, उनका पर उनका क्षमा प्रभाव पड़ा, भविष्यतमें फिर उनकी आगदा है या नहीं, आदि-आदि। इन्हें उनका कान मुलका हुआ होने पर भी सागल नहीं होता।

सम्बाददाताओंके लिये, रिपोर्टरोंकी भाँति ही यह आमनक होता है कि वे राम-राम समाचार-पत्रोंहो नियन्त्रित हप्ते अद्यतन करते जाएँ। इससे उन्हें अनेक बातें रुक़ूंगी और वे अपने काममें अधिक योग्यताके साथ मफल होंगे। सभा-गोसाइटियोंने यदि उनकी नियुक्ति हो, तो उन्हें उनी प्रतारता सब व्यवहार करना चाहिए जैसे रिपोर्टरोंको करना होता है। उन्हें अतिरिक्त मिनी घटना विशेषज्ञ उमाननदीरीके नाम शुद्ध और स्पष्ट गमानार देना, जहाँ तक हो सके जब्दीसे जब्दी समाचार भेजना, राल और जटिल सब प्रकार की परिस्थितियों का साहस पूर्वक मुकाबला करना, एक रास आकार-प्रकारके कागजों पर लिखना, कागजमें एक ही तरफ लिखना, हाशिया छोड़कर दूर-दूर साफ-साफ लिखना-ताकि सम्बादको शुद्ध करने की शुजादश बनी रहे, प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ सल्ला देना आदि साधारण बातोंमें सम्बाददाताओंको रिपोर्टरोंकी भाँति ही काम करना होता है।

सम्बाददाता स्थूलत्पसे दो प्रकारके होते हैं। एक ऐसे सम्बाददाता, जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं और उसी स्थानसे वहा की या उसके आस-पास की रावरें भेजते रहते हैं। दूसरे वे जो किसी रास अवसर पर नियुक्त होकर किसी खास घटनाका समाचार लाते हैं। इनके अतिरिक्त और भेद भी होते हैं, जिन्हें ‘एक सम्बाददाता’, ‘विशेष सम्बाददाता’, ‘हमारा विशेष सम्बाददाता’ आदि नामोंसे पुकारा जाता है। ऊपर सम्बाददाताओंके पहिले जो दो भेद बताये गये हैं, उनमें से वह सम्बाददाता जो एक ही स्थान पर रहता है और वहाँसे खास उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है, ‘साधारण सम्बाददाता’ कहा जाता है। और जो विशेष अवसरों पर नियुक्त किया जाता है, वह ‘विशेष सम्बाददाता’ के नामसे पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त उस

समय भी एक सम्वाददाता 'विशेष सम्वाददाता' मान लिया जाता है, जब वह अपने स्थानके या उसके आस-पासके समाचार विशेष शुद्धता और विस्तारके साथ भेजता है और जब सम्पादक उसे वह समाचार भेजनेके लिए नियुक्त करता हैं या खास तौरसे आदेश देता है। 'एक सम्वाददाता' उस अवसर पर लिखा जाता है, जब सम्वाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देह पूर्ण होता है। ऐसी अवस्थामें घटना की सच्चाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं की जा सकती। इसीलिये बजाय इसके कि उस समाचारको जो सन्देहास्पद हो, अपने विशेष सम्वाददाता द्वारा भेजा हुआ समाचार कहें, यह कह दिया जाता है कि वह 'एक सम्वाददाता' द्वारा भेजा गया है। इस प्रकारके उल्लेखसे यह ध्वनि निकलती है कि सम्पादकको उस लेखपर पूर्ण विश्वास नहीं है। जो सम्वाददाता अयाचित रूपसे समाचार भेजते हैं, उनके लिये भी "एक सम्वाददाता" लिखा जाता है। जब सवाददाताका भेजा हुआ विवरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत होता है, तब उसे 'हमारे विशेष संवाददाता द्वारा' भेजा हुआ विवरण कहते हैं।

इन भेदोंके अलावा सवाददाताओंका एक महत्वपूर्ण भेद और है जिसे 'सैनिक सवाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। सैनिक संवाददाताका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सज्जा उस संवाददाताके लिये होती है जो युद्धके समय वहाके समाचार लानेके लिये सेनाके साथ भेजा जाता है। युद्धका समय कितना भयङ्कर, कितना नाजुक और कितना महत्व-पूर्ण होता है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि ऐसे अवसरों पर समाचार भेजनेमें कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता और कितनी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। न जाने किस समाचारका क्या असर देशवासियों पर पड़े, उस सम्बन्धमें वे क्या काम कर धैठे—आदि वातोंका सदैव भय लगा रहता है, ऐसे सशक्त वातावरणमें सवाददाताका काम कितना गुरुतम होता है इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं। इस कामके करनेवालोंमें असाधारण योग्यता होनी

नाहिये। उनमें दो प्रकार की गोग्यताओं की आवश्यकता है। एक जारीरि और दूसरी वौद्धिक। रहनेसा यह मतलब नहीं कि इन योग्यताओं की अन्य सम्बाददाताओंको आवश्यकता नहीं होती परन्तु मतलब यह है कि सैनिक सम्बाददाताके लिये इन गुणों की प्रियेय लासे आवश्यकता होती है। उने शारीरिक गोग्यतामें कठिन परिश्रम करनेमाला मिलाही और वौद्धिक योग्यतामें प्रत्यक्ष-प्रतिभान्सम्बन्ध प्रवान सेनापति की गोग्यता रखती होती है, प्रत्येक समाचारको रूप समझन्नक्षमता भेजना होता है, तर्हं इसलिये सर्वह और जागरूक रहना पड़ता है कि उसके भेजे हुए समाचार होइ अनिष्ट परिणाम न निकाल वैठें। सैनिक सम्बाददाताके लिये इस बातका सदा भय रहता है कि वह कहों वैरियों द्वारा अन्य सिपाहियोंके साथ गिरफ्तार न कर लिया जाय, या गोलीसे मार ही न उला जाय। इन सब बातोंहो आनंदे रहते हुगे इस कामको 'जोखिम भरी जिम्मेदारी' का काम कहना रार्पगा सत्य है। किननी वशी जोरिम इस काममें है और किननी वशी जिम्मेदारीका यह काम है। देशका बनना विगड़ना जरासी साम्भानी और प्रमादमें हो सकता है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि सैनिक सम्बाददाता जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण पद पर असाधारण प्रतिभा और योग्यतावाले व्यक्तिको ही नियुक्त किया जाए।

सैनिक सम्बाददाताओंको लड़ाईके मैदानमें कभी-कभी लगातार कई दिन सेनाके साथ चलते-ही-चलते चिताने पड़ते हैं, दौड़-धूप, धूप-छाह, जाझा-गरमी, वरसात सब कुछ सहना पड़ता है। अनेक प्रकारके स्थानोंमें, विभिन्न प्रकारके जल-वायुमें गुजर करनी पड़ती है, कभी पैदल दौड़ना, तो कभी घोड़े की जीनपर ही तमाम दिन चिताना पड़ता है। न खाना है, न पानी और न विश्राम। ऐसी परिस्थितिमें पढ़कर स्वास्थ्यका कायम रखना बड़ा कठिन होजाता है। इसीलिये सनिक सम्बाददाताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक गुण बताया गया है कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकारके वायुमण्डल और परिस्थितियोंसे बिगड़न सके। जहाँ धुआंधार लड़ाई हो रही हो, चारों ओरसे सन-सन गोलियाँ चल रही हों,

हवाई जहाजोंसे दिनमें लुक-छिपकर एकाएक बम बरसा दिये जाते हैं, गोलावारीसे सदा भयङ्कर त्रास छाया रहता हो, वहाँ सोने की बात तो एक व्यर्थ-सी ही बात मालूम होती है। नीद तो संग्राम क्षेत्रके सैनिकोंके भाग्यमें बढ़ी ही नहीं होती। कभी वे विरोधीके बारोंको बचानेके लिए जगते हैं और कभी अपने घार करनेके लिए। सैनिकों की भाति ही सैनिक सवाददाताओंके लिये भी सोना अलभ्य ही होता है। इसलिए सैनिक संवाददाताओंको इस बातका अभ्यास करना चाहिए कि श्वाननिद्रासे ही संतुष्ट हो जायं और किसी विशेष समयका इन्तजार न करके जिस समय अवकाश मिल जाय, उसी समय सो सकें। यह आदत उनके लिये बड़े हित की वस्तु होगी। उनका प्रसञ्चनित और सदाचार युक्त तथा व्यहार-कुशल होना भी नितान्त आवश्यक होता है। इससे वे वैरियोंके अनेक आघातों से अपनी रक्षाकर सकते हैं। सैनिक सवाददाताको कभी घबड़ाना न चाहिये। उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि सदा सचेत रहे। उसमें वह एक साथ ही विचार भी कर सके और काम भी। अनेक भाषाओंका ज्ञान भी उसके लिए बड़ा सहायक होगा। उसे भूगोलका तो बहुत ही सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। सेना-सचालन सम्बन्धी टीका-टिप्पणी इस ज्ञानके बिना हो ही नहीं सकती। उसके लिए अपने देशके इतिहासका पूर्ण ज्ञान तथा अन्य देशोंके राजनैतिक इतिहासका साधारण ज्ञान होना भी कम आवश्यक नहीं होता।

समाचार भेजनेमें उसे बहुत बड़ी बुद्धिमानीसे काम लेने की आवश्यकता होती है। पहिले तो देशके प्रति अपने उत्तरदायित्वके कारण ही वह निरंकुश नहीं हो सकता। दूसरे उसपर सेनानायकोंका कम शासन नहीं होता। इन दोनों कारणोंसे सैनिक संवाददाताका समाचार प्रेपण कार्य अन्य सम्बाददाताओं की अपेक्षा कहीं अधिक दुस्तर होता है। अन्य सवाददाताओंके सम्बन्धमें इस प्रकारके दोहरे बन्धन नहीं होते। सैनिक सवाददाताको इस प्रकार रामा लिखने चाहिए, जिससे उसे जो शिकायतें मालूम पड़ती हों, उनके रफा

गहावता मिले और जो गलतियाँ हों, वे नुकरें। लेनन शैली वरी नवोनोहर का कार्यक और सरल होनी चाहिए। अपनी जीत तक के गमानार सीधी गाड़ी और सरल भाषामें ही बेना चाहिए, लन्देन्लन्दे गद्दी और सचेदार बाक्सों में नहीं। सैनिक सम्बाददाताना इस गमसे निराला होता है। गमानार भेजनेमें जहा अन्य प्रतारके सम्बाददाताओंके लिये यह सर्वथा अत्यन्त होता है कि वे शीघ्रतागीघ गमानार भेजें, वहाँ सैनिक सम्बाददाताओंके सम्बन्धमें यह बात गर्ववा लागू नहीं हो नवनी। इस अर्थ यह नहीं है कि उन्हें समाचार भेजनेमें शीघ्रता न करनी चाहिए। शीघ्रता तो करनी ही चाहिए, किन्तु रादा शीघ्रता नहीं की जा सकती। युद्ध लम्हों परें अपनार भी आ नक्कने हैं, जब शीघ्रता करना बहुत घातक भिस्त हो जाय। कायना कीजिए कि स्मी सेनापति ने एक योजना बनाई और उसके अनुसार काम करना निश्चय किया। अब यदि सम्बाददाता उस योजना की बात समाचार-पत्रोंमें शीघ्रताका स्थाल रखते हुए दें दें तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि वेरियोंके सेनापति समाचार-पत्रों द्वारा उस योजना की बात जान कर उसके निराहरणके लिये पहिले ही से सयल हो जाय? और; क्या इस प्रभार शीघ्रताके फेरमें पड़कर सैनिक सम्बाददाता देशके लिए हानि नहीं पहुँचाता? इसलिये इस कार्यमें सावधानीके साथ शीघ्रता करनी चाहिये। उन्हें बहुत ही जागरूकता, सतर्कता और सावधानीसे काम लेना चाहिये। आज-कल लड़ाईके साधनोंमें जो उश्ति हुई है, उसके कारण अब एक सम्बाददातासे काम नहीं चलता। आज-कल अनेक सैनिक सम्बाददाताओं की आवश्यकता होती है। सम्बाददाताओं की नियुक्तिमें, चाहे जिस प्रकारके सम्बाददाता क्यों न हों, स्वभाव और ज्ञानका ख्याल सबसे प्रधान रहना चाहिए। स्वभाव और ज्ञानके अनुकूल ही भिन्न-भिन्न कामोंके लिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जो सम्बाददाता जिस विषयसे अधिक दिलचस्पी रखता हो और जिस विषयकी उसे अधिक जानकारी हो उसी कार्यमें उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। और सम्पादकको चाहिये कि ज्यो-ज्यो

सम्वाददाताओंके समाचार आते जाय, त्योंच्छेउन्हें किन्तु कमियोंका उसे अनुभव होता जाय, उन-उनका इशारा और उनके दूर करने, तथा अधिक सम्भगता प्राप्त करनेके लिये नयी-नयी हिदायते देता जाय। हिन्दी समाचार-पत्र-संसारमें तो अभी सम्वाददाताओं और रिपोर्टरोंकी कोई व्यवस्था ही नहीं। किन्तु जहा पर व्यवस्था है वहाँ ये कर्मचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए हैं। उनका एक दलका दल समाचार पत्रके दफ्तरमें होता है और वह आवश्यक अवसरों पर अपने-अपने कामके लिये भेज दिया जाता है। इसके लिये तनख्ताह के अलावा, उनके आने-जाने, खाने पीने आदि के खर्चें भी, समाचार पत्रोंके सचालक ही वरदाश्त करते हैं। सैनिक सम्वाददाताओंके लिए लम्बे-लम्बे खर्च वरदाश्त करने पड़ते हैं। यह खर्चें कभी-कभी इतने भारी हो जाते हैं कि किसी एक समाचार पत्रके सभाले नहीं सभलते। “वोर” वारके जमानेमें सैनिक सवाददाताओंका ऐसा ही खर्च हो गया था। उस समय इलेंडके समाचार पत्रोंने आर्थिक गुट बना लिये थे और वे सैनिक सम्वाददाताओंके खर्च आपसमें बाट लेते थे। कभी-कभी अन्य अवसरों पर भी बड़े-बड़े खर्चें वरदाश्त करके समाचारपत्र अपने संवाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहले तक तो इलेंडके सवाददाताओंको इसलिये भी खर्च दिया जाता था कि वे किसी खास उत्सवमें गामिल होने के लिये वैसी ही बढ़िया पोशाक बनवा सकें। यदि कोई बड़ा आदमी कहीं विदेश यात्रा आदि के लिये जाता है, तो पत्र सचालक उनके साथ अपने सवाददाता नियुक्त कर सफरका तमाम खर्च अपने सर ऑफिसके लिये तैयार रहते हैं। सवाददाता भी पत्र सचालकोंके इम खर्चके वरदान करनेके बदरेमें अपनी जानसी घाजी लगा जर समाचार लाते हैं। यहा तो प्रतिसद्धा आदिगी कोई वैसी बात नहीं है; किन्तु विदेशोंमें तो प्रत्येक पत्र यह सर्दार झरता है कि दूसरा पत्र न उससे अच्छे समाचार दे सके और न उससे ज़दी ही। इसी रस्ताने इन्हरें रखे रखे रखे होते हैं। विदेश अमरीका पर विदेश अमे भार वहाँ पर किसीप्रतिष्ठा प्राप्त सम्वाददाता द्वाराये जाते हैं और उनके द्वारा समाचार

मगवाये जाते हैं। इन मम्माददाताओंके काम इनने आशय-ज्ञनफ और साहस-पूर्ण होते हैं कि केवल जासूसी और ऐयारी उपन्यासके पाव्र भी गमना नहीं कर पाते। गुप्तसे गुप्त ममामें ये प्रवेश कर जाते हैं, डिपीसे डिपी बातों जान लेते हैं और तदृशानोंमें रसो हुये कागजात तक ममाचार-पत्रोंके काल्पनिक प्रकाशित करवा कर गली-गली घटना देते हैं। मिन्तु यह सब होता है और हो सकता है केवल उमतिये कि यह की जनता इनका अद्वा करना जानती है, इनकी दाद देती है, और इनका मूल्य समझनी है। यदि हिन्दी-भाषी जनतामें भी ये भाव आ जाएं, तो हमारे यहाँ भी इन बातों की कमी न रह जाय।

---

समाचार-समितियां

किन्तु, यह प्रसार ही समाचार-समितियाँ भागताहैं नहीं हैं। यहाँ तो ऐसी ही गमितियाँ हैं, जो एक निधित्व नन्दा देने पर इसी समाचार-पत्रमें समाचार भेज सकती है। इन समितियोंके प्रनिनिपि देश-प्रिंसिपेके नमाम बहेचर शहरों और कस्बों तरहमें घूमा लग्ने हैं और ने यो समाचार पाते हैं, उन्हें अपने निकटताँ पत्रोंके अलावा अपनी गमितिह केन्द्र समाजोंको भी भेज देते हैं ताकि वह ( समाचार ) अन्य पत्रों ही भी भेजा जा सके ।

बहुत-नयी समाचार-समितियाँ व्यापारिक सम्बन्धोंहोती हैं, जो दूसरी मर्क-बॉंसे समाचार लेहर गुनाफ पर चेचती रहती हैं। ऐसी समितियाँ अमेरिकामें अधिक पाउँ जाती हैं। ये समितियाँ राइटर दैती अन्तर्राष्ट्रीय या अन्य साधारण समाचार-समितियोंसे भी कोई विशेष समाचार, जिसे वे समझती हैं नि कह पत्रोंके लिये अभिन्न रुचिकर होगा, एक निधित्व रास्तम देकर चारोंद देती हैं। फिर राइटर या अन्य सानारण कल्पनियोंको, जिससे समाचार गरीदा जाता है, वह समाचार उस दृष्टिकोण समाचार-पत्रोंमें भेजनेका एक नहीं रह जाता जिसमें उक्त सरीदार समिति समाचार भेजती है। फिर तो सरीदार समिति ही उसे अपनी ओरसे उन पत्रोंको वे समाचार भेजती हैं, जो उसके लिये उन्दा देते हैं ।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं छिभारतवर्षमें समाचार-समितियोंका अनुकरण भी पाश्चात्य देशोंके उदाहरण पर ही किया गया है। इसलिये इस विषयके एतदेशीय इतिहासमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है। किन्तु विदेशोंमें समाचार-समितियोंके प्रचारमें आनेका वडा विस्तृत इतिहास है। पहिले, उस प्रारम्भ-कालमें जब समाचार-पत्रोंका वैसे ही जन्म हुआ था, समाचार-समितियों की कौन कहे, रिपोर्टर आदि भी सगठित रूपसे नहीं थे। कुछ फुटकर रिपोर्टर इधर-उधरसे समाचार एकत्र करके भेजते थे और वे ही समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचार-पत्रोंके सचलकोंको इस धातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि उनके पत्रोंमें समाचार भेजनेके लिये ऐसे आदमी हों, जो साधारण

समाचारों की अपेक्षा अधिक और अच्छे समाचार भेज सके। यह बात उनके हृदयोंमें इस आशासे उत्पन्न हुई कि ऐसा करनेसे, वे, दूसरे पत्रों की अपेक्षा एक विशेष बात अपने पत्रमें दे सकेंगे और इस प्रकार प्रतिद्वन्द्वितामें दूसरोंसे बाजी मार ले जायेंगे। सबसे पहले १९वीं शताब्दीके आरम्भ-कालमें इङ्लैण्डमें 'मार्निंग क्रानिकल' नामके पत्र ने इसी भावसे प्रेरित होकर अपना स्वतन्त्र रिपोर्टर-मण्डल स्थापित किया। उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोर्टर रखे। यह सब इस स्पष्टिके फल स्वरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे पत्रसे अधिक और अच्छे समाचार दे। किन्तु जब रिपोर्टरों की संख्या ग्राह्यः सर्वत्र एक ही हो गई, सभी पत्र एकसे ही समाचार देने लगे, तब अपने-अपने पत्रमें विशेषता लानेके और उपाय सोचे जाने लगे। अब समाचार-पत्र सञ्चालक अधिकता और अच्छाईके साथ-साथ इस बातका प्रयत्न करने लगे कि उनके पत्रमें अन्य पत्रों की अपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जायं। इसी बीचमें तारों की एक कम्पनी खुली। इससे उक्त भाव की पूर्तिको बहुत सहारा मिला। समाचार-पत्र पोस्ट या हरकारेके जरियेसे अपने समाचार न मँगाकर जल्दी प्रकाशित करनेके विचार से इस कम्पनीके तारों द्वारा मँगाने लगे। इस प्रकार तारोंके जरिये सबसे पहले समाचार-पत्रोंको जो समाचार भेजा गया, वह १८४६ ई० में पलियामेट्टके उद्घाटनके समय दिया गया साम्राज्ञी विकटोरियाका भाषण था। इसके बाद साधारण समाचार भी भेजे जाने लगे थे। इस प्रकार जल्दी-जल्दी समाचार पानेसे जनतामें जल्दी समाचार जानने की रुचि बढ़ी। अभी तक देहाती पत्रोंके पाठक समाचारोंके जल्दी जानने की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किन्तु अब उनकी रुचिमें भी सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीघ्र समाचार जानने की उत्कृष्ट प्रकट करने लगे। समाचार-पत्रोंके चतुर सञ्चालकोंने, जनता की इस रुचि और इस उत्कृष्टके अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया। अभी तक जो तार कम्पनी थी, वह समाचार-पत्रों ही के लिये न थी, इसलिये इसके द्वारा समाचार भेजनेमें कभी-कभी विलम्ब भी हो जाता था। अतः समाचार-पत्र सञ्चालकोंने विशेषतः

शहरोंके समाचार-पत्रालोंने मिलकर एक रापनी तार कम्पनी गुण्डी। यह कम्पनी १८६५में स्थापित हुई। उसके द्वारा समाचार भेजनेमें बड़ी सुविधा हो गई। ऐसे कम्पनी ने अपने कर्मचारी रोजों जो समाचार प्राप्त करके तार द्वारा समाचार-पत्रोंको भेजते थे। उस कम्पनी पर गरजारा आध न था, इसलिए वह उस कम्पनी द्वारा भेजे गये समाचारों पर इसी प्रकारका नियन्त्रण नहीं रखा गया थी और जैसा कि दाखिला गया है, गरजार समाचार-पत्रोंमें प्रतागित होनेवाले समाचारों पर नियन्त्रण रखना आपनी भलाईके लिए शावशक समझनी थी। ऐसलिए उसने गहर कम्पनी नारीड़ ली। शर गमाचार-पत्रोंको थोड़ी सी कठिनाई किए दियालाउ फ़टी। एरन्तु उस सम्बन्धमें कृत कर सकता सम्भव न था। अतः पत्र सचालकोंने तार कम्पनी स्थापित करनेका निचार छोड़ दिया। आध ही अलग-अलग रिपोर्टर-मण्डल की थोड़ी बहुत व्यास्थाके गाय नियम-लिन होकर पत्र-गचालकोंने एक समाचार गमिनि स्थापित की, जो एक समाचार प्राप्त कर रिपोर्टर-मण्डलमें तार द्वारा पांचा भेजती थी। उसी प्रहार भीरे-धीरे और भी ऐसी समितियाँ स्थापित हुई और उन्नति करते-करते वर्तमान हूमें आयीं।

समाचार-समितियोंके प्रतिनिधियोंको वे तमाम सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं, जो समाचार-पत्रके किसी रिपोर्टरके लिए नहीं होती हैं। अर्थात् समाचार-समितियोंके प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओंमें गोश कर सकते हैं, वदालनमें रिपोर्ट ले राकते हैं, अन्य घटनास्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं। और एक रिपोर्टरके करने योग्य सब काम कर सकते हैं। समाचार-समितियोंका उनके जन्म-कालसे ही पत्रोंपर बहा प्रभाव पड़ा। जहाँ पहले समाचार-पत्र रिपोर्टरों पर अधिक अवलम्बित रहते थे वहाँ अब वे समाचार-समितियोंके अधिक मोहताज रहते हैं। यह दशा विदेशोंमें तो है ही हमारे यहा भी अब इसका प्रचार बढ़ चला है। सज्जरेजी-पत्र तो इन समितियोंके बहुत ही अधिक मोहताज रहते हैं। देशी भाषाओंके पत्र भी कम मोहताज नहीं रहते।

दैनिक-पत्रोंमें, यद्यपि ऐसे पत्रोंका अभाव नहीं है, जो समाचार-समितियोंसे समाचार न लेते हों तथापि अब इनसे समाचार लेना एक प्रकारसे अनिवार्य सा हो गया है।

भारतवर्षमें समाचार-समितियोंके अस्तित्वका इतिहास कोई विशेष चमत्कार-पूर्ण नहीं है। हमारे सामने विदेशोंका उदाहरण मौजूद था। आवश्यकता सिर्फ इतनी थी कि समाचार-पत्र इतनी अधिक सख्त्यमें निकलने लगें, जिनमें समाचार भेज कर कोई कम्पनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, तब समाचार-समितियोंका भी जन्म हो गया।

इस समय पाश्चात्य देशोंमें राइटर कम्पनी, प्रेस एसोसियेशन और एसोसियेटेड प्रेस ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैं। राइटर कम्पनी सबसे अधिक पुरानी है। यह कम्पनी सन् १८४८ ईस्वीमें पैरिसमें स्थापित हुई थी और इसके संस्थापक थे मिठो ज्यूलियस राइटर। प्रारम्भमें यह नितान्त सरकारी संस्था थी। कोई १७ वर्ष तक यह स्थाया अपनी इसी हैसियतसे काम करती रही। सन् १८६५ ईस्वीमें कुछ व्यक्तियोंके आनंदोलन और उद्योगसे यह संस्था सार्वजनिक संस्था बना ली गई। किन्तु फिर भी यह सदा सरकारी पक्षका समर्थन करती रही और अब तक करती है। अब इसकी प्रसिद्धि एक अर्ध सरकारी संस्था की भाँति है। मगर काम अब भी पूर्ण सरकारी नीतिसे ही होता है। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय समाचार भेजनेके लिये समस्त-संसारमें प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक एकसला चेपलमें एक सामान्य कर्मचारी थे। पहिले कुछ कबूतर पाल करके उन्होंने खबरें मँगाना शुरू किया था। धीरे-धीरे उस कामको बढ़ा कर वर्तमान रूप दिया। अब इसके केन्द्रस्थान संसार भरमें स्थापित हैं, जहासे यह हर जगह समाचार भेजती रहती है। यह संस्था व्यापकताके विचारसे संसार की समस्त समाचार-समितियोंसे बड़ी है।

इसके बाद न्यूयार्क अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस नामक संस्थाका स्थान है। कार्य-बहुलता की दृष्टिसे यह संस्था भी संसारमें अपना सानी नहीं रखती।

इस दृष्टिसे वह समाज की नवरोपी बढ़ी सत्या भावी जाती है। उसके जन्मसे सम्बन्धमें कहा जाता है कि अमेरिकाके पत्र परिले इन प्रकार की समाचार-समितियोंसे काम नहीं लेने थे। पत्रोंके अपने-अपने प्रिपोटर थे और अपना-अपना अलग-अलग काम होता था। याहुर्मे गमानार प्रातः तरफेके लिये रामाचार-पत्रोंके अलग-अलग जाताज भी थे। इन्तु दो प्रगतियोंमें अभिन्न रूप भी पड़ता था और अमुमीधाये भी होती थीं और इन्हें पर भी समानार शीघ्रता पूर्वक न पहुंच पाते थे। इसलिये १८५० ईस्टीके बादने इस प्रयासे काम देना बन्द होने लगा। उसके बाद बठकें बुठ समाचार-पत्रों ने मिलकर एक सम्मिलित समाचार-समिति स्थापित की। इसीका नाम एसोसियेटेड प्रेस पड़ा। एसोसियेटेड प्रेस ने अपने मेम्बरों की सम्पत्ति निधित्व कर ली है और उससे अविक्र मेम्बर उस सम्पत्ति में शामिल नहीं हो सकते। इस समितिका नियम है कि अपने मेम्बरोंके अलावा अन्य किनी समाचार-पत्रों अपने समाचार नहीं भेजती। इसलिये अमेरिकाके दूसरे पत्र अपनी अलग सम्पत्ति बनानेके लिये मजबूर हुये हैं। एसोसियेटेड प्रेस तीन प्रकारके काम करती हैं। एक तो इधर-उधरके समाचार प्रकाश करती है, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरोंके पास भेजती है, और तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-समितियोंको देकर यद्देखें उनके समाचार लेती है। इस प्रकार एसोसियेटेड प्रेस-समाचार समूह, समाचार-विकल्प और समाचार-विनियम प्रभृति तीन काम करती है। इस कम्पनीको रूप लाभ रहता है। कुछ दिन हुये 'माधुरी' के एक लेटरमें इनके मुनाफेका घोरा छपा था। पाठकों की जानकारीके लिये, सामयिक न होने पर भी, वह नीचे दिया जाता है। यह मुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदारोंमें बांटा गया था।

१९०६..... .... ... ..८ फी सैकड़ा

१९०७-१०..... .... ... ..१० "

१९११-१३. .... ... ..१२ "

१९१४.....	.....	.....	१७ फी सैकड़ा
१९१५ .....	.....	.....	१२ "
१९१६ ... .....	.....	.....	१२ "
१९१७.....	.....	.....	१५ "
१९१८-२०.....	.....	.....	२० "

इस मुनाफेके अलावा सन् १९२० में ४० लाख रुपया हिस्सेदारोंमें बाट दिया गया था। इन अङ्कोंसे एसोसियेटेड प्रेसके मुनाफेका अन्दाज लगाया जा सकता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार पत्रों द्वारा स्थापित तार कम्पनीके विटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इन्हलैण्डके समाचार पत्रोंने अपनी समाचार-समिति स्थापित की। इस समितिकी नियमित स्थापना १८६८ में हुई और इसका नाम प्रेस एसोसियेशन डाला गया। यह समिति वहाँ के प्रांतीय समाचार पत्रोंको समाचार भेजती रहती है। किन्तु लन्दनके समाचार पत्रोंको नहीं भेजती। इसका कारण यह है कि लन्दनके समाचार पत्र स्वतः ही इससे समाचार लेना नहीं चाहते। अमेरिका के एसोसियेटेड प्रसकी भाति—इसके सदस्योंकी सख्ता परिमित नहीं है। यह किसी भी समाचार पत्रको अपना मेम्बर बना सकती है, सख्ताका कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जितने पत्र चाहें इसके मेम्बर बन सकते हैं। यह संस्था इन्हलैण्डकी सबसे अधिक लोक-प्रिय समाचार-समिति बन रही है।

भारतवर्षमें सबसे पुरानी समाचार-समिति एसोसियेटेड प्रेस है। कहते हैं कि पहिले भारतवर्षमें समाचार सकलन के काम पर “पायनियर” ने एकाधिपत्य-सा स्थापित कर लिया था। उसका ब्रह्म रिपोर्टर-मण्डल देशके विभिन्न स्थानों में रह कर काम किया करता था। धीरे-धीरे अन्य पत्रोंने पायनियरके साथ प्रतिस्पद्धमें सफल होने के विचारसे गुट बांध कर समाचार सकलनका काम शुरू किया। यह समाचार-समितिका सूत्रपात था। स्वर्गीय श्री के० सी० राय इस

रामितिके प्रधान कार्यदर्ता थ। जब यह गमिति नल निश्चयी, तब इहते हैं कि श्री के० सो० राय गहोट्यने गमितिहा पूर्णसामिल तत्त्व किया। अन्यान्य सदस्योंको यह स्वीकार नहीं था। इलिये रायगहोट्यने बलग से एक समिति उस समितिको नीचा दिनांके मिनारसे स्थापित की। इससे पहिली गमितिके डाइरेक्टर कुछ घबड़ये और उन्होंने गय साइबरी शांत भजूर कर ली। तब राय गहोट्य फिर पहली समितिमें आ गये। यही गमिति एगोस्टियेटेट प्रेसके नामसे प्रसिद्ध हुई। एगोस्टियेटेट प्रेस यथापि अर्व सरकारी सम्पादक यह कर ही प्रसिद्ध है, तथापि कार्यस्पर्षमें वर्त मिल्डल सरकारी है। उसके द्वाग भेजे हुए समाचारोंमें सरकारी रक्ष सदा चाह रहता है। सार्वजनिक दृष्टिकोणसे इस कम्पनीके समाचार प्रकाशित नहीं होते, प्रलयुत वे प्रकाशित होते हैं सरकारी दृष्टिकोण से। सरकार की नीति स्वेच्छाचार पूर्ण निखुश शामन-प्रगाली की नीति है। इमलिये इस प्रेसके कर्ताभर्तागण भी उसी नीतिका समर्थन करते हैं। इस मामलेमें वे यहा तक बढ़े हुये हैं कि कभी-कभी वापने सार्वजनिक सेवाभाव तरफो तिलातिल टेकर ऐसी संस्थाओंके समाचार, जो निरक्षित और स्वेच्छाचारका विरोध करती हैं, उन संस्थाओं द्वारा तत्त्वानीय एसोसियेटेट प्रेस प्रतिनिधिके पास भेजे जाने पर भी, भेजना स्वीकृत नहीं करते। इस प्रकारका अन्धेर साता इस संस्था द्वारा भवाया जाता है। फिर भी समाचार-पत्र ऐसी संस्थाओं की कमी होनेके कारण, इससे समाचार लेनेके लिये मजबूर होते हैं। इसमें भी ग्राहकों की सख्त्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फीस अदा करे वही समाचार प्राप्त कर सकता है। इस संस्थाके सम्बन्धमें कहा जाता है कि कुछ दिनोंसे इसका प्रबन्ध राइटर कम्पनीके हाथोंमें आ गया है। और भारतवर्षके समाचार इसी कम्पनी की मारकत राइटरके पास पहुंचते हैं। इसका प्रधान कार्यालय शिमलामें है और देशके प्रायः प्रत्येक शहरमें इसके प्रतिनिधि रहते हैं जो घब्बके समाचार एकत्र कर सब समाचार-पत्रोंको भेजते रहते हैं।

जार कहा जा चुका है कि यह संस्था नितान्त सरकारी संस्था है। इसलिये खास प्रकारके समाचार यह संस्था ऐसे भ्रमात्मक या अस्पष्ट ढंगसे भेजती है जिससे वस्तुस्थितिका ठीक पता ही नहीं लगता। यही हाल राइटर साहबका भी है। उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारोंमें भी यही हाल होता है। मुश्किल से कोई समाचार साफ निकलेगा। अन्यथा विदेश सम्बन्धी वास्तविक घातोंको जाननेके लिये हमें दूसरे साधनों पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है और उन साधनोंके सुलभ न होनेके कारण विदेश सम्बन्धी हमारा अधिकांश ज्ञान अद्यूरा ही रहता है। ऐसोसियेटेड ईस की कृपासे अपने देश सम्बन्धी ज्ञान की भी यही हालत है, किन्तु देशमें दूसरे साधन उतने दुर्लभ नहीं होते। इसलिये यहां की वस्तुस्थिति छिपती नहीं है। फिर भी जितनी जल्दी और जितनी सुगमतासे चाहिये, उतनी जल्दी और उतनी सुगमतासे हमें सब समाचार नहीं प्राप्त होते। वहुतसे समाचार तो यह कम्पनी प्रशाशित ही नहीं करती, केवल इसलिये कि उनसे सरकारी नीति पर आक्षेप होनेका दर रहता है। उदाहरणके लिए घज्जालके नज़रबन्दों की हालत, अफ़ली कैंदियों की दग्ना आदिके सम्बन्धमें इस कम्पनीके फूटे मुँहसे कभी एक शब्द तक नहीं निकला। परन्तु जहां इस समितिकी वे बुराईयाँ हैं, वहीं नरकारी पक्षपातसे दूने लाभ भी हैं। नरकार द्वी ओरसे तमाम-नुविधाएँ इस समितियों दी जाती हैं। समाचार—जान तौरने नरकारी समाचार न्यूने पर्हिले दून समितियों ही मिलते हैं। उनसे दूसरी बातें जो अपने-नरकारी या नरकारी होती हैं, इन समितिके अतिरिक्त और इन्हीं समितियों मिलती रह नहीं है। इसके तार आदि सी अन्य समितियोंसे पहिले

लगे हैं अतः अब अन्यान्य समितियां भी प्रवासमें आ रही हैं। इन सम्बन्धमें श्री एस० सदानन्दका काम निशेष माम से उत्तेजयोग्य है। उन्होंने कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके सहयोगसे १९२५ के जनवरी मासमें एक सामाचार-समिति की स्थापना की थी। इसका नाम 'फ्री प्रेस' रखा गया था। इसके पहिले कांग्रेस न्यूज सर्विसका भी प्रबन्ध तिया गया था। किन्तु वह चलन सकी काम तो स्वतन्त्र हुपने एक 'फ्री प्रेस' का ही सामने आ पाया। इसके मनेजिन एडीटर और संस्थापक श्री एम० सदानन्दजी ही थे। इन संस्थाका प्रधान कार्यालय चम्परें में था। सन् १९२६ के अप्रैल महीनेसे वह संस्था प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनीके रूपमें परिवर्तित हो गई थी। नीतिमें यह कम्पनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती थी। किन्तु कुछ ही दिन बाद इस कम्पनीके सामने कठिनाइयां आयीं। और कुछ तो इसलिये कि इस पर सरकारका कोप था, और कुछ इसलिये कि उक्त सचालक, महोदयने अपने कार्यमें असावधानी और शिथिलता दिखाई। यह कम्पनी सन् १९३४ में टूट गई।

इसके बाद फ्री प्रेसके कलकत्ते के प्रतिनिधि श्रीविभुषण सेन गुप्तने एक अलग समाचार-समिति संगठित की। इसका नाम युनाइटेड प्रेस रखा गया। इस कम्पनीका जन्म १९३४ में हुआ। इसके प्रधान संचालक उपरोक्त श्रीसेनगुप्त महाशय ही हैं और इसमें देशके अन्यान्य बड़े-बड़े महानुभावोंका सहयोग है। इस समिति की नीति भी फ्री प्रेस की नीति की भाँति ही निस्पक्ष है। स्थापनाके समयसे इसने जो कार्य अब तक किया है, वह संतोष-जनक है और समाचार-पत्रों की उन्नतिसे दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके लिये यह कम्पनी सहायता-पात्र है।

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिये। सहायता-पत्र सचालकोंको संगठित होकर भारतवर्षमें तो अपनी एक स्वतन्त्र समाचार-समिति स्थापित ही कर लेनी चाहिये। इसके अलावा विदेशोंमें भी एक ऐसी संस्था

चर्चा करने चाहें जो वहाँके ठीकाठीक समाचार दिया करे। इसमें  
निःसन्देह बहुत बाधाएँ हैं और वह जान भी अलगत हुआ जाए है। किन्तु  
इसकी आवश्यकता है वह निष्पत्र है और इसलिये इसकी पूर्तिका ज्ञान रखना  
भी आवश्यक ही है।

---

## भेट और बात-चीत

समाचार-पत्रोंके लिये जहा रिपोर्टर और सम्वाददाताओं की आवश्यकता होती है, वहाँ भेट करनेवालों की आवश्यकता भी होती है। हमारे देशमें तो अभी भेट करने की प्रथाको उतना प्रश्न नहीं मिला, जितना निलगा चाहिये, परन्तु पाठ्यालय देशोंमें तथा अन्य ऐसे देशोंमें जहाँ पत्रकार-कला की आवस्था काफी उन्नत है, भेट करने की प्रथा सूच प्रचलित है। भेटसे यहाँ पर केवल उस मुलाकातसे मतलब है, जो किसी व्यक्ति-विसेषसे इसलिये की जाती है कि । सार्वजनिक विषय पर उसके व्यक्तिगत विचार जाने जायें। किसी व्यक्तिके निजी स्वार्थके लिये की जानेवाली भेट, जिससे सार्वजनिक हितका कोई

सम्बन्ध नहीं होता, पत्रकार-कलाका विषय नहीं है। भेट करनेवालेका काम रिपोर्टर और सम्बाददाताओंके कामसे भिन्न है। रिपोर्टर और सम्बाददाता तो विशेष समाचारके सम्बन्धमें एक ही व्यक्तिकी नहीं, अनेक व्यक्तियों की बातोंका सम्बन्ध करके उस सम्बन्धमें अपना निष्कर्ष निकाल कर समाचार-पत्रोंमें प्रकाशनार्थ भेजते हैं। भेट करनेवाला कर्मचारी केवल एक व्यक्तिकी बातका पता लगाता है और पत्रमें केवल यह लिखता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समाचार या विषयके सम्बन्धमें अमुक विचार रखता है। रिपोर्टर बाह्य बातोंका अन्वेषण करता है, भेट करनेवाला अभ्यन्तरकी बात ढूँढ़कर सामने रखता है। इन दोनों कार्योंमें काफी अन्तर है।

भेट करने की प्रथाका जन्म क्यों हुआ, समाचारोंका पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने पर भी लोग व्यक्ति-विशेषके विचारोंको जाननेके लिये क्यों लालायित हुए आदि प्राश्नोंका कोई प्रामाणिक और निश्चित उत्तर न होने पर भी, जहां तक मालम होता है, इस प्रथाके जन्मका कारण यही होगा कि मनुष्य-मनुष्यसे अधिक दिलचस्पी रखता है और बाहरी बातोंके जाननेके बाद भी उसके जीमे यह इच्छा अवश्य रहती है कि व्यक्ति-विशेष इस सम्बन्धमें क्या विचार रखता है। सम्भवतः इसी दिलचस्पीने भेट करने की प्रथाको जन्म दिया।

भेट करने की प्रथा कैसे शुरू हुई और कबसे शुरू हुई, इस सम्बन्धका अन्वेषण करनेसे मालम होता है कि पहले भेट केवल किसी समाचारके सम्बन्धमें व्यक्तिविशेषके विचार जाननेके लिये की जाती थी। इस प्रथाको 'न्यूयार्क-हेराल्ड' ( अमेरिका ) के समालकने सन् १८५९ में पहले-पहल जन्म दिया था। उस समय केवल समाचार जाननेके लिये इस प्रथाका पालन किया जाता था। पहले रिपोर्टर या सम्बाददाता ही इस कामको कर लेते थे। धीरे-धीरे कार्योंका विभाजन हुआ। जो कर्मचारी भेट करने की क्षियामें चतुर थे, वे केवल इसी कामके लिये ही रखे गये। इस प्रकार इस प्रथाने प्रोत्साहन मिला। तत्पश्चात् लन्दनके 'रिव्यू ऑफ रिव्यूज' नामक पत्रके कर्ताधर्ता मि० स्टेन्डने

प्रथाको बहुत ही अधिक ऊचा उठा दिया। उन्होंने परिपाठीमें एक नई धारा ही बढ़ा दी। वे केवल समाचार जाननेके लिये किसीसे भेंट करनेके पदभानी न थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विशिष्ट व्यक्तियोंके विचार प्राप्त करना और उनको अपने पत्रमें रोचक टहसे प्रकाशित करना शुरू किया। मनुष्य-भनुष्यने दिलचस्पी रखता ही है। उन वर्गोंको 'रिव्यू ऑफ रिव्यूज' के पाठक बड़े चान से पढ़ने लगे। मि० स्टेटकी बड़ी स्नाति हुई। अब जो आठमी इन्हें जाय, उसीसे भेंट करना और उग्रके मनोरंजक विचार जान वर उन्हें उनी रोचक टहसे अपने पत्रमें प्रकाशित करना, उन्होंने अपना नियमित कर्तव्य-सा बना लिया। उनके इस उदाहरणसे भेंट करने की प्रथारी बड़ी उपति हुई। अब तो विटेशो में शायद ही कोई ऐसा प्रभावशाली पत्र होगा, जिसके कार्यालयमें चतुर भेंट करनेवाले कर्मचारियोंका एक समूह न हो। अब भेंट करनेके उद्देश्यमें भी अन्तर आ गया है। अब किसी समाचारके सम्बन्धमें किसी व्यक्तिके विचार जाननेके उद्देश्यसे बहुत ही कम भेंट की जाती है। आगकल तो किसी विशेष विषय पर व्यक्ति विशेषके विचार जाननेके लिये ही अधिकतर भेंट की जाती है।

भेंट अधिकाशमें साधारण कोटिके लोगोंसे नहीं की जाती। वह की जाती है ऐसे आदमियोंसे, जो अपने कारनामोंके लिये या तो !बदनाम होते हैं, या अपने सत्कार्योंके लिये प्रसिद्ध। जो हुआदमी जितना बदनाम या प्रसिद्ध होता है, उससे उतनी ही अधिक भेंट की जाती है, इन लोगोंके विचारोंमें कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य रहती है। लोग उसी विशेषताको जानता चाहते हैं। इसीलिये इनसे भेंट की जाती है। किसी विशेष विषयके पण्डितसे या किसी विशेष महत्वपूर्ण समाचारके विशेषज्ञातासे भी भेंट की जाती है, ताकि उसके अध्ययन किये हुए उस विषयके अध्यवा उस समाचारके सम्बन्धमें उसके विचार मालम हों। कुछ लोग केवल दूर देशसे आनेके कारण ही भेंट करनेके योग्य मान लिये जाते हैं। किसी नये स्थानमें जानेवालोंके नये-नये विचार ज्ञानने की

इच्छा होना, उस स्थानके निवासियोंके लिये सामाजिक ही है, इसलिये दूर देशका यात्री नेकनाम या बदनाम हो चाहे न हो, हर हालतमें भेट करनेका पात्र माना जाता है। और यदि वह नेकनाम या बदनाम हुआ, तब तो भेट करनेवालोंके मारे उसकी नाकमें दम आ जाता है।

भेट करनेका काम बड़ा कठिन होता है। किसीके मननी वात खोज निकालना आसान नहीं। साथ ही भिन्न-भिन्न शौल-व्यसनके व्यक्तियोंके साथ सफलतापूर्वक वात-चीत कर लेना भी आसान काम नहीं है, इसलिये अज्ञरेजीमें यह कहा जाता है कि भेट करनेवाले पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते (Interviewees 810 born, not made)। परन्तु यह वात ठीक ही है, यह मैं नहीं मानता। वैसे तो जो प्रतिभासम्बन्ध और अलौकिक शक्तिके मनुष्य होते हैं, उनके कायोंकी बराबरी किसी विषयमें नहीं की जा सकती। यदि इसीके आधार पर पैदा होने और बनाये जाने की वात कही जाय, तो संसारमें कोई विषय ऐसा न मिलेगा, जिसके सम्बन्धमें यह न कहा जा सके कि उसके करनेवाले पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते। परन्तु ; हमें तो साधारण कर्मचारीके गुणों और कायोंसे इसका निरीक्षण करना चाहिये। उस प्रकार देखनेसे यह सहज ही माना जा सकता है कि भेट करने की कुशलता भी अग्यास-द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भेट करनेवाले कर्मचारीके लिये जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उनमें नवसे अधिक महत्वपूर्ण गुण हैं भनोविज्ञानकी जानकारी तथा वाक्यपटुता। किस आदमी का स्वभाव कैसा है, किस प्रकारसे वातें करनेसे वह अधिक प्रसन्न होता है, कहा उनने लगता है यादि वातें भनोविज्ञान की जानकारीसे सम्बन्ध रखती हैं, और फिर उनके अनुरूप वात-चीत कर सकना वाक्यपटुताम् काम होता है। भेट करनेवालेसे तो विभिन्न स्वभाव-गुणके मनुष्योंसे मिलनेके प्रसन्न पढ़ते हैं, अतः उनसे दृष्टि सावधानी और चतुरताके साथ वात-चीत करनी पढ़ती है। किस प्रकारके नमुन्योंको किस प्रश्न नज़ीर रखा जा सकता है, वह बातनें उन्हें पूछा दृश्य होना चाहिये। उसे व्यवहारमें इतना तिट्ठ और वात-चीतमें इतना नधुर होना

चाहिंगे कि उससे बात-चीत करना लोग अपने मुरारा पिल नम्हें। भेंट करनेवालोंके काममें ऐसे प्रमग भी आते हैं, जब उन्हें वर्ण ( Interviewee ) को मनुष्ट रखनेके लिये अपने मनके भावोंसे छिपाना पड़ता है, इन्हाँसे उनमें इतना धैर्य और इन्हीं चतुरता होनी चाहिये कि कि अपने इदरके भावोंसे चालानीके गाथ छिपा नहें। भाषा और शाहिलरा गान्धण इन भी भेंट करनेवालेके लिये आवश्यक होता है। युगोंता यह दरेगा केरल सामान्यरूपसे निया गया है। उनकी प्रायः हर प्रकारकी भेंट बरनेवालोंको आवश्यकता रखती है। वैसे विशेष-विशेष विषयके लिये भेंट करनेवालोंको इन युगोंके अतिरिक्त अन्यान्य गुणों की आवश्यकता भी पड़ती है, जिनका सम्मुर्ग वर्णन करने की यह आवश्यकता नहीं।

भेंट करनेवालोंके लिये सप्तसे वरे दुर्गुणकी बात है अधीर होना। वे किसी से मिलने जायें। उसे उस समय फुरसत न हो, उन्हें फिर जाना पड़े, वा वहाँ थोड़ी देर बैठना पड़े, तो भेंट करनेवाले कर्मचारीके लिये यह वहा अहितकर होगा कि वह अधीर हो उठे। इसके दो कारण हैं; एक तो यह कि इन प्रकार की अधीरतासे वह अपने मनकी शान्ति रो देगा, जिसके कारण बात-चीतमें सफल होना कठिन हो जायगा। दूसरे उसकी अधीरतासे वज्ञा ( Interviewee ) को भी क्षोभ होगा, और वह उचित उत्तर देनेमें आना-कानी कर सकता है। ऊबनेका एक प्रसंग और भी आ सकता है। वह उस समय, जब भेंट करनेवाले की बातका ठीक-ठीक उत्तर नहीं मिलता। ऐसे अवसर पर चिङ्गचिङ्गाना, ऊबना या धैर्य खो देना, भेंट करनेवालेके दुर्गुण हैं। उसे तो निर्विकार होकर उस समय तक शान्तिपूर्वक बात-चीत करते रहना चाहिये, जब तक उसको वे सब बातें मालूम न हो जायँ, जिनके लिये वह बात-चीत करने आया है। चिङ्गचिङ्गाकर उत्तेजनापूर्वक बात-चीत करनेसे अथवा ऊबकर अधूरी बात-चीत करके ही चल देनेसे काम नहीं चल सकता।

अपर कहा जा चुका है कि भेंट करनेवालेको विभिन्न प्रकारके मनुष्योंके सम्पर्क

में आना पड़ता है। उन सब प्रकारके मनुष्योंके भेदका वर्णन करने की यहां आवश्यकता नहीं। सामान्य रूपसे वक्ताओं(Interviewees)के जो भेद हो सकते हैं, उनमेंसे मुख्य ये हैं। कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं, जो ठीक-ठीक उत्तर देते हैं। उनसे भेट करना बहुत सरल होता है। कुछ ऐसे होते हैं, जो या तो बहुत अधिक बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं। इन दोनों प्रकारके लोगोंसे बात चीत करना जरा कठिन होता है, परन्तु थोड़ी धीरतासे काम सध जाता है। होना यह चाहिये कि जो अधिक बोलते हैं, उनकी सब बातें ध्यानसे सुन ली जायें और उनमेंसे जो अपने प्रथरसे सीधा सम्बन्ध रखती हों, उनको ध्यानमें रखा जाय या टीप लिया जाय, अन्य सब बातोंको अनसुनी करके टाल दिया जाय। जो कम बोलते हैं, उनसे जब तक अपने प्रश्नका पूरा उत्तर न मिल जाय, तब तक एकके बाद एक प्रश्न किया जाय, और जो उत्तर मिले, उसे ध्यानमें रखा जाय। इसी रीतिसे काम आसानीके साथ सध सकता है।

भेट करनेवालोंके लिये एक कठिन प्रसंग और भी आता है। वह उस समय, जब वे दूर देशके यात्रीसे मुलाकात करने जाते हैं। ऐसे यात्रियोंमें उनकी चर्चा छोड़ दीजिये, जो प्रसिद्ध या बदनाम होते हैं, क्योंकि उनके सम्बन्धमें कोई ऐसी उत्तेजनायोग्य कठिनाई नहीं पड़ती। कठिनाई पड़ती है उन लोगोंसे भेट करनेमें, जो प्रसिद्ध या बदनाम न होते हुये भी केवल दूर देशके होनेके कारण महत्वके होते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें बाल्तवमें भेट करनेवाला अधिक नहीं जानता, इसलिये उनके उपयुक्त तैयारी करके जाना भी भेट करनेवालेके लिए कठिन ही हो जाता है। ऐसी अवस्थामें तो भेट करनेका विषय भी नहीं- सही नहीं तुना जा सकता। विना किसी तैयारीके जाना होता है और वहीं पर प्रसन्नामार तैयार होना पड़ता है। इस समय भेट करनेवाले की विद्वत्ता, बहुज्ञता और व्यवहार-कुशलता ही काम आती है। यदि इस प्रकारके अवस्थर पड़ जायें और परलेने किसी विषय की बात सोची हुई न हो, तो अनुमान ने योई विषय तुकर दान-चीत प्रारम्भ कर देनी चाहिये। बीचमें ज्यों ही

मालूम हो कि इस विषय से बचाना अनुग्रह करी है, लोंगी उमे डोइ एक विषय लेना चाहिये, जिसने उमे धनुग्रह हो। यदि भेंट करनेवाला कर्मचारी हो गियार हुआ, तो डो-एक गतालगे ही वह बजा ही रहिता रियर दृढ़ निकालेगा। इस प्रकार याना रांगान केनेमें उमे वारित कठिनाई न पाएगी। मदभागो कर्मचारी तो बिना यान-चीत हिंगे हुये भी यां पां लगा मत्तने हैं कि अनुक व्यक्ति किस विषयसे अनुग्रह रखता है।

भेट करनेहें लिये जानेमें इनी विशेष वाय तंयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ध्यान बादश रखना चाहिये कि अपनी पोशाक माफ-सुधरी और गले थादभियोंकी-सी हो। साथमें कागड़-बिलकु दोना तो सामाजिक ही है। यदि हो सके, तो एक कंभरा भी साथमें हो लेना चाहिये, ताकि बचाना निव्र लिया या सके। भेटके वर्णनके साथ बचाना निव्र निश्चल जानेमें वर्णन अधिक रोचक हो जाता है। भेट करनेवाले कर्मचारीको जहाँ अन्यान्य बातें सीरानी होती हैं, वही फोटोग्राफीका जान होना भी आवश्यक है। बाजकल तो निव्र देनेकी चाल और भी अधिक चल पड़ी है।

भेट करनेवालेके लिये समयना स्थाल रखना एर प्रकारसे आनंदवान् है। उसे सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि न बचाना समय व्यव जाने पावे, न अपना। बात-चीत इसनी सीधी और इसनी सरल हो कि थोड़े-से-थोड़े समयमें अपना मतलब सिद्ध हो जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस विषय पर बात-चीत करनी हो, उस विषय की तथा जिससे बात-चीत करनी है, उस व्यक्ति की अधिक-से-अधिक बाते भेंट करनेवाला कर्मचारी पहले ही से मालूम कर ले। जो कुछ उसे स्वयं पहले मालूम हो, उसे स्मरण करके, न मालूम होने पर उस विषय की पुस्तकें पढ़कर समाचार-पत्र पढ़कर, अपने मित्रोंसे पूछकर—जिस तरह बने, उस विषयका अधिक-से-अधिक ज्ञान प्राप्त करके भेट करनेवाला बचा के पास जाय। हो सके तो पहले ही सोचकर एक प्रश्नावली भी तैयार कर ले, जिसके आधार पर बात-चीत की जाय। प्रश्नावली तैयार करनेमें और वैसे भी

यह ध्यान रखना चाहिये कि कम-से-कम प्रश्नों और थोड़े-से-थोड़े समयमें वक्ताके विचार मालूम हो जायें। समयका खयाल एक और अवसर पर भी करना बड़ा जहरी होता है; वह है मिलनेका समय। जिस वक्तासे जो समय निश्चित किया जाय, उसके पास ठीक उसी समय पहुँचना अत्यन्त आवश्यक है। जिनके पास कम होता है—और वक्ताओंमें अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की होती है—उनके लिये समय की पावन्दी निहायत जहरी होती है। एक-एक मिनटका उनके पास हिसाब रहता है और प्रत्येक मिनट एक विशेष कार्यके लिये पहले ही से निर्दिष्ट रहता है। ऐसी अवस्थामें यदि भेंट करनेवाला अपने निर्दिष्ट समय पर नहीं पहुँचा, तो इस बातकी बड़ी आशङ्का रहती है कि वक्ता उस समयके बाद किसी दूसरे कार्यमें लग जाय और उस समय भेंट करनेवालेको अपना काम किये चिना ही वापस आना पड़े। समय पर न पहुँचनेमें एक बात यह भी होती है कि वक्तापर भेंट करनेवाले कर्मचारी तथा उसके पत्रका प्रभाव भी उलटा पड़ता है, जिससे उसकी या उसके पत्रकी अपकीर्ति होती है। इन बातों पर विचार करनेसे मालूम होगा कि समयका खयाल रखना नितान्त आवश्यक है। समयके खयालके साथ-ही-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि बात-चीत करते समय अपनी बातें और अपने व्यवहारोंमें इतनी रोचकता रहे कि वक्ताका जी न अबै। जब तक बात-चीत हो, वक्ता तरोताज्ञा ही मालूम होता रहे। जो बात-चीत हो, उसे ध्यानपूर्वक सुनना तथा उसे स्मरण रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। यदि स्मरणशक्ति बहुत अच्छी न हो, तो बातें सक्षेपमें लिखी भी जा सकती हैं, परन्तु इस प्रकार बातोंको टीपते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि यह किया इतनी अधिक न हो जाय कि बात-चीतमें बाधा पड़े। एकआध शब्दके इशारेसे जल्दी-से-जल्दी बात लिख लेना ही अभीष्ट है। इसका यह अर्थ भी न समझना चाहिये कि वक्ताकी कोई बात पूरी लिखी ही न जाय। प्रसगवश आये हुए बात-चीतके खास-खास अंश, वक्ताका कोई महत्त्वपूर्ण वाक्य अथवा वक्ताका यदि कोई तकियाकलाम हो, तो वह

ज्यों-कान्यों लिपा रेता नाहिये। ये बांगे वर्णन लिखते नमस वहे कामरी होती है, जसे वर्णनमें रोनकता आ जाती है।

वर्णन स्थूल स्पष्ट से दो प्रकारमें लिपा जा सकता है; एक तो प्रश्नोत्तर ( Dialogue ) के स्पष्टमें, दूसरा नियन्त्र ( Protagonist ) के स्पष्टमें। पहले उन्हें लिखनेमें भेट करनेवाला जो प्रश्न करता है तथा उसका उक्तरे क्षण जो उनका मिलता है, वह ठीक उसी त्वयमें लिपा जाता है। यह उत्तर अधिक घटित है। इसमें दूर बातकी बही ज़मरत होती है नि प्रश्नों और उत्तरोंके ठीक-ठीक शब्द उद्धृत लिये जायें। अपने प्रश्नोंके ठीक-ठीक शब्द नाहे याद भी रख जायें, पर उत्तरोंके सब शब्द याद रखना एक प्रकारसे अमन्ना होता है, और यदि इस टाजमें ठीक-ठीक शब्द न दिये जा नहे, तो इस प्रणालीका नाम भरत्य नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकारका वर्णन उक्तरे भावोंके प्रतिकूल भी हो सकता है, इसलिये अधिक चुनिधारी बात यह है कि वर्णन लिखनेमें दूसरी प्रणालीका अनुसारण किया जाय। वर्णन नियन्त्रहृष्टमें लिखा जाय, इस प्रकार के वर्णनमें उक्ताने कौनसे शब्द करें, उनपर अधिक ध्यान न देकर उनके हृत्यके क्या भाव थे, यह प्रकृट करनेपर अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हों, उन्हें इस प्रकारके वर्णनमें भी प्रश्नोत्तर स्पष्ट देना चाहिये।

भेटका वर्णन लिखना बड़ी जिम्मेदारीका काम है। यदि वह खलत हुआ, तो जनता भ्रममें पढ़ सकती है और उससे भेट करनेवाले कर्मचारी, वक्ता जनता तथा उस पत्रका अहित हो सकता है, जिसमें वह वर्णन प्रकाशित हो। भेटका विषय पत्रका अपना निजी विषय होता है। समाचार की रिपोर्टों की भाँति वह सब पत्रोंके लिये समान नहीं होता, इसलिये जिस प्रकार भिज्ञ-भिज्ञ पत्रोंमें पढ़कर समाचारों की सच्ची बात मालूम की जा सकती है, उस प्रकार भेटकी सच्ची बात मालूम करनेका कोई उपाय नहीं है। भेटकी बात तो जो किसी पत्रमें लिखी गई, वही प्रमाण मानी जाती है, इसलिये भेटका वर्णन लिखना

अधिक महत्वकी बात है। यदि प्रमादवश भेट करनेवाले महाशयने वर्णनमें गलती की, तो वह औरेंके लिये भी अन्याय की बात होती है, और वक्ताके प्रति तो बहुत ज्यादा अन्याय होता है, इसलिये भेटके वर्णनमें खूब सोच-समझ कर तौल तौलकर शब्द लिखने चाहिये। लिख जानेके बाद खूब सावधानीके साथ अपने वर्णनको दोहरा लेना चाहिये, ताकि कोई गलती न छूट जाय। इस प्रकार ध्यानसे लिखा हुआ और खूब सावधानीके साथ दोहराया हुआ वर्णन प्रामाणिक और उपयोगी तथा भेट करनेवाले कर्मचारी और उसके पत्रकी कीर्तिको बढ़ानेवाला होगा।

---

## लेख और लेखक

लेख और लेखक शीर्षक किंशित् व्यापक है। इससे पुस्तकोंमें लिरो जानेवाले, नोटिस आदिसे लिखे जानेवाले, समाचार-पत्रोंमें लिरो जानेवाले शादि अनेक प्रकारके लेखों और उनके लेखकोंका घोध हो सकता है। इसलिये यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यहां पर लेरा और लेराक शीर्षक केवल समाचार-पत्रोंमें लिसे जानेवाले और उनके लेखकोंको लक्ष्य करके लिरा गया है। समाचार-पत्रोंमें, विषय-भेदके अतिरिक्त, लेख दो प्रकारके होते हैं। एक अथवा सम्पादकीय लेख और दसरे विशेष लेख। दोनों प्रकारके लेख सम्पादक द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, और सम्पादकके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति

द्वारा भी। हिन्दी समाचार-पत्रोंमें अधिकांशमें—प्रायः सदैव—अग्रलेख सम्पादक द्वारा ही लिखे जाते हैं। किन्तु विदेशोंमें, जहाँ पत्रकार-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, विशेष व्यक्तियों द्वारा भी अग्रलेख लिखाये जाते हैं। वहाँके दैनिक पत्रोंमें तो दूसरे व्यक्ति अग्रलेख लिखते ही हैं; क्योंकि दैनिक-पत्रोंमें सम्पादकको दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं कि उन्हें लेख आदि लिखने की फुरसत ही नहीं मिलती। यही हाल विशेष लेखोंका भी है। वे भी सम्पादकीय या गैर-सम्पादकीय, दोनों प्रकारके हो सकते हैं। अग्रलेख सम्पादकीय स्तम्भोंमें अर्थात् समाचार-पत्रके उच्च स्थान पर दिया जाता है, जहाँ सम्पादक अपने विचार प्रकट करता है। यह समाचार-पत्रोंका प्रमुख स्थान होता है। इसलिये इस स्थान पर प्रकाशित लेख मुख्य लेख भी कहलाता है। अग्रलेख और मुख्य लेख, दोनों शब्द एक ही अर्थके बोतक हैं। विशेष लेख प्रमुख स्थानके अतिरिक्त समाचार-पत्रके अन्य स्थानमें प्रकाशित किया जाता है। इन लेखोंमें एक अन्तर और भी होता है। वह यह कि अग्रलेखका विषय विशेष लेखकी अपेक्षा ताल्कालिक राजनीतिसे अधिक सम्बन्धित होता है। विशेष लेखमें हम यह आशा करते हैं कि उससे हमें तद्रिष्यक अधिक बातें जाननेको मिलेंगी। विशेष लेखके लेखकको इस बातकी ओर ध्यान भी देना चाहिये। किन्तु; मुख्य लेखके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। उसमें तो, पत्रके छेड़ दो काल्मोंमें, विषय की खास-खास बातें आवश्यक जोरदार और सबके समझने योग्य भाषामें लिख देना ही पर्याप्त होता है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि अग्रलेखमें किसी विषय की गूढ़ मीमांसा हो ही नहीं सकती। उनमें भी विषयोंका सविस्तार वर्णन प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथनका तात्पर्य केवल यह है कि यदि ऐसा न भी हो, तो भी अग्रलेखका काम चल सकता है।

उपर्युक्त बातोंके होते हुये भी लेख आविरकार लेख ही हैं। उनमें इस प्रकारका भेद कैसे पैदा हो गया है? यदि किसी भेद की आवश्यकता थी ही,

तो विषय-भेद काफी था, यह स्थान-भेद क्तों पैदा हो गता ? इसका इतिहास बड़ा भनोरुप है। हमारी समाजात्मवन्मन्दनी कला विद्यों की मन्त्रिति है। वहीने हमने उमे लिया है। इनलिये प्रत्येक चातके निर्णय और अनु-सन्धानके लिये हमें पाषाल देशों की ओर देखना पड़ा है। अप्रत्येक शब्द अन्नरेखी 'लीडर' शब्दसे लिया गया है। 'लीडर' का अर्थ है वह, जो आगे हो। इन्हीलिये हमने अप्रत्येक करना शुरू किया। हिन्दीमें तो अप्रत्येक शब्द का इतना ही इतिहास है। किन्तु अन्नरेखी 'लीडर' के साथ कासी दिलचस्प इतिहास जुड़ा हुआ है। यह जान देना आवश्यक है कि 'लीडर' का उचारण 'लेडर' भी किया जा सकता है, और उस अवस्थामें उसका एक अर्थ 'लेडों काला' भी रिक्वा जा सकता है। पहले-पहल समाचार-पत्रोंमें अप्रत्येक नहीं हुआ करते थे। पत्र आदिसे अन्त तक समाचारोंसे ही भरे रहते थे। भीरे-भीरे छान-छास समाचार पहले और दूसरे समाचार बादमें दिये जाने लगे। फिर इन चास समाचारोंके सम्बन्धमें विचार भी उन्हींके साथ प्रलट किये जाने लगे, वे सटिप्पण प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार विचार प्रकट किये गये समाचारोंको अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षण बनानेके विचारसे इनके बीचमें एकके स्थान पर दो-दो लेडोंका ढाला जाना शुरू हुआ। इससे ये समाचार लेडर कहे जानेके पात्र हुये। फिर ये लीडर कैसे कहाने लगे, इस सम्बन्धमें मालम यह होता है कि पहले ये लेडर ही कहाते थे। किन्तु बादमें अप्रता चरितार्थ करनेके विचारसे ये लीउर कहे जाने लगे। विशेष लेटोंके सम्बन्धमें ऐसा कोई इतिहास नहीं है। वे किसी विषयको अधिक स्पष्ट करने या किसी आन्दोलनका प्रचार आदि करनेके लिये यों ही प्रकाशित किये जाते हैं।

दोनों प्रकारके लेखोंके—अप्रत्येक और विशेष लेखके—दो भेद और भी होते हैं। कुछ लेख विचारात्मक होते हैं, और कुछ वर्णनात्मक। विचारात्मक, लेखों स्पष्ट भाषामें किसी विशेष विषय पर लेखकके विचार प्रकट किये जाते हैं, और वर्णनात्मक लेखोंमें किसी स्थान, उत्सव, यात्रा, आदि विषयोंका वर्णन होता है।

विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेख प्रायः अधिक रोचक होते हैं। जनता उन्हें बड़े चावसे पढ़ती है। यदि वर्णनके साथ-साथ लेखोंमें भाषा-सौन्दर्य और मनोरञ्जक शब्द-योजना की पुट भी हुई, तो ये लेख जनता द्वारा बहुत ही अधिक पसन्द किए जाते हैं। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेखोंमें खुल-खेलनेका मौका भी अधिक रहता है। भाषा सम्बन्धी ज्ञान, शब्द-योजना-चारुर्य, उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंके प्रयोग, कल्पना की उड़ान आदिके प्रदर्शनका जितना मौका वर्णनात्मक लेखमें मिलता है, उतना विचारात्मक लेखमें नहीं। इसीलिये उनमें स्वभावतः अधिक सौन्दर्य आ जाता है, और जनता उन्हें अधिक पसन्द करती है।

इनके अलावा दो प्रकारके लेख और भी होते हैं, एक नामांकित लेख और दूसरे गुप्तनाम या गुप्तनाम लेख। नामांकित लेखोंमें लेखकका स्पष्ट नाम रहता है, और गुप्तनाम या गुप्तनाम लेखोंमें या तो नाम रहता ही नहीं, या कोई कृत्रिम नाम रख दिया जाता है। समाचार-पत्रोंमें, विशेष कर विदेशी समाचार-पत्रोंमें, इनलेखोंके प्रकाशित करनेका नियम यह है कि जो ख्यातनामा लेखक हैं, उनके लेख तो नामके साथ छापे जाते हैं, किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनके लेख गुप्त नाम करके ही छापे जाते हैं। कभी-कभी लेखक स्वयं अपना नाम प्रकाशित नहीं करना चाहता, और उस दशामें प्रसिद्ध-से-प्रसिद्ध लेखकके लेख भी गुप्तनाम ही से छपते हैं। इसलिये गुप्तनामवाले लेख प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध, दोनों प्रकारके लेखकोंके हो सकते हैं। यह दुविधा होनेके कारण गुप्तनाम लेखोंके सम्बन्ध में जनतामें भ्रम और उत्सुकता रहती है, और वह लेखको उसकी घास्तविकता जाननेके लिए पढ़ती है। किन्तु यदि लेख नामांकित हुआ, और नये लेखकका हुआ तो—जनतामें स्वभावतः उसके प्रति उपेक्षा-भाव-सा पैदा हो जाता है, और वह लेखके गुणावगुण विचारे बिना ही, उसे छोड़ देती है। इसलिए नए लेखकोंके लेखोंका गुप्तनाम या गुप्तनाम करके प्रकाशित करना ही समाचार-पत्रोंके लिए श्रेयस्कर होता है। ऐसा न करनेसे पत्रको हानि की आशङ्का रहती है। जनता

में एक ऐसी धारणा रहती है कि नये या प्रतिष्ठानोंमें युछ होता ही नहीं, और यदि किमी पत्रोंसे लगातार नये लेनकों या अप्रतिष्ठित लेनकोंके ही लेसा प्रकाशित होते रहे तो इन बात की आशाहा रहती है कि जनता उन पत्रोंसे मन्दनमन्दमें यह धारणा बना ले कि उन्होंने अचेत लेन ही नहीं होते—जाहे वे नये लेन पुराने लेनकोंके लेनोंसे भी अचेत खो नहीं। जनता को इन धारणाओंका पत्रकी ग्राहक-संख्या और प्रतिष्ठा पर प्रभाव परे बिना नहीं रह सकता। इसलिये पत्रोंको इस सम्बन्धमें उक्त नीतिज्ञ ही अवलम्बन करना चाहिये। इससे नेताकोंका कोई हर्ज नहीं, उस्टे उन्हें भी लाभ ही है। नाम देने पर तो यह आशाहा रहेगी कि नये लेसाक या अप्रतिष्ठित लेनक ममक दर जनता उनके लेनोंको पढ़ने की उपेक्षा कर जाय। इससे उन्हें अपनी योग्यता और गुणोंका प्रदर्शन करनेका मौका ही न भितोगा, जो प्रतिष्ठा-प्राप्तिके सास साधन है। इसके विपरीत यदि नये लेसाक निधित्त उपनाम द्वारा अपने लेसा प्रकाशित करवाते जायंगे, और वे प्रकाशित होकर ख्याति पाते जायंगे, तो थोड़े दिनों बाद वह लेखक सबंध भी ख्यातनामा हो जायगा। हमारे सामने इस प्रकारके उदाहरण भी हैं। श्री प्रेमचन्द, श्री सनेहीजी, आदि इसी प्रकार प्रख्यात हुए हैं। यह प्रया लेखकों और सम्पादकों, दोनोंके लिये हितकर है।

अग्रोख या मुख्य लेन लिलाना समाचार-पत्रका खास काम होता है। किसी विशेष महत्त्व-पूर्ण विषय पर समाचार-पत्रके विचार प्रकट करते हुये लिखे गये सासाहिक-पत्रोंमें दो-ढाई कालम और दैनिक-पत्रोंमें डेढ़-दो कालमके मध्यमूलको अग्रोख या मुख्य लेख कहते हैं। ये लेख सम्पादकीय विचार प्रकट करनेवाली अन्य टिप्पणियोंसे प्रायः लम्बे होते हैं। किन्तु यह कोई नियम नहीं। वे छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकारके लेख, प्रारम्भमें तो, किसी पत्र के एक अङ्कमें एकसे अधिक नहीं होते थे, किन्तु अब यह बात नहीं रही, और

एकही अङ्कमें एकसे अधिक मुख्य लेख भी प्रकाशित होने लगे हैं। हिन्दी तो अभी इस नवीन प्रथाको उतना नहीं अपनाया गया, किन्तु अफ्रेजी

पत्रोंमें यह आम तौरसे जायज हौ गई है। अग्रलेख सम्पादक स्वयं लिखता है या किसीसे लिखता है। विदेशोंमें तो अब यह प्रथा-सी चल पड़ी है कि अग्रलेख प्रायः दूसरे व्यक्तियोंसे, जो उस विषयके, जिसपर लेख लिखना होता है, विशेषज्ञ होते हैं, लिखाए जाते हैं; क्योंकि इससे सम्पादकोंको तद्रिष्यक बहुत परिपक्व विचार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु लेख जैसा लिखकर आता है, वैसा ही छाप नहीं दिया जाता। सम्पादक अपनी नीति और अपने भतके अनुसार उसमें काफी संशोधन, परिवर्तन करता है। इस संशोधन परिवर्तनके कारण कभी-कभी तो नौवत यहा तक आती है कि तभाम लेखका ढांचा इस प्रकार बदल दिया जाता है कि जब प्रकाशित होकर सामने आता है, तब लेखक पहचान तक नहीं पाता कि वह लेख उसीका लिखा हुआ है या किसी और का? इस प्रकार देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरोंसे लिखाने पर भी मुख्य लेखमें सम्पादकका बहुत अधिक हाथ रहता है।

मुख्य लेख और विशेष लेखके लेखकोंमें भी काफी अन्तर होता है। मुख्य लेखके लेखकका उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है। मुख्य लेख की बात पत्र की अपनी बात मानी जाती है, जब कि विशेष लेख की बातें केवल उसके लेखक की ही बातें होती हैं। पत्र की बातका महत्व किसी व्यक्ति की बातके महत्वसे अधिक होता है, और इसी महत्वाधिक्यके कारण उसका उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। विशेष लेखका लेखक जिस बातको जिस रूपमें समझता है, उसको उसी रूपमें लिख सकता है। किन्तु अग्रलेखका लेखक ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने समाचार-पत्रके विचार और उसकी निर्धारित नीतिके अनुरूप ही लेख लिखना पड़ता है। इसके लिये उसे अपने विरोधी भाव ताक पर रख देने पड़ते हैं। उस सम्बन्धमें मुख्य लेखके लेखकका काम उस वकीलका-सा होता है, जो मुकद्दमे की झुठाई जानते हुये भी अदालतमें उसे सच्चा सावित करने की कोशिश करता है। पत्रके भाव और उसकी नीति-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मुख्य लेखके लेखकको यह ज्ञास्त होती है कि वह सम्बन्धित-पत्रको नियमित

रूपसे पढ़ता रहे। विदेश तेज़के तोमाहके गम्बन्धमें यह यान नहीं है। उसके लिये भी इन्हीं जहरत तो होती ही है छि जिग पन्नों वह अपना लेना भेजता चाहता हो, उस पत्रको—इसलिये कि वह निर्य रिता या सके कि पत्र सिस प्रकारके लेना प्रकाशित नहरा है, और अपना जिगा हुआ लेना उस थेणीरा है या नहीं, जिस थेणीके लिए उसमें प्रवाहित होने हैं—अच्छी तरह पढ़ दे। यह, इससे अधिक जानने की ज़म्मत विदेश लेप देखके तोमाहको नहीं होती; सुख तेज़के तोमाहकी भाँति प्रचेक विष्वापर विशेष देहजहके देहातो उस पत्र की नीति जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसके अतिरिक्त एक छोटान्सा अन्तर और होना चाहिये, जो प्रचलित परिपाटीके अनुगाम नहीं होता। वह है 'हम' और 'मैं' शब्दोंके प्रयोग का। प्रायः लेपकगण अपने देशोंमें, जाहे वे सुन्न लेनाहे लिये लिये गये हों और चाहे वैसे ही, एक घरनात्मक 'मैं' शब्दका प्रयोग ब करके वहुवचनात्मक 'हम' का प्रयोग करने हैं। सम्भाव है, यह प्रयोग नेस्तक की गुरुता प्रकट करनेके लिये किया जाता हो; किन्तु इसकी उपयोगिता सर्वत्र उचित नहीं मालूम होती है। समादकीय देश-अप्रलेपनके लिये उसकी उपयोगिता स्वीकार की जा सकती है; क्योंकि उसके विचार पत्रके विचार होते हैं, इसलिये एक वचनके स्थान पर वहुवचनका प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु विशेष लेपके सम्बन्धमें यह प्रयोग राटकता है। अपने आपको 'हम' से दक्षित करना अहम्मन्यता और गर्वका भाव प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई उपयोगिता नहीं। इसके स्थान पर 'मैं' शब्दका प्रयोग करनेसे लेखकका कोई भाव विकृत नहीं हो जाता। फिर रामछा विनीत 'मैं' न लिखकर अभिमानी 'हम' क्यों लिखा जाय? रही गुरुता प्रदर्शित करने की बात। सो वह इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे प्रकट नहीं होती। उसका आधार तो विचार-प्रौढ़ता, भाषा-सौन्दर्य आदि अन्य गुण हैं। 'हम' और 'मैं' वहां पर 'अन्तर बैदा नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने आप मियाँ मिठू अवश्य बन हैं। वस्तु।

लेखक प्रायः तीन प्रकारके होते हैं। एक तो वे, जो किसी पत्र-विशेषको मुख्य लेख लिखते हैं; दूसरे वे, जो लिखते तो किशेष लेख हैं, किन्तु किसी एकही पत्रके लिये लिखते हैं; और तीसरे वे, जो किसी एक ही पत्रके लिये नहीं भिन्न-भिन्न पत्रोंके लिये विशेष लेख लिखते हैं। इनको क्रमशः मुख्य लेख लेखक ( लीडर राइटर ) विशेष-लेख-लेखक ( सेशल कन्फ्री व्यूटर ) और स्वतन्त्र लेखक ( फ्रीलान्स ) के नामसे पुकारा जाता है। इतिहास की दृष्टिसे पहला कर्मचारी ( लीडर राइटर ) बहुत पुराना नहीं है। पत्रकार-कला की काफी उन्नतिके बाद इसका जन्म हुआ है। पहले यह काम सम्पादकके ही ज़िम्मे रहता था, और हिन्दीमें तो अब तक यही हाल है। दूसरेका हाल भी करीब-करीब ऐसा ही है। हाँ, तीसरा अवश्य काफी पुराना है। जबसे समाचार-पत्र अपने नव्य रूपमें प्रकाशित होने लगे, तभीसे स्वतन्त्र तोखकोंका समुदाय पैदा हो चला था और उनके विभिन्न विषयके रोख पत्रोंमें यथा सम्भव स्थान पाते रहे हैं। आजकल भी इस श्रेणीके लेखकोंकी सख्त्या बहुत अधिक है। हिन्दीमें तो प्रायः जितने लेखक हैं, सब इसी श्रेणीके हैं।

तोख लिखनेके लिये तोखको ऐसा विषय पसन्द करना चाहिये, जिससे उसे अधिक प्रेम हो। जिस विषय की ओर जिस की जितनी अधिक स्वाभाविक प्रगति होगी, उस विषय पर वह उतना हीअधिक अच्छा लिख सकेगा। लिखनेके पहले विषय पर खूब विचार कर तोना चाहिये। उसके सम्बन्धके आंकड़े, तथा तत्त्वम्बन्धी अन्य वालाविक घाँतें, अधिक-न्से-अकि किनायों और देखें आदिको अत्यन्त सापेक्षानीके साथ पटकर एकत्र दर देनेके बाद ही लिखनेके लिये ऊपर ढाठानी चाहिये। इन घाँतोंमें जितना अधिक मोचा-विचार और पढ़ा जायगा, तो उस उतना ही अधिक विचार-पूर्ण, नम्मोर दौर सूखनाल होगा। दोरके सम्बन्ध की सब समझे एकत्र दखले, सीधी-सादी भाषामें दिना अतिरिक्तके, अपने भय घर दरने चाहिये। अरेजीमें एक कहावत है—“Short and simple is best.” अर्थात् यही सुनदर है, जो सदा दौर छोटा है। दौरके

सम्बन्धमें यह कहावत युत अधिक चरितार्थ होती है। अनावश्यक भूमिरा-  
पित्तार न करके भीषे अपने शमीष पित्त पर आ जाना दी नेपुरोंके लिये अच्छा  
होता है। छोटे टोरेगे के प्रकाशनमें भी नुसिया होती है। इन बात पर मुद्दा धान  
रखना चाहिये कि जहाँ तक हो गए, सीधी-से-गीधी बातों द्वारा, और उम-  
से-कम अव्वों, अपने भाव व्यक्त किने जाय। लेखकके लिये इन गुण-  
ग्रहण और उनसी उक्ति करना युत शास्त्रार्थ और उपयोगी होता है। एक  
बात पर ध्यान देने की आवश्यकता और होती है। यह यह कि प्रत्येक लेखक  
अपने लिये वया साम्य कोई एहु री विषय नुन ले, और सदा उनी पर पड़ने-  
लिरनेका अभ्यास करे तो और भी अच्छा हो। इससे यह अपने जीवनमें अधिक  
गफलता प्राप्त कर सकेगा। सब विषयोंमें टांग अझाने की अपेक्षा एक विषयको  
ले लेना उसीका अध्ययन करना, और उनी पर लिरना अधिक सफलता प्राप्त करा  
रास्ता है। अब समय यह आ रहा है, ( किमी शारमें आ भी गया है ), जब  
साधारण योग्यता काम न देनी। साधारण शान-प्रदर्शन सफलता की ओर  
पहुँचानेमें उतना सहायक नहीं हो नस्ता। इस समय तो तभी सफलता मिल  
सकती है, जब लेखक किसी विषयमें वासाधारण शानप्रदर्शन करे, और यह तभी  
हो सकता है, जब उपर्युक्त रीतिसे किसी एक ही विषय पर निरन्तर मनन और  
अध्ययन किया जाय। किन्तु हमारे यहाँ उल्टी ही गंगा यहती है। लेखक  
प्रायः प्रत्येक विषयमें टांग अझानेको तैयार रहते हैं। यह अनिष्ट है। लेखकको  
इससे बचनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। इन बातोंके अतिरिक्त लेखकको  
सदैव जागरूक और सावधान रहना चाहिये। मुद्रा और भूतिष्ठ इतना शान्त  
रखना चाहिये कि विकार पैदा ही न होने पावे और विवेक शक्ति, उत्तरदायित्व  
की भावना आदिको सदा अपनाये रहना चाहिये। लेखकमें यह समझने की  
शक्तिका होना आवश्यक होता है कि किस समय पर किस प्रकारका और किस  
विषयका लेख जाना चाहिये। बैसुरा और असामयिक राग अलापना  
निष्प्रभाव और व्यर्ध होता है। लेखकको प्रेस और समाचार-पत्र सम्बन्धी  
साधारण बातें जानने की भी आवश्यकता होती है।

लिखनेके पहले लेखका एक ढाँचा तैयार कर लेना चाहिये । कहनेका तात्पर्य यह कि लेख सम्बन्धी खास-खास बातें स्मरणके लिये कागज पर लिख ली जाया करें और इस प्रकार स्मृति-पत्र तैयार हो जानेके बाद ही लिखना प्रारम्भ किया जाया करे । प्रायः लेखके तीन भाग होते हैं—प्रारम्भ, मध्य, अन्त । आरम्भ में जिस-विषय-पर कुछ लिखना हो, उसे समझाना चाहिये, माथ्यमें उसके पक्ष या विपक्षमें तर्क-वितर्क करना चाहिये, और अन्तिम भागमें उक्त तर्क-वितर्कके बाद लेखक जिस निर्णय पर पहुंचा हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिये । इस सब क्रियामें आदिसे अन्त तक विचार तारतम्यका निर्वाह करना बहुत आवश्यक होता है । यह कार्य किञ्चित् कठिन है, और इसके लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है । प्रारम्भमें लेखक विचार-प्रवाहके साथ वह कर इधर-उधर हो जाते हैं; किन्तु धीरे-धीरे अभ्यासके साथ-साथ ज्यों-ज्यों संयम आता है, ल्यों-ल्यों उनके विचार-प्रवाहका नियन्त्रण भी ठीक-ठीक होता जाता है, और विचार तारतम्य की रक्षा भी होती जाती है । सामयिक विषयों पर लेख लिखना अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन काम होता है । नित्य परिवर्तित होनेवाली परिस्थितिमें किसी विषयका प्रतिपादन करना स्वभावसे ही सरल नहीं होता । उसके लिये परिस्थितिका ज्ञान समय की परख दूर-दर्शिता आदि गुणों की बहुत आवश्यकता होती है । हर प्रकारके लेखोंमें लेखके अनुसार विषय की जमीन ( 'Back ground' ) तैयार कर लेनी चाहिये । जिस प्रकार चित्र पटल पर अनुकूल रङ्ग की जमीन बनाकर चित्र बनानेसे चित्र अधिक शोभित होता है, उसी प्रकार विषय की जमीन बनाकर लिखना भी अच्छा होता है । विषय की जमीन उसकी सबसे पहिली अवस्था है । पहिली अवस्था की जमीन पर वर्तमान अवस्थाका खोंचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित करनेमें अधिक सफल होगा । इसके विपरीत यह न दिखला कर कि पहिले उसकी अवस्था क्या थी, केवल वर्तमान अवस्थाका वर्णन किया जायगा तो विषय की महत्ता उतनी स्पष्ट न होगी ।

निवन्धनन्दना-गम्भन्नी विशेष चानोंमा उरेग करता है एवं पर्यायोंका उद्देश्य नहीं है। इसलिए तदियाहु निस्तृत निनदा यी आवश्यकता नहीं। तभारि उन सम्बन्ध की उठ गाग-गाम चानोंमा उरेग कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे प्रधान चान जो इन सम्बन्धमें ध्यान रखने की हुई कह है विराम चिन्हों वी। हिन्दीमें विग्रह चिन्होंके प्रति अविहाँशमें उपेक्षणी की जाती है। गहर आवश्यकीय है। आवागिक्लक्षिमें विराम निर्देशों जितनी अनिक गहरायता मिलती है, उतनी कमी-रभी गद्देमें भी नहीं मिलती। जहां पर भाव-मालाका कोई छोटान्ना अन्तर्भी गमात होता हो, वहां अन्य-विराम ( कामा— ), जहां तोरे विशेष अन्तर्भी गमात होता हो, वहां अर्द्ध विराम ( सेमी-होलन— ), जहां भाव माला की पूर्ण समाप्ति होती हो, वहां पूर्ण विग्रह ( फुलस्ट्राप—। ) देकर तथा प्रश्न वाचक वाक्योंमें प्रध विड ( नोट थाफ इनटरोगेशन—? ) लिख कर, आधर्य-भूनक वाक्योंमें आधार-निर

मार्ह थाफ एसस्ट्रेशन—। ) लिख कर उसीसे उत्तर दिये गये विशेष वाक्योंको इनवर्टेड कामज ( “ ” ) के अन्दर बन्द करके और असम्बन्धित वाक्यों को, विषयके स्पष्ट करनेके विचारसे जिनके लिखने की आवश्यकता पड़ जाय, नैकेट ( ” ” ) के अन्दर बन्द करके अपने भाव जितनी सरलता सुविधा और स्पष्टताके साथ व्यक्त किये जा सकते हैं उतनी रारलता सुविधा और स्पष्टता इन चिन्होंके बिना नहीं आती। दूसरी बात जिसपर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है र्हण-विन्यासके सम्बन्ध की है। हिन्दीमें एक यह ऐब है ( यद्यपि कुछ विद्वान् इसको ऐब नहीं मानते ) कि उसमें अनेक शब्द ऐसे हैं, जो भिज-भिज प्रकारसे लिखे जाते हैं। जैसे कोई परतु लिखता है कोई परन्तु ; कोई लिये लिखता है कोई लिए , कोई चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि। ये दोनों प्रयोग सही और ठीक माने जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अन्तर एक ही लेखक एक ही शब्दको कभी किसी प्रकार और कभी किसी प्रकार लिखता है। वह अपने

लिए भी कोई एक बात निश्चित नहीं कर लेता। यह उचित नहीं। दोनों प्रकारका लिखना सही भले हो, जो जिस प्रकार चाहे लिखे, किन्तु एक ही मनुष्य दोनों प्रकारसे न लिखे। अपने लिए तो प्रत्येक लेखकको एक बात तय कर लेनी चाहिए और उसीके अनुसार सदा लिखना चाहिये। यह बहुत भद्र मालूम होता है कि एक ही लेखक कहीं 'हुवा' लिखे और कहीं 'हुआ'। इन बातोंके अतिरिक्त उद्धृत वाक्यांश और विशेष विषयके अङ्ग आदिके लिखनेमें लेखकको स्पष्टताका बहुत रखना चाहिये। यों तो स्पष्टता सभी जगह अच्छी और आवश्यक होती हैं। किन्तु इन स्थामोंमें तो उसका होना अनिवार्य है अन्यथा बहुत अम फैल सकता है और बड़ी गड्ढबड़ी हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक ही आकारके कागज पर हाँगिया छोड़ कर साफ और सुन्दर अक्षरोंमें सतरों और शब्दोंके बीचमे काफी जगह छोड़-छोड़ कर लिखना, प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या देना आदि साधारण बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। एक बात पर और ध्यान देना चाहिये। वह यह कि जहां तक अपनी भाषाके शब्दोंसे काम चल सके, वहां तक अन्य भाषाओंके शब्दोंका प्रयोग न करना चाहिये। लेख समाप्त हो जाने पर उसे दुवारा ध्यान-पूर्वक पढ़ जाना और इसके बाद कापी पर अपने साफ-साफ हस्ताक्षर और पूरा पता लिखकर कापी प्रेसमें भेजनी चाहिये। लेखके साथ सम्पादकके नाम जो पत्र भेजे जाते हैं, उनमें लम्बे मजमूनों की आवश्यकता नहीं होती। संक्षेपमें लेख भेजने की बात भर लिख देनी चाहिये। अपनी योग्यता अयोग्यता आदिके सम्बन्ध की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब तक अपना कोई स्थान न बन जाय, तब तक प्रसगवरा परिचयके रूपमें यह लिख देना अनुचित या अनावश्यक नहीं होगा कि लेखकके लेख कहाँ-कहाँ छप चुके हैं, उसने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, या अन्य दिशाओंमें क्या सफलता प्राप्त की है। साधारण-तया लेखके साथ अपने पूरे पते और टिकटों सहित एक लिफाफा भेजने का भी नियम है। यह इसलिये कि यदि सम्पादक लेखको प्रकाशित न

कर नके तो उगो लिखाफें मर हर बापम गहर है।

लेहानेसा बापने लिये एह स्थान ( स्थिति ) बना लेना चाहताहूँ होता है। नरीन लेराकोसो यह स्थान बनानेमें वही रुकिना पड़ती है। दिन्दीरे लिये तो यह बान और भी अधिक दात्य है। क्योंकि दिन्दीका माहिल-क्षेत्र बोगहन अधिक सकृचित है। वह यह रहा है और आशा है कि जिस्ट-भवि यमें ही विस्तीर्ण होनेर नरीन देहानेमें तुजु बुराइये रहेगा। परन्तु नैमान समय में बेचारे नये लेहानोंको बहुत अधिक रुकिनिका सामना करना पड़ता है। पहले तो यही मन है कि नये देहानेमें विनारोंमें प्रौद्योगिक रूप होती है या नहीं होती। उनके विचार अनद्वन्द्वे और उलझे हुये होते हैं। इस्तिये म्मानार-पत्र उन्हें स्थान देनेमें हिन्दने हैं। सारे यह समाजार-पत्रोंको ल-प्रतिष्ठ लेहुकोंसे ही देता प्राप्त होते रहते हैं। तब वे नये देहानेमें—ऐसे लेहानेके : जिन्हें साहिल-क्षेत्रमें अभी तक कोई स्थान प्राप्त नहीं किया—रेखा क्यों ले ? यदि साहिल्य-क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाय कि देश ल-प्रतिष्ठ रेखा उसमें पूर्ति न कर सकें, अन्य लेराको की गुजारण भी उसमें रहें, तो नये लेहुकोंको अवश्य सुविभा हो जाय। किन्तु यह तक ऐसी अपस्था नहीं आती, तब तक नये लेराकोंको अधिक धीरता और आशावादितासे काम लेना चाहिये। अपने ज्ञान और शक्ति भर अधिक-अधिक परिश्रम करके लेख लिहना चाहिये। उसके बाद भी यदि कोई सम्पादक उसे वापस करे, तो यह समझ कर निस्साह न हो जाना चाहिये कि लेख अच्छा नहीं है। सम्पादकोंके लेख अस्वीकार कर देनेका लेखका अच्छा होना ही एकमात्र कारण नहीं होता, उसके कई अन्य कारण भी होते हैं। कभी स्थान की कमीसे, कभी लेखकी लिखावट खाराब होनेके कारण, कभी सम्पादक को रुचिके विरुद्ध होनेसे, कभी पत्र की नीतिके प्रतिकूल होनेसे और कभी केवल इसलिये कि उन्हें अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके लेख प्राप्त हैं, सम्पादकगण लेख अस्वीकृत कर देते हैं। अब आवश्यक नहीं है कि वापस किया हुआ लेख बुरा ही हो। हो सकता

है कि एक सम्पादक द्वारा वापस किया हुआ लेख दूसरे सम्पादक द्वारा स्थीकृत कर लिया जाय। इसलिये लेखकोंका कर्तव्य है कि वे ईमानदारीके साथ सतत परिश्रम और अध्यवसायसे धीरता और साहस पूर्वक अपना काम करते जाय, और भगवान् श्रीकृष्णके “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” का स्मरण रखते हुये आशा पूर्वक आगे बढ़नेका प्रयत्न करते जाय।

---

## प्रूफ-रीडिङ्ग

पत्रकारोंके काममें लोग प्रूफ-रीडिङ्ग की ओर प्रायः उत्तना व्यान नहीं देते जितना दिया जाना चाहिये। यहुत लोग तो ऐसे भी हैं, जो इसे पत्रकारोंके कार्यों की गणनामें भी नहीं रखते। उनकी व्यष्टिमें यह काम फूकों का है। यह ध्राति है। प्रूफ-रीडिङ्गका काम भी पत्रकारोंके काम की गणनामें ही आना चाहिये। पहले तो इसलिये कि प्रायः फूकोंमें लेख लिराने की शक्ति ही नहीं होती, दूसरे सम्पादक या पत्रकार परिस्थितिसे जितनी अच्छी तरह परिचित होते हैं, उतनी अच्छी तरह फूर्क नहीं रहते। इसलिये फूकोंको इस बातका उत्तना अच्छा ज्ञान भी नहीं हो सकता कि कौन-सी बात किस छासे, किन

शब्दोंमें व्यक्त की जानीं चाहिये, जिससे अभिलिखित परिणाम निकले। उसके लिये तो पत्रकारको स्वयं लेखनी उठानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार प्रूफ़-रीडिज्नमें भी बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हे पत्रकार ही कर सकते हैं, क्लर्क नहीं। उदाहरण के लिये मान लीजिये, किसी मजमूनके छपते-छपते कोई नयी बात पैदा हो गई। उसके अनुसार मजमूनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो ही जाता है। किन्तु क्लर्कसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उन बातोंको इतनी जल्दी जान ले, और जान लेनेके बाद उचित शब्दोंमें, उचित ढंगसे प्रूफ़में सशोधन कर दे। यह काम तो पत्रकार ही कर सकता है। इसलिये प्रूफ़-रीडिज्नके कामको नितान्त पत्रकारके काममें ही गिना जाना योग्य है। और, आज कल तो, जब केवल सम्पादकीय कामही नहीं अधिकांश प्रबन्ध सम्बन्धी काम भी पत्रकारके कामों की श्रेणीमें गिने जाते हैं इसको पत्रकारका काम मानना और भी युक्तिसंगत और उचित है।

प्रूफ़-रीडिज्नके सम्बन्धमें इस प्रकार उपेक्षापूर्ण भावना होनेके कारण ही ऐसे लोग भी, जो उसे पत्रकारका काम मानते हैं, उसको उतनी महत्ता नहीं देते, जितनी दी जानी चाहिये। अज्ञरेजी पत्रों और पुस्तकोंमें-विशेषकर ऐसे अज्ञरेजी पत्रों और पुस्तकोंमें, जो हिन्दोस्तानके बाहर यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपोंमें छपी हैं—देखिये, पुस्तक-की पुस्तक और पत्रों की फ़ाइलों-की फ़ाइलें उलटते चले जाइये, कहीं नामको भी कोई गलती नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि वे लोग इस विषय की महत्ताका अनुभव करते और इसकी ओर विशेष सावधानीके साथ ध्यान देते हैं। किन्तु हिन्दोस्तानी प्रेसों की—विशेष कर हिन्दी-प्रेसों की—तो बात ही निराली है। वहाँ इस विषय की कोई गिनती ही नहीं। प्रूफ़-रीडिज्न तो यहाँ एक बेगार है। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता कि जरा-सी गलती छूट जाने पर अर्थका कितना भयझर अनर्थ हो सकता है। इस उपेक्षा-नृत्तिका परिणाम यह होता है कि सैकड़ों अशुद्धियाँ छूट जाती हैं। एक-एक दो-दो ‘फ़ार्म’ की किताबोंमें शुद्धि पत्रके दो-दो तीन-तीन पुछले जुड़े रहते हैं। और फिर भी अशुद्धियाँ सर्वांशमें शुद्ध नहीं हो पातीं।

यह ठीक है कि इसका एक नारण यह भी है कि हिन्दी की वर्णमाला अङ्ग्रेजी की वर्णमाला की भाँति प्रेरणके कामके लिये गरल नहीं, उसमें भान्नाओं और स्युज्जाक्षरों की ऐसी ऊपर सामग्री जमीन है। 'प्रेस-टाइप' का बदल उसमें सरलता-पूर्वक नहीं नल मरता। यह भी ठीक है कि गर्के कम्पोजीटर पर लिखे खुशिकृत होते हैं और इनारे यहाँके अभिनवामें निरं गोवरणमिश्या। इन्हीं उनका सगोधन इमारे यही की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। फिर भी यह अधिक सावधानीमें काम लिया जाय तो उपर्युक्त क्रियोंके होते हुए भी नियन्त्रित रूपसे सुधार हो सकता है और जहाँ पर इन प्रकार की मार्गानी रही जाती है वहाँ गलतियाँ होती भी कम हैं। सज पृष्ठिए तो यह विषय उत्तम ही महत्वका है जिनका लेस लियाजा। इनकी उपेक्षा करना यही भारी भूल हैं। सन्तोष की जात है कि इस बोर लेनोका ध्यान उठ-उठ आरम्भित होने लगा है।

प्रूफ-रीडिङ्का इतिहास भी बहु मनोरञ्जक है। पहले जब प्रसोंका आविष्कार हुआ तब प्रूफ-रीडिङ्के लिए कोई सुविधानजक व्यवस्था न थी। होता यह था कि कम्पोजीटर ठोग तोख आदि छापकर तेंगार करते और सशोधन या स्वीकृतिके लिए उन्हें लेखाकों या सम्पादकोंके पास भेज दिया करते थे। लेसक स्वयं उन्हें देखता था और जो अशुद्धियाँ रह जाती थीं उन्हें सुधारता था। इसके बाद उस 'प्रूफ-कापी' को वह अपने मित्रोंके पास भेजता था और भिन्न भी जहरी आवश्यकता समझते थे सुधार कर देते थे। कभी-कभी तो यह तक होता था कि प्रूफ-क्लापियाँ विश्व विद्यालयोंके नोटिस बोर्डों या किसी अन्य रार्ड-जनिक स्थानमें टांग दी जाती थीं और देखनेवाले लोग उसमें आवश्यक संशोधन कर दिया करते थे। कोई रास आदमी इस कामके लिए नियुक्त नहीं होता था। उस समय सशोधन सम्बन्धी नियमों और चिन्होंका भी प्रयोग नहीं होता था। इसलिए जो सशोधन किये जाते थे, उनमें बहु विस्तार होता था और तमाम कागज रङ्ग जाता था। कम्पोजीटरोंको भी उसके संशोधनमें

अधिक परिश्रम पड़ता और अधिक समय व्यय करना पड़ता था। किन्तु धीरे-धीरे आकश्यकता ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ लोग प्रूफ-रीडिज्नका काम खास तौरसे करने लगे। अपनी सुविधाके लिये उन्होंने इस विषयके कुछ नियम और चिन्ह भी बनाये। अब सुधार होते-होते यह काम वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा है। अब तो इन्हें आदि देशोंमें प्रूफ-रीडरों की सभाएँ भी स्थापित हो गई हैं, जो अपने पेशेके आदमियों की सुविधा और अधिकारों की रक्खाका प्रयत्न करती रहती हैं, साथ ही उसमें सुधार और उन्नतिके उपाय भी सोचा करती हैं।

प्रूफ-रीडरोंका काम लेखकों या सम्पादकों और कम्पोजीटरोंके बीचमें एक विचारानी का-सा काम है। अधिकाशमें यह बड़ा अहृचिकर भी होता है। धार-न्वार एक-सी ही वातोंको दोहराना पड़ता है। नवीनताका एक प्रकारसे अभाव ही रहता है। इससे प्रायः लोग इस कामसे ऊब जाते हैं। किन्तु इस कार्यचित्र की प्रकाशमान दिशा भी है। प्रूफ-रीडिज्न कोई निर्जीव मशीन द्वारा किये जानेवाले कायों की भाति नितान्त नवीनता और विशेषता गृन्ध भी नहीं है। प्रूफ-रीडरका कार्य केवल यही नहीं है कि लेखमें वर्ण-विन्यास और निराम-चिन्हों आदिका सशोधन करके ही बैठा रहे, प्रत्युत उसे इन कामोंके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि पृष्ठ जिन प्रकारसे बंधे नये हैं, वह ठीक है या नहीं, पृष्ठोंके जरूर की लक्षीरें ( हेडलाइन ), उनकी नम्बरस्त्वा तथा अन्य सजाव ठीक हैं या नहीं, व्याक आदि इसी विशेष लेख या पृष्ठके उचित स्थान पर और अच्छे टासे लगाये गये हैं या नहीं; पृष्ठों की मुन्दरतामें इसी प्रबन्ध दी ग्रुटि तो नहीं रह गई, या कोई ऐसी बात तो नहीं जी जा सकती, जिससे

की गलतियाँ निकालनाही नहीं हैं। उन्हे वह भी देनाना चाहता है कि लेउटके विचारों और भाषोंमें तो कोई गलती नहीं है।

प्रूफ की प्रायः तीन थेमिया देती है। इन-डिपिट या कानूनियिक के लिने प्रेसमैन 'कापी' लगते हैं, कम्पोट तरह परिलेन्सिल कम्पोजीटर जो प्रूफ लाता है उन्होंने पहिला प्रूफ या गेली प्रूफ कहते हैं। या अलग-अलग कॉलमोंमें जिनकी लम्बाई एस-नी नहीं होती, ये यहाँ लेता है। जो कम्पोजीटर जितना समोज़ करता है, उन्हाँ नी अलग-अलग लातर प्रूफ देता और किरणरासायन देता है। वह प्रूफ 'ऑटर' 'पोलियो' में गलत दिया जाता है, इसीलिये उने गेली-प्रूफ भी लगते हैं। प्रूफके असम-अलग कॉलमोंमें रखनेसे सशोधनमें नहुलियत होती है। परिले प्रूफमें सरोभनोक्त अविक्ष होना सामानिक होता है, इसलिये परिला प्रूफ उसी प्रकार देने की प्रथा है। इसके बाद नम बैंटर पृष्ठोंके आकार-प्रकारका बनाकर बांधा जाता है, और पृष्ठ-पृष्ठका प्रूफ दिया जाता है। इसके दूसरा प्रूफ पृष्ठ-पृष्ठ का 'रिवाइज़र' कहते हैं। इनके बाद जो प्रूफ आता है, वह तीसरा, अन्तिम, 'आर्डरली', 'शीन' आदि नामोंसे पुकारा जाता है। अन्तिम प्रूफको प्रायः सम्पादक या लेखक स्वयं देराते हैं। परन्तु यह आमरक नहीं है कि तीन ही प्रूफ देरे जायें। जब गलतियाँ न रह जाय तभी-छपनेका आदेश देना चाहिये—चाहे प्रूफ तीन वार दिया गया हो चाहे कम वा अधिक वार।

ये तो हुईं प्रूफ-रीडिंग-सम्बन्धी साधारण वातें। इस विषय की विशेष वातेके सम्बन्धमें सबसे पहिली वात यह है कि प्रूफ-कापी बहुत साफ और काफी बड़े कागज पर छपी हुई होनी चाहिये। यदि ऐसा न हो, तो प्रूफ सरोवरकका यह कर्तव्य है कि उसे अखोकार कर दे और दूसरी कापी मगाने, जो साफ और अच्छी हो। प्रूफ-कापी साफ न होनेसे अशुद्धियाँ छूट जानेका भय रहता है। कभी-कभी तो अक्षर पहचाने तक नहीं मिलते, इसलिये गलतियाँ मालूस ही नहीं होतीं। अतः प्रूफ-कापियोंका साफ होना आवश्यक है। इस

प्रकार साफ कार्रज पर और सफाईके साथ आये हुये प्रूफ़को शुद्ध करनेके लिये दो आदमियोंको लगाना चाहिये। एक प्रूफ़का सशोधन करनेके लिये और दूसरा हस्त-लिखित पाण्डु-लिपि पढ़नेके लिए। पाण्डु-लिपि पढ़नेवाले व्यक्तिको चाहिए कि वह लिखा हुआ लेख इतने जोरसे पढ़े कि प्रूफ़-संशोधन करनेवाला व्यक्ति साफ-साफ सुन सके। प्रूफ़-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ पाण्डु-लिपि पढ़नेवाला पढ़ रहा है, वह प्रूफ़-कापीमें है या नहीं। जहां पर कोई बात हेरफेर की मालूम हो, वहां पर आवश्यक सुधार करे। इस सम्बन्धमें एक नियम यह भी हो सकता है कि प्रूफ़-संशोधक मज्जमूल पढ़ता जाय, और पाण्डु-लिपि पढ़नेवाला देखता रहे कि प्रूफ़-संशोधक जो कुछ पढ़ रहा है, वह लिपिके अनुसार है या नहीं। किन्तु इस नियमसे पहला नियम अधिक अच्छा है, क्योंकि प्रूफ़-संशोधनका आधार पाण्डु-लिपियाँ हैं, प्रूफ़-कापी नहीं। उपर्युक्त रीतिसे काम करनेसे एक तो जल्दी होगी, दूसरे संशोधन अधिक शुद्ध होगा। इसके विपरीत यदि एक ही आदमीको पाण्डुलिपिसे मिलाने और प्रूफ़-संशोधन करनेका सम्मिलित काम दे दिया गया, तो समय तो अधिक लगेगा ही साथ ही संशोधन भी उतनी शुद्धताके साथ न हो सकेगा। क्योंकि संशोधकका ध्यान दो तरफ घटा रहनेके कारण किसी एक पर उतनी सावधानीके साथ न रह सकेगा। इससे गलतियोंके छूट जानेका भय रहेगा। प्रूफ़ सावधानीके साथ धीरे-धीरे पढ़ना चाहिये। जल्दी करनेसे गलतियाँ छूट जाने की आशङ्का रहती है।

प्रूफ़-संशोधनके सम्बन्धमें एक बात और भी देखी जाती है। जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रूफ़-रीडिंग की उपेक्षा करते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खासखाह प्रूफ़ने अशुद्धियाँ निकाला करते हैं। ये दोनों बातें अनुचित और अहितकर हैं। पहले तो सम्पादकका यह प्रधान कर्तव्य है कि हस्त-लिखित पाण्डु-लिपियाँ छपनेके लिये प्रेसमें देनेके पहले वह यह देख ले कि जिन संशोधनों और परिवर्तनों की आवश्यकता है, वे सब घन चुके हैं या नहीं। जो

पांडु-लिपि प्रेममें दी जाय, उसमें हिमी प्रतारका—राजनी-कम निवि द्विये जानेके समय तक—होंड धाराशाह परिवर्तन छठ न जाने पाये। एक-एक मात्रा और विराम आदिके चिह्न तक ठीक वरके कारी देखमें दी जानी चाहिये। इसके बाद जब प्रूफ थाए, तब 'यान गगना चाहिये फिर ये ही राजनीता बनाउं जाय, जिनका बनाना नितान्त आवश्यक हो। प्रूफमें अग्रिम गणोधन या परिवर्तन करनेसे समय और धन, दोनों तरफ बढ़ देता है। पांडु-लिपिके मंगोलमें सम्भादहरो थोड़ा-ना परिव्रज अन्तर उठाना पड़ता है; इन्हु इसके सेउ आर्थिक हानि नहीं होती। परन्तु यदि तारीखें अशुद्धियाँ द्योषन प्रूफमें बनाई जाती हैं, तो अधिक अमुखिया और हानि उठानी पड़ती है। कम्पोजीटर एक बार पांडु-लिपिके अनुमार कम्पोज करता है, संशोधन होने पर फिर वह अपने कम्पोज किये हुये 'भैंटर' को निलालता है, इसके बार मंशोधित शब्द उनके स्थान पर रखता है। इस तरह यमात्तर निलालने और दुबारा यमानेमें कम्पोजीटरको जो परेशानी होती है, वह तो होती ही है, उसके अलाना प्रेसके मालिकको कम्पोजीटरके अधिक समय राग जानेका जो 'ओवर टार्म-वेतन' देना पड़ता है, वह अलग। इस प्रकार आर्थिक हानि, समयका अपन्द्रय परेशानी आदि अनेक हानियाँ उठानी पड़ती हैं।

कभी-कभी तो इस प्रकारके संशोधनोंसे बहुत ही अधिक हानि हो जाती है। जहा पर 'लाइनोटाइप' मशीन द्वारा कम्पोज किया जाता है, वहाँ तो एक-एक शब्दके लिये पूरी लाइन तोड़ी जाती है। किन्तु हिन्दीमें अभी इस प्रकार की मशीनोंका प्रयोग नहीं होता; फिर भी रहोयदलके कारण हिन्दी-प्रेसवालों को कुछ-न-कुछ हानि उठानी ही पड़ती है, और कभी-कभी तो यह हानि वृथा ही उठानी पड़ती है, यह अवस्था उस समय आती है, जब प्रूफ-सशोधक व्यर्थ में ही एक शब्दके स्थान पर बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देता है। यह व्यापार नितान्त अवांछनीय है। इस प्रकारके परिवर्तनोंसे (आम तौर पर) लेखकके भावोंमें तो कोई विशेष बात पैदा नहीं हो जाती, उल्टा प्रेसके

मत्थे व्यर्थका व्यय-भार आ पड़ता है। कभी-कभी लगातार कई शब्द बदलनेसे या कोई वाक्य या वाक्याश बढ़ा देनेसे, लाइनोटाइप की छपाई न होने पर भी, हिन्दी-प्रेसोंमें पैराग्राफ-के पैराग्राफ तो इने पड़ते हैं। इन तमाम दिक्कतोंको दूर करनेका सबसे सरल उपाय यह है कि छपनेके लिये देनेके पहले पाडु-लिपि इतनी सावधानी और सतर्कताके साथ देख ली जाय कि उसमें फिर परिवर्तनों और परिवर्धनों की आवश्यकता अन्त तक न पड़े। और; फिर प्रूफका संशोधन उस कापीके अनुसार ही किया जाय।

एक बात और भी ध्यान देने की है। हिन्दी-पत्रकार बहुधा यह किया करते हैं कि कोई लेख यदि छपनेके लिए आया या तैयार किया गया, तो विना इस बातका विचार किये हुए ही कि लेख जितने स्थानके लिए दिया जा रहा है, उतनेसे कम-ज्यादा तो न होगा, प्रसमें दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कम्पोज करनेके बाद यदि लेख बढ़ा, तो काटा जाता है, और यदि घटा, तो स्थान पूर्तिके लिए और कुछ लिखा जाता है। इन दोनों अवस्थाओंमें प्रेसको हानि उठानी पड़ती है। बढ़ने की हालतमें कम्पोजीटरों की की-करायी मेहनत और उनका उतना समय नष्ट होता है, और घटनेमें उनके एक खास निश्चयके अनु-सार काम करनेमें बाधा पहुंचती है। निश्चित काम कर चुकनेके बाद स्वभावतः उनमें शिथिलता आ जाती है और इस प्रकार काममें उतनी तत्परता नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, उपर्युक्त दोनों अवस्थाओंमें एक हानि यह भी होती है कि जो चित्र या खास मज्जमून खूबसूरतीके साथ किसी स्थान पर जमा देनेके लिये होता है, उसके लिये उचित स्थान करनेमें व्यर्थ की परेशानी और बढ़ जाती है, समयका अपव्यय भी होता है।

ऊपर प्रूफमें बहुत कम-नितान्त आवश्यक संशोधन करने पर काफी जोर दिया गया है; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आवश्यक संशोधन भी छोड़ दिए जायें। आवश्यक संशोधन तो करना ही चाहिये। कभी-कभी तो समाचार पत्र की सुविधाके लिये बड़े-बड़े परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। ऐसे अवसर

विदेशी, उग समय आते हैं, जब कि पत्रोंमें ऐसी ऐसा विषय आता जाता है, जो मगास कर्मों दो तुम होता और जिसका वान्डोलन जल्दा गहना है। ऐसे अमर्तों पर क्षण-उग पर परिरिप्तियोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। और, यह बहुत समय होता है कि पातु-लिपि छोटे प्रूफ यानेके समयके भीतर ही हो जाता परिवर्तन हो जाय—घटना चाह इसी अनिल्स दिग्गज की ओर चुह जाता। ऐसी दशामें नगोनन करना अनिर्माण हो जाता है। सशोधन भी ऐसा-चेष्टा नहीं, परोप्राफ तक बदलने तो आवश्यकता पड़ जाती है। इस समय संगोधन न करना ही अहितकर और अनिट कर होता है, क्योंकि आवश्यक यातोंके प्रकाशित न होनेमें पत्र की नहत्तासों घुत बदा घटना पहुँचता है। घरों तो उनकी भूत्ती नहीं है, किन्तु विभिन्नोंमें यहाँ तक नीचत आ जाती है कि इन प्रकार की दो ही एक भूलोंसे पत्रका भूत्त्व उतना गिर जाता है कि किर उसके संभलने तक की आशा जाती रहती रहती है।

प्रूफ-रीडिङ्के सम्बन्धमें एक बात और आवश्यक है। यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रूफका संगोधन करते समय कम्पोजीटर हाइलो पर लिखे हुए उत्तरों पर ही ध्यान रखते हैं, लेराके दीचमें संगोधक ने उसी संगोधन त्रिया, क्या नहीं दिया (यदि उत्तरों उल्लेख हाशिए पर न हुआ तो) इसकी परवा नहीं करते। और, बात भी ठीक है। उनकी सहृदियतके लिए जब हाशिए पर इशारा लिया देनेका नियम बना दिया गया है, तब कोई कारण नहीं कि प्रूफ-संगोधक उसकी अवहेलना करे, और कम्पोजीटर देखका अक्षर-अक्षर टटोलते फिरें। इससे उनका समय भी अधिक नष्ट होगा, और परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिये प्रूफ संशोधकोंको सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि लेखका कोई संशोधन ऐसा न छूटने पावे, जिसके सम्बन्ध की हिदायत हाशिए में, निश्चित इशारों द्वारा न दे दी गई हो। प्रत्येक संशोधनके सम्बन्धका इशारा हाशिए पर होना ही चाहिये। यदि लेरा की कोई बात समझमें न आवे, तो उसके नीचे एक लकीर और हाशिए पर प्रश्न-सूचक चिह्न लगाकर उसे लेखक या

सम्पादकके पास उचित सशोधनके लिये भेज देना चाहिये। संशोधन, जहाँ तक सम्भव हो, लाल रोशनाईसे करना चाहिये, जिससे सशोधित शब्द और उसके चिह्न अनायास स्पष्ट रूपसे दृष्टिगत हों। लाल रोशनाईके आभावमें दूसरी रोशनाईओंसे भी काम लिया जा सकता है; किन्तु यह बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल की जाय, जिसका लिखा हुआ दूरसे जाहिर हो। ऐसा करनेसे किसी संशोधनके छूट जानेका डर न रहेगा।

विषय की पूर्णता और उसके अधिक स्पष्टीकरणके विचारसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहां पर प्रूफ-सशोधन सम्बन्धी इशारोंका उल्लेख कर दिया जाय। ये इशारे प्रायः अङ्गरेजी ढगके हैं। इसका कारण यह है कि ये लिये ही अङ्गरेजीसे गये हैं। इसलिये यह सम्भव ही नहीं कि उनमें अंगरेजीका रग न दिखलाई पड़े। हिन्दीमें स्वतन्त्र रूपसे कोई इशारे अभी तक नहीं बने। इसके लिये हम अंगरेजीका ही मुँह ताकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी ऐसे सशोधन आ पड़ते हैं, जिनका अंगरेजीमें कभी काम नहीं पड़ता, तब हम—अपना स्वतन्त्र इशारा न होनेके कारण—पूरा-का-पूरा गन्द या अद्वार काट देते हैं और उसको जिस रूपमें परिवर्तित करना चाहते हैं, उस रूपमें हाशिए पर लिख देते हैं। यदि अपने स्वतन्त्र इशारे हों तो यह दिखत न रह जाय और जितने अगके लिये सशोधन की आवश्यकता हो, उतने ही में सशोधन-चिठ्ठी लगाकर सरलतापूर्वक काम निकाला जा सके। हिन्दीका यह दुर्भाग्य है कि उसके बड़े-बड़े विद्वान् इन विषय पर उचित ध्यान नहीं देते। उपर्युक्त सशोधन-सम्बन्धी अद्वचनोंके स्थल, विशेष कर मात्राएँ बनाने या हल्लत आदि करनेके समय आते हैं। उनके लिये हिन्दीमें ओई चिठ्ठी नियुक्त नहीं हुआ। आरा है, हिन्दीके बग्राम्य विद्वान् उन सोर ध्यान देंगे, और उन त्रुटिको शीघ्र दूर करेंगे। ऐसे विषयोंका साहित्य तैयार करने की भी दृष्टि जरूरत है। जब तक इन प्रशस्ता चोई साहित्य किसी प्रांत और प्राजल देशनी द्वारा नामने नहीं

प्रकार-कला ]

आता, जो सर्वनान्य हो, तबनहुन परियोगी अन्य प्रकृति विरेके साधनाप हमें स्वर्णोंके लिए भी, जिस निर्मित कलेज गाहु चिना जाता है, जिनका उच्छेत जार आया है—निःशो प्रवारके हेते हैं—एक ऐस्यमें लगाये जाते हैं, दूसरे दाखिये पर। जीवे तत्त्वास्त्र और इसका स्वीकृत स्थिया जाता है।

लेखका नियान	नियान	दाखिये का इत्याप
[	नवा पैराम्प्राक्	N. P.
=	इटालिक	इटानिं
—	जात्यन्त	निराल दो

—कृचित्तम् जैसा छाया है, वैसा रहने दो  
.....

✓ इनाटेड काना ६६

वर्णन| जिस रूप में| जिसका एक को दूसरे के म्यान पर लाओ

	थोड़ी जगह ढोढ़ो	====
—	लेड भरो	लेड
।	डैश लगाओ	।—।

राम को ला छुसेद्धा | एक साध रखो|  
सूरदास

प्रे—	अक्षर उल्टाओ	७
और	अक्षर स्पष्ट नहीं है	x

लेख का निशान	मतलब	हाशिए का इशारा
किन्तु	इसके स्थान पर परन्तु करो	परन्तु
।	इस स्थान पर जीवन-शब्द लगाओ	जीवन
राम	एकसा अक्षर लगाओ	W .f.
।	पूर्ण विराम दो	( १ )
॥	हाशिए की सतरें एक सीध में करो	॥
सूर	अक्षर साथ-साथ रखें	( = )
जीवनी	अक्षर सीधी सतरमें रखें	=
।	हाइफेन लगाओ	। - ।
॥	शब्दों के बीच की जगह वरावर करो	L egr # . .
और	उभरे हुए टाइप को दबा दो	।
जाता है	कहा को जाता के पहिले रखें	बदलो
मझलोत्सव	'त' को हलन्त करो	. ।
मालम	'ज' की मात्रा लगाओ	. ।
✓	अनुस्तार दो	० ।
✓	विसर्ग दो	: ।
✓	'ए' की मात्रा लगाओ	~ ।

ऊपर की तालिकामें इटालिक्सके लिये जो निशान चना है, वैसा ही निशान घटे-छोटे अक्षरोंके लिए भी लगता है; किन्तु उस दशामें हाशिये पर बड़ा टाइप

छोटा दात्य अपना बड़ि हिंग चाही ता दात्य नामाला है, जो एक पार्श्व का दात्य लगता भी है, उसका उचित नामिता ता यह नाम नहीं दिया गया है। इसका नाम नहीं बनाने वाले वे लोग हैं जो यह यह ता नहीं दिया गया है। अब दूसरा यह दोनों है दि दात्य ताकों .. इस प्रकार निशान हो जाता है। ऐसे लोगोंके निशान यही भाँती ही हैं जिन्हें लोग भी होता है; जिन्हें उन्होंने दाखिये पर ऐसे निशान दो या तीन लाल दोनों हैं। जिसमेंकि निशान भी एक्से ही होते हैं। आजमाला लोक यह होनी है कि हाशियेके दातों जो विराम-निन्द लगाता है वह यह देख दिया जाव। कठोर चालालोंके सम्बन्धमें भी ममझके चाहिये। देखें यात्राका चालाल, कालार दाखिये पर वही नाका देना चाहिये। अनुसार और अंगनद की बात पिलकुल एह भी है। पहिले दातोंगे लाहुरार और चिट्ठीमें अंगनद हाशिये पर लिह देना चाहिये, इस नितके अनिरिक्षण यदि कहीं दुष्ट वास्तव या वास्तव जोड़ने हैं, तो जिन मानस उसके जोड़ने की आपद्यस्ता हो, उग स्थान पर। इस प्रकारका निशान बनाकर उसके जारने ही लक्षीर चौनसर हाशिये पर या अन्यत्र जहाँ कहीं जापर या नीचे, स्थान भित्ते वही वह वास्तव या वास्तव लिख देना चाहिये।


हाशियेके निशान ठीक उस लालके सामने बनाये जाते हैं, जिस लालमें सशोधन करना होता है और उनके लिखनेका नियम यह है कि लालके पहिले सशोधन का चिह्न वाईं औरके हाशिये पर पहिले लिखा जायगा और उसके बाद फिर उस लालके उसके बाद वाले सशोधन-चिह्न। उसके बाद वाईं औरसे दाहनी ओरको लिखे जायगे। इस प्रकार लिखते-लिखते यदि वाईं और का हाशिया भर जाय तौ दाहनी ओर के हाशिये पर चिन्ह बनाये जाते हैं। परन्तु नियम यह होता है कि चिन्ह संशोधन-स्थलोंके ब्रमालुसार वाईं और से दाहनी ओर को ही बनाये जाते हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक वाईं औरके हाशिए पर चिन्ह न बनाकर उविधालुसार दाहनी ओर चिन्ह

## प्रूफ संशोधनका उदाहरण

इया लिखा है कि तुलसीदास और सूरदास की कविता के सम्बन्ध में जाता कहा है कि तुलसीने समक्ती अत्यन्त अधीनभावसे रामको बन्दना की। जगह जगह पर रामको लाधुसेडा।

सूरदास का नायक प्रेम मित्रत्वका प्रेम है कौर अच्छा है। किन्तु यदि तुलसी के नायक राम और सूर के नायक कृष्णकी जीवनी पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि जिस कविने वर्णन जिस रूपमें जिसका किया है वही ठीक है। रामके साथ सूरके कृष्ण का सा वरताव करना अस्वाभाविक हो जाता और कृष्ण के साथ रामका वरताव करना। रामका जीवन न क्यों पढ़े। कठिन ब्रत और कृष्ण का मंगलोत्सव है।

प्र॒ उत्तरी उक्ता।



बनाता है। इसमे कोई आपति नहीं; परन्तु यह नहीं हो सकता कि पहिले दाहिनी ओर चिन्ह बनाना शुरू करके स्थानाभाव होने पर वाईं और बनाना शुरू कर दें। क्योंकि कम्पोजिटर जो सशोधन करेगा वह वाईं औरसे और वाईं औरके हाशिये से चिठ्ठ मिला कर ही शुरू करेगा; या यदि वाईं और के हाशिये पर कुछ न हुआ, तो दाहिनी ओरके हाशिये की वाईं ओर से चिन्ह मिला कर मजमूनके निजातों की जगह पर सशोधन करता जायगा। इस प्रकार सशोधकके प्रथम संशोधन स्थल की जगह अन्तिम सशोधन होगा और अन्यान्य सशोधन-स्थलोंमें भी भयद्वार वेतरतीवी होगी। नियम वाईं औरसे कमगः दाहिनी ओरको बढ़ते हुए चले जानेका ही है। यदि इस नियमके विपरीत कुछ बरना आवश्यक हो, तो मजमूनके सशोधनस्थानसे सशोधक निष पर्वन्त एक लकीर खीचने की जरूरत होती है। इससे शिरीके भ्रम की गुजारश नहीं रहती। हाजियेके प्रत्येक संशोधन चिन्हके बाद “।” इस प्रकार की एक कुछ लम्बी सी पार लगा देने की भी परिषटी है। इससे प्रत्येक चिन्ह एक दूसरे के अलग दिखलायी पत्ता है। कभी-कभी जब दोनों ओर के हाशिये चिप्पो से भर जाते हैं, तब संशोधन स्थलसे गिरी ओरी जगत तक रेता नीचार सशोधक चिठ्ठ बना दिया जाता है।

इन चिन्हों को और भी जधिग सष्टु वरन् ऐ विचारने प्रक सशोधनश एक उदाहरण अलग पृष्ठ पर दिया जाता है।

है। रामके साथ सूरके कृष्ण का-सा वर्ताव करना अस्वाभाविक हो जाता, और कृष्णके साथ रामका वर्ताव करना भी उसी प्रकार अस्वाभाविक होता।

रामका जीवन कठिन व्रत और कृष्णसा मगलेलव है।”

इस परिपाटी के अतिरिक्त प्रूफ देनने की एक दूसरी परिपाटी भी है। अन्य भाषाओं में क्या प्रथा है, इसना निश्चित ज्ञान न होने के कारण उमसा उच्चेश करना भेरे सामर्थ्य की बात नहीं; किन्तु हिन्दीमें एक दूसरे छासे भी प्रूफ देने जाते हैं। इस टज्जमें इशारों में कोई अन्तर नहीं होता, इन्तु जो इशारा जर्ह ने सम्बन्ध रखता है, उन इशारे से वहाँ तक सम्बन्ध दिखाने के विचार से एक लकीर रीच दी जाती है—उसी प्रकार की लकीर, जैसी उपर्युक्त उदाहरण में वाक्यांश बढ़ाने के लिए दिखाई गई है। यह प्रथा सम्भवत इसलिये चलनमें आई कि हिन्दी के कम्पोजीटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं, और वे इशारों का सम्बन्ध समझने में चलती कर बैठते हैं। किन्तु यह प्रथा अच्छी नहीं, और अब इसकी आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। कम्पोजीटरों की अब कमी नहीं, इसलिये ऐसे कम्पोजीटर प्राप्त किये जा सकते हैं, जो इशारों के समझने-भर का ज्ञान रखते हों। इस प्रथासे प्रूफ-कापी गन्दी हो जाती है। फिर भी उस समय, जब प्रूफ कापी ऐसे काघज पर दी जाती है, जिसमें हाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवश्य होती है। सकीर्ण हाशिये पर सब चिन्ह बनाना असम्भव होता है, और उस समय ऊपरनीचे की खाली जगह का आश्रय लेना पड़ता है। तब, इस प्रकार लकीर रीचना ही आवश्यक होता है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होता है कि पहले ही से लम्बे-चौड़े काघज पर प्रूफ की कापिया ली जायें, और यदि प्रूफ लम्बे-चौड़े काघज पर और साफ छपा हुआ न हो, तो प्रूफ-सशोधक को चाहिये कि उसे वापस करके दूसरा अच्छा प्रूफ मँगावे। अच्छे और साफ प्रूफ में अधिक सरलता और शुद्धता के साथ सशोधन किया जा सकता है।

समाचार सम्पादन

इनका प्रधान कारण यह है कि वहाँके पत्र सनातन जनता की रुचि पढ़नानंतर है और उसके अनुगार अपने पत्रोंको अविक उपयोगी आर्तवर बनानेका प्रयत्र करते हैं। दालत यह है कि इस समय लोग सम्मादीय लेख पढ़ने की ओर कम ध्यान देते हैं। गाधारण धारणा कुछ ऐसी हो गई है कि लेखोंमें किसी मनाचार पर सम्मादीय विचारके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, प्रत्येक मनुष्यको स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेका अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य ऐसा कर सकता है, फिर दूसरे के विचार पढ़नेमें व्यर्थ समय नष्ट करने नी क्या आवश्यकता, मनाचार पढ़ लिये, वस काफी है, उन पर विचार हम अपने आप कर लेने आदि। इन वारणाओंके कारण पाठ्यों की प्रगति सम्मादीय लेखोंसे उठकर मनाचारों पा लगी है। यह हाल तो विदेशोंका है। भारतवर्षमें और नामन्तर हिन्दी समाजमें इन दशामें योजा सा अन्तर है। यह तो यहाँके लिये भी सत्य ही है कि लोग लेखों की अपेक्षा समाचार अधिक पढ़ते हैं, किन्तु यहाँ ऐसा करनेका वह कारण नहीं, जो विदेशोंमें है। यहाँके इसी विशेष समुदायमें चाहे वह कारण हो भी, किन्तु आमतौरसे जन साधारणमें नहीं है। यहाँ तो इसका कारण शिक्षाका अभाव है। लेख प्रायः समाचारोंसे बड़े होते हैं। जनतामें शिक्षाका इतना अभाव है कि बड़े-बड़े मजमून-फिर चाहे वे समाचारके ही क्यों न हों, देखकर पहिले वे घबड़ा जहर उठते हैं। एक-एक अक्षर पढ़नेमें जहा एक-एक मिनट लगता हो वहाँ इतना बड़ा लेख कौन पढ़े? दूसरी एक घात यह भी है कि प्रायः लेखका विषय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता है जिसके समझने की भी अधिकांश जनतामें शक्ति नहीं होती। इन कारणोंसे हिन्दी जनता की रुचि लेखोंसे उठकर समाचार पढ़ने की ओर अधिक आकृष्ट हुई है। अस्तु।

इन कारणों की छान-बीन करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिपाद्य विषय तो केवल यह है कि किसी भी कारणसे हो जनता की रुचि समाचार पढ़ने की ओर अधिक प्रवृत्त है और इसलिये समाचार-सम्पदानका विषय बड़ा महत्व रखता है।

## पत्रकार-कला ]

समाचारों की महत्ता और जनताका उसकी ओर मुकाब देखकर यह बात सरलता पूर्वक समझमें आ जायगी कि समाचारोंका सम्पादन करनेवाले पर कितनी कड़ी जिम्मेदारी है। आजकल समाचारोंसे वह काम लिया जाने लगा है, जो कुछ दिन पहिले सम्पादकीय लेखोंसे लिया जाता था। जनता की विचारधाराको मोड़ देनेके लिये जहाँ पहिले लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते थे, वहाँ अब छोटे-छोटे समाचारोंसे काम लिया जाता है। ऐसे ढंगसे ऐसी भाषामें समाचार लिखे जाते हैं, जिनका लिख देना ही एक प्रकारसे सम्पादकीय लेख हो जाता है। कहनेका मतलब यह है कि सम्पादक लेखों द्वारा जिस भावको जनतामें फैलाया करता था, वे भाव आजकल समाचारोंके लिखनेके ढंगसे फैलाये जाते हैं। अब विद्वानों की यह धारणा हो गई है कि लेखों की अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार कार्य अधिक प्रभावशाली और व्यापक हो सकता है। इन धारणाओं और परिस्थितियों ने समाचार सम्पादनके कार्यको बहुत अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण बना दिया है। समाचार सम्पादकको बहुत अधिक ईमानदार सञ्चरित्र, बुद्धिमान, और मनोविज्ञानका ज्ञाता होना चाहिये। उसे जो कुछ लिखना चाहिए वह सफाई और सचाईके साथ लिखना चाहिए और इस बातको ध्यानमें रखते हुए भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे जनता की रुचि की तृप्ति हो और उसका हित-साधन भी हो। अपने पापी पैटको भरनेके लिये जनताके हिताहितका विचार छोड़कर दुराचार-भूलक अश्लील और गन्दे समाचार न देना चाहिये।

समाचार किसको कहते हैं यह एक इतनी सीधी-सी बात है कि इसके लिये कुछ लिखने की आवश्यकता न थी। रेलवे ट्रुर्टना, हत्याकाण्ड, अमिकाण्ड, सभा-समितिया, राज्याभिषेक, जल्दी आदि अनेक घटनाएँ समाचार कही जाती हैं। यह सर्व विदित है। फिर भी इसके देने की इसलिये आवश्यकता हुई कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा बड़े विवित्र ढंगसे की है और उनकी परिभाषासे कुछ नवीन बातें भी समाचार गन्द की परिधिमें समाविष्ट हो गई हैं। यहाँ पर और कुछ न लिखकर मिठाइल स्पेन्सर की व्याख्या ज्यों की

त्यों दो जाती हैं। In its final analysis news may be defined as any accurate fact or idea that will interest a large number of readers, and of two stories the accurate one that interests the greater number of people is the better. Strangeness, abnormality, unexpectedness, newness of the events, all add to the interest of a story, but none is essential. Even timeliness is not a pre-requisite. Freshness, originality, departure from the normal, all are good and add to the value of news but they are not essential. Only requirements are that the story shall be accurate and shall contain facts or ideas interesting to a considerable number of readers। इसका भानार्थ यह है—

अन्तिम छानवीन करने पर समाचार की परिभाषा इन प्रकार की जायगी कि कोई भी ठीक घटना या भाव जो, वहु-सख्यक पाठकोंका मनोरञ्जन कर सके समाचार कहा जायगा; दो रुद्धानियोंमें से वह कहानी जो ठीक हो और वहु-सख्यक पाठकोंके लिए मनोरञ्जन भिन्न हो, अधिक अच्छी मानी जायगी। विचित्रता, असाधारणता, सब्रम, घटनान्तर्कृत्य, आदि वातें कहानीको रोचक बनानेमें सहायक अवश्य होती हैं; किन्तु ये उमड़ा आवश्यक अन्न नहीं हैं। यहाँ तक कि सामयिकता भी अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है। नवीनता, घोरता, भावातिरेक आदि सब अच्छी वातें हैं। इनसे समाचारका महत्व बढ़ जाता है किन्तु ये भी आवश्यक नहीं हैं। जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि कहानी ठीक हो और उसमें ऐसी घटना और ऐसे विचारोंका समावेश हो, जो काफी वढ़ी सख्यामें पाठकोंका मनोरञ्जन कर सकें।

इस सम्बन्धमें एक वात और है। वह यह कि प्राकृतिक गति-विधिसे साधारणतया जो घटनाएँ रोज-रोज घटा करती हैं वे समाचार नहीं होती। उदाहरणार्थ जैसे हाथीको देखकर कोई कुत्ता भूक्ने लगे, तो समाचार-पत्रोंके लिये यह कोई समाचार न हो जायगा कि फलां हाथीको देखकर फलां कुत्ता

भूकर्ने लगा। इसका कारण यह है कि रोजमर्हा होनेवाली यह एक ऐसी साधारण बात है कि इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु यदि दैवात् ऐसा हो कि किसी विशेष कुत्तोंको देखकर कोई हाथी चिप्पाड उठे तो अवश्य यह समाचारका विषय हो जायगा। इसलिये समाचार-पत्रोंके समाचारोंका विषय ऐसा होना चाहिए जो कुछ विशेषता लिये हो।

ऊपर की परिभाषाओंसे तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि समाचार सच्चे और ठीक हों, दूसरे वे मनोरञ्जक हों और तीसरे उनमें कुछ विशेषता भी हो। समाचार-पत्रोंमें समाचार संकलन करते समय इन बातों पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। समाचार सम्पादको यह भी ध्यान रखना चाहिये कि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य रहते हैं, किसीको एक विषय पसन्द आता है विसीको दूसरा। इसलिये समाचार संकलनमें विभिन्नता और विविधता अवश्य हो। जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले मनुष्यों की तृप्ति की जायगी उतना ही अधिक अच्छा होगा। किन्तु इस प्रयत्नमें इतना आगे भी न बढ़ जाना चाहिये, जिससे भार सभालना भी कठिन हो जाय। किसी कामको शुरू करके पूरा किये बिना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा होता है। इसलिये अपनी शक्तिका अन्दाज़ा करके ही पैर फैलाने चाहिये। जिसमें जिन-जिन विषयोंका समावेश समाचार संकलनमें कर लिया जाय, उन-उन विषयों पर बराबर समाचार निकलते रहे।

समाचार संकलन और सम्पादनका काम प्रधान सम्पादकीय कामसे भिन्न है। यह काम अधिकांशमें उपसम्पादक द्वारा सम्पादित होता है। इनमें जनता की रुचिके अतिरिक्त और भी कई बातोंका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छे पत्र के लिये अपने समाचारोंको ऐसा बनानेका प्रयत्न करना जो समाजके पूर्ण प्रतिविम्ब हों, बहुत आवश्यक है। समाचार-पत्रोंके सम्बन्धमें दो बातें बड़े मार्कें की हैं। एक तो यह कि समाचार-पत्र अपने समाजके प्रतिविम्ब हों और दूसरे वे राच्चे उपदेशक हों। ऊपर कहा जा चुका है कि अब समय वह आ गया

है जब जनताको जापत करनेमें लेटों तो अपेक्षा नमानागेंजा हाय अधिक रहता है, उल्लिखे उपर्युक्त दोनों बातें समानारों द्वारा प्रतिगादित होनी चाहिये। जनताका आर्थिक करना समानार-सम्पादकता राम उद्देश्य होना चाहिये। उसके लिये आर्थिक शीर्षक मध्यमे अद्भुता गाधन है। मिन्तु शीर्षक देनेका काम आमान भी नहीं है। आज कल ऐसी प्रश्नति हो चली है कि आर्थिक बनाने की धूनमें लाग अनर्गल बातें लिखा जाते हैं। अनावश्यक भागोंका एक दरने, तिलका ताङ बनानेके लिये ऐसे सम्पादकहण सदा तैयार रहते हैं। यह प्रश्नति अनुभोदनीय है। उसको रखना चाहिये। शीर्षक आवश्य हो; मिन्तु साध ही साय इन बातों भी ध्यान रहे कि उनमें अनावश्यक दर्जागतना न आने पावे। वह आर्थिक रावदेंगेमें लिखा हुआ, गथा-गम्भव छोटा और ऐसा होना चाहिये, जिससे शीर्षक पढ़ते ही समाचारके विषय की तमाम बात समझमें आ जायें। इससे पाठकोंको यह सुविवा रहेगी कि जो समाचार उनकी रुचिका और हितका होगा। उसे बे पढ़ेंगे, अन्य समाचारोंको पढ़नेमें व्यर्थका समय न नष्ट करेंगे। ऐसा न होना चाहिये कि भजमून तो सुछ और शीर्षक सुछ हो। एक उदाहरण देकर इस विषयको अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक न होगा। उस दिन एक समाचार-पत्र पढ़ रहा था। एक समाचार पर दृष्टि पड़ी। शीर्षक था 'सरोजिनी को भगा ले गया।' सरोजिनी नाम पढ़ते ही श्रीमती सरोजिनीनायदू का घोष होना स्वाभाविक था। वही उत्सुकता हुई कि उन्हें कौन भगा ले गया। भजमून पढ़ा, तो मालम हुआ कि सरोजिनी नामक एक धोविनको कोई भगा ले गया था। अब इस प्रकारके शीर्षक यद्यपि समाचारके विचारसे अशुद्ध नहीं हैं। आर्कपक भी हैं। तथापि अनर्गल अवश्य हैं। इससे पढ़नेवालेका, जिसने सरोजिनीके धोखेमें आकर समाचार पढ़ा समय व्यर्थ ही नष्ट होता है इस प्रकारके शीर्षक देना एक प्रकार की धोखे बाजी है। समाचार सम्पादकको सन्ता और ईमानदार होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर सरोजिनीका नाम न लिख कर—क्यों कि नाम उसी समय लिखा जाता है, जब वह काफी प्रसिद्ध होता

है—यह लिखा जाना चाहिये कि ‘धीरेनको भगा ले गया’ या ‘एक स्त्री को भगा ले गया’ आदि।

सामान्य रूपसे शीर्षकमें कोई विराम-चिह्न नहीं होते। किन्तु यदि कोई आश्र्य कारक या शोक-जनक सन्देह सूचक या प्रश्नदोत्तक शीर्षक हो, तो उसमें आश्र्य—चिन्ह, प्रश्न-चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों पर यही नियम वरता जाता है। शायद इसका कारण यह है कि शीर्षकमें व्याकरण की दृष्टिसे कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसीलिये विराम चिन्ह नहीं लगाये जाते। शीर्षकमें जो कुछ लिखा जाता है, वह प्रायः इस प्रकारका होता है कि ‘तहसीलदार की नादिरशाही’ पुलिसका जुल्म’ ‘मा० गांधीका भारत भ्रमण’ ‘जलियाँ बालामें हत्या काण्ड,’ ‘कानपुरमें भयङ्कर दङ्गा’ आदि। ऐसे वाक्यांशोंमें कोई विराम चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है। किन्तु उन अवसरों पर भी जहाँ शीर्षक व्याकरण की दृष्टिसे पूरा वाक्य होते हैं, विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह प्रथा सर्वथा अनुमोदनीय नहीं कही जा सकती। ऐसे अवसरों पर शीर्षक में विराम चिन्ह लगा देना भी अनुचित न होना चाहिये।

शीर्षक दो प्रकारके होते हैं। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्तशीर्षक। प्रधान शीर्षक मेटरमें सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। इनके सम्बन्धमें कोई खास उल्लेख-नीय वात नहीं है, साधारण ढङ्गसे, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, ये शीर्षक लिख दिये जाते हैं; परन्तु अन्तशीर्षकके सम्बन्धमें कुछ विशेष वातें हैं। ये शीर्षक बड़े मजसूनों ही में लिखे जाते हैं। कभी-कभी विशेष महत्व पूर्ण छोटे मजसूनोंमें भी उनका प्रयोग होता है। इनका अभिप्राय भी यह होता है कि मजसून की विशेष विशेष वातें अलग-अलग हो जायें, जिससे कि जो पाठक जो विशेष वात पढ़ना चाहे वे उसे तुरंत पा जाय। अन्तशीर्षक दो प्रकारसे लिखे जाते हैं कभी वे कालमके बीचमें लिखे जाते हैं और कभी-कभी कालमके बाँये किनारे पर। इनके लिखनेके दो प्रकार और भी होते हैं। कभी-

कभी अन्तर्गीत के विलक्षण अलगने बनाकर रहा जाता है। वह किसी वाक्य के साथ मन्दन्धित नहीं होता और उसी-उभी मजनूज के अन्टर वाक्योंके खिलखिलें ही उठ विशेष शब्द एवं लाजमें शीर्षक ही तरह भौंटे टाइपमें रखकर फिर दूसरी लाजसे अदूरा वाक्य छुल दिया जाता है और इन प्रकार एक लाजका वह अन्दर मनूह अन्तर्गीत पक्ष बना दिया जाता है। जैसे “एकके बाद रिजर्व बैंक पिल

पर वहम गुल हुई।” “इसमें रिजर्व बैंक पिल” गीर्दक भी हो गया और उमका वाक्यने सम्बन्ध भी कायम रहा। पहिले यह बात न होती। उन दशाने तो, ‘रिजर्व बैंक पिल’ यह शीर्षक ऐकर उनके नीचे उत्से इन प्रकार मजसून लिखा जाता ।—“उमदिन रिजर्व बैंक पिलर दूर वहम हुई।” या और कोड़े ऐसी ही उत्तरत गुह की जती ।

शीपके बाद रास समाचारका नम्बर आता है। समाचार-सम्पादनमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जनता किस प्रकारके समानारोंको अधिक पसन्द करती है। प्रागः उसे सनसनी सेज समाचार अधिक पगद आते हैं, विद्वता-पूर्ण भाषण रुम । इसलिये पहिले प्रकारके समाचारों की अविकृता पत्र की लोक धियता बढ़ा देती है। इसीलिये समाचार-पत्र प्रायः सन-सनी सेज समाचारों को अधिक महत्व देते हैं। यह प्रधा स्थामरज्ञा निन्दा योग्य नहीं है, परन्तु सब कुछ इसीको न समझ लेना चाहिये और इस प्रवाको आवश्यकतासे अधिक महत्व भी न देना चाहिये। उपर जिस मानव-प्रगृहिति विभिन्नताका उत्तेष्ठ किया गया है, उसका ख्याल रखना भी आवश्यक है। इसलिये सब प्रकारके समाचार दिये जाने चाहिये। हा, यह अवश्य हो कि जिस प्रकारके समाचार अधिक पसन्द किये जाय, उनका अनुपात औरों की अपेक्षा अधिक हो। जो समाचार अधिक मनोरुद्धरण और विनोद पूर्ण हो, उनका वर्णन कुछ अधिक विस्तारके साथ करना चाहिये। इस प्रकार पाठकों की उत्सुकता अधिक तृप्त होगी और वे पत्र को अधिक प्यार करेंगे। साधारणतया अपेक्षाकृत किथित्

अधिक बुद्धिसे काम लेने पर ये सब वातें अपने आप समझमें आ जाती हैं। यदि समाचार सम्पादक थोड़ा-सा सतर्क सावधान और जागरूक रहे तो इस प्रकार की वातें अपने आप उसे सूझती रहेंगी। इन वातोंका एकत्र वर्णन करना कठिन है। ये तो प्रसङ्ग और अभ्यास से ख्यात होने की ही वातें हैं।

समाचारोंमें ताजापन दिखानेका प्रयत्न सदा रखना चाहिये। समाचार-पत्र की प्रतिष्ठा इस वात पर भी निभर होती है कि वह ताजेसे ताजे समाचार दे। इसलिये यह आवश्यक है कि समाचारों की ताजगीका प्रदर्शन अवश्य हो। इसके लिये किसी घटनाका समाचार देते समय उसके समयका वर्णन पहिले ही करना चाहिए। यदि दूसरे ही दिन समाचार-पत्र प्रकाशित होने जा रहा हो, तो तारीख और दिन न देकर 'कल' लिखना चाहिए। इससे समाचार की ताजगी सावित होगी। समाचारों की भाषा सरल और सुवोध और उनका मजमूल छोटा तथा रोचक होना चाहिए। छोटे-छोटे और रोचक पैराग्राफोंमें लिखे हुए समाचार जनता वडे चावसे पढ़ती है। इसलिए इस वातका ध्यान रखना आवश्यक है। जहां पर घटना अधिक विस्तृत हो, वहां भी यथा-सम्मव छोटे-छोटे ढुकड़े करके और उनके अलग-अलग शीर्षक देकर समाचारको छोटा बना देना चाहिए। एक वात की ओर ध्यान देने की और भी आवश्यकता है। वह यह कि समाचारोंका मजमूल इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलतापूर्वक समाचार समझ सके। लिखते समय समाचार सम्पादकको कुछ इस प्रकारके भावसे काम लेना चाहिए कि वह ऐसे पाठकोंके लिए लिख रहा है, जो उस समाचारके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते और उसे वह समाचार उन्हें समझाना है। समाचारों के साथ अपने विचार प्रकट करने न करनेके सम्बन्धमें दो मत हैं। एक समुदायका कहना है कि समाचार अपने असली रूपमें विना किसी टीका—टिप्पणीके प्रकाशित होने चाहिए और दूसरा समुदाय सटिप्पण समाचारोंके पक्षमें है। मेरी समझसे पहिला ढङ्ग अच्छा है। समाचार अपने वास्तविक रूपमें विना

किसी प्रकारके अतिरिक्तके लिये जाग और पाठक भागे आप उनके सम्बन्धमें अपना निर्णय करें। और साफ यात तो यह है कि जब सम्पादकीय नम्भों में सम्पादक को अपने नित प्रटट करनेवा आवार है ही तो निर प्रयेक समाचार के साथ इनामना अपने निरारों का पुष्टला जोड़ने की क्षमा जरूरत ।

इन यातोंके अनिरिक्त युद्ध छोटी-छोटी अन्य यातोंपर भी ज्ञान रखने की जरूरत है। एह नियाके सब समानार मायथ ही हैं। यह न हो, कि एह ही विषय के समानारका एक दुर्लभ एक ज्ञान पर और दूसरा दूसरे तथा तीसरा और किसी ज्ञान पर पटक दिया जाए। यिन्हेप नामोंहि सम्बन्धमें पहिलेपहिल उनका प्रयोग करते ही वर्ण विन्यास ( Spelling ) का निर्णय कर लेना चाहिए और फिर जब कभी उम्म नामके प्रयोग की आवश्याना पइ तब बाबर उम्मी के अनुसार लिखना चाहिए। यह नहीं कि बाट-विश्व-निषेधन कानूनके विधाता श्री सारदा कभी जारदा कहे जाय और कभी सारदा। नाहे वे सारदा रहें, नाहे शारदा, लेकिन रहे एह ही, दोनों नहीं। एक ही पत्रमें इस प्रकार की विभिन्नता राटकती है।

समाचार यदि श्रेणियोंमें विभाजित हिये जाए, तो स्थूल स्पसे वे तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं :—घटना सम्बन्धी, अदालती और सम्भा सम्बन्धी। इनमें प्रथम श्रेणीके समाचार अधिकतासे पाये जाते हैं। आग लग जाना, गोलियां चल जाना, रेलोका लड़ जाना, हृद्दालोंका होना, उत्सवोंका मनाया जाना, नई इमारतोंका बनाना, नई संस्थाओंका स्थापित होना, प्रदर्शनिया खुलना आदि अनेक प्रकारके समानार इस श्रेणीमें आ जाते हैं। रेल कूद घुड़दौड़ आदिको भी इसी श्रेणीके अन्तर्गत माना जा सकता है। इनमें कल्ल रेलवे, दुर्घटनायें, दगे, आदिके समाचार जनताको अधिक आकर्षक होते हैं। इन विषयोंमें भी कल्लके समाचार बहुत लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं। ये समाचार उत्तेजक भी होते हैं। अतः उनके प्राप्ताशनमें नियन्त्रण की

आवश्यकता है। अमेरिकामें कल्लके समाचार वहुत ही अधिक बना कर छापे जाते हैं। इसकी इतनी अधिकता है कि वहा कल्ल सम्बन्धी या कल्लके मामलों सम्बन्धी समाचारोंके लिए एक कानून बना दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे समाचारोंका शीर्षक एक निश्चित आकारके टाइपसे बड़े आकारमें नहीं दिया जा सकता और उच्चारणमें ही एक कालमसे अधिक हो सकता है। इस नियम की पावन्दीके लिये कानूनमें यह भी कह दिया गया है कि यदि कोई पत्र सम्पादक इस नियमका उल्लंघन करेगा, तो उसे २०० पौण्ड तक जुर्माना किया जायगा या केंद्री सजा वी जायगी या दोनों प्रकार की सजायें दी जायंगी।

समयके महत्वके सम्बन्धमें ऊपर कहा ही जा चुका है। उसी महत्वको दृष्टि में रखते हुए समाचारोंको लिखते समय, समयका उल्लेख सबसे पहिले करना चाहिये। समयके बाद वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनसे घटना विशेषका सम्बन्ध हो, फिर घटना-क्रम, तत्पश्चात् परिस्थिति, इसके बाद घटनाके कारण और अन्तमें परिणामका उल्लेख किया जाना चाहिए। साधारण व्यवहारमें सम्पादन की यही रीति अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थलोंके लिए समाचारका सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह वहुत कुछ उपसम्पादक की साधारण बुद्धि पर निर्भर रहता है।

दूसरी श्रेणी के—अदालती समाचारोंका सम्पादन जिम्मेदारीके क्षिरसे वहुत महत्व-पूर्ण है। उस सम्बन्धके समाचारोंमें वहुत सावधानी, समझदारी और जिम्मेदारीसे काम लेने की जरूरत होती है। जहां तक हो सके किसी मामले का वर्णन करते समय पूरी-पूरी कार्यवाहीको देनेका प्रयत्न करना चाहिए। सज्जेप करनेमें इस बातका वहुत ख्याल रखना चाहिये कि किसी पक्ष की कम और किसी पक्ष की अधिक बातें केवल सज्जेप करनेके देपसे न हो जायें। विचाराधीन मामलोंमें और भी अधिक सावधानी की जरूरत पड़ती है। नमाचारोंमें विशेष रूपसे यह देखना चाहिये कि ऐसे मामलोंका वर्णन करते समय किसी पार्टी के किसी आक्षेपज्ञ ऐसा वर्णन न हो जाय, जिससे यह सामित हो कि सम्पादक ख्याल

इस यत्न पर धिला रहा है। ऐसे आमोंहों जननेहे लिए अधिक्षेपने आरोपों और अभियोगोंहे गम्भीर में समादरकों को शुला जाता है, 'जहा जाता है', 'हल्ले है' आदि गम्भीर सूचक वाक्योंको का प्रयोग करना बहुठा होता है। यह नीति वाक्याली भाषणोंके बातों अन्य ऐसे भाषणोंमें भी वरती जानी चाहिए, जिनमें इसी पर हिंगे प्रशासन आक्षेप होता हो और जिनके सम्बन्धमें सम्मादहत्ते सार्व निखित हाथे पोई बात मालब न हो। एफ अदालतमें फैसला हो जानेहे बाद भी और उम अदालत हारा इसी आरोप या अभियोग को सब भान लिए जाने पर भी, सम्मादक उत्त समय तक अभियुक्त पर निखित स्पष्टे उन आरोपोंको नहीं लगा गएना, जब तक कि अपील को नियाद बाजी रहती हो। दौरान शुरूवातीं अभियुक्तहो अपराधी लितना भी अनुचित है क्योंकि इससे यह भनि निरलक्षी में फि सम्मादक उसे उस विशेष अपराधना दोषी भान चुला। इसके अतिरिक्त एक बातका ध्यान और भी रखना चाहिये। वह यह कि जिस मामलेका समाचार देना शुरू किया जाय उसकी कार्यवाही वीचमें न ढोड़ दी जाय। अन्त तक उगकी कार्यवाही बरापर दी जानी चाहिए। अधूरी कार्यवाही देनेसे इस बातकी सदा आगदा रहती है कि किसी दल की वहुत-सी बातें दूट जाय और उग दसामें जनताके पास अदालतके फैसलेका जो समाचार पहुंचे उससे जनता सन्तुष्ट न होकर अदालत पर आक्षेप करे।

अब रही तीसरी श्रेणीके समाचारों की धात। इसमें सभासमितिया; काग्र स कान्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिषदों की कार्यवाहिया आदिके समाचार समाविष्ट हैं। इनके सम्बन्धका वर्णन करते समय इन बातोंका उत्तेज्ज्वल करना आवश्यक होता है :—किस स्थान पर सभा हुई; जन-समूह कितना था, सभापति कौन था, उपस्थित सज्जनोंमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन-कौन थे, किस प्रकार सभाका प्रारम्भ हुआ, कहा-कहा से सहानुभूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कौन-कौन थे, क्या प्रस्ताव पास हुए, कहा-कहा पर जनता ने विरोध किया और कहा-कहा पर वह सहमत हुई और वीचमे या अन्तमे क्या विशेष घटना घटी।

जिस क्रमसे इन बातोंका यहां उल्लेख किया गया है, प्रायः यही क्रम समाचारोंके वर्णन करनेमें मान्य भी है। धारा सभाएँ और काग्रेस तथा विशेष कानफरेसोंके अधिवेशनोंका वर्णन इन साधारण सभाओं की वर्णन शैलीसे कुछ विभिन्नता रखता है। उनके वर्णन की दो रीतियां हैं। एक तो यह कि रोज-रोज की कार्यवाही जिस रूपमें हुई, उसका तारीखबार वर्णन दें दिया जाय। दैनिक समाचार-पत्रोंके लिए यही रीति उपयोगी और सम्भव होती है। दूसरी रीति यह है कि विषयके क्रमसे कार्यवाहीका वर्णन दिया जाय। अर्थात् असुक विषय में किस दिन क्या हुआ, इसका अन्त तक वर्णन देकर, दूसरा विषय उठाया जाय। ये रीतियां उन घटना सम्बन्धी समाचारोंके लिए भी लागू होती हैं, जो कई दिन तक घटती रहती हैं। उनके वर्णनमें भी दैनिक क्रम और विषय क्रम जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, दोनों रीतियोंसे काम लिया जा सकता है। इनका वर्णन करते समय प्रधान शीर्षकके अतिरिक्त उप-शीर्षक भी देना आवश्यक होता है। इससे पाठकोंको यह सुविधा होती है कि जो पाठक जिस विषयको पसन्द करेगा, वह उस विषयके शीर्षकके नीचे अपनी पसन्दका समाचार पढ़ लेगा। सभा-समितियोंके वर्णनको रोचक बनाने और उसको समझने का प्रयत्न हिन्दी समाचार-पत्रोंके सम्पादकोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए पिछले अधिवेशनके उल्लेख की आवश्यकता हो, तो उसको भी दे देना चाहिए। हिन्दी जनतामें अभी शिक्षाका इतना प्रचार नहीं है कि वह ख्य इन बातोंसे दिलचस्पी ले और इन्हें समझ सके। अभी तो उसमें इस रुचि को पैदा करने और समझने की शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। जनता को अधिक सुविधा देनेके विचारसे वडे-वडे समाचारों, लम्बी-चौड़ी कार्यवाहियों के ऊपर कियित् सोटे टाइपमें साफ-साफ कार्यवाहीका संक्षिप्त किन्तु ऐसा विवरण दे देना बड़ा उपयोगी होता है जिसमें कार्यवाही की प्रायः सभी खास-खास बातें आ जायें।

समाचारोंना एक चौथा भेद भी हो सकता है। वह है नाटक-विदेश,

निनेमा, रार्कन आदि भनोरडान गम्बन्धी गमाचारों रा। किन्तु इन गमाचारों को गमाचार की अपेक्षा आलोचनात्का विषय गमनना अभिर लकड़ा होगा। उनका उल्पेत आलोचनान्तर्गत री होगा नाहिए।

समाचारोंके सम्बन्धमें—सब प्रतासके समाचारोंके मन्दभूमिं—यह याद रखना चाहिये कि यदि कोई समाचार ऐसा हो, जो पत्रके एक अङ्गमें समाप्त न होता हो और यदि वह एकावर प्रशाशित कर दिया गया हो तो वह तरु नठ विषय गमाप्त न हो, तर तरु उन्हे वरावर प्रशाशित करते रहना चाहिए, अन्यथा फठकों की तटियगत जिगारा अन्य वेचैनी तृप्ति नहीं पाती। यहां पर, यहां होनेके कारण कोई गमाचार, समाचार-पत्रके एक ही अङ्गके किमी एक पन्नेमें गमाप्त न होता हो और उसका कुछ बचा मुझ भाग दूसरे पन्नेमें ले जाना हो, वहांपर पहिले पन्नेमें मजमूनके नीचे “शेष अमुक पृष्ठ पर देखिए” और दूसरे पन्नेमें मजमूनके ऊपर “अमुक पन्नेसे आगे” इन प्रकारके वास्तविक अवश्य लिख दिना चाहिए। उमसे पत्र पढ़नेवालोंको मुविवा होगी। यहां पर एक कालम की बचत दूसरे कालमके नीचे दी गई हो, वहां भी इसी प्रकारके वास्तवा दे देने चाहिये।

समाचार-सप्तर उनके लिए विदेशोंमें तो नानाविध साधन हैं। अपने तार, अपने टेलीफोन, अपने जहाज़, अपने एवाइं जहाज़, अपनी नोटरें, आदि न जाने क्या-क्या साधन समाचार-सप्तर करनेके लिए रहते हैं। किन्तु भारतवर्ष में यह बात नहीं है। यहां तो समाचार सप्तरके साधनोंके नाते अधिकसे-अधिक अपने रिपोर्टर अपने सम्बाददाता हैं, जिनके लिए विदेशों की भाति सवारियों का खास प्रबन्ध भी नहीं होता; हाँ समाचार-समितियों से सहायता अवश्य ले ली जाती है। इससे बहुत थोड़े पत्रोंमें उनकी अपनी निजी कोई बात होती है। हिन्दी समाचार-पत्रों की हालत इससे भी गई बीती है। वहां तो अधिकाशमें न रिपोर्टर होते हैं, न सम्बाददाता और न समाचार-समितियों से ही सहायता ली जाती है। जो कुछ होता है, वह यह है कि अधिकाशमें अझरेजी पत्रोंसे और कभी-कभी दूसरे हिन्दी उर्दू या अन्य प्रातीय

भाषाओंके पत्रोंसे छांट-छांट कर समाचार भर दिये जाते हैं। यह दशा केवल सासाहिक-पत्रों की ही नहीं है, उनके लिये तो यह क्षम्य भी कही जा सकती है, क्योंकि उनका पत्र सप्ताह भर बाद प्रकाशित होता है और उसमें समाचारों की ताजगीका सवाल कम होता है, किन्तु दैनिक समाचार-पत्र तक ऐसा करते हैं। खैर। इस स्थान पर इस रीतिकी टीका-टिप्पणी करना अभीष्ट नहीं है। फिर भी जब कि इस रीतिसे काम होता ही है, तब यह आवश्यक जान पड़ता है, कि इस सम्बन्धमें कुछ बातोंका उत्तेज कर दिया जाय।

दूसरे समाचार-पत्रोंसे जो समाचार लिये जाते हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं, जब समाचार ज्यों-केन्यों उद्धृत कर दिये जाते हों, अन्यथा आम तौरसे होता यह है कि समाचार सदिस करके या कभी-कभी, यदि वे आवश्यक हुए तो कुछ विस्तार देकर उद्धृत किये जाते हैं। इन दोनों सूरतोंमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रकाशित समाचार की कोई खास बात छूट न जाय। जहाँ पर इन प्रकार समाचार-संग्रह किया जाता हो, वहाँके उपसम्पादकको चाहिये कि पहिले ही से ज्यों ही किसी समाचार-पत्रमें कोई समाचार ऐसा नज़र पड़े, जिसका अपने पत्रमें देना आवश्यक मालूम हो, ख्यों ही उसे काट कर रख ले और जिस समय उसके देनेकी आवश्यकता हो, उस समय घटा बढ़ाकर समाचार दे दें। इस प्रकारके काटे हुए समाचारोंको एकत्र रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसे समाचार विसिन विषयोंके अनुसार अलग-अलग फाइलोंमें या ऐसी अलगावियोंमें जिनमें कई खाने हों, विषयवार रखे जाने चाहिये। खास-खात समाचारोंके सम्बन्धमें कई समाचार-पत्रोंके बर्जन, यदि उनके बर्जनोंमें कोई भरत्यर्पण अन्तर मालूम हो तो काट कर रख लेने चाहिये और अपने लिये इन रख दाटे हुए बर्जनोंने आधार पर एक सुन्दरता बर्जन तंयार मर लेना चाहिये। जिन स्थान दर्द घटना हो, अविकाजनमें उसी स्थानने समाचार-पत्रोंमें उत्तर कर्जन देना क्षमिय अद्यता होता है।

गाधारनाया ने समाचार इनमें दिये जाते हैं कि जन्तु दंग वै दा

समाचार को घटनाओंसे परिचित हो ; जिनु गमी-गमी उनसे देखे हए वह और भी कारण होता है। कभी-हमी प्यारी होता है वह देखे लिये समाचार, लिंगमें एक काल्मने कुछ कम पढ़ रखा है, उस समय वह काल्म पूरा करने के लिये भी समाचार दिये जाते हैं। इतर प्राचुर उद्योगों के समाज में घटनाओंसे परिचित करना नहीं होता, प्रचुरा ताल्म पूरा रखा होता है। अब यह है यह पहिले ताल्मका समाचार तो ताल्मके प्राचमने ही शुरू हिता जाता है। कहा जा सकता है कि कृष्णरे समाचारों का ताल्मके प्राचमने न बिनाह उन्होंने स्थान से क्यों न लिया जाय जिससे पहिला समाचार समाप्त हुआ है। जिनु याद रखना चाहिए कि जैसे तैमे समाचारों वह भर देना ही समाचार-पत्रों का उद्देश्य नहीं होता। पत्र की सुन्दरता, सजावट और समाचारोंकी महत्ता के अनुरूप स्थान देने आदि पर भी समाचार को ध्यान रखना पड़ता है। काल्म के नीचे से ही किंवि समाचारको युह तर देनेसे उगकी महत्ता कम हो जाती है। पत्र की सजावटमें भी धाधा आती है। इसीलिये यह आवश्यक होता है कि नया समाचार दूसरे काल्मसे शुरू हिया जाय और पहिले काल्मना बचा हुआ स्थान किसी अन्य समाचारसे भर दिया जाय। इस प्रकार समाचार भरने की क्रियाको अज्ञरेजी में भेक अप' ( Moko up ) कहते हैं। हिन्दीमें इसे स्थान पूर्तिके नामसे पुकारा जा सकता है।

कभी-कभी सास स्थानका कुछ अश जान-बूझ कर खाली रखा जाता है। इसको 'स्टाप प्रेस' कहते हैं। यह इसलिये खाली रखा जाता है कि पत्रके छपते-छपते यदि कोई आवश्यक और महत्वपूर्ण समाचार आ जाय, तो उसके लिये पत्रका मैटर निकालना न पड़े और उस खाली स्थानमें वह समाचार भर जाय। यह प्रथा मानचैष्टर के मिं० मार्क स्मिथ नामके एक सजन ने चलाई थी। इससे समाचार-पत्रोंके मुद्रणमें बड़ी सुविधा होती है। ज्यों ही कोई नया समाचार आया, मृठ कम्पोज करके रिक्त स्थान पर रख दिया गया और

छपना शुरू हो गया। नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिये स्थान खाली करना पड़ता है और फिर उस स्थान पर वह समाचार जमाना पड़ता है 'स्टाप प्रेस' में कभी-कभी यह भी होता है कि कोई समाचार नहीं आते। उस दशामें या तो वह स्थान खाली ही पड़ा रहता है या यदि सम्पादक की इच्छा हुई तो दूसरे कोई समाचार भर दिये जाते हैं।

समाचार-सम्बन्धी इन पंक्तियोंको समाप्त करनेके पहिले कुछ ऐसे समाचारों का उत्तेलन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो वास्तवमें सार्वजनिक नहीं होते और जिनका वर्णन समाचार-पत्रोंमें बहुत संभाल कर—अधिकाशमें उसी समय जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति या संस्था उन्हें प्रकाशित करे—देना चाहिये। बिना उन व्यक्तियों या संस्थाओंके प्रकाशित किये हुए भी वे प्रकाशित किये जा सकते हैं; किन्तु उस दशामें कोई वात निश्चित रूपसे न कही जा सकेगी। वे समाचार साधारणतया ये हैं:—चन्द्र अदालतके मुकद्दमे शेयर होल्डरों और पावने वालों ( creditors ) की सभाएँ, धर्मादा और ईश्वरोपासनाके लिये चन्द्र देनेवालों तथा नेताओं की प्राइवेट वातचीत आदि। इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे समाचार भी इसी श्रेणीमें गिने जाने चाहिये, जो प्रकृतिसे सार्वजनीत न हों।

---

## पत्र-सम्पादन

पत्र-सम्पादनसे यहाँ पर गमाचार-पत्रके सम्पादनसे मतलब नहीं है। मतलब है समाचार-पत्रके कार्यालयमें आये हुए पत्रोंके सम्पादन से। जहाँ समाचार-पत्रोंमें दूसरे समाचार-पत्रोंके समाचार लिये जाते हैं, लेटरकों द्वारा भेजे हुए लेटरोंका सम्रह और सम्पादन होता है, समाचार समितियोंके तारोंका उत्था होता है, अन्य प्रकारसे आये हुए समाचारोंका सम्पादन होता है, वहाँ कार्यालयमें आये हुए पत्रोंका सम्पादन और संकलन भी होता है। ये पत्र समाचार-पत्र की खास चीजोंमें से होते हैं। जिस समाचार-पत्रमें पत्रोंको उचित स्थान मिलता है, उसकी उचिति की सम्भावना वढ़ जाती है। समाचार-पत्रोंकी उचितिमें

पत्रोंका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसरेजने के सिलेस्ट पत्र 'टाइम्स' की प्रतिष्ठा और उन्नतिका मूल कारण यही बताया जाता है कि वह जनता द्वारा प्रेपित पत्रोंको समुचित सम्मानके साथ प्रकाशित करता था। हिन्दीके 'प्रताप' और 'नवशक्ति' की उन्नतिमें भी इन पत्रोंका काफी हाथ है। सेवियट रूसमें तो इसका संगठित प्रयोग सा हो रहा है। मास्कोसे क्रेस्टियान्स काया गजेटा ( Krestrians kaya gazeta ) किसान अखबार नामका एक समाचार-पत्र निकलता है। वह पत्रोंके द्वारा देहाती जनताके मनो-भावोंको प्रकट करनेका विशेष रूपसे उद्योग करता है। योइही दिनोंमें इस काममें उसे अशातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्तेमें दो बार प्रकाशित होता है। इसके कार्यालयमें दैनिक-पत्रों की आमद किसानों की फसलके अनुसार कम ज्यादा हुआ करती है। फिर भी औसतन रोज कोई १५०० से २००० पत्र इसके कार्यालयमें आते हैं। इन पत्रोंमें अधिकारियों की शिकायतें आदि लिखी होती हैं। पत्रके सचालक इन पत्रोंका केवल अपने समाचार-पत्रमें प्रकाशित करके ही नहीं छोड़ देते, वरन् अधिकारियोंसे लिखा-पढ़ी करके हर प्रकारसे गिकायतें रफा कराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे पत्रोंको जिनके लेखक अपना नाम देना नहीं चाहते और जिनमें मान हानिकारक वातें लिखी होती हैं, सपादक अपने कार्वाल्यमें चुर-क्षित रख लेते हैं और इसी आशयके और कई पत्र प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार पत्र प्रेपरेकोंका नाम न देने पर भी और पत्रोंके नामएनिकारक होने पर भी गिकायतें रफा करा दी जाती हैं। इनसे समाचार पत्र इतना लोक-प्रिय और प्रभावनाली बन गया है कि उसमें प्रत्येक वात दो घन्तासे भी जाती है। १३२८/८५

ये पत्र दो प्रारम्भ सहजर होते हैं। एज तो स्पानर्थनरे पत्रोंमें तत्स्थानीर समाचरों द्वारा पहले समाजिक रैन्टगम टाँचा गिंव जाता है, जिससे दृष्टि यी जनता समाजरक्षण पत्रोंके लिए उत्तमादित होती है।

और दूसरे अपने पत्र प्रताशित ठेगारर पत्र प्रेस ज्ञानात्-रत्नमि नामानाम्। सहायता दूसरे लगते हैं। पहिले प्रकार से उन अवश्यकताओं की पाठ होती ही मर तुटि होगी जो समाज की समस्याओं का व्यवहार नहीं होता है। और दूसरे से ना पत्र सम्पादकों को यह लाभ होगा कि पत्र प्रताशित की उत्तराधिकारी पत्र प्रेस उनके पत्रों पर्याप्तता के लालित रोगों, उन्हें नारीजने और दूसरे नियोगी गतिशीलता देने को कोशिश करेंगे। इससे एक लाभ और भी होगा। नह यह कि जनतामें एक-एक को ठेगारर पत्र भेजने वाँचर प्रताशित हो जाने पर उन्हें पत्रों की हनि पैदा होनी और इन प्रकार धीरेन्हीरे समाचार-पत्र पत्रों की ओर उनका व्याप आङ्गठ होगा। इन्हीं लभोन्ता अपलेक्षन कर अब नुसर सनाद्ध और सम्बाददर्शन उस ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं और उठ सुठ लोग शिकायत तह ते देते र पत्र मरामाने का प्रयत्न करते हैं।

वे पत्र स्वूकूलत्पसे दो प्रकारके होते हैं। एक वे जो अपने सम्बाददाताओं द्वारा, आवश्यकताहुमार उन्हें दर्शन-धर भेजते भगाये जाते हैं वाँचर दूसरे वे जो विना भगाये द्वितीय-धरके उठ लोगों द्वारा भेजे जाते हैं। इन पत्रोंमें, जहाँ-जहाँसे वे भेजे जाते हैं वहाँ-नहाँ की नानाप्रकार की वातें रहती हैं। शोक सम्बाद, दृष्टोत्तरव समाचार सभा सोसाइटियोंके समाचार, और सबसे अधिक जनता की अपनी शिकायतें आदि सब वातें होती हैं। साधारणतया शोक हर्ष आदिके पत्र अधिक महत्व पूर्ण नहीं होते। किन्तु शिकायती पत्रोंका छापना बहुत अधिक महत्व पूर्ण और बहुत अधिक जोखिमका काम है। जनताको जब किसी अधिकारी या अन्य व्यक्तिके कोई अत्याचार सहने पद्धते हैं तब वह तुरन्त उनको जन साधारणके सामने लाने की कोशिश करती है इस कोशिशमें वह स्वभावतः समाचार-पत्रों की शरण लेती है, अपनी शिकायत समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ भेजती है। इन शिकायतोंके छप जानेसे जनतामें पत्रका वज्ञ आदर हो जाता है। गाढ़े में काम आनेवाले स्वभावत ही आदरके पात्र होते हैं। किन्तु इस प्रकारका आदर प्राप्त कर लेना कोई सरल काम नहीं है।

यह मार्ग बड़ा भयावह है। इस पर चलनेवाले में अपेक्षाकृत अधिक साहस धीरता, और सहन शीलता होनी चाहिये। क्योंकि इसमें हर समय यह भय बना रहता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत छपी हो मान हानिका दावा न दायर कर बैठे जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी हानि उठानी पड़ जाय। कभी-कभी यह भी होता है कि शिकायत भेजनेवाला किसी व्यक्ति से द्वेष रखनेके कारण ही उसकी शिकायत कर बैठता है, वास्तवमें शिकायत की बात ही नहीं होती। ऐसे अवसरों पर यदि बिना उचित अनुसन्धान किये पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनताको धोखा देने और उस व्यक्ति विशेष को बदनाम करनेका जो नैतिक पाप होता है वह तो होता ही है उसके अतिरिक्त, मामला चलने पर आर्थिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है सो अलग। इसलिए सम्पादकीय नेकनीयती, ईमानदारी और शिष्टाचारका यह तकाज़ा है कि इस प्रकारके पत्र प्रकाशित करनेके पहिले उनकी सच्चाई के सम्बन्धमें पूरा-पूरा इसीनान कर लिया जाय। इसके लिये अपने रिपोर्टरों, सम्बाददाताओं और प्रतिनिधियों को भेजकर खास तौरसे जाच करानी चाहिये।

इस प्रकार भेजे हुए पत्रोंमें किसी प्रकार की साहित्यिकता की आवा नहीं की जा सकती। वे पत्र जन साधारण द्वारा भेजे जाते हैं और जन साधारणमें सर्वत्र साहित्यिक योग्यता की आशा करना व्यर्थ है। हिन्दीके लिये तो यह बात और भी सत्य है। हमारी जनता अन्य भाषा-भाषी जनता की अपेक्षा अधिक अगिदित है। इसलिए हमारे पत्र माहित्यिक दृष्टिसे और भी गये गुजरे होते हैं। अतः जी समाचार-पत्र वाले इस प्रकारके पत्रोंको 'अर्ध सम्बादित' मैटर कहते हैं किन्तु हिन्दीके लिये यह बात नहीं कही जा सकती। घुत थोड़े पत्र ऐसे होते हैं जो इस श्रेणीके हों नहीं तो अधिकांशमें ऐसे ही पत्र आते हैं जो अर्ध सम्बादित तो क्या असम्बादितसे भी गये गुजरे होते हैं। वे इतने भद्दे दाढ़िचे, इतनी भद्दी भाषा और इतने भद्दे अद्दरोंमें लिखे होते हैं कि पहिले तो उनके पढ़ने में घट्टों भी जटित होती है फिर

सम्मादन करनेमें पड़े लग जाते हैं। इस प्रत्यक्षके भवे पत्र सम्मादनियोंके  
के पाप होते हैं। फिर भी ने अन्वीक्षन चाहक दाते नहीं जा गए। यदि उनमें  
जनताके शितकी याते हैं तो सम्मादन का धर्म ही ति आर्ट्स-अभियं  
परिध्रम और समय व्यव करने उन्हें सम्मादित करे थौर प्रशापित करे।

पत्रोंका सम्मादन दो प्रकारमें हिला जाता है। जो अन्डे लिए हुए पत्र<sup>1</sup>  
होते हैं उनमें उन्हीं पत्रोंमें ही काट हाँट करने उन्हें अलग पत्र के बोल्ड बना  
लिया जाता है थौर जो गगर हिले हुए होते हैं, जिन्होंने उन्हींमें रट-  
चाट करके पत्रके प्रशाशनके बोल्ड बना देना सम्भाल नहीं होता उनसे किन्तु  
अलग लिहा लिया जाता है। इन दोनों मुख्योंमें पत्र सम्मादन करते समय यह  
बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सम्मादन ऐसा हो जिसमें देवारके भार थोड़ेसे  
थोड़े गव्वामें ज्यों-केन्त्यों प्रदर्शित हो जायें। यहां पर कोई ध्यान रो वहा  
पर पूर्वापर सम्बन्धका स्थाल रखना आवश्यक होता है। यह देखते रहना  
चाहिये कि सम्मादन करनेमें कोई ऐसी वाक्य तो नहीं कट नये जिससे पूर्ण पर  
सम्बन्धमें कोई शिखिलता आती हो। सम्बन्ध स्थापित रहते हुए ही जो वाक्य  
या वाक्याग काटे जा सकते हों वे काटे जाय और पत्र जहां तक छोटा किया  
जा सकता हो वहा तक छोटा किया जाय। किन्तु छोटा करने की धूत में  
इतना अधिक न घटक जाना चाहिये कि पत्र की मनोरज्ञ और आनश्यक  
वातें भी उड़ा दी जाय। कभी-कभी पत्रोंमें वही मनोरज्ञ वातें लिरी होती  
हैं। उन वातोंका पूर्वापर सम्बन्धसे कोई सरोकार नहीं होता। केवल मनो-  
रज्ञ की दृष्टिसे वे लिखी होती हैं। वे काटी भी जा सकती हैं। किन्तु उनका  
काटना ठीक नहीं होता। उनसे पत्र की जानही चली जाती है। पत्र प्रेपक  
जिस ध्वनिसे पत्र लिखता है उसका सम्मादन उसी ध्वनिसे किया जाना चाहिये।  
इसलिये पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापनाके लिये आवश्यक न होने पर भी कभी-कभी  
मनोरज्ञ वाक्य पत्रों की ध्वनि का तारतम्य निभाने के लिये ज्यों-केल्यों  
रखने पड़ते हैं।

प्रत्येक महत्व-पूर्ण पत्रके लेखकको उसके पत्र की प्राप्ति और उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिये, चाहे पत्र भेजनेवाला अपना निजी सम्बाददाता हो और चाहे कोई स्वतन्त्र व्यक्ति। दूसरे कम महत्ववाले या महत्व हीन पत्रोंके लिये भी उनकी प्राप्ति और स्वीकृति सूचना देना अच्छा होता है किन्तु बहुत आवश्यक नहीं। उसके लिये स्वीकृत पत्रोंका प्रकाशित कर देना और अस्वीकृत पत्रोंका समाचार-पत्रके एक स्थान पर उल्लेख कर देना, जैसा 'प्रताप' में 'नहीं छोंगे' शीर्षकके नीचे होता था, पर्याप्त है। इस अस्वीकृत पत्रों की तालिकाके सम्बन्धमें भी इतना सावधान अवश्य रहना चाहिये कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिके पत्रोंका इसमें उल्लेख न हो। यह अशोभित मालूम होता है। अस्वीकृत करने की अवस्थामें उसके पास उसकी सूचना भेज देनी चाहिये या पत्र वापस कर देना चाहिये। एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र प्रेषकोंके शीर्षक मान हानिकारक होते हैं। ऐसे शीर्षक वाले अस्वीकृत पत्रों की सूचना उक्त तालिकामें देते समय उनका शीर्षक बदल देना चाहिये नहीं तो पत्र प्रकाशित न करने पर भी केवल अस्वीकृति की सूचना दे देनेसे व्यक्ति विशेष की मानहानि हो सकती है। बहुतसे पत्रों की अस्वीकृति की सूचना प्रकाशित कर देनेसे भी प्रेपकका अभिप्राय सिद्ध हो सकता है। क्योंकि उससे अन्यात्मक रूपसे पत्रका भाव व्यक्त हो ही जाता है। जहा कहीं प्रेषक द्वारा दिये गये शीर्षकसे भावाभि व्यक्ति सम्भव न हो वहा सम्पादकको स्वयं ऐसा शीर्षक बना कर लिखना चाहिये जिससे पत्रका अभिप्राय व्यक्त हो जाय। परन्तु ऐसा करनेमें यह सवश्य व्यान रखना चाहिए कि भाव निरापद हो। यदि सब लोगोंके अस्वीकृत पत्र वापस कर देने की व्यवस्थ-हो सके तो और भी अच्छा। उससे अस्वीकार तालिका आदि की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी। और किसी की अप्रतिष्ठा और मान-हानिका भय भी न रह जायगा।

समाचार-पत्रके कार्यालयमें जहा अनेक सूचना और समाचार मूलक-पत्र आते

हैं वहां से पत्र भी आते हैं जिनमें सम्पादकोंसे करारी धमकियाँ दी जाती हैं। ऐसे पत्र उन लोगों वीं तरफ से आते हैं जो यह मममने हैं कि पत्रमें ऐसे सज्जूत छर गये हैं जो उनके लिए मान हानिशरण हैं। उष प्रशारक समुदायमें भी अविर्भागको तो भासाना केवल धम हो जाता है, वामामें प्रशाशित समाचार असमान जनक नहीं होता। लेकिन फिर भी वे धमती भरे हुए पत्र भेजते ही हैं। ऐसे पत्र कभी-नभी तो इस भासों भी भेज दिये जाते हैं कि इन पत्रोंसे भेज तर सम्पादक पर रुदाय जमा लेंगे और प्रशाशित समाचारका राज्यन छवा कर दुर हो जायेंगे। किन्तु कभी-कभी ऐसे मतुरोंसे भी पाला पढ़ जाता है जो अदालती कार्रवाही फरनेसे पत्र पर दियो प्रत्यर राजी नहीं होते जाएं फिर अदालतमें जाफर उनका मामला स्थारिज हो करों न हो जाय। ऐसी अपन्यासी जब उम प्रकाशके पत्र आये हों या जब अदालती मामले दायर हो गये हों समाजार-पत्रके सम्पादकोंहो वही सामाजनीसे काम लेना चाहिए। एकवारणी घबडा कर और अपनी धातको असाध मानतर माफी आदि मांगनेका कोई ऐसा काम न कर बैठना चाहिए जिससे चरित्र और पत्र की प्रतिष्ठामें वाधा आये। पहिले तो रूब गमक घृक और जांच पट्टाल कर समाचार प्रकाशित करे और फिर उनको प्रकाशित कर अन्त तक उनपर ढटा रहे चाहे उसके लिए जितने कष कर्यों न भल्जे पढ़े, यही सम्पादकका उसूल होना चाहिए। किन्तु यदि उचित जांच पट्टालके बाद भी वात्तव्यमें कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए अत्यन्त शिष्टता और सौजन्यके साथ माफी माग लेना भी सम्पादकीय सभ्यता ही है। किन्तु यह न करना चाहिए कि कोई सच्ची वात प्रकाशित करके केवल इसलिए माफी माग लें कि अदालती प्रमाण नहीं मिल सकते। किसी अधिकारीके दिलाफ कुछ लिखते समय इस तरह की वातें अक्सर आ जाती हैं। पहिले तो लोग उसके अत्याचारों से परेशान होकर शिकायत करते हैं किन्तु जब वादमें मामला चलता है और वह अधिकारी उन्हें फिर धमकाता है तब उनकी हिम्मत साथ नहीं देती। ऐसी

अवस्थाएँ वर्तमान नौकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ करती हैं। ये अवस्थाएँ सम्पादकके साहस और धैर्य की कसौटी होती हैं। उस समय यह कहकर टाल मटूल न कर जाना चाहिए कि हमारे गवाह ही—वे लोग ही जिन्हें शिकायत हैं, साथ नहीं देते तो हमें क्या पड़ी है जो दूसरे की बला अपने सिर लें। प्रत्युत चाहिए यह कि पत्र उस अवस्थामें दृढ़तापूर्वक प्रकाशित समाचार की सचाई पर जोर देता रहे और उसके लिए जो कठिनाई आये सबका सामना करे। सम्पादकका काम ही यह है कि दूसरों की बलाएँ अपने सर लेकर उन्हें बलाओं से पाक करे। उसकी शोभा अपने इसी कर्तव्यके निवाहने में हैं।

---

## आलोचना



आलोचना पत्रकार-कलाकार एक आवश्यक अग है। हिन्दीके पत्रकार इस ओर ध्यान देने लगे हैं, यह हर्प की वात है। परन्तु इस सम्बन्धमें उचितिके लिए अभी बहुत गुबाइश है। अभी तक हमारी साधारण धारणा युद्ध ऐसी बनी हुई थी कि आलोचनाका काम मासिक या त्रैमासिक पत्रोंका है, सासाहिक या दैनिक समाचार-पत्रोंका नहीं। इसीलिए आज भी जब इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है दैनिक और सासाहिक-पत्रोंमें आलोचनाएँ बहुत कम प्रकाशित होती हैं। और जो प्रकाशित भी होती है वे ऐसी ; जिनसे वात्तविक हित नहीं होता। यह खटकने की वात है। विदेशोंमें यह विषय बहुत महत्व रखता है और प्रत्येक

पत्र सम्पादकके लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह आलोचनाएँ अवश्य दें। वहा शायद ही कोई ऐसा पत्र होगा जिसमें इस विषय की चर्चा न रहती हो। हिन्दी की पत्रकार-कला अभी वात्यकालमें हैं अयवा यों कह लीजिए कि यह उस का “वयः सन्धिकाल” हैं। अभी उसका मनोभाव दृढ़ नहीं हो पाया। वह इधर-उधर लुढ़कता फिरता है, इस खोजमें कि कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार पर वह अपना रास्ता तय करे। पाश्चात्य पत्रकार उसके पथ-प्रदर्शक हैं। अतः वह उन्हींके सहारे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। समाचार-पत्रोंका इतिहास पढ़ने से मालूम होगा कि पहिले समाचार-पत्र, समाचार-पत्रके रूपमें थे ही नहीं वे विवरण पत्रिकाओंके रूपमें निकलते थे और भिन्न-भिन्न पत्र अलग-अलग किसी एक खास विषयका वर्णन मात्र छापते थे। समाचार तो उनमें होते ही न थे। जो समाचार होते थे वे एक प्रकारसे सरकारी विज्ञप्तियां सी थीं। किन्तु ज्यों-ज्यो नवीन सम्यता की उन्नति हुई त्यों-त्यों उनमें सुधार होते गये और उपयोगी विषयोंका समावेश करना। समाचार-पत्रोंके लिए जरूरी समझा जाने लगा। इसी मनोभाव ने आलोचना को भी समाचार-पत्रोंमें स्थान दिलाया। विदेशों की यह बात अन्यान्य बातों की तरह बने बनाये रूपमें हमारे सामने आई और हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया।

आलोचनाएँ प्रकाशित तो अवश्य होने लगी परन्तु उनमें बहुत अधिक उन्नति की आवश्यकता है। मालूम यह होता है कि आलोचनाके सम्बन्धमें हमारे विचार अभी अधूरे से ही हैं। पहिले तो हम समाजके भिन्न-भिन्न अङ्गोंसे सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों की आलोचनाएँ ही नहीं करते, दूसरे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि की जो आलोचनाएँ करते भी हैं उसमें भी बहुत सकीर्णतासे काम लेते हैं। कभी एकाध बार लेखक सम्पादक या प्रकाशकके विशेष अनुरोध करने पर किसी पत्र पत्रिका या पुस्तक पर दों एक सतरे लिख दी तो लिख दी अन्यथा अधिकांशमें उपेक्षा ही की जाती है। इस प्रकार की आलोचनाएँ लिखना एक शुष्क शिष्टाचार-सा बन गया है,

कर्तव्य की गम्भीरताजा यहाँ दग्धन भी नहीं होता । आलोचना महज इनमें से की जाती है कि कोई चीज आलोचनाके लिए उन्हें पाम भेजी गई है न दि इनमें भी उमदी आलोचना करना आवश्यक है । यह विषय दोनों ओर है । आलोचना शुरू रिक्षाचारके हममें न की जानी चाहिए विकल्प कर्तव्य मनमह उ उन्मुख्याके साथ उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते हुए दृढ़दृष्टि कर समालोचना विषयों की आलोचना दोनों चाहिए और दोनी नाहिए अधिक-से-अधिक जिननी घार सम्भव हो उतनी घार ।

उपर कहा जा चुका है कि हमारे यहा जो आलोचनाएँ होती हैं वे प्रायः पत्रों और पुस्तकों से ही । शायद हमने यह समझ रखा है कि यही वस्तुए आलोचनाके योग्य होती हैं और नहीं । यह ठीक है कि इन वस्तुओं की आलोचना की वहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि ये देशके कोने-कोनेमें और विदेशों तक पहुंचती हैं । सहतों और लासों भवुण इन्हें पढ़ते और सुनते हैं । उनकी जानकारी के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रमट कर देना अधिक आवश्यक और अधिक नहूत्य पूर्ण होता है ; किन्तु यह भी नहीं है कि केवल यही वस्तुएँ आलोचनाके योग्य होती हों । वहुत सी अन्य वस्तुएँ भी ऐसी होती हैं जिनकी आलोचना जनताके हित की दृष्टिसे आवश्यक होती है । ऐसे विषयोंमें पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकोंके अतिरिक्त चित्रों, नाटकों, सिनेमा आदिके नाम गिनाये जा सकते हैं । जब सरमें लगानेके तेलों और रोगों की ओपथियों तक की आलोचनाएँ पत्रोंमें प्रकाशित की जाती हैं—विशापन दाताओं को राजी रखनेके लिए ही सही, तब कोई कारण नहीं कि इन उपर्युक्त आवश्यक विषयों की समालोचना प्रकाशित न की जाय । इतने ही विषयों की क्यों, यदि आगे चल कर इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसे विषय आ जाय जिनसे जनताका अधिक सरोकार हो जैसे रेडियो ब्राडकास्टिंग वगैरह, तो उनकी भी आलोचनाएँ प्रकाशित की जानी चाहिए । अपना वास्तविक अभिप्राय यह रहना चाहिए कि जिन-जिन विषयोंसे जनताका सम्पर्क रहता हो, उन-उन विषयोंके सम्बन्धमें

उचित राय दी जाय, जिससे जनताको अपना हानि-लाभ समझने में सुविधा हो। समाचार-पत्रका उद्देश्य ही यह होना चाहिये कि वह ऐसे लेख समाचार आदि प्रकाशित करे, जिनसे जनताका भला हो। ऊपर जिन विषयोंका उल्लेख किया गया है—पत्र, पुस्तके, नाटक, सिनेमा, चित्रशाला, आदि—वे सब जनतासे बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इनके सम्पर्कमें आनेसे और जनताके बनने विगड़ने से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसलिए इन विषयों की आलोचना करना न केवल उचित और आवश्यक ही है प्रत्युत यह समाचार-पत्रका कर्तव्य भी है।

आलोचनाका जहा एक मतलब यह होता है कि उसके द्वारा जनताको हानि-लाभ की बाते बताई जायें और उसे उचित परामर्श दिया जाय, वहाँ उसका एक उद्देश्य यह भी है कि जनता की सूचि परिष्कृत की जाय, उसका ज्ञान बढ़ाया जाय, उसमें यह परख पैदा की जाय कि अमुक बात अच्छी और अमुक खराब होती है और उसकी कला सम्बन्धी बुद्धिको विकसित किया जाय। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए आलोचकका काम अन्यान्य पत्रके कर्मचारियों की भाँति अनेक विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखनेसे ही नहीं चल सकता। उसे तो जिस विषय की आलोचना करनी हो, उस विषयका पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए, उसका पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आलोचकमें धीरता, गम्भीरता, विद्वता, विवेकशक्ति, निष्पक्षता, भाषाका आधिपत्य, आदि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। जिसमें इन गुणों का अभाव हो, उसे इस काममें हाथ न डालना चाहिए।

भिन्न-भिन्न विषयों की आलोचना भिन्न-भिन्न प्रकारसे और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे की जाती है। संवका एकत्र उल्लेख करना सम्भव नहीं। पत्र-पत्रिकाओं की आलोचनामें सबसे अधिक इस बातका ध्यान रखने की जरूरत होती है कि उसमें जनताके हितके किन-किन विषयोंका और किस-किस ढंगसे रामावेश किया गया है, एक अच्छे समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि देने की जो प्रणाली होनी चाहिए, वह ठीक वैसी ही है या नहीं, जिस भाषाका प्रयोग किया गया है, वह शिष्ट और सम्य है या नहीं, आदि। पत्रों की नीति-रीतिके

सम्बन्ध की आलोचना उतनी महत्व की नहीं होती ; क्लोफि प्रग्नेठ सम्प्रदाय के यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह जिस नीतिमें लाभ समझे उनका आलोचन करे । दूसरा, यह वास्तव देना लेना चाहिए कि वह नीति इतनी धूरी, अग्रिष्ठ और अमम्मा नहीं है, जिससे किंगी भद्रज्ञ धनिया की आग़ज़ा हो । मतलब यह कि ऐसा न किया जाए कि यहि सोई पन्न नग नान नाचने हे लिए तैयार हो जाय, तो भी, उसकी आलोचना न की जाय । ज्ञान की यात्रोंमें विषय केवल यह है कि जैने कोई पन्न स्वराज्य पार्टीका समर्थक है, कोई सत्तन्त्रतावादी पार्टी का, कोई माउरेट दल का, अथवा कोई मार्गिलिस-प्रब्र देवसा उपायक है, कोई चिटारीका या नोट पन्न मनातनभर्म्मको बड़ा मानता है, कोई लार्दनमाज को । ऐसे अपनार पर, आलोचक के मतसे, भिज मन रखनेके कारण, आलोचको उनकी नीति की आलोचना करने न बैठ जाना चाहिए । उम धरम्यामें इतना उन्नेस-मात्र पर्याप्त होगा कि अमुक पन्न अमुक नीतिका या अमुक मतका प्रतिपादक है । अग्र ।

पत्रों की आलोचनाके सम्बन्धमें एक बात और । पत्रों और पुस्तकों की आलोचना-विधिमें भेद होता है । कारण स्पष्ट है । पत्रोंका प्रकाशन रोज-रोज या बहुत कम अवकाश देकर होता रहता है और प्रत्येक अङ्क नवी-नवी बातें जनताके सामने रखता है । पुस्तकोंमें यह बात नहीं होती । उनका प्रकाशन कभी-कभी तो एक ही बार होकर रह जाता है और कभी-कभी जब दुवारा प्रकाशित होनेका अवसर आता भी है; तब भी, उनका रूप बहुत कुछ पहिले सा ही रहता है । इसलिए पुस्तक की आलोचना एक बारमें भी समाप्त मानी जा सकती है ( हाला कि उचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय और उनके नवीन परिवर्तनों पर सासतौरसे ध्यान दिया जाय ) पत्रके किसी एक ही अङ्क की आलोचना करके कर्तव्य की इति श्री नहीं समझो जा सकती । इस सम्बन्धमें तो यही उचित है कि ध्यान-पूर्वक पत्रोंका निरीक्षण करते हुये, जिस समय, जो बात, पत्र विशेषमें आलोच्य समझ पड़े; उसी समय उस बात की

आलोचना समाचार-पत्रोंमें की जाय। यदि कोई पत्र अच्छे-अच्छे लेख या समाचार देकर जनताका हित-साधन करता है, तो उसके उन गुणोंकी प्रशंसा करके जनताको उससे परिचित कराना तथा पत्रको उत्साह प्रदान करना चाहिये और यदि कोई पत्र अपने दूषित भावोंसे देश या समाजका अहित कर रहा हो, तो उसकी उचित निन्दा करके उसके दोषों को हटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

पुस्तकों की आलोचना-पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की अपेक्षा अधिक सावधानी चाहती है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। समाचार-पत्रोंका प्रभाव अत्यंकालिक और पुस्तकोंका स्थायी रहता है। पुस्तकों पीढ़ियों तक पढ़ी जाती है। इसलिये उनकी आलोचना खूब सोच-समझ कर करनी चाहिये। पुस्तकोंके आलोचकको बड़ी द्विविधाका सामना करना पड़ता है। एक ओर तो उसे इस बात की आवश्यकता होती है कि वह जनताके सामने पुस्तक सम्बन्धी अपनी ठीक राय प्रकट करे, उसे उचितातुचितका बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी रखना पड़ता है कि लेखक कहीं इतना हतोत्साह न हो जाय कि आगेसे लिखना ही छोड़ दे। ऐसे अवसरों पर बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। परन्तु ऊपर के कथनसे यह अभिप्राय भी नहीं लेना चाहिये कि लेखक की हतोत्साहिताका ख्याल करके पुस्तक की उचित आलोचनासे मुँह मोड़ा जाय। यहां पर उपरोक्त कथनसे अभिप्राय केवल यह है कि वजाय इस भावके कि लेखक—यदि वह बुरा है तो—आलोचना द्वारा हतोत्साहित करके पुस्तकें लिखने से रोक दिया जाय, होना यह चाहिये कि आलोचना ऐसी की जाय, जिससे वह सुधर जाय और भविष्यमें हतोत्साह न हो बैठे; प्रत्युत् अधिक सावधानी और उत्साहके साथ उत्तरोत्तर वर्धमान-गतिसे अच्छी पुस्तकें लिखनेमें समर्थ हो। जो भलाइयां हो, उनकी खूब प्रशंसा की जाय; जो बुराइयां हों, उनकी निन्दा भी की जाय। किन्तु निन्दा दया पूर्वक हो, जिससे लेखकको प्रोत्साहन मिले। उसकी मिहनतका भी ख्याल रखना चाहिये। इस सम्बन्धमें दो बातोंका विशेष

रूपसे स्वाल रखना चाहिये। एह तो यह कि आलोचना ऐसी रूपका बरके आलोचना करने वेंठे कि लेगान में नव है और इनमें वह इ किसके सम्बन्ध की आलोचना को जा गई हो, उसके मध्यमें या राष्ट्रका रूपके अन्हीं वह मेरे सामने वेंठा है। इन कल्पनाओं ने आलोचना बदल दिया और महानुभूति-मय हो जायगी, जो उम्मा गुण गुण है। ऐसा कि प्रारम्भिक नवियों दी आलोचना करते हुए तो इन बातों ही ओर और भी ध्यान देना चाहिये। दिन्दी के आलोचकोंमें प्रायः वह देखनेमें आता है कि यदि उन्हीं आलोचक ने रिस्ट्री की निन्दा प्रारम्भ की, तो आदि ने अन्त तक निन्दा ठीं करता नहीं गया वहाँ र यदि प्रश्ना प्रारम्भ की, तो आदिने अन्त तक प्रश्ना ही भर देना है। वह दोष है। केवल निन्दा करना या केवल प्रश्ना करना ठीक नहीं है। उम्में तो गुणदोष दोनोंके उत्तेज की शावस्थरता होती है।

हमारे यहाँ, आलोचनाओं में, प्रायः यह भी देखा जाता है कि आलोचक महाशय लेखकके व्यक्तित्व पर भी स्वाक्षर करने रुग्न हैं, वह आदत वड़ी सराव है। आलोचना कृतिकी की जाती है, लेखकके व्यक्तित्व की नहीं। इसलिये वह कृतिके सम्बन्धमें कहा जाना चाहिये, न कि व्यक्तित्व पर। व्यक्तिगत आक्षेप करना आलोचना के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त यह भी तो मिद्द नहीं किया जा सकता कि केवल इसलिये कि अमुक व्यक्ति इठ बोलता है, कोई नीच काम करता है, उसकी रचना अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहा इस प्रकारके आदमियों ने अच्छी-अच्छी रचनाएँ की हैं। अतः यह एक निरपवाद नियम नहीं है। विवेचना रचनाके गुण दोषों की होनी चाहिये। लेखकके गुण-दोषोंसे आलोचक को कुछ क्षणके लिए अलग रहना चाहिये। यह ठीक है कि रचना पर लेखकके व्यक्तित्व की छाप अवश्य पड़ती है और इसलिये कहीं-कहीं पर लेखकके व्यक्तित्व की आलोचनासे रचना की आलोचनामें कुछ अधिक महत्व आ सकता है। परन्तु यह बात क्षणित् ही हो सकती है और इसका व्यवहार भी कुछ अधिकारी समालोचकों को ही करना

चाहिये। साधारणतया यदि लोग इस प्रकार की आलोचनाएँ करने लगेंगे, तो इष्टके स्थान पर अनिष्ट की ही अधिक आशङ्का होगी; जैसा कि आज कल की आलोचना प्रणालीसे स्पष्ट है। अतः सुविधा इसीमें है कि व्यक्तिगत आलोचना बचा ही दी जाय। प्रशंसात्मक आलोचना चाहे कर भी दी जाय; परन्तु इस प्रकार की निनदात्मक आलोचना तो अवश्य बचा देनी चाहिये। इससे कहुता फैलती है और पक्ष-विपक्षके इस प्रकारके आक्षेपों और प्रत्याक्षेपों से साहित्य में गन्दगी फैलती है।

रङ्गमञ्च पर खेले जानेवाले नाटकों की आलोचनाका कार्य तुलनात्मक दृष्टिसे अधिक कठिन होता है। उसकी अभी हमारे यहा प्रथा भी नहीं चली। कभी किसीने कहीं पर किसी नाटकके सम्बन्धमें, दो-एक शब्द लिख दियेतो लिख दिये, नहीं तो अधिकाशमें यह विषय अधूरा ही रहता है। परन्तु ; है यह बड़ा महत्व पूर्ण। इसलिये इस सम्बन्धमें भी दो एक शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा। नाटकों की आलोचनाके राम्बन्धमें सबसे पहिले तो यही बात विचारणीय है कि वह की जाय कव? इस सम्बन्धमें विद्वानोंमें मत-भेद है। कोई कहता है कि जिस दिन पहिले-पहिल नाटक रङ्गमञ्च पर आवे, उसी दिन उसकी आलोचना करनी चाहिये। कोई कहता है कि रङ्गमञ्च पर आनेके पूर्व ही अभ्यास-अभिनय ( रिहसेल ) देख कर ही उसकी आलोचना कर डालनी चाहिये और कोई कहता है कि कुछ दिन तक नाटकके खेले जा चुकनेके बाद, उसपर रायजनी की जानी चाहिये। किस बातको मानें, किसको नहीं, यह आलोचकको अपने आप निर्णय बरना चाहिये। फिर भी साधारणतः पहिले दिन रङ्गमञ्च पर खेले जा चुकनेके बाद ही आलोचना करना उचित होता है; क्योंकि रङ्गमञ्च पर आना ही नाटकना प्रकाशन है और जिस प्रकार पुस्तकें प्रकाशित होते ही आलोचना का विषय रमझी जाती है, न पहिले न अधिक समय बीतने पर, उनी प्रकार नाटक के प्रकाशन के तुरन्त बाद, न पहिले दौर न दूसरे दिन पीछे ही—उसकी आलोचना करनी चाहिये।

नाटक के आलोचकों को नाटक-भण्डलीके दानवामरा जान होना चाहिये, पुराने नाटकों की बातें याद हीनी चाहिये। सामारण गायत्र, वायु, नाव्य, आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। इनरे-दूरे नाटकों का परिनय रखना भी उत्तरके लिए आवश्यक दोता है। नाटक के आलोचना के लिये यही व्यावश्यक नहीं हैं कि वह नाटक देखन मन्दन्यो आलोचना करके इन्वेन्यू यी द्वितीयो समझे, वग्न वह भी आपदाक होता है कि वह नाटक भी भी उन्नित आलोचना करे। यह अस्था में यदि आलोचक नाहे, तो हिन्दी नट-गियर की व्यक्तिगत प्रशंसा करके उनको प्रोलाहित भी कर सकता है। मिठोलोवारेन ने अपनी पुस्तकमें इस सम्बन्धमें ५-७ प्रश्न दिये हैं। न्यात ये हैं :—

- १ क्या गाने सामयिक, मौलिक और प्रभाओत्पादक हैं ?
- २ पत्रों की बातचीत प्राकृतिक और चुस्त माल्हन होती है ?
- ३ पात्रोंमें—चरित्र-चित्रण प्राकृतिक है ?
- ४ नाटककार ने नाटकमें जो बातें लिरी हैं, वे जीवन की नवीं घटनाओं से मिलती-जुलती हैं ?
- ५ यदि ही, तो क्या नटों ने उन्हें ठीक-ठीक आदा किया है ?
- ६ अभिनय ( एंट्रिय ) प्राकृतिक ढंगसे ठीक-ठीक हुआ ?
- ७ रक्षमरके प्रवन्ध की सब बातें ठीक थीं ?

मिठोलोवारेनका कहना है इन प्रश्नोंके उत्तरसे ही नाटक की पूरी आलोचना हो जायगी। प्रश्न वास्तवमें महत्व पूर्ण हैं।

करीब-करीब नाटकों की आलोचना की भाँति ही सिनेमा की आलोचना भी समझनी चाहिये। इसमें घटना-क्रम की सामानिकता तथा अभिनय का प्राकृतिक—प्रदर्शन विशेष रूपसे आलोच्य होंगे। आजकल टाकी सिनेमाके युगमें जब नाटक छुप-प्राय हो चुके हैं तब तो इनकी आलोचना और भी अधिक व्यावश्यक हो गई है। इनकी आलोचनामें नाटक की आलोचना की प्रायः सभी बातें

विचारणीय होती हैं। अतः उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु दो शब्द इसलिये अवश्य लिखना है कि समाचार-पत्र टाकीके खेलों की आलोचनामें कितनी अनुत्तरदायित्व और हीन-स्वार्थ वृत्तिसे काम लेते हैं। टाकी रोज-रोजके प्रदर्शन की वस्तु है। अतः उनका विज्ञापन भी समाचार-पत्रोंमें रोज-मिलता है और चूंकि इन विज्ञापनोंसे सिनेमावालोंको दर्शक अधिक मिलते हैं इसलिये ये विज्ञापनोंके लिये दास भी खर्च करते हैं। इसका परिणाम यह देखा जा रहा है कि केवल इस भयसे कि यदि किसी फिल्म की आलोचना निकाली गई तो उसका प्रदर्शक अपना विज्ञापन बन्दकर देगा, समाचार-पत्र गन्दे-से-गन्दे खल की भी निन्दा नहीं कर सकते। इतना ही क्यों, वे गन्दे फिल्मों की भी उलटे प्रशंसा छाप देते हैं। इस प्रकार की प्रशंसा ए अधिकांशमें सिनेमा कम्पनियों द्वारा भेजी जाती हैं; परन्तु पत्रमें छपती हैं ऐसे ढंगसे मानो खय पत्र सम्पादक अपने विचार व्यक्त कर रहा हो। सम्पादकोंमें इतना भी नैतिक-बल नहीं होता कि कम-से-कम उस प्रकार की प्रशंसा तो न छापें। यह कितने खेद, कितने परिताप और कितनी लज्जा की वात है। जिन समाचार-पत्रोंका उद्देश्य जनता को गलत रास्तेसे हटाकर ठीक रास्ते पर लाना है, जो जनताके स्वेच्छा-सेवक होनेका दावा करते हैं, वे ही पत्र अपनी सेव्य जनताको ऐसी-ऐसी मिथ्या प्रशंसा ए छापकर उलटे रास्ते ले जानेमें सहायक होते हैं। और; यह सब वे करते हैं अपने दीन स्वार्थके लिए। कितनी लज्जामय-स्थिति है। इस ओर ध्यान की बड़ी जरूरत है।

अब रही चिन्हों, प्रतिमाओं आदि की आलोचना की वात। इस विषयके आलोचकका काम घड़ा सुन्दर होता है। उसे अपने नेत्रोंको तृप्त करनेका अनायास अवसर मिलता है। वह चित्रशालाओं और प्रदर्शिनियोंमें बै-रोक-टोक जा सकता है। किन्तु इस कामको सब कोई नहीं कर सकता इसके लिए मनुष्यमें सौन्दर्योपासनाका स्वाभाविक गुण होना चाहिए। जिसमें वह गुण विद्यमान होता है, वही इस कामको कर सकता है। इस गुणके अभाव

में सोउ मगुण इस विषयका मनालोनक नहीं हो सकता, ताहे उन्हे जिन्हीं दी गिक्का क्यों न दी जाय। इस गम्भन्धमें इस गुणता दोन्हा तो अनिकार्ग है। शित्य, चित्र आदि के आलोचकों ( Art critic कों ) मानवण बुद्धिसे काम लेने की धनिक थामन्यरता पत्ती है। नित्रालोनक ( Art critic ) के लिए ही बुद्धिमत्तारे काम लेने की दाता पर जोर इन्हिए दिया जाता है कि इन्हें अन्य विषयों नी भाति विषय की रीति गम्भन्धी बताते ही ( technicalities ) नहीं देखी जाती ; उन्होंने प्रभावोत्तमता, उपर्युक्ता, सुन्दरता आदि पर भी विशेष स्पष्ट ध्यान दिया जाता है। अस्तु । नित्रालोनकोंके लिए यह आवश्यक होता है कि व्यों ही कहीं पर प्रदर्शिती आदि गुले ल्यों ही कहा जान्दर उसका नूड्न निर्गीदण करे और दूँहे ही दिन मनानन्-पत्रमें तान्मध्यन्धी आलोचना प्रकाशित करे। इस गम्भन्धमें बुद्धि नित्रालोनक वयन यह भी है कि यदि प्रदर्शिती गुलनेके पहिले ही वदा पर रो हुए नित्रो और प्रतिमार्भोग अवलोकन करके उस पर ठोक उगी दिन यिन दिन प्रदर्शिती गुलनेहो हो, बुद्धि लिया जाय तो और वाविक उपयोगी हो सकता है। यदि चित्रालोचकरों अपने और पराये शित्यों की कृतियोंका ज्ञान हो, तो वह और भी अच्छी आलोचना लिरा सकता है। उस समय उसे दोनों प्रकार की नित्र-कला-प्रणाली दी बुलना करनेका वदा अच्छा अपराह गिल सकता है।

साधारणतया ऐसे ही विषयों की आलोचना की आवश्यकता होती है जो मानव-भौतिक को प्रभावित करते हों। जिनका मानव-भौतिक पर कोई प्रशाव ही नहीं पहता, उनके सम्बन्धमें बुद्धि लिरा जाय या न लिरा जाय, सब वरावर है। आलोचनाका उद्देश तो यही होता है कि जनता किसी विषय विशेषके अनिष्ट प्रभावसे प्रभावित होनेसे बचे तथा इष्ट प्रभावसे अधिकाधिक प्रभावित हो और यह काम उन्हीं विषयों की आलोचना द्वारा हो सकता है जो मानव भौतिकको प्रभावित करते हैं। ऐसे विषयोंमें साहित्य, संगीत और कला महत्व-पूर्ण स्थान रखते हैं। मनुष्यके भौतिकसे इनका गहरा प्रभाव



સુર્યાંગ પ્રદીપ કેવડા



पड़ता है। अतः इन विषयों की आलोचना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये इन विषयों की आलोचनाके सम्बन्ध की कुछ बातों का, यहां पर विशेष रूपसे उल्लेख किया गया है।

सब प्रकारके समालोचकों के लिये—चाहे वे साहित्य-समालोचक हों, चाहे सङ्गीत-समालोचक हों और चाहे कला-समालोचक हों—यह नितान्त आवश्यक होता है कि वे जिस विषय की समालोचना करने वैठें, उसका खूब सावधानी और ध्यान के साथ पहिले अध्ययन कर लें। खूब पढ़लें, खूब देख-सुनलें, खूब समझ-बूझ लें-तब कलम उठावें। जो विषय समझ में न आवे उसकी आलोचना कदापि न करनी चाहिये क्योंकि उसकी आलोचना से विषयके दोष-गुणका यथेष्ट विवेचन न हो सकेगा और इस की आशङ्का बनी रहेगी कि समालोचक जनता का लाभ करने की अपेक्षा कहीं हानि ही न कर वैठे।


आलोचनामें उन बातोंके प्रकट करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जिन्हे सर्वसाधारण सरलता-पूर्वक जान सकते हैं। परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता जान-बूझ कर किसी कृति की बुराइयोंमें वही जाती हो, तब इन साधारण बातों की भी आलोचना होनी चाहिये। वैसे, समालोचकके लिये असाधारण और किञ्चित् अप्रकट बातोंका प्रदर्शन और विवेचन करना ही उचित होता है। साथ-ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आलोचना नितान्त वैज्ञानिक और शास्त्रीय ही न हो जाय, वह साधारण जनता द्वारा पढ़ी और समझी जाने योग्य भी हो। इस बात की भी आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं की समालोचना की जाय, उनके विक्रेताओंके पास समालोचना की हस्तालिखित प्रतिलिपि या छपी हुई प्रति अवश्य मेज दी जाय। इससे यदि वास्तवमें ऐसी त्रुटिया होंगी, जो सुधारी जा सकती होंगी, जो विक्रेता या प्रकाशकको उसे सुधारने का मौका मिल सकेगा।

हिन्दी समाचार-पत्रोंमें आलोचनाएँ अभी उपर्युक्त म्यान नहीं मिला। इस और प्रगति आद्य होने लगी है; इन्हुं अभी और भी उज्ज्वलि की आवश्यकता है। हमारे यहाँ अधिकांशमें यह होता है कि आलोचनाएँ प्रायः सम्पादकगण ही लिख लाते हैं। इन्हुं स्वरूप रगना नाहिंगे कि नमादन और आलोचना दो गिर-गिर बातें हैं। इसके अतिरिक्त एह सम्पादक निन-निन विषयों जी योग्यता रख सकता है, जो नव विषयों नी पुनर्ज्ञ में देगनी चलनेके लिये उपयत हो जाता है? आवश्यक और उन्नित यह है कि आलोचना, विषयके विचार से, उन विषयके विशेषज्ञों द्वारा ही कराउं जाय ताकि जानताओं सामने पुछ जानने योग्य बातें पहुँचें। एह घात और भी विचारणीय है। अभी तक हिन्दी समाचार-पत्रोंमें यह नियम नहीं है कि उनमें प्रायः उन्हीं पुलाकों नी समालोचनाएँ निरुल्लती हैं जो उनके पास, प्रकाशकों द्वारा आलोचनाधे भेजी जाती हैं। उन पुनर्ज्ञोंके अतिरिक्त अन्य पुस्तकोंकी आलोचनाएँ प्रकाशित ही नहीं की जातीं। यह उचित नहीं। आवश्यकता यह है कि इस बात की ताकमें रहा जाय कि कौनसी नई पुस्तक कहामें प्रकाशित हुई, और फिर उसकी एक प्रति जिस प्रकाशसे बने, जल्दीसे-से-जादी प्राप्त की जाय और इनी विशेषज्ञ द्वारा उसपर आलोचना लिराकर पत्रमें प्रकाशित की जाय। समाचार-पत्र जनताके स्थाय सलाहकार होते हैं। इसलिये उन्हें प्रत्येक विषयमें सलाह देने की आवश्यकता होती है। उनके लिये पुस्तकें भेजे जाने की प्रतीक्षा करके वैठा रहना ठीक नहीं। किन्तु इस प्रकार रोजकर आलोचना प्रकाशित करनेमा कष्ट उठाना तो दूर की बात है, हमारे सम्पादकगण तो यहाँ तक रहते हैं कि यदि कोई भला आदमी अथानित रूपसे किसी पुस्तक की आलोचना भेज देता है तो वह यह कह कर अस्वीकृत कर दी जाती है कि पुस्तक हमारे यहाँ समालोचनार्थ नहीं आई। अस्तु। कहनेका तात्पर्य यह नहीं कि ऐरी-नैरी सब समालोचनाएँ छाप ही देनी चाहिये परन्तु उपर्युक्त दलीलके साथ विशेष-विशेष पुस्तकों की अच्छी समालोचनाएँ न लौटाई जानी चाहिये।

आलोचनाओं का भी एक खासा महत्व है। विदेशों में कभी-कभी केवल आलोचनाओं के लिये पत्रोंके विशेषाक निकलते हैं। हमें भी इस विषयको उचित महत्व देने की चेष्टा करनी चाहिये और ऐसा नियम बना लेना चाहिये कि आलोचनाए विशेष रूपसे योग्यताके साथ प्रकाशित हुआ करें।

---

## उप-सम्पादक



उप-सम्पादक पत्रकीय अभिनवका प्रमुख पत्र है। विना रिपोर्टर्सके काम चल सकता है, विना सम्बाददाताके काम चल सकता है, विना भेट करनेवाले, समालोचना करनेवाले और लेरा लिरनेवालेके भी काम चल सकता है, इन्हु विना उप-सम्पादकके काम नहीं चल सकता। इस कथनसे मेरा अभिप्राय उन सस्था तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी पत्रोंसे नहीं है, जो अपनी जाति या अपनी सम्प्राय दो-चार बातें दो-चार पन्नोमे छाप कर घाँट दिया करते हैं और इसके अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं होता, न मेरा मतलब उन सार्वजनिक पत्रोंसे ही है, जिनमे पत्रकीय गुणों की कोई बात नहीं पाई जाती। मेरा अभिप्राय ऐसे

पत्रोंसे है जो वास्तवमें समाचार-पत्र कहे जाने योग्य हों। वैसे तो खासकर हिन्दीमें दर्जनों ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ होंगी, जिनमें सम्पादकके सिवा किसी अन्य कर्मचारीका पता ही न होगा। सम्पादक भी ऐसे नहीं, जो उसी काममें लगे रहते हैं; वरन् ऐसे सम्पादक, जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भाति जैसे कोई अध्यापक स्कूल की अध्यापकी के अतिरिक्त एकाध दृश्योंशन कर लेता है, उस भाति—करते हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके लिये तो यह कहना कि उनका काम उप-सम्पादकके बिना नहीं चल सकता, निरा भ्रम है। वहा तो सम्पादकके बिना भी काम चल सकता है वेचारे उप-सम्पादक की तो बात ही क्या ?

सम्पादक और उप-सम्पादक दो मिन्न-मिन्न कर्मचारी हैं। किन्तु किसी-किसी समाचार-पत्रमें एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर लेते हैं। फिर भी इससे उनके कर्तव्योंमें एकता नहीं आ जाती। वे तो अलग-अलग रहते ही हैं। वैसे तो हिन्दीके बहुतसे सम्पादक-सम्पादकसे लेकर उप-सम्पादक, रिपोर्टर, समालोचक, प्रूफ-रीडर, डिस्पेचर और स्थाही लगानेवाले तकका काम करते हैं, और हिन्दीके पुराने सम्पादकोंको तो दरवाजे-दरवाजे अपने समाचार पढ़कर सुनाने तक जाना पड़ता था ! किन्तु इससे क्या इन सब कर्मचारियोंके काममें एकता आ जाती है ? क्या इन कर्मचारियोंका भेद और अन्तर मिट जाता है ? अन्तर स्पष्ट रूपसे बना रहता है। उसी प्रकार सम्पादक और उप-सम्पादकका अन्तर भी, बना ही रहता है। किन्तु इन दो कर्मचारियोंके कर्तव्योंमें बहुत कुछ समता रहती है। इसलिये इनका अन्तर सरलता-पूर्वक समझमें नहीं आता। जिस प्रकार रिपोर्टर और सम्पादकदाताके कार्यों और कर्तव्योंमें एक प्रकार दो समानता रहती है, उसी प्रकार सम्पादक और उप-सम्पादकके अनेक कार्य और कर्तव्य भी एकसे दो रहते हैं। इससे इन दो कर्मचारियोंके कार्योंका भेद समझनेमें किन्तु कठिनता पड़ती है। किन्तु हैं ये दो मिन्न-मिन्न कर्मचारी, एक प्रवाना और दूसरा उपप्रधान। इन दोनों कर्मचारियोंमें प्रवान अन्तर यह होता है कि सम्पादक समाचार-पत्र यी नीति निर्धारणसे सम्बन्ध स्थान है और उप-सम्पादक

उस निर्वाचित नीतिके अनुगाम पत्रका प्रकाशन करवाना है। एक व्यवस्था देना है, दूसरा उसका पालन करना है, एक गान्धी है और दूसरा गान्धी है अनुगामी। सम्पादक वैसे तो पत्रके तामाम विषयोंहा उत्तराधाना होता ही है ; इन्हीं वात्सर्मामें वह सम्पादकीय काल्पनिक ही उत्तराधारी होता है ( हिन्दीमें तो अनिकालिमें कही ज्ञन काल्पनिको लिखता ही है ) और उपराम्भादर समाचार-पत्रके शेष तामाम विषयोंहा । मर्जेवामें सम्पादक और उपराम्भादर स्थानीयी अन्तर है ।

जैसा कि प्रत्यकार-गान्धीके लिये, आत्मेचार आदि कुछ चार कर्मनार्थी छोड़कर, यह आवश्यक नहीं होता कि वे बहुत कहे जितना है, ऐसी प्रसार उपराम्भादकके लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह भुग्नकर पण्डित हो । आवश्यकता यह होती है कि एकही विषय की समस्त बातें जानने की शर्पेका वह समस्त विषयोंकी धोषी-धोषी बातें जानें । उग-गम्भादको तो अपरेजी कहावतके अनुमार ( Jack of all trades ) द्वारा विषयमें धोना बहुत दराल रखनेवाला होना चाहिये । इसका अर्थ यह भी न समझना नाहिये कि किसी विषयका प्रगाढ़ पाठित्य उपराम्भादकके लिये अनगुण है । चहनेका अभिप्राय केवल यह है कि वह आवश्यक नहीं है । इन्हीं यदि हो तो लाभ ही पहुँचायेगा । किसी विषयका जितना अधिक व्यापक ज्ञान उपराम्भादको होगा, उतनी ही अधिक योग्यतासे वह अपने कार्यका सम्पादन करनेमें समर्थ होगा । किन्तु इस प्रसार का विशाल पाठित्य न होने पर भी वह योग्यता-पूर्वक काम कर सकता है । आवश्यकता केवल यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे रोजमर्रा बोल-चाल की भाषामें समाचार लिख सके, दूसरी भाषाओंसे अपनी भाषामें शुद्ध अनुवाद कर सके और समाचार पर साधारण बुद्धिमानी, ईमानदारी और स्पष्टताके साथ टीका-टिप्पणी कर सके । इतना हो तो काफी है । उपराम्भादक की योग्यताके लिये इस प्रकारके साधारण ज्ञानके अतिरिक्त कुछ आन्य गुणों की भी आवश्यकता होती है । उसकी विवेचना-शक्ति बहुत उन्नत और

उसका मस्तिष्क वहुत सुलभा हुआ होना चाहिये, ताकि जो बातें कही जायं उसे वह वहुत जटदी और वहुत आसानीके साथ समझ सके और उसपर अपने विचार भी रारलता-पूर्वक प्रकट कर सके। उसमे यह अवगुण न होना चाहिये कि जरा-जरासी बातमें गुस्सा करे, उसे तो अपने मतके विरोध की बातें भी शांत चित्तसे ही सुननी चाहिये। चित्त की शाति प्रत्येक कार्यमें वहुत अधिक सहायक होती है। एक बात और भी होनी चाहिये। उसमें थोड़ी-सी निष्पुरता और किञ्चित् निःशीलता—उतनी ही जितनी एक न्यायाधीशको न्यायके समय रखने की आवश्यकता होती है—अवश्य होनी चाहिये। प्रायः यह देखा जाता है कि जान-पहचानके वहुतसे लोग उचितानुचितका विचार छोड़कर समाचार-पत्रोंमें अपने मतलब की बातें छपवानेका आग्रह करते हैं। उस समय उप-सम्पादकमें इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिये कि अनुचित बातके लिये वह निःसकोच होकर कह दे कि वह न छाप सकेगा। इससे कुछ लोग रुट अवश्य होंगे, किन्तु उस समय उप-सम्पादकको इस रुटता की परवा न करनी चाहिए। उप-सम्पादकके लिये सबसे प्रधान गुण यह होना चाहिये कि वह जनता की रुख पहचान सकता हो। इस गुण पर पत्र की सफलताका वहुत बड़ा अग्नि निर्भर रहता है। उसकी स्मरण शक्तिका तीव्र होना भी आवश्यक और महत्व-पूर्ण है। इससे उसे टीका-टिप्पणी करने और समाचारोंका तारतम्य निभानेमें, जो समाचार-पत्रको उन्नत और आदरास्पद बनानेमें वहुत सहायक होते हैं, वड़ी मुविद्या और सरलता प्राप्त होगी। हिन्दीमें अभी समाचार-पत्रको तेंयार करने की काफ़ी सामग्री नहीं है। हमें इमरुले लिये विशेष रूपसे अन्नरेजीका आश्रय ढूँढ़ा पड़ता है। विना डमके कमसे कम इस समय कोई पत्र जैगा चाहिये वैगा अच्छा हिन्दीमें नहीं निकल सकता। इनलिये उप-सम्पादकके लिये हिन्दी के अतिरिक्त अन्नरेजीका भी काफ़ी ज्ञान होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिस ग्रान्तसे हिन्दीका समाचार-पत्र निकलता हो, उस प्रान्त वी भाषा जानना भी आवश्यक और लभप्रद होता है। यदि अन्य भाषाएँ भी आती हों तो

थोर भी अच्छा। उप-सम्पादकने नवाजा और शीक्षण-पत्र का न बनने की गणिके होनेसे भी बहुत लाभ होता है। उम्मीद इनका एक अमीर उन्हाँह का न बनाने की वाले भी रानी नाहिये। काम बानाने आजा कि उन्होंने समाज कर आलने की बुन उप-सम्पादकके लिये एक बहुत आसान रुपा है। इन्हुँ उनके अर्थ यह भी नहीं है कि शीक्षणा तर्फेहे लिये जाने की अनुग्रहिता निकार छोड़ दिया जाय। वर निकार तो मांगागि है। शीक्षणा न हो, तो न मारी, इन्हुँ अच्छाउ तो होनी ही नाहिये। अच्छाउ निभाने हुए, कहि शीक्षणा हो जाय, तो मोनेमें सुगन्ध। इन गुणोंके अतिरिक्त गावधानी, जागरूकता, दायरगताय, परिव्रम-शीलना यारी तरह कि रानी-टिक भेज लुम्हीहे जाथ सुधे रहने वालों तंयार रहने की शक्ति, निकित नमगमे नव जाम रहने वी आदि गहरागी गुण भी उप-सम्पादक की योग्यता बतानेवाले रोते हैं।

पत्रको प्रभावशाली और लोक-प्रिय बनानेमें उप-सम्पादकता बहुत हाथ रहता है। माधारण लोकसत् कुछ ऐसा हैं, जो समाचार-पत्रोंके संस्कृतवे लिए जाहे वे सम्पादकीय हो और जाहे इसी लेनाह द्वारा लिये गये हों पढ़ने की ओर अहुचि रहता है। किनी विषयके तिलूत लेना पड़नेसे लिए लोग नमाचार-पत्रोंता सहारा न लेकर मासिक ब्रेमामिह-पत्रों आदिसे नाम लेते हैं। समाचार-पत्रमें तो वे समाचार पढ़ने की ही इच्छा रहते हैं। इन समाचारोंके संरलन का भार उप-सम्पादक पर रहता है। इसीलिये जायर यह कहा गया है कि समाचार-पत्रोंको प्रभाव-शाली और लोक-प्रिय बनानेमें उप-सम्पादकता बहुत बढ़ा हाथ रहता है। समाचार संरलनके अतिरिक्त उप-सम्पादक यह भी देखता है जो 'मैटर' जहा दिया गया है वह वहाँके लिए ठीक है या नहीं। जो रिपोर्ट रिपोर्टों और सम्पादकाताओं ने भेजी है वे यथा स्थान यथा विधि देदी गई हैं या नहीं, प्रूफ-सशोधन ठीक-ठीक हुआ है या नहीं, आदि। इन तमाम कामोंमें सम्पादक उप-सम्पादकोंको आदेश और सलाह बराबर देता है। जो विषय ऐसे हैं जिनमें सम्पादक द्विविधामें रहता है उन विषयोंके सम्बन्धमें अन्तिम

निर्णयिक उप-सम्पादक ही होता है। यदि सम्पादक की वृष्टिमें दो विषय समान रूपसे महत्व-पूर्ण हुए और दोनोंको प्रकाशित करने भरका स्थान पत्रमें न हुआ, तो यह निर्णय कि अमुक विषय दिया जाय और अमुक रोक लिया जाय, उप-सम्पादक पर ही निर्भर होता है। उप-सम्पादकीय कामके लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि सम्पादक अपने उप-सम्पादकों पर काफी भरोसा रखता हो। आवश्यकता इस बात की होती है कि पहिले ही से ऐसा उप-सम्पादक रखा जाय, जिसपर पूरा भरोसा हो। यदि ऐसी प्रतीति न हो, तो उस उप-सम्पादकको हटा कर, दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिये, जिसपर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल उप-सम्पादक पर सम्पादकका भरोसा होना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। उप-सम्पादकको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात समाचार-पत्रमें न चली जाय, जो कभी पहिले कही गई अपनी ही बातका खण्डन करती हो। क्योंकि इस प्रकार एक ही बातका कभी मण्डन और कभी खण्डन करनेसे जनता की वृष्टिमें समाचार-पत्र की बातका मूल्य कम हो जाता है और उसके प्रभाव पर आधात पहुंचता है। इसलिये यदि किसी ऐसी बात पर कुछ लिखने की आवश्यकता हो, जो पहिले लिखी जा चुकी हो, तो उसको खूब सोच-विचार कर और पहिले से मिलाकर लिखना चाहिये। परन्तु, इससे यह भी न समझ लेना चाहिये कि पिछली बातका कभी खण्डन किया ही न जाय। यदि पिछली बार कभी गलती हो गई है, तो उसे बार-बार दोहराते रहना तो और भी भयझर भूल होगी। कहनेका तर्स्य यह है कि अपनी निर्धारित नीतिका खण्डन न होने पावे, इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हिन्दीमें अधिकांशमें समाचार-पत्रोंके पास न तो व्यपने रिपोर्टर हैं और न सम्बाददाता ने समाचार समितियोंसे ही समाचार लिए जाते हैं। अविकाशमें जो कुछ होता है वह यह है कि— बाहरेजी तथा बन्य भाषाओंले समाचार-पत्रोंको पढ़-पढ़ कर उनसे समाचारोंका सम्झन लिया जाता है। सब समाचार-पत्रोंके लिए यह बात नहीं कही जा

रही। निगन्देह ऐसे भी पत्र हैं, जो अनेक समाचारोंते लिए इनी उनरे समाचार-पत्रके भोग्याल नहीं रहते। किन्तु, गाथ ही गाथ कह भी है, फिर ऐसी समाचार-पत्र बहुत थोड़े हैं। अधिकांश उनरे लिए वह गहरी समाचार-पत्रोंसे समाचार रेस्टेरल हिन्दीके समाचार-पत्र प्रशाशित मिलते हैं। ऐसी अपमानित गारांग और अन्य अपमानित आगतीर्मे उप-समाजोंते लिए, यह आपलाह होता है कि वे समाचार-पत्रोंत नृथ शामल करें। निजा ही अधिक वे समाचार-पत्र पढ़ेंगे, उनका समाचार-पत्र उनका ही अधिक लकड़ा निकलेगा। अच्छे समाचारों ही गोजमें उन्हें एक गिरावटी ही भानि समाचार-पत्रकाननके स्तोनेकोने लान लालने चाहिए।

हिन्दी और अंगरेजीके समाचार-पत्रोंके सम्पादनमें वहा बन्दर है। अंगरेजी में तार आते हैं, अंगरेजीके पंडि-लिंगे लोग उममें हेठा भेजने हैं, और अंगरेजी में ही उनका प्रकाशन होता है। इसलिए वहाके सम्पादकों और उप-समाजोंको अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तार आया, उसे थोड़ा धूत काट-चाट और जोड़ गाठ करके छपनेके लिए दे दिया, यम रातम। देटा आते हैं, पढ़े लिये आदमियों के, कम-से-कम इतने पंडि-लिंगे आदमियोंके, जो अपने जिनार अंगरेजीमें व्यक्त नर मरते हैं। वे आये, उन्हें भी यत्र-तत्र आवश्यक सम्पादन कर के छपनेके लिए दे दिया। किन्तु, हिन्दी समाचार-पत्रोंकी दशा विल्सुल प्रतिकूल है। वहाके सम्पादक और उप-सम्पादको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तार हिन्दीमें नहीं आते। इसलिए यदि तार आये, तो पहिले उनका हिन्दी अनुवाद, फिर सम्पादन करना पड़ता है। तब कहीं वे छपने लायक तैयार होते हैं। लेखों और समाचारोंका हाल भी भिज ही है। हिन्दीमें अभी जनता शिक्षित नहीं हुई। अधिकाश हिन्दी भाषी बेचारे अपने विचार तक अपनी भाषामें अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। विचारोंका तारतम्य निभाना तो बहुत कठिन है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके द्वारा भेजे गये समाचार शिकायते, लेख आदि प्राय, ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक

काट-छाट और जोड़-गाठ की जरूरत पड़ती है। अधिकांशमें तो वे पुनर्वार लिखने तक पहुंचते हैं। यह काम भी हिन्दी के उप-सम्पादकों को करना पड़ता है।

उप-सम्पादक पत्र की प्रभाव-शालिता, व्यापकता और विस्तारके अनुसार एक या अनेक होते हैं। जो समाचार-पत्र जितने अधिक विषयोंका समावेश करना चाहता है उसके लिए उतने ही अधिक उप-सम्पादकों की आवश्यकता पड़ती है। विदेशोंमें प्रत्येक विषयके लिए अलग-अलग सम्पादक रहते हैं; किन्तु हिन्दी में अभी इतनी उच्चति नहीं हुई कि कोई समाचार-पत्र इतने अधिक सम्पादक रख सके। बेचारे एक सम्पादकका व्यय-भार ही कठिनतासे उठा पाते हैं; अनेक सम्पादकोंका व्यय-भार कैसे उठावें? फिर भी जिन्हें एक आदर्श समाचार-पत्र बनाना है, वे सम्बालकरण अपने कर्मचारि-मण्डलमें आवश्यक वृद्धि करते ही हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके कार्यालयोंमें प्रायः तीन प्रकारके उप-सम्पादक होते हैं। एक प्रधान उप-सम्पादक जिसको अज्ञरेजी में Chief चीफ कहते हैं, दूसरा उप-सम्पादक, जो अज्ञरेजी में Sub editor सब एडीटर कहलाता है और तीसरे सहायक उप-सम्पादक जो अज्ञरेजीमें Assistants एसिस्टेंट्स कहे जाते हैं। चीफ या प्रधान उप-सम्पादकका ओहदा सम्पादकके नीचे होता है। उसका काम यह होता है कि वह समाचार-पत्रोंको पढ़ता जाय, जो आवश्यक समाचार समझ पढ़ें, उन पर निशान लगाता जाय और उनको काट-काट कर अलग करता जाय। एक-एक विषय पर अनेक समाचार-पत्रोंसे इन प्रकार 'चट्टिं' लिये जा सकते हैं। और उन हालतमें जब विष्य तो एक ही हो, किन्तु विवरणमें अन्तर हो, तब तो विभिन्न समाचारोंसे एक ही विषयके कटिं लिये जाने ही चाहिये। फिर उन छटे हुए पत्रोंसे लेनर प्रधान उप-सम्पादकको चाहिये कि उन्हें विभिन्न उप-सम्पादकोंके सुपुर्द घर उे और उन्हें यता दं कि उनमें से छिन-छिन दातों वा जित-जित प्रदाता से उपयोग करता है। उप-सम्पादक और उनके सहायक

प्रधान उप-मम्पादक के निर्देशानुसार ताम सर्वत है। इस गद उप-मम्पादक के उप बातों में लगाल रखना पड़ता है कि यो गमानार नहन्हरू हैं, यह कहने जाने पाए। इनमा ही नहीं बह गम स्थान पर अभिन्न प्रदर्शनी का भवित्व प्रकाशित किया जाए। उनमा को रचने के अनुरूप गर भवनहूं गमानारों का प्रकाशित करना गमानार-प्रबोहों उनमा कानेह प्रदर्शन माध्यम है। भवत, भावा और वर्ण विन्यास ( Sp. v. 100 ) में एक साता गमने की कहाँ वही वाप-व्यक्ता है। इन्दीमें इस बात वी प्रायः उपरेका वी जाती है। वर्ण विन्यास की तो परवा ही नहीं की जानी। यह अनुचित है। इस्ती ओर उनिहायत दिया जाना चाहिये। विशेष गुणाभके स्थिये कुछ गमानार गमने वही, जिनके वर्ण विन्यासके सम्बन्धमें भवतभेद हैं, एक तालिका यना रानी चाहिये और अपने पत्रमें उगीके अनुमार लियाना चाहिये विषमे यह न हो कि अपने पत्रमें एक गद्द कभी एक प्रसारते लिया जाय और उभी दूसरे। उप-मम्पादकों उनको समाचारोंका हेडिंग देने और कौन टाइर तक्षा उनिह दोगा यह जानने की भी जरूरत होती है। हेडिंग देने और नियंत्र परिचय लियानेमें जो उप-मम्पादक जितना कुशल होगा उमका काम उतना ही अभिन्न सरगहा जायगा। यह कम वहे महत्वका होता है।

इन प्रधान और सदायक आदिके अतिरिक्त एक प्रसारके उप-मम्पादक और भी होते हैं। इनको व्यावसायिक सम्पादक कहते हैं। इनका काम व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी समाचार देना है। ये शहरमें घूम-घूम कर या रिपोर्टर और सम्बाददाता भेज-भेज कर व्यापार सम्बन्धी समाचार प्राप्त करते हैं और उन्हें पत्रमें प्रकाशित करवाते हैं। इनके लिए यह आवश्यक होता है कि साहित्यका चाहे उतना अच्छा ज्ञान न हो किन्तु व्यापार व्यवसायमें पूर्ण दक्ष हों। उन्हें जानना चाहिये कि किस चीजका क्या भाव है, किस कम्पनीके शेयरोंमें क्या परिवर्तन हुआ, कृपिका क्या हाल है, फसल कैसी है, बादल वर्षा कैसी है, इसका व्यापारमें क्या असर पड़ेगा, किस कम्पनीका दीवाला निकला किसका निकलने-

वाला है, इससे किस व्यापारको धक्का लगेगा, देश और विदेशमें धन की क्या अवस्था है, राज्यकोषका क्या हाल है, विनिमयका क्या हाल है, उसके बढ़ने घटनेसे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि आदि। व्यावसायिक सम्पादक पर भी—सम्पादकको पूर्ण भरोसा करना पड़ता है। विदेशोंमें तो व्यावसायिक सम्पादक सम्पादकका समकक्ष एक कर्मचारी माना जाता है। वहाँ इस प्रकार विभिन्न विषयोंके अलग-अलग स्वतन्त्र सम्पादक होते हैं। किन्तु भारतवर्षमें अभी वह स्थिति नहीं आई। इसलिए यहाँ पर यह काम पहिले तो कराया ही कम जाता है। केवल बाजार भाव टेकर की कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है और अगर कहीं कराया भी जाता है तो विशेष उप-सम्पादक द्वारा ही कराया जाता है।

उप-सम्पादकका एक सम्पादकीय काम भी होता है। यद्यपि हिन्दीके उप-सम्पादकोंको इसका अवसर बहुत कम आता है, तथापि उसका उल्लेख इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कभी-कभी आही जाता है। वह काम है समाचारों पर टिप्पणी करने का। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादकको बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। उस समय जरा-सी गलती कर जानेसे महा अनिष्ट परिणाम निकल सकता है। जरा-सी गलती कर जाने पर फिर चाहे वह असावधानीके कारण हुई हो चाहे अज्ञान के—जनतामें एक दूषित धारणा बैध जाती है जो पत्रके लिए घातक होती है। भारतवर्षमें तो अभी गनीमत है कि यह भावना इतनी तेज नहीं है किन्तु विदेशोंमें तो यह हाल बताया जाता है कि एक चार की गलती करनेसे ही हजारों की ग्राहक सख्त्या अ हो जाती है। यहा भी यदि ऐसी गलतिया कई बार हो जाय तो ग्राहक सख्त्या पर घातक धक्का पहुंचेगा। और पत्र चिल्कुल निप्रभाव हो जायगा। लोग यह धारणा बता रेते हैं कि अमुक पत्र तो इसी प्रकार वे सिर पैर की उड़ाया करता है। इन प्रमार पत्रका विवाद, जो पत्र की जान हैं, जाता रहता है। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादकको पूर्ण सावधानी के साथ

कल्प उठानी चाहिये। जो बात मनमनें न आवे उससे दृग् तरु न चाहिये। विवादास्पद विषयोंमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लिये बिना भूल कर भी शाय न ढालना चाहिये। कोई बात बिना निखित प्रमाणके अपने मनसे ही न भाल रेना चाहिये। इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिये कि हम पर विषय निया जा रहा है और हम विषास पात न कर दें। जो फुट लिखा जाय वह साफ-साफ शब्दोंमें बिना किसी प्रकार भी लीपा पोती लिये हुए लिखा जाना चाहिये। उप-सम्पादकके लिए दीवालिया पन्ने समाचार देने में, 'भेज वज' ठीक करने में, व्यग उपहास पूर्ण न ये देने में, अदालती कार्यवाहिकों शीर्षक देने में, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। ये विषय बड़े-टड़े होते हैं। मान हानि कारक टेंड्रों पर भी विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिये। वर्धमें किसी की मान हानि क्षमा प्राप्ति न होने पाने। साथ ही साथ यह भी न होना चाहिये कि मान हानिके उरसे सन्ध्या गला घोटा जाय। बात जो सच हो वह स्पष्ट शब्दोंमें निर्भीकता पूर्वक कही जानी चाहिये चाहे उससे इसी की मान हानि होती हो चाहे प्रतिष्ठा।

उप-सम्पादकके अमरेमें रास-चारा वस्तुओंमें बेज, फुरती, कल्प, दावात सोख्ता आदिके अलावा नोटबुक, गोन्ददानी, कैंची, और पुस्तकालय जिनमें ससारके बड़े-बड़े पुरुषोंके जीवन चित्र तथा ऐसी किताबें हों जिनसे निसी बातके अनुसन्धानमें सहायता मिले अवश्य होनी चाहिए। ऐसे चित्राभारों की भी आवश्यकता होती हैं, जिनमें ससारके महा पुरुषों और रास-रास स्थानोंके चित्र हो। हमको दूसरे समाचार-पत्रों की सहायता लेनी पड़ती है और लेनी पड़ती हैं नाम मात्र नहीं बहुत अधिक। ऐसी दशामें यदि कैंची गोन्ददानी और नोटबुकका साथ छोड़ देंगे तो हम शायद अपने पत्रकों योग्य पत्र न बना सकेंगे। जब तक इधर-उधरके समाचार-पत्रोंसे समाचारके कटिङ्ग ले लेकर चिपका कर न रखे जायगे और आवश्यक बातें नोट करके न रखी जायगी तब तक समाचार-पत्रोंके लिए उपयुक्त मैटर कैसे तैयार हो जायगा। दैनिक-पत्रोंके

लिए जिन्हें रोजके रोज समाचार प्रकाशित कर डालनेका अवसर है, चाहे कैची गोन्ददानी की उतनी आवश्यकता न भी हो किन्तु सासाहिक-पत्रोंके लिए तो उनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इधर-उधरसे सप्ताह भर की घटनाओंका सारांश एकत्र करनेमें इन वस्तुओंका सहारा लेना सर्वथा अनिवार्य हो जाता है। पुस्तकालय और चित्राधारोंके सम्बन्धमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। किसी सम्पादकसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सब वातोंको जानता है। और सब सम्पादकोंको आवश्यकतानुसार प्रायः सभी विषयों पर कभी न कभी कुछ न कुछ लिखना ही पड़ता है। ऐसी दशामें यदि उक्त किताबें मौजूद न हों तो यह सम्भव नहीं कि सम्पादक योग्यता पूर्वक टीका टिप्पणी कर सके। रही चित्राधार की वात सो किसी विशेष अवसर पर यदि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तुका चित्र देने की आवश्यकता पड़ जाय तो उस अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। चित्र समाचारको अधिक रोचक बना देते हैं। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तुका समाचार जाननेके साथ-साथ मनुष्योंमें स्वाभावतः उनके चित्र देखने की इच्छा प्रकट होती है। यदि यह इच्छा तृप्त कर दी जाय तो उन्हें अधिक सन्तोष होता है। इसीलिए चित्राधार की आवश्यकता होती है। उनके चित्रोंसे ब्लॉक बनवा कर पाठकों की मनोकामना पूरी करनेका सुविधा पूर्वक अवसर प्राप्त हो सकता है।

---

## सम्पादक



सम्पादक पत्रकीय राजमरका सूचनाधार होता है। पत्रकीय कार्यों में उसका काम तुलनात्मक दृष्टिसे सबसे अधिक महत्वका है। और इसीलिए अन्य पत्रकीय कर्मचारियों की अपेक्षा सम्पादकमें साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता की भी अधिक अपेक्षा होती है। जहा अन्य कर्मचारियोंके लिये थोड़ा सा ज्ञान होना—लिखने पढ़ने भर की साहित्यिक योग्यता होना ही पर्याप्त माना जाता है वहा सम्पादकके लिये कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। परन्तु हिन्दीमें अनेक अवसरों पर स्कूल और कालेजसे पढ़ार निकलते ही लोग, यदि उनमें खोड़ी बहुत लिखने पढ़ने की शक्ति हुई तो पत्रके सम्पादनका भार अपने सर ओट

लेते हैं। सम्पादन करना हँसी-खेल नहीं है। वरसोंके निरन्तर निदिध्यास और अनुभवके बाद भी सङ्केतके साथ स्वीकारे जाने योग्य सम्पादकके गुरुतर पदको हम लड़कपनके स्थितिवाड़ की भाति अपने कन्धों पर लादने की बाललीला करते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल तो हो ही नहीं सकते, उलटा सबके सामने अपनी हँसी कराते और हिन्दी की सम्पादन-कला पर व्यर्थका कलड़ भड़ते हैं। परिपक्वता और अनुभव-जन्य प्रभावशालिता एवं विशदतासे ग्रन्थ अपने अधरुचरे विचारोंसे हम देश की गम्भीर-से-गम्भीर समस्याओं पर कलम चला देते हैं; न अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल है, न जनता और देश के हितका ही ठीक-ठीक ज्ञान है। यह अवस्था बड़ी भयंकर और अनिष्ट-होती है और दुर्भाग्यसे हमारे यहा इसीका प्रावत्य देख पड़ता है। सम्पादक सम्मेलन को चाहिये कि इसका उचित नियन्त्रण करने की चेष्टा करे। यदि यह भी होता कि किसी विश्वविद्यालयसे सम्पादन-कला सम्बन्धी शिक्षा पाकर कालेजसे निकल कर लोग सम्पादक बनते, तो भी, किसी अश तक क्षम्य समझा जाता, यद्यपि वह भी सर्वथा अवाञ्छनीय ही है। क्योंकि पत्रकीय कार्योंका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किये विना सम्पादक की ऊँची गढ़ी पर चैठना किसी हालतमें इट नहीं है। किन्तु यहा तो इस प्रकार की पटाईका ही प्रबन्ध नहीं। केवल साहित्य और इनी प्रकारके दो-एक अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे कोई सम्पादन की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेता। सम्पादकके लिए बहुत-नी ऐसी घातों की योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है, जो कालेजोंमें अन्से-कम इस समय नहीं पटाई जाती। इसलिए जिती व्यक्तिको सम्पादक बननेके पदिले किनी देश सम्पादकके पास रह और सम्पादकीय विभागके छोटे-छोटे कामोंसे प्राप्तमें दरफे आवश्यक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सम्पादक बननेजा सारम बरना चाहिये, अन्यथा नहीं।

उपर यहा जा चुना है कि सम्पादकके लिए अन्य उपचारियों की दरधेश अंदर सतहिति और देशिक सेवना भी आवश्यक होती है। इन शुल्कोंके

अतिरिक्त सम्पादक की योग्यता प्राप्त करनेके लिए और भी हुई शुरू हो चक्र-शक्ति होती है। सम्पादक में, रिपोर्टर, गम्भाइटला, बैंड करनेकले, सम्पादक-लोचक, उप-सम्पादक, लेगाठ आदि नम्बाइटले विभाजने सम्बन्ध सम्पादकले तमाम वर्सनारियों की साधारण योग्यताएँ तो होती ही नहिये एवं उनके ३ लाख उनमें समुन्नत विभाजना-वर्त्ति, निष्परमाप, ग्राह निर्विका नलिक, न्याय-प्रियता, सुन्दर स्मरणशक्ति, शीघ्र नम्बन्धे और निधान पर पहुँचने ही शक्ति सावधानी, उत्तरदायित्व की भावना, कार्यशीलता, उन्नात, स्टार्डभूषि, सचारित्रता, लग्न, स्वाभिमान, दृष्ट-प्राप्ति के लिए जैननी आदि-आदि, अनेक गुण भी होने नाहिये। जिनमें इन गुणोंके अभाव हों, उन्हें इन समझें, नामन कला की प्रतिष्ठाके नामपर, हाथ उल्लेख दु माहन क्षणिन दरकान नहिये। सम्पादक के लिए सम्पादन-कला सम्बन्धी विशद जन और अनुभव होना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। उसमें नाहित्य-ज्ञान, भावा-शान, अनन्त देश का पूर्ण इतिहास-ज्ञान, राजनीति, अर्दशाल तथा अन्तरराष्ट्रीय शास्त्र-विधानों का सूक्ष्म ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। हिन्दीके सम्पादनके लिए अपनी मातृभाषाके अतिरिक्त अन्नरेजी तथा अन्य एकाध एतदेशीय भाषाके जानने की भी आवश्यकता होती है। विशेष कर उस प्रान्त की भाषा तो उसे जाननी ही चाहिये, जिस प्रान्तसे पत्र निकल रहा हो। इन गुणों और इन योग्यताओं की उपयोगिताके सम्बन्धमें पिछले अध्यायोंमें घुत कुछ लिखा जा चुका है। अतः इनका इस प्रकार सक्षित विवरण ही पर्याप्त होगा। कौन गुण सम्पादकीय कार्यमें किस समय आवश्यक होगा, यह आसानीसे जाना जा सकता है।

प्रसिद्ध विद्वान मिं० कार्लाइल ने पत्र सम्पादकोंके सम्बन्धमें कहा था कि पत्र सम्पादक सच्चे सम्राट और धर्मोपदेशक होते हैं, हितीय सम्पादक सम्मेलनके सुयोग्य सभापति पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी ने सम्पादकीय कार्यको असाचित या स्वय स्वीकृत सेवाके नामसे पुकारा था। दोनोंका मतलब प्रायः एक ही है। फिर भी इसे असाचित सेवाका नाम देना अधिक युक्ति-सन्नत मालूम होता है।

स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित् सेवा अर्थात् वह सेवा जिसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, कितनी विश्वाल, कितनी महान्, साथ ही साथ कितनी नाजुक होती है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सम्पादक बनकर हम विना देशके कहे ही अपने आप उसकी सेवाका बीड़ा उठा लेते हैं। इसलिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पण्डित माखनलालजी ने इस जिम्मेदारी की ओर बड़ी सार्विकताके साथ ध्यान आकर्षित किया है। चतुर्वेदीजी का कथन सर्वथा सत्य है। यह उत्तरदायित्व बहुत भारी होता है। इस प्रकार ख्य स्वीकृत या अयाचित् सेवामें हमें बहुत अधिक सतर्क, सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता होती है। किसी की प्रार्थना पर को गई सेवामें यदि कोई त्रुटि भी हो जाय तो कोई अधिक भय की बात इसलिए :नहीं होती कि यह कहनेका मौका रहता है कि एक मनुष्यको मेरी सेवाओं की आवश्यकता थी, मुझसे उसने कहा और जो कुछ बुरा-भला बन पड़ा, वह मैंने किया। और अगर अधिक आवश्यक हो, तो यह भी कहा जा सकता है कि—कुछ मैं अपने आप धोड़े ही उनकी सेवा करने दौड़ा गया था। उनको गरज थी। उन्होंने मुझसे कहा था और मैंने किया। इस प्रकार की बातें कह कर उत्तरदायित्व टाला जा सकता है; किन्तु अयाचित् सेवाओंके सम्बन्धमें जबान खोलने की गुजाइश नहीं रहती। विना किसी के आवेदन-निमन्त्रणके सेवा करने दौड़ें तो फिर उसमे किसी प्रकार की त्रुटि भूल कर भी न होनी चाहिये। अन्यथा उसमे सेव्य प्रदार्थ को अधिक हानि पहुंच सकती है। सम्भव है कि आपकी सेवाएँ देखकर वह अपने दूसरे प्रयत्नोंको म्यगित कर दे, जो निश्चित हप्से उनके लाभके होते। ऐसी दशामें यदि आपकी सेवाएँ उसे कुछ लाभ न पहुंचा सकें, इतना ही नहीं, उल्टा हानि पहुंचाने लगें तो उसका कितना नुकसान होगा ? यह स्पष्ट है। इसलिए अयाचित् सेवाओंका उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर होता है और उनकी गम्भीरताका सदा स्मरण रखते हुए ही इस प्रकार की सेवाएँ करनी चाहिये। किन्तु; हुँत तो यह है कि जिन प्रकार अनेक अवसरों पर

सार्वजनिक सभाओं और उनमें के उपचारों की शैयाह न मनकर वह मालिक समझते लगते हैं, उनी प्रकार—जहीं उनमें उष्णी अविद्या—हारे सम्पादक वन्सु अपनी गेज़ा-भाषण से भुजात्तर जनताहि मालिक बनात्तर उनके साथ व्यवहार करते हैं। चेवड और मार्टिहने याताहामें अधिक अन्तर नहीं है। आदर्श सेवक और आदर्श मालिक ग्रामट एक ही से होते हैं। किं भी दोनों की भावनामें अन्तर अपश्य देता है। उनी अन्तर्मो अलग रखने की आवश्यकता है।

निर्धारित समय पर अपना यव साम रखना जिनना सम्पादक के लिये आवश्यक होता है, उतना दूसरे हिंसा कर्मनार्थके लिए नहीं। उनके लिए ठीक समय पर दफतरमें आ उपस्थित होना, ठीक समयसे उप-सम्पादकों, सम्पादकों आदि मातहत कर्मचारियोंको हिदायतें देना आदि अल्लान्त आवश्यक होता है। प्रेमके कम्पोजिटर आदि ठीक समयसे आते हैं। अत यह आवश्यक होता है कि सम्पादक उम समयके अनुमार उपनेके लिए दिना जानेवाला मताला तैयार रखे। यह तभी हो सकता है जब वह स्वयं और अपने मातहतों द्वारा ठीक समय पर काम करने और करानेका आदी हो। ऐसा न करनेसे कम्पोजिटर लोग आ कर कम्पोजिट के लिए कोई मताला न होनेके कारण घंटे रहेंगे और उनका समय व्यर्थ नष्ट होगा। इसलिए सम्पादकोंको समय पर काम करने की सदा टेंव रखनी चाहिये। सम्पादकोंमें उप-सम्पादकों की भाति और उन्हीं कारणोंसे किसित् निष्ठुरतामय न्याय-प्रियता होनी चाहिये। उचितानुचितका विचार तो इतना दृढ़ और प्रत्युत्पन्न होना चाहिये कि कहाँ भी भूलने की आशङ्का न हो। किसी विषयका निर्णय न कर सकने की कमजोरी सम्पादकके लिए सबसे अधिक घातक होती है क्योंकि उसका प्रधान कार्य निर्णय करना है। यदि वही न हुआ, तो सम्पादक की उपयोगिता ही क्या रही? सम्पादकको योग्य बनने की, जो अविकाधिक विषयोंका ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता रखता हो, बहुत अधिक आवश्यकता होती हैं। इस

बात की आशा किसीसे भी नहीं की जाती कि वह सब विषयोंको जानता ही हो। किन्तु सम्पादकोंको प्रायः सभी विषयोंमें कुछ न कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ा ही करती है। अतः उन्हें इस विषय की केन्द्रिया कि प्रायः सभी विषयोंमें कुछ न कुछ जान लें, सदैव करते रहना चाहिये। यदि सब विषयों की जानकारी न हो, तो इतना तो अवश्य होना चाहिये कि जिनकी जानकारी न हो, उनके विषयमें इतना जान लें कि वे कहासे जाने जा सकते हैं। सम्पादकोंके लिए वाक्पटुता और पैनी तर्क शक्ति बहुत लाभ की वस्तुएँ होती हैं। उपस्थित समय और परिस्थितिसे आवश्यक लाभ उठाने की प्रवृत्ति एव समय की सूक्ष्म—किस समय क्या करना चाहिये इसका बोध—भी सम्पादकोंके लिए कम आवश्यक नहीं होते। उनमें मनोविज्ञानका इतना बोध होना चाहिये, जिससे वे सखलता और शीघ्रता-पूर्वक मनुष्योंके स्वभावको पहचान सकें। इसके अतिरिक्त काममें जुट पड़ने की एक अजीव धुन और उसको योग्यताके साथ शीघ्रता-पूर्वक समाप्त करने की कुशलता भी उनमें होनी चाहिये। सम्पादकोंमें हाजिर जवाबीका गुण होना भी वडे लाभका होता है और हाजिर-जवाबीके लिए तीव्र स्मरण शक्ति आवश्यक होती है। समाचार-पत्र पढ़नेनां तो सम्पादक के रोग होना चाहिये। जो सम्पादक जितना अधिक समाचार-पत्र पढ़ेगा, वह अपना काम उतनी ही अधिक योग्यता और सम्पन्नताके साथ कर सकेगा। दूसरे समाचार-पत्रोंके अलावा सम्पादकको अपना पत्र पढ़नेका भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। यह नियम बना लेना चाहिये कि ज्योही अपना पत्र प्रकाशित हो जाय, त्यो ही उसे आद्योपान्त ध्यानसे पढ़ जाय। इससे उसे अपने पत्रकी भलाई बुराझ्यों का पता लगेगा और वह आगेके लिए उसे सुधारनेका प्रयत्न करेगा। पढ़नेमें केवल लेख ही पढ़ कर न रह जाना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि उसकी सजावट वगैरह कैसी है और विज्ञापनोंमें कैई अद्लीलता या ऐसी बात तो नहीं आ गई, जिससे कुरुचि बढ़ती हो। यदि ऐसा हो, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अपने मातहतोंके साथ सम्पादक

को विशेष रूप से उठाना और नामदाता करना कहा जाएगा। उन पर पूर्ण विद्याप रखना, उनकी सुनी होना रखना, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, गतियों पर उन्हें शमाचार-व्यवाह लिखने उन्हें उपचार की थेजा वाल्लन-पूर्वक गल्ली मुकाबले उपेंग देना, आदि समाचार के इन की बातें हैं।

पिछले अवायोंमें उहा जा चुका है कि समाचार-पत्र नाम से सम्पत्ति हमने विदेशोंने ली है। अतएव उन्हें ग्रान्टके लिये भी हमें वहीके माहिलता मोहताज रहना पड़ा है। समाचारोंके लिये आवश्यक है कि वे समाचार-पत्र सम्बन्धी विदेशी माहिलेमें परिचित रहें। इन्हुंने इनका अर्थ यह नहीं है कि हमें आंग नूँदस्तर उनका अगुणरण भी शुरू कर देना चाहिए। वैसा तो हम कर ही नहीं सकते। हमारी और उनकी परिणामियों जमीन-आगनामका अन्वर है। हमारी उनकी समता तो ही ही नहीं सकती। इन्हुंने हम वहूंत सी बातें सीरा रखते हैं, इससे भी इन्हाँर नहीं लिया जा सकता। सम्पादकीय कार्योंमें अभी हम उनकी टफ़र देनेके लायक नहीं हुए। इन्हुंने; उसोंग करते हुन्हें से यह असम्भव नहीं है। विदेशोंके पत्र हमारे पत्रोंकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे निकलते हैं। इसके अनेक कारण हैं। सम्पादकीय कार्योंमें वहा प्रायः प्रत्येक विषयके अलग-अलग सम्पादक होते हैं, जो अपने-अपने विषय पर विचार और युक्तिशुर्ण लेस प्रकाशित करते हैं। अब यह एक स्वयं स्तिष्ठ बात है कि एक ही आदमीके समस्त विषयों पर लिखने की अपेक्षा, जैसा कि हिन्दीमें हो रहा है, भिन्न-भिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए विचार कहीं अधिक मूल्यवान और महत्व-पूर्ण होंगे।

विदेशोंमें प्रायः सम्पादकका नाम गुप्त रखा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग मनुष्य की व्यक्तिगत महत्त्वासे नहीं, पत्रकी महत्त्वासे पत्रका मूल्य आंखते हैं। किन्तु भारतमें समाचार-पत्रों पर व्यक्तित्वका बड़ा गहरा असर पड़ता है। यहाँ पर यह सुविधा तो है ही नहीं कि सम्पादकका नाम

दिये विना कोई समाचार-पत्र निकल सके। कानून की कृपासे सम्पादकका नाम अनिवार्य रूपसे प्रकाशित करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि सम्पादक अपनी व्यक्तिगत सेवाओंसे पहिले ही से स्थाति प्राप्त नहीं किये होता, तो उसके पत्र की भी प्रतिष्ठा कठिनाईसे होती है। पत्रकी प्रतिष्ठा के लिए सम्पादकको जन-साधारणमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह पहिले ही से लब्ध-प्रतिष्ठा हुआ, तब तो ठीक, नहीं तो सम्पादकीय कार्यके अतिरिक्त बाहरके ऐसे काम भी सम्पादकको विवश होकर अपने सर औद्धने पड़ते हैं, जिससे प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। इस प्रकार सम्पादकको कामका बहुत सा बहुमूल्य समय बाहरके कामोंमें देना पड़ता है। बेचारे सम्पादक ऐसा करनेके लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिष्ठा पर आधात पहुंचता है। उधर सम्पादनका काम इतना अधिक होता है कि उससे बचाकर दूसरे कामोंके लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। बेचारा सम्पादक इस प्रकार अधिक परिश्रम की चक्रीमें पिय कर अपने स्वास्थ्यसे हाथ धो बैठता है। यदि प्रेस सम्बन्धी कानूनोंसे यह बात उड़ा दी जाय कि पत्रके सम्पादकका नाम देना अनिवार्य है, तो बहुत कुछ सरलता और सुविधा हो जाय। उस दरामें जनता व्यक्तित्व परसे नहीं, स्वयं समाचारके सम्पादनसे समाचार-पत्रोंका मूल्य आंकने लगेगी और फिर सम्पादकोंको उपनी प्रतिष्ठाके लिए बाहर दौड़-धूप करने की आवश्यकता न रह जायगी। वे सब समय और तब शक्तिया समाचार-पत्रको सुन्दर और उपयोगी बनाने में ही लगावेगे और सम्पादन-बल की उत्तिहोगी और अपने पत्र की प्रतिष्ठा स्थापित कर लेने पर सम्पादक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो अतायास हो दी जायगी।

सम्पादकोंका स्थान जितना ऊँचा होता है, उन पर उतना ही अधिक अर्द-भार और उतना ही अधिक उत्तरदातित भी होता है। दैनिक-पत्रके सम्पादकोंके तो तो रातों-दिन उट्टा रहना पड़ता है। एच-एक पत्रके पड़ना, उनका ज्ञात देना प्रस्तुर समाचार-पत्रके पड़ना, उनमें से एक बड़ा और उपयोगी लेने

फाट-फाट पर रहा रहा, उनमें अपने पत्रमें मामधानी और युद्धिलाली के गाथ उपयोग करना, नवाचार-पत्र ही नीतिसा नियन्त्रण रखना, उमसी भाषा, उनके भाव आदि का निरीक्षण करना, मातृत्व र्सनारियोंमें इदायते देना, देना लिहना, छिपणियाँ तैयार रखना, या तैयार रखना, आदि इन सामाजिक देखों का सम्पादन करना, अपने उपगम्भारहों हाथ तेजार लिये तुए लेने अ इ का निरीक्षण रखना आदि-आदि न जाने दिल्ले काम गम्भारहों द्वाने पड़ते हैं। दूसरे देशोंमें पत्रोंका उत्तर देनेमें सम्पादकहों बहुत शास्त्रानी और नियमग्रहणसे काम करने की आवश्यकता होती है। प्रायः आक्रियामें आत्म उन्हें पहिले यही काम करना होता है। हिन्दीके गिर अभी इन्होंने इनी महत्त्व नहीं दी जा सकती। कारण यहाँ है। यहाँ पर पत्रोंके रिपोर्टर, सम्बद्धाता, भेंट दर्जेमाले, रैनिस-नम्बाददाता आदि आद्यक गद्य और गलहेमागा करते हैं। उन्हें यदि उनित समय पर इदायते न भिलें तो न जाने कितनी हानि हो जाय, इसलिए वह तां पत्रोंजर्सें अख्यन्त तत्परता रखनी ही पड़ती है, किन्तु हिन्दीमें रिपोर्टर सम्बाददाता आदि र्सनारियों की अधिकता नहीं, इसलिए यहा यदि पत्रोंजर्स काम, पत्रका रोप्यमरांका काम रातन कर लेनेके बाद भी निया जाय, तो चल सकता है। किन्तु इस प्रतार इन सम्बन्धमें उदासीनता करनेका बहाना निजाल लेना भी ठीक नहीं है। प्रश्न आवश्यक और सहत्य-पूर्ण हैं। अतः उस पर तत्परताके साथ जान दिना जाना ही चाहिये।

सम्पादकीय कार्यों में सबसे अधिक महत्वके तीन कार्य हैं। एक तो समय का रुझ व जनता की रुचि पहचानना, दूसरा उसके अनुसार समाचारोंको भनो-रजक बना कर प्रकाशित करना और तीसरा समाचारों और सामयिक लेखोंका ठीक अनुकूल समय पर प्रकाशित करना। अख्यारमें समाचारों की ताजगी और लेखों की सामयिकता वडे महत्व और लाभ की वस्तुए सिद्ध हुई हैं। इसको सम्पादन कार्यका शुरु मानना चाहिये। प्रत्येक समाचार, प्रत्येक टेक्स और

प्रत्येक विवरण प्रकाशित करनेके पहिले इन बातों पर एक बार अवश्य ध्यान देना चाहिये। जनताके हित की बात पत्रमें प्रकाशित होनेसे कभी छूटने न पावे। वह अवश्य प्रकाशित हो और ऐसे रोचक ढङ्गसे, जिसे जनता अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक पढ़े। जनता समाचार-पत्रोंके बड़े लेख प्रायः कम पढ़ती है। अतः सम्पादकको यह व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लेख अधिक बढ़ने न पावें। जो विवरण बड़े हों, उन्हें इस प्रकार छोटे-छोटे टुकड़ोंमें विभक्त करके मनोरञ्जक बना देना चाहिये कि सब बातें भी आ जाय और पढ़नेवालोंका मन भी न ऊबे। टिप्पणियों आदिके सम्बन्धमें यह नीति होनी चाहिये, कि बजाय थोड़े विषयों पर बड़ी-बड़ी थोड़ी टिप्पणिया देनेके अधिक विषयों पर छोटी-छोटी अधिक टिप्पणिया प्रकाशित की जाय। इनमें भी—यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि किस बात पर जनता अधिक आकृष्ट होगी-आदि। पत्रको अत्यन्त विद्वता पूर्ण गम्भीरतम बनाने की अपेक्षा साधारण श्रेणीका ही पत्र बनाना अधिक हितकर होता है। साधारण जनता समाचार-पत्रोंमें गम्भीर लेखोंके पढ़ने की इच्छा नहीं करती। वह तो केवल साधारण जानकारी की रोजमर्मा घटने-बाली बातें ही पढ़ना चाहती है और ऐसा ही मसाला उसे पढ़नेके लिए दिया जाना उचित है। ऐसा न करनेसे हानि भी है। बड़े-बड़े गम्भीर लेख प्रकाशित करनेसे पाठक कम मिलेंगे, पत्र की ग्राहक सख्ता घटेगी और इस प्रकार वह ( पत्र ) उतने बड़े जन-समुदाय की सेवा करनेसे बच्चित रहेगा, जितने की कि वह अन्यथा कर सकता। पत्रमें अधिकाधिक विषयोंका समावेश करनेका प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद हों और जिनके सम्बन्धमें सम्पादक स्वयं किसी खास निर्णय पर न पहुंचा हो, तुप रहना ही उचित होता है। किसी बातको बिना प्रमाणके कभी न मान लेना चाहिये, यह आदत बहुत बुरी है, कि चाहे समझे चाहे नहीं, जो विषय सामने आया; दो-चार हाथ साफ कर दिये। इस प्रकार अज्ञान मूलक विचारोंसे लाभ की आशा तो हो ही क्या सकती है, उलटा हानि की बहुत बड़ी आशङ्का रहती हैं। यह ध्यान रखना

प्रत्येक सम्पादक का परमधर्म है, कि जनता उग्रहे विद्यामें है और उसे उन विद्याम् पान्नता नी प्रगल्भयेऽपि रक्षा रखनी है। इन बान्दरों लिए गदा नामधान रहना चाहिये कि विद्याम्-धात न हो जाय। जिसीके दृष्टमें आज्ञा या निशी के मुलाद्विजेमें आसर न हो अगच्य या अनिष्ट चान् यदायि न प्रकाशित रहनी चाहिये। ऐसे आगरों पर दृष्टापूर्वक निलंबन अपने उत्तरदायिन और कठोर-कर्तव्यको समरण रहते हुए निरेदक यापिन्मे सभा शब्दोंमें अपनी विप्रशता सविनय प्रस्तु कर देनी चाहिये।

सम्पादक कार्य एवं प्रनान्न भेनापति का-ना राग है। जिस प्रकार प्रधान भेनापति अपनी सेनाओं मनालन करता रहता है, उसी प्रकार सम्पादको अपने पत्रका मनालन करना पड़ता है। जिस प्रकार एक योग्य भेनाके चलने किरने, खाने-पीने, लड़ने-भिज़ने आदि पर भेनापति अपनी तिगाह रहता है, उसी प्रकार सम्पादक-सेनापति भी अपने रिपोर्टर, सम्पादकाता, उप-सम्पादक आदि सिपाहियों पर अपनी तिगाह रहता है। दोनों की जिम्मेदारियाँ भी करीब-करीब एक सी ही होती हैं। घड़ी सामधानी जागह रक्ता की आवश्यकता होती है। जरा भी भूले कि गये। अपने मातृत्वोंको रूप समझा बुक्कात दिदायते देनी चाहिये। समाचारोंके लिए कटिह आदि देन्त्र टिप्पणी आदिके लिए हिदायत देते हुए, स्पष्ट रूपसे बता देना चाहिये, कि अमुक विषय पर अमुक-अमुक यातें लियी जायगी, अमुक छासे लिरी जायगी और अमुक-अमुक स्थानसे मसाला मिल सकेगा। पूर्व-लिखित किसी विषय पर पुनर्वार लिराते समय पहिलेवाले लेतसे मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है। इससे अपने ही पत्रमें मतभेद होनेका डर नहीं रहेगा। इस बात की आवश्यकता उस समय नहीं होती, जब सम्पादक की नीति अपने विषयमें दृढ़ है। क्योंकि उससे मतभेद की आशक्षा न होगी। उस समय भी इसकी आवश्यकता न होगी, जब सम्पादक जान-बूझ कर अपना मतलब बदल रहा हो। परन्तु साधारण अवस्थामें जब किसी पुराने विषय में कुछ लिखना हो, तो पहिले लिखे गये लेखों की बातें पढ़ लेना हितकर ही

होगा। लिखनेमें स्पष्टता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जो कुछ लिखा जाय, वह विलकुल साफ-साफ शब्दोंमें इस प्रकार लिखा जाय, जो सबकी समझ में आ सके। लेख हों, या समाचार प्रायः इस धारणासे लिखना चाहिये, मानो उसके पढ़नेवाले विलकुल नये और अर्धशिक्षित ही हैं। सम्पादकके लिए यह अधिक अच्छा होता है कि प्रेसमें छपनेके लिए टेनेके पहिले सब 'भैटर' वह एक निगाहसे देख ले। उसे अपने पास विशेष-विशेष स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं केसचित्र विवरण, आवश्यक पुस्तकें, आदि रखनी पड़ती हैं, जिनसे आवश्यक अवसरों पर सहायता ली जा सके। लेखों आदिके सम्पादनमें बड़ी चुट्टिमानी और सावधानी की आवश्यकता होती है। इस काममें सीखने की अपेक्षा अभ्यास करने पर ही अधिक सफलता मिलती है। अन्यस्त सम्पादक एकाध वाक्य या एकाध शब्दके घटाने-बढ़ानेसे तमाम लेखका स्वरूप बदल देते हैं। सम्पादकों का, पत्र की ग्राहक संख्या बढ़ानेमें बड़ा हाथ रहता है। यदि वे धोड़ी सी सावधानी से काम ले, तो आसनीके साथ ग्राहक बड़ा सकते हैं। सम्पादकों में मानव-प्रकृतिका बहुत सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। मानव-प्रकृतिके इस ज्ञानके सहारे वे यह जान लेंगे कि जनता किस प्रकारके लेखों और समाचारों से आकृष्ट होगी और उसके अनुत्प समाचार टेकर वे अपने पत्र की ग्राहक संख्या बड़ी आसानीके सथा बढ़ा सकेंगे।

मानहानिकारक लेखोंके सम्बन्धमें नम्मादक की खास जिम्मेदारी होती है। उप-सम्पादकों की भाँति इस प्रकारके लेख व समाचार आदि रोकने की नीति, उन्हीं शर्तों के साथ, सम्पादकके लिए भी दितकर अन्य हो सकती है किन्तु केवल उसीसे काम नहीं चल सकता। सम्पादकोंको और विशेष कर हिन्दीके वर्तमान सम्पादकोंको इस सम्बन्धमें तनिक साहजसे काम लेने की आवश्यकता होती है। उनके पास विकायती अत्याचारबा वर्णन करने हुए अनेक पत्र भेजे जाते हैं। और भी अनेक प्रकारके समाचार या लेन्द्र प्राप्त होते हैं, जो नान-रान्निकरण होते हैं। ऐसे समाचारों और पत्रोंका सम्पादन करना बड़ा चिठ्ठि

होता है। इन पत्रों और मन्मानरीमें भी अधिकार पत्र और मन्मानार रेसे होते हैं, जिनमें कोई प्रभाग नहीं होते। इन प्रभागके पश्च वहि बहुत ही अधिक आक्षेप तारह हों, तो उनके प्रभागोंमें गम्भीर फरमेके बाट उत्तरता ही दियी होता है। लगे लिए युठ दिन उत्तरता भाग पत्र झोर दाग या अन्य खिंडिंगों और गन्धाददाताओं का ग प्रभाग प्राप्त हो रहे थे जहाँसे। किन्तु जिन रेसोंमें प्रभाग भी गाथये हों, और जिन पर पूरा-पूरा दिलासा किया जा सकता हो उनको प्रकाशित कर देना अनुचित न होगा। यह मन्माना हि कौतुकी यात मानहानितारह हैं कौन कही, कौन कानूनके गिलाफ हैं, कौन नहीं आदि यहन युठ अथवयन और अनुग्रह पर गिर्भां रहता है। कान दरने-मन्त्रे अपने बार वे बातें लम्फसों आ जाती हैं। इनके लिये मन बातें एकजूलियोंकी नहीं जा सकती। कानूनका पनड़ा उत्तरा यहा है हि उत्तरा पूरा-पूरा समावेश न्यय कानून त्रि गायक तक अपनी पुनरायीमें कठिनतारी कर पाते हैं फिर इन इसरे विषय सी कितावमें उनका उत्तरा पूर्णताके साथ रेसे किया जा सकता है। फिर भी जानकारीके लिए युठ बातोंमें जिक्र दिया जाता है। ऐसे समाचार या देख जो सोधे या प्रकारान्तरसे किसी पर ऐसे अधिष्ठेप करते हों जिनके दारण उसपर कोजदारी कानूनके अनुग्रह मामला चलाया जा सकता हो, मानहानि-कारक होते हैं, इसके अतिरिक्त वे राव देख भी जिनसे किसी जानिके प्रति दुर्भाव और घृणा उत्पन्न होती हो, गैरकानूनी माने जाते हैं। मृत महापुरुषोंके प्रति भी इस प्रकारके देख लियाना किसी धर्म प्रवर्तक पर आक्षेप करना गैर कानूनी और दण्डनीय माना जाया है। विचित्र जीवन, रिताला वर्तमान आदि के मामले इसके उदाहरण हैं। किसीके दिवालियेपन के समाचारमें वही साधानी की जरूरत है अन्यथा वह जरसी गलतीमें मानहानिकारक और गैर कानूनी हो जायगा। गढ़ी हुई कहानियां भी कभी-कभी मानहानिकारक हो जाती हैं। हमलोगों की कुछ ऐसी धारणा है कि कहानियोंके रूपमें नामों और स्थानोंका थोड़ा-सा परिवर्तन करने पर चाहे सो लिखा जा सकता है, किन्तु बात

वास्तवमें ऐसी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जिसको लक्ष्य करके कहानी गढ़ी गई हो, उसपर आपत्ति की और यह साधित कर दिया कि उसीको उद्देश्य करके वह लिखी गई है, तो वह कार्य भी दण्डनीय माना जाता है। माधुरी के मोटेगम शाक्तीवाली घटना कुछ ऐसी ही थी। ऐसे अवसरों पर जिम्मे-दारी टालनेके विचारसे सन्देह-सूचक ‘कहते हैं’ ‘कहा जाता है’ आदि वाक्यांश जोड़ने की तरकीब सोच निकाली गई है। इससे अधिकाश में रक्षा भी हो जाती है, किन्तु यह कोई ब्रह्मात्र नहीं है, जो कभी विफल न होता हो। बड़े-बड़े गम्भीर मामलों की ‘गाज’ इन शब्दोंके टोने-टोटकों से नहीं टलती। इसलिए इसके प्रयोगको ही सब कुछ समझ कर अनाप-शनाप न लिखते चला जाना चाहिये। किसी मनुष्यके कार्यों की आलोचना भी मानहानि कारक हो सकती है। किन्तु यह उसी हालतमें जब सम्पादक कार्यों की आलोचना करते-करते वहक कर उस कामके करनेवाले व्यक्ति की आलोचना करने बैठ जाते हैं। ऐसे अवसरों पर यह ध्यान रखना चाहिये कि किसी कार्यके करनेवाले व्यक्ति पर कोई आक्षेप न होने पावे। जो आलोचना हो, वह उसके कार्य की ही हो—व्यक्तित्व की नहीं। सम्पादकका मार्ग बड़ा काष्टकाकीर्ण होता है। उसे बात-बातमें सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। किसी की अनुचित प्रशंसा तो की ही नहीं जा सकती, कभी-कभी उचित प्रशंसा तक गेर कानूनी और दण्डनीय हो जाती है। प्रशंसा उस हालतमें आपत्ति-जनक और दण्डनीय हो जाती है, जब प्रशंसित व्यक्ति यह प्रमाणित करदे कि उस प्रशंसासे उसे हानि पहुँची। पाठक सोच सकते हैं कि कैसे दुर्गम-पथसे सपाइकोंको निकलना पड़ता है। किसी विषयका अशुद्ध वर्णन, अटाल्टी कारखाइयों का वर्णन और उनका गीर्यक आदि देनेमें भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। सम्पादकजो अपनी प्रत्येक बात प्रमाणित करनेके लिए तैयार रहना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर उसे तिद्ध कर देना चाहिये कि उसका लेख नेतृत्वितासे, जनता की भलाईके लिए, पूरी जात्रा पढ़तालके बाद,

प्रकाशित हिंग गया है। जिसके लिए उमरे पास प्रभाणों की तीव्रता न हो, उसके लिए धान्त और ऊपर रहना ही युद्धिमानों हैं। किन्तु दुर्भाग्य तो यह है, कि वेचारा सम्पादक गढ़ भी नहीं कर सकता। बहुतमे आवश्यक और दमयोगी समाचार ऐसे होते हैं, जो प्रभाणों की बहुत अधिक छान्धीनमें समय मोये दिना ही, सम्पादकहो निवास हो जाने पर, छान देने पड़ते हैं। उनके प्रभाग बादमें ढूँढ़ जाना करते हैं। अदालती काररमाड़ीके सम्बन्धमें उन यातों पर कोई टीका-टिप्पणी करना दण्डनीय होता है, जो निनारामीन होते हैं। निवारायीन से केवल यही अभिप्राय नहीं है कि भातहत अदालतमें उनका फैगला नहुआ हो। वहाँ फैगला हो जाने पर भी जब तक उन्हीं अदालतों—इंडिस्ट्रीज और प्रीवीहैसिलमें फैगला न हो जाए या उनकी अपील की मियाद रातम न हो जाए, तब तक उनके तथ्यात्मक पर रागजनी करना गर्वशानुनी भाना जाता है। इन सब प्रकारके देशों और समानारोके सम्बन्धमें गूँघ मावधानीमें काम लेना चाहिये। फिर भी यदि रायोगमण कोई बातें गलत निरूप जाएं, तो इसके लिए सास तौरसे जल्दीसे-से-जल्दी उमका राष्ट्रन करने और क्षमा मांग देनेमें भी महोच न करना चाहिये। क्षमा मांगनेका अभिप्राय यह नहीं होता कि सम्पादक दण्डके भग्ने भयभीत होगया, किन्तु उसका अभिप्राय यह होता है, कि यदि पत्रमें प्रकाशित किसी गलत सारसे किसीको कुठ हानि उठानी पड़ी हो, तो वह उसके लिए क्षमा करे और क्षमा प्रकाशनसे दूसरे लोग जिनके हारा उस व्यक्तिको हानि उठानी पड़ रही है, समाचार की गलती जान लें। इस प्रकार खण्डन करना और क्षमा प्रार्थना करना सम्पादकीय शिष्टाचार का एक आवश्यक अंग है।

किन्तु यह शिष्टाचार वहा नाजुक है। इसमें बहुत अधिक प्रलोभन है। यदि इसके प्रलोभन और माया जालमें पढ़ा-तो सम्पादक पतित भी बहुत हो जाता है। ज्यों ही किसीके विरुद्ध कोई बात प्रकाशित हुई, त्यों ही वह मनुष्य .। पड़ता है। मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएँ करता है, और रुपयों की थैलियाँ

दिखाता है कि इस समाचार का खण्डन प्रकाशित कर दिया जाय। यह याद रखना चाहिये कि यह बात उसी समय होती है, जब बात वास्तवमें सत्य होती है, नहीं तो कोई मनुष्य इन प्रलोभनोंको लेकर पास नहीं आता। वह तो आता है, अदालती सम्मन या वारन्ट लेकर। इन प्रलोभनोंसे बचना सम्पादकका बहुत कठिन, किन्तु बहुत आवश्यक कर्तव्य है। किन्तु दुःख और परितापके साथ लिखना पड़ता है कि इस प्रकार की कर्तव्य-परायणता बहुत कम सम्पादकोंमें पाई जाती है। अधिकांश सम्पादक प्रलोभनमें आ जाते हैं और कर्तव्य-कर्तव्यका विचार छोड़ कर पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकारके दृश्य चुनावके अवसरों पर बहुत देखनेमें आते हैं। उन अवसरों पर सम्पादकों के विचार, कहनेमें दुःख होता है, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित सम्पादकोंके विचार, धनवानों की लम्बी-लम्बी थैलियोंके मूल्य पर या प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियोंके प्रभावके मूल्य पर विका करते हैं। रियासतों और रजवाड़ों की आलोचना प्रत्यालोचनाओंके समय भी सम्पादकोंको धनका खूब लालच दिखाया जाता है। नाभा-पटियाला-काण्ड, टॉकका किस्सा, वस्तर-मयूर-भज्ज वैवाहिक-सम्बन्ध, अलवर नीमूचाणा काण्ड आदिके अवसरों पर कहा जाता है कि इस प्रकारके अनेक दृश्य देखनमें आये। यह सब सम्पादकीय ससारको पतित कर देनेवाली बातें हैं। उस समय तो परिताप की पारकाष्ठा हो जाती है, जब हम सम्पादकोंको रुपये ऐंठनेके विचारसे इस प्रकार की बातें जान-चूक कर छापते हुए और फिर मतलब सध जाने पर उन्हीं का खण्डन प्रकाशित करते हुए देखते हैं। ईश्वर हमारे ऐसे सम्पादकों को सद्वुद्धि और ईमानदारी दें।

सम्पादकोंका एक और अवसर भी वडे महत्वका होता है। यह वह अवसर है, जब वे अपने पत्र द्वारा देशके किसी आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करते हैं। वह अवसर सम्पादकों की परीक्षाका अवसर होता है। उस समय होती है, कि जिस आन्दोलनको हाथमें लें, उसे दृष्टा-पूर्वक आगे बढ़ाते ।

निष्पत्ती दल की कारी भमस्ति उन्हें भल सम्मति का मन्नान्ददिले प्रदोषन्, आन्दोलन तो नलाजेमें आई हुई विभिन्न धौर एवं उन्हें अनें निकिन नहर्से तिल भर भी निनलिन न कर गए। ईश्वरस धान निये हुये, जनान की गच्छी कामना और निराजन रेका-भाजमें प्रेरित होकर ने उत्तर्देश्वरहों मानकान्ता-पूर्वक अन्त तक पहुंचाने की 'जुन में ही जन गं', उग समय यही उत्तरा गृह-मन्त्र होना चाहिये।

सम्पादकों और समाचार-पत्रोंके निष्पत्ति दर्शन सम्पन्न रहा गणित-गल है। हमारा कोई निकित दर्शन नहीं, हम उमर्स तात्त्वमें ईश्वर-उभार दृष्टव्य रहे हैं। किन्तु अगमी तक उमता ठीक-ठीक पता नहीं लगा। कुछ लोग जो अधिक परिश्रम-शील थे और असमायी हैं, उनको पा भी गये हैं, किन्तु अधिकाश अभी भटक रहे हैं। यह यात्रा घटी नाखुर है। इन ज्यव वय चम्पो बार' जग न जाने कितने 'पेंडुन' कर बठ्ठा है। हमारे सम्पादकों की भी शायद ऐसी ही अवस्था है। वे अपने समाचार-पत्रों चलानेके लिए सभी प्रकारके प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्नमें वे उनितानुचितके निचारको भी तिल-जलि दे बैठते हैं। इसने नियन्त्रण स्त्री आशासन्ता है। समाचार-पत्रों की ग्राहक-सत्या घड़ानेके लिए यहाँ तक देरा गया है कि जनता की कुरुचि बड़ाई जाती है। मानव प्रश्नति कुछ ऐसी होती है, जो नीचे की ओर अधिक आमानीके साथ मुड़ जाती है। यह दशा वहा पर और भी अधिक होती है, जहा शिशा का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचिको वर्धित करनेका प्रयत्न करेंगे, तो यह तो अवश्य होगा कि अपनी रुचिके अनुसार समाचार पाकर लोग समाचार-पत्र सरीदेंगे, किन्तु उससे समाचार-पत्रका वास्तविक घैय सिद्ध न होगा। समाचार-पत्र जनता की कुरुचि घड़ानेके लिए नहीं, उसको सुधारनेके उद्देश्यसे प्रकाशित किए जाते हैं। अत उनका यह परम धर्म है कि उनकी एक-एक ब्रत इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। अस्लीलक्षा अशिष्टता और दुराचार-पूर्ण समाचारोंको रोचक भाषा और आकर्षक शीर्षकोंके साथ प्रसुख स्थान पर



## प्रवन्धन सम्पादक

—\*—\*—\*

प्रवन्धक और सम्पादक दोनोंका मिश्रित काम करनेवाला कर्मचारी प्रवन्ध-सम्पादकके नामसे पुकारा जाता है। इस कर्मचारीको पत्रलार मानने के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद है। किसी-किसीका कहना है कि इसका काम अधिकाश में प्रवन्धकका काम है और सम्पादकीय कामोंमें इसका कोई वास्तविक हाथ नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए पत्रोंका सम्पादन करता है, न कहींसे समाचार प्राप्त करता है, न और कोई ऐसा काम करता है, जो पत्रकार करते हैं। इसलिए इसका उल्लेख पत्रकार की श्रेणीमें न होना चाहिये। जहाँ तक इस मत की वातोंका सम्बन्ध है, वात ठीक भालूम होती है। वास्तव में इस

कर्मचारीका नितान्त शुद्ध पत्रकीय कार्यसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। किन्तु फिर भी उसका उल्लेख पत्रकारों की श्रेणीमें किया जा रहा है, इसका कारण यह है कि इस ओर पत्रकार की व्याख्यामें ही कुछ सशोधन-परिवर्तन हुआ है। उपर कहा जा चुका है कि अब पत्रकारोंमें केवल सम्पादकों, लेखकों, रिपोर्टरों सम्बाददाताओं, भेट करनेवालों, समालोचकों आदि की ही गणना नहीं होती। अब तो फोटोग्राफर कारटून-मेकर तथा समस्त ऐसे कर्मचारी जिनसे पत्र की उचितिमें सहायता मिलती है, पत्रकारों की श्रेणीमें माने जाने लगे हैं। यहाँ तक कि नितान्त प्रबन्ध-सम्बन्धी काम करनेवाले, विज्ञापन सम्बन्धी काम करनेवाले कर्मचारी भी पत्रकार माने जाते हैं। यह बात विदेशों की है। हमारे यहाँ अभी यह भाव नहीं आया। हमारे पत्रकारों की परिभाषा अभी इतनी उदार नहीं हुई। उसके परिम्भनके बाहु इतने विस्तीर्ण नहीं हुए कि प्रबन्धक को भी लपेट ले। किन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी संकीर्णता भी नहीं कि प्रबन्ध-सम्पादक जैसे अर्ध-सम्पादकको भी वह अलग रखे। प्रबन्ध-सम्पादक आधा प्रबन्धक और आधा सम्पादक होता है। यहाँ तक पत्र की सजावट, आदि का सम्बन्ध है, वहाँ तक प्रबन्ध-सम्पादक सम्पादक होता ही है। और नहीं तो कम-से-कम इसी विचारसे वह एक पत्रकार है। अतएव उसका उल्लेख पत्रकीय कार्यों का उल्लेख करते हुए करना अनुचित नहीं है।

हमारे यहा इस प्रकारके कर्मचारी की अभी तक कोई व्यवस्था न थी। इसका सबसे प्रधान कारण यह था कि हमारे यहाँका पत्र-प्रकाशन व्यवसाय द्वीपसरे प्रकारका व्यापार था। यहाँ इसकी कम्पनियाँ न खड़ी होती थीं। अधिकांशमें व्यवसाय की दृष्टिसे पत्र निकाले भी न जाते थे। कुछ लोगोंको शौकीय था और वे निकालते थे। आगे चलकर पत्र-प्रकाशन, आवश्यकता पड़ने पर होने लगा। किसीको देशके हित की लगन लगी, उसने जनता तक देश की कथा पहुँचाना आवश्यक समझा और पत्रको इसका सरल और उत्तम उपाय समझ धर उसका प्रकाशन किया, किसी ने अपनी दलबन्दीके कारण अपने पक्षको प्रबल

करनेके लिए उनसी आवश्यकता समझी थीं परं पत्र प्रकाशित हुए। इन नव घाँटोंमें प्रायः एहु घात प्रधान गृही थी हि जो नयुव पत्र प्रकाशित करना था, वही अपने विनार जनता पर प्राप्त करनेका उन्मुह देता था। इसलिए वह स्वयं सम्पादक देता था। उपर जूति वही पत्र निकालनेवाला देता था, इसलिए उसीका प्रबन्ध सम्बन्धी देना-रेता भी करनी पड़ती थी। फलतः अभी तक एक ही कर्मचारी हिन्दी पत्रोंसा सम्पादक और प्रबन्धक दोनों होता था। यह दशा आज भी अधिकार पत्रोंमें रिहान है। किन्तु उन परिपटी में आप परिवर्तन हो रहा है। कुछ पत्र अब आपार की दृष्टिसे कमाईके लिए भी प्रकाशित होने लगे हैं। ऐसा प्रत्यक्षित हो रही है। व्यापारीगण अरावार निकालनेकी योजना तयार करते हैं, उनसा सब प्रबन्ध लेने हैं और सम्पादक तथा अन्य कर्मचारी नौकर रहते हैं। इन प्रकाशके सम्पादक-पत्रके मालिक नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें प्रबन्ध-सम्बन्धों कामों से कोई सरोकार नहीं होता। वह काम व्यापारी स्वयं करता या अन्य कर्मचारी द्वारा कराता है। इस परिवर्तनके कारण अब यहाँ भी प्रबन्ध-सम्पादक की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है और यत्र-तत्र उनसा प्रबन्ध भी हो गया है। 'माधुरी' ने स्थान परिवर्तनके लिए अपने प्रबन्ध-सम्पादकका नाम भी सम्पादकोंके नामके साथ प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया था। अस्तु ।

व्यापार और कमाई की भावनासे पत्र निकालनेके कारण ही इस कर्मचारी की आवश्यकता और उत्पत्ति हुई और भविष्यमें उसीके कारण इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। व्यापारियोंको तो आमदनीसे मतलब। अधिकारामें वे इस घात की बहुत कम परवा करेंगे कि उनका पत्र एक आदर्श पत्र हो। जो कुछ चाहेंगे, वह यह होगा कि चाहे आदर्श पत्र बनकर और चाहे और किसी प्रकारसे जिस प्रकार अधिक आमदनी हो, वह काम करना चाहिये। आमदनी देराना और उसका हिसाव लगाना सम्पादकोंका काम नहीं है। यह काम प्रबन्ध-सम्पादक के हाथमें होगा। इसलिए स्वभावत् सम्पादकों की अपेक्षा प्रबन्ध-सम्पादकोंका

अतर इह जा चुक्का है कि प्रबन्ध-सम्बद्धक संशोधनाएँ और आप्या  
 प्रबन्धक होता है। जते होवें कल देखते पढ़ते हैं। इससिए ऐह आवश्यक है  
 कि प्रबन्ध सम्बद्ध प्रबन्धक और सम्बद्ध दोपहें वित्तीयियोंके भर्तौल्लभों और  
 आयोगोंका पद्धति ज्ञान रखे। उचितालुचिताला निर्देश जारीमें उसे प्रतीय हीता  
 चाहिये, किसी प्रकारका देष्ट, त्वेष परमात् या दुर्भाव य दोनों चाहिये। यिसी  
 बातका केवल इत्तिए विरोध न कर बैठना चाहिये कि एह अमुक स्थिति द्वारा  
 लिखी गई है, जिससे हम घृणा करते हैं या अमुक व्यक्तिके लिए लिखी गई है  
 जिससे हम घृणा करते हैं। उसके शुणावगुणका विशार फरकों ही शिरी लेख या  
 समाचार आदिका समर्थन या विरोध करना चाहिये। प्रबन्ध-सम्पादकोंसिंग  
 समय पर आना, समय पर काम ऐरना आदि उसी प्रकार आवश्यक है, जिरा  
 प्रकार सम्पादकों और व्यवस्थापकोंके लिए। उसे सामारण धान्तौका ज्ञात हीता  
 भी आवश्यक होता है। प्रेष एषट या समाचार-पत्र सरबराही धार्य धार्यों  
 की काफी जानकारी तो होनी ही चाहिये। इरके अतिरिक्त विद्यालय, सीम्पर्य  
 तत्व आदिके जानने की भी आवश्यकता है। इररों उरों पत्र वी राजामारी  
 बड़ी सहायता मिलेगी। उसे जानना चाहिये कि वीनन्तरा गैरिर विरा पूर्कार  
 किस स्थान पर देनेसे अधिक सुन्दर माल्कम होगा। कौनरा गैरिर विरा ग्राहणी  
 और किस पूर्कार देनेसे सुन्दर लगेगा आदि। उरों रामादमें वी भांति ही  
 जनताके मनोविज्ञानके बोध की भी आवश्यकता होती है। अदि गनोविज्ञानमें  
 बोध न होगा, तो यह निर्णय कर राकना उसको लिए काठिग होगा कि

वरु धमुक देन ना धमुक प्रस्तर की समादृ जगता की रनिके अनुभव होनी और अनुक नहीं।

प्रबन्ध सम्पादक राजनीति मिशन किया जा सकता है। एक समाजकीय या अर्थ-सम्पादक ही और उसका प्रबन्धन सम्भव है। समाजकीय चर्चों में उत्तर इन बातों के उद्देश नहीं होता तिप्रबन्ध प्राप्तिन होने के लिए कौन-कौन ना 'मैटर' किया जाए। सम्पादक जो उचित समझना है, वह दें देता है। उसे प्रबन्ध-सम्पादक ने पूछने वा राय देने वी जगत नहीं पहुँची। किन्तु मैटर के दिये जानेके बाब प्रबन्ध-सम्पादक राजनीति देना होता है। कि जो 'मैटर' किया गया है, उसने प्रेसको या पत्र-समाजको रो कोई दानि तो नहीं होती। सम्पादक इसी-सेध जनता ना लिया रख देना होता है और प्रबन्ध-सम्पादक अपना हिताहित देना है। दोनोंके इन्हें जो न यह बन्तर होता है। यदि प्रबन्ध-सम्पादक इन प्रकारके निरीक्षणमें कोई ऐसी बात पाता है, जिससे उसको दृश्यमें पत्रको या पत्र-समाजको धड़ लगाने वी आशङ्का होती है, तो वह फौरन सम्पादकसे उसने निकालने की सिफारिश करता है। सम्पादक भी यदि उसे उचित समझना है, तो वह मैटर निकाल दिया जाता है। अभी यहां पर सम्पादकोंके इतना अनिकार प्राप्त है कि विना उनकी मर्जी, कोई मैटर निकाला नहीं जा सकता। किन्तु इस बात की आशङ्का सोलहो आना बनी हुरै है कि आगे चलकर ऐसा समय आगेगा, जब सम्पादक की स्थितिन्वता और उनके अधिकार कम होंगे और प्रबन्ध-सम्पादक जब जिस मैटरको चाहे, विना सम्पादक की रायके भी, निकाल वाहर करेगा। इस प्रकार की बातें पथिममें होने भी लगी हैं। मिठो लो वारेन ने अपनी पुस्तक "जर्नलिज्म" में एक स्थान पर इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यूरोपीय महासमरके अवसर पर कुछ समाचार-पत्रोंने ऐसी स्वरें छापनी शुरू की, जिनसे हानि की आशङ्का थी, कम-से-कम जो विटिश सरकार की नीतिके विस्तर थीं। इस पर सरकारी प्रहार शुरू हुआ। दो अखबार विलकुल कुचल दिये

गये। उन्होंने अपने यहां सरकारी-नीतिके विरुद्ध लेख छापना बन्द कर दिया। किन्तु इतने पर भी, एक सम्पादक ने उसी प्रकारका लेख देने की धृष्टता की प्रबन्धक महोदय की उस पर आँख पड़ी और उन्होंने सम्पादक महोदय की राय लिए बिना ही उसे निकाल दिया। इस प्रकार की बातें भारतवर्ष में और हिन्दीमें भी शुरू हो गई हैं। यत्र-तत्र इसके प्रमाण भी मिलते हैं।

प्रबन्ध-सम्पादक का, जहां यह कर्तव्य है कि वह अपने हिताहितका विचार रखे, वहीं उसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह इस बातका प्रयत्न करे कि उसके पत्रके पाठकोंको अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो। 'मैटर' के सम्बन्ध की सुविधामें तो उसका हाथ नहीं होता; किन्तु वह छपाई सफाई आदि बातोंमें इसका पूरा ख्याल रख सकता है। प्रबन्ध-सम्पादक पत्र की सजावट आदि का अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह देखे कि मैटरका जो 'टाइप' इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक, साफ और सुन्दर है, या नहीं चित्र आदि अच्छे उठे हैं या नहीं, कागज अच्छा लगा है या नहीं। पत्रका 'फोलिड्ज़' वर्गेरह अच्छा हुआ है या नहीं, इत्यादि-इत्यादि। इन बातोंमें जहा कोई घटाने-बढ़ाने तथा संशोधन-परिवर्तन की आवश्यकता हो, वहा उचित संशोधन करानेका प्रयत्न करे।

दो बातों की ओर और भी प्रबन्ध-सम्पादकका ध्यान विशेष-रूपसे आकर्षित होना चाहिये। पहिली बात है, पत्रके प्रकाशन की और दूसरी विज्ञापन की। पत्रके प्रकाशनमें उसे इस बातका बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये कि पत्रके प्रकाशनका जो समय हो, उस समय पर वह अवश्यमेव प्रकाशित हो जाय। इस सम्बन्धमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसको इतना आवश्यक समझना चाहिये कि इसके लिए चाहे जितना परिश्रम पड़ जाय, किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय। हिन्दीमें यह बड़ा दोष है कि उसकी पत्र-पत्रिकाएँ ( अधिकांशमें मासिक पत्रिकाएँ ) ठीक समय पर प्रकाशित नहीं होतीं। इससे पाठकोंको एक अनावश्यक इन्तजारी और चिन्ता करनी पड़ती

हैं जिससे उनके हृदयमें पत्रहे प्रति भाव गुग्गव हो जाता है। इनलिए ठीक समय पर प्रकाशित करनेका प्रबन्ध लाल्य तरना चाहिये। विज्ञापनहे सम्बन्धमें प्रबन्ध-सम्पादकरा काम कड़ नहीं होगा कि दृग् यह देखे कि किसी विज्ञापन प्राप्त हुए और कहाने प्राप्त हुए। यह काम व्याख्यापक होगा। प्रबन्ध-सम्पादकरों देखल यह देखना चाहिये कि जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं वे अच्छील और कानून-सिफर तो नहीं हैं। इन्हींमें अच्छील विज्ञापन दात्तर नियम करते हैं, जिनमें जनता की सनि शिक्षणी है और मानूदिन लाभे समाजको हानि पहुंचनी है। इस बात की शिक्षायत हानी अनिवार हो गई है कि गहर इच्छामें सहाय्या गान्धी तरुको उम पियर में, इसके प्रनारको रोकनेके लिए कल्प उठानी पड़ी थी। हुआ, नोरी शादि गैरकानूनी वातोंको उत्तोचित करनेवाले तथा अख्लील शादि बनेक विज्ञापन गैरकानूनी होते हैं और उन पर मुख्दमें तर चल जाते हैं। कुछ दिन पहिले पटनासे प्रकाशित होनेवाले 'भाहायी' नामक नासाहिन पत्र पर अख्लील विज्ञापनोंका प्रकाशित करनेहे कारण, यो भाभते चल चुके हैं, जिनमें उमे सजा भी मिल नुकी हैं। प्रबन्ध-सम्पादकरों चाहिये कि इस प्रकारके विज्ञापन घन्द कर दे। यथापि यह ठीक है कि इससे पत्रोंकी आमदनीको कुछ धगा लगेगा, किन्तु पत्रोंके पवित्र उद्देशके सामने इस प्रकारके वक्तोंकी परवा न करनी चाहिये।


विज्ञापनोंकी एक दिशा और भी है। जमर जो कुछ यहा गया है वह दूसरे विज्ञापनोंके अपने यहा छापने की बात है। दूसरी बात है अपने विज्ञापनोंको दूसरेके यहाँ या अपने आप छपवाना या छापना। जहा प्रबन्ध-सम्पादकरों यह देखना चाहिये कि दूसरेके विज्ञापन अपने यहाँ किस प्रकार छप रहे हैं, वहाँ उसे यह भी देखना चाहिये कि अपने पत्रके विज्ञापनका क्या प्रबन्ध है। अपने पत्रके विज्ञापनको दूसरे पत्रोंमें पूकाशित करनेका जो प्रबन्ध हो वह तो हो ही अपने आप अपना विज्ञापन करने की परिपाटी भी डालनी चाहिये। पाक्षात्य देशोंमें और भारतके भी अफ्रेजी पत्रोंमें यह नियम है कि अपनी सात खबरोंका

सूचना मात्रके लिए बड़े-बड़े पोस्टरों पर छापकर यत्र-तत्र चिपका देते हैं। उन पोस्टरोंमें प्रायः इस प्रकारका मजमून होता है :—‘देश-वन्धुदासका देहान्त हो गया’ ‘खझपुरमें गोली चल गई,’ ‘सीमा प्रान्तके हिन्दू निवाले जा रहे हैं’ आदि। पोस्टरोंमें छवियानेके अलावा इसी प्रकार की बातें ‘हाकरों’ को भी बता दी जाती हैं, जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिन्दी-पत्रोंके प्रबन्ध-सम्पादकोंको इस प्रथाका भी अनुसरण करना चाहिये।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि प्रबन्ध-सम्पादकों अपने पत्र की एक सुसंगठित छोटी-सी सम्पादनका प्रयत्न करना चाहिये; जिसमें उसके कर्मचारी तत्त्व-मन-धनसे सम्बन्धित सम्पादनका वर्णन और सेवामें जुटे हुए हों। इसमें ऐसा प्रबन्ध हो कि कर्मचारी-मण्डल की सुविधाके लिए सम्पादनके अपने वकील, अपने डाक्टर, अपने डाकघर, अपने तारघर और अपने ही मनोरञ्जन और खेल-कूदके सामान आदि हो। ये बातें बड़ी दूर की हैं। अभी पाश्चात्य देशों तक मैं, जहा सम्पादन-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, इन बातों की व्यवस्था नहीं हुई, हा, वे उसकी ओर अग्रसर अवश्य हो रहे हैं; किन्तु फिर भी, हमारा उद्देश्य ऊंचा होना चाहिये। हमें अपने दिमागसे इन स्कीमों को रखना चाहिये और इसकी ओर अग्रसर होने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। क्या आश्वर्य है कि हमारा प्रयत्न पाश्चात्य देशोंसे पहिले सफल हो जाय। तथास्तु।



## समाचारपत्र-पठन



अब कूप-मण्डूकता और ससारको उपेक्षा-भावसे दैरानेके दार्शनिक विचारों  
का जमाना गया। वर्तमान समय हमसे तकाजा करता है कि हम ससारसे  
सम्बन्ध रखनेवाली वाते अधिक-से-अधिक परिमाणमें जानें। एक जमाना था,  
जब हम दूसरे देशों से, वहां की राजनीतिक, साहित्यिक, सभ्यता सम्बन्धी आदि  
किसी परिस्थितिसे सम्बन्ध न रखते थे। हमारा देश प्राकृतिक सीमा-वन्धनसे  
इस प्रकार अलग कर दिया गया है कि जब तक विशेष साधन जुटाए न जाय,  
तब तक हम किसीसे, किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित ही नहीं कर सकते। पूर्वकाल  
में हमारे पास कैसे साधन न थे कि हम ससारके अन्य देशोंके समर्कमें आते,

न संसारके दूसरे देशोंके पास ही ऐसे कोई विशेष साधन थे कि वे हमसे मिलने को कौशिश करते । इसलिए हम दूसरे देशोंके सम्पर्कमें आते ही न थे । संभव है, इसीलिए हममें संसारके प्रति एक प्रकार की उपेक्षा की भावना रही हो, किन्तु अब वह बात नहीं रही । दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे, हम संसारके तमाम देशोंके सम्पर्कमें आ गये हैं और दिन-दिन यह सम्पर्क बढ़ता ही जा रहा है । अब अवस्था यह हो गई है कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि इस सम्पर्क की उपेक्षा कर सकें । यदि हम उनसे न मिलें, तो वे हमसे मिलेंगे । उन्हें रोकनेका न हमें कोई अधिकार है, न साधन । ऐसी अवस्थामें, यह मेल-मिलाप बन्द नहीं हो सकता । अब, जब कि यह मेल-मिलाप निश्चय ही है, तब इस बात की आवश्यकता आ पड़ी है कि हम योग्यता-पूर्वक इस सम्पर्कका निर्बाह करें । यदि सावधानी और सतर्कतामें जरा भी चूके, तो हम चाहे कुछ भी न करें; किन्तु दूसरे हमें मटियामेट कर देंगे । इसलिए आवश्यकता है कि हम इस योग्यता को अधिकाधिक प्रयत्न करके प्राप्त करें । इसके लिए हमें दूसरे देशोंमें होनेवाली घटनाओं और वहा की सरकारों की मनोवृत्तियोंका पता रखना आवश्यक है । इसका सबसे अच्छा साधन समाचार-पत्र-पठन है । इसलिए समाचार पढ़ना इस समयके लिए नितान्त आवश्यक हो गया है ।

समाचार-पत्र-पठन की आवश्यकता केवल विदेशोंके सम्बन्ध की बात जानने के ही लिए नहीं है, उसकी आवश्यकता अपने देश की बातोंके लिए भी उतनी ही, प्रत्युत उससे कहीं अधिक, होती है । हमारे लिए यह जानना भी कम आवश्यक नहीं होता कि हमारे देशमें कहा क्या हो रहा है और कौन नेता या कौन समाज-सेवक, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कामोंका देशमें क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, उनमें कहाँ-कहाँ त्रुटियाँ हैं और उन त्रुटियों का किस प्रकार परिशोधन किया जा सकता है, सरकार क्या कर रही है, कौनसे नये कानून बन रहे हैं, उनका देश की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की आर्थिक और साहित्यिक अवस्था कैसी है, कौन-कौन-सी पुस्तकें और कैसी निकलीं

हैं, जिस पर रिता बड़े लोगोंके दाता हिता है, ताकि वह सभीमें स्वा-  
पत्रितान हो सकें, जो दैनिक चर्चा, नाटक-विषेषज्ञ-जीवना अदि जिनका  
प्रचार वह रखा है, जो प्रभाव पढ़ रखता है, जो भी उन्हें उन्होंने बहुत  
जाय है, कौन-का कान्दह का दैनिक जिज्ञासने हिता-पड़ता है, तैयारी  
दूरी, दृष्टि। यह जनान यातोंहे दर्शने वी वापरमारण सम्पादन-पठनहे पढ़ा  
से ही पूरी हो जा सकती है। ये ग्रन्थ जैवाग्रह राष्ट्रीय इमारी भैता रिता  
लगते हैं। यदि यमान स्वनन्द-पठन की प्रश्ना न हो, तो तब उत्तरी दृश्य से यहाँ  
से परिचय ही न प्राप्त हो गड़े और तब प्रत्यार उत्तरी चैत्रांगोंहे दिए  
आपन्द्रक और उन्होंना एकजुटा परामर्श दर्शनेरा मानवीय संख्य भी पूरा न  
कर सकें। इन तर्फ़ाम यातों ने यमानार-स्वनन्द वी उत्तरी-मित्रा दैर  
धाराव्यवरण है।

किन्तु यमानार-पत्रोंका पठना भी इह जाता दित्यसत्रा पठना होता है।  
उपन्यासों और पाठ्य-पुस्तकों की भाँति यमानार-पठन तहीं परे जाते। जातिय  
समाचारों और भाँति-भाँतिके विचारोंसे भरे हुए, यमानार-पत्रोंमें यदने महत्व  
की वात छाट लेके लिए यमानार-पत्रके पठनेवालोंमें योग्यता होनी चाहिये।  
यह योग्यता प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करने ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए  
अमेरिका आदि पाश्चात्य देशोंमें पवकार-स्वयंके त्रिसार्पियोंनो, इहा अन्य  
सब यातों की शिक्षा दी जाती है, वहा यमानार-पत्र-पठन तन्दन्धी शिक्षा भी  
विशेष प्रकारसे दी जाती है। यमानार-पत्र मानव-जीवन और जातक-समाज  
को उन्नत करने और एक निश्चित मानव दिरानेवाले होते हैं। किन्तु ये याते  
उत्ती समय हो सकती है, जब हम उचित रीतिसे यमानार-पत्र पढ़े। पत्र-  
सम्पादक जनता की सहृदयिताके द्यालसे समाचारोंको उनके महत्वके अनुसार  
पहिले ही सजा कर रखते हैं, ताकि जनता अमानुसार उन्हें पढ़े और लाभ  
उठाये। फिर यह जनताका काम होता है कि उस व्यवस्थित सम्पादकीय कार्यका  
उचित उपयोग करे। जहा सम्पादकका यह काम है कि वह समाचारोंको

व्यवस्था-पूर्वक रखे, वहाँ जनता का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यवस्था की उचित दाद दे।

समाचार-पत्र-पठनके इतिहासमें जनता की मनोवृत्तिके उत्थान-पतनका बड़ा सुन्दर दृश्य देखनेको मिलता है। समाचार-पत्रोंमें समाचार और विचार दो भिन्न-भिन्न वातें स्पष्ट स्पष्ट से रहती हैं। किन्तु समाचार-पत्रोंके इतिहासको देखनेसे पता चलता है कि प्रारम्भमें उनमें विचारोंको स्थान नहीं मिलता था। इसलिए पढ़नेवाली जनता भी प्रारम्भमें समाचार ही पढ़ती थी। धीरे-धीरे पत्रोंमें सम्पादकीय विचार प्रकाशित होना भी शुरू हुआ। सम्पादकीय विचार प्रकाशित करनेका ढङ्ग बड़ा आकर्षक रखा गया। उनके प्रकाशित होने पर, चाहे उनके आकर्षक बनानेके ढङ्गसे और चाहे विचार जानने की उसुकताके कारण, लोग उन्हें पढ़ने लगे। इस प्रवृत्ति ने उन्नति की। अब लोगोंमें सम्पादकीय विचार जानने की उसुकता और भी बढ़ने लगी। जब समाचार-पत्रके सम्पादकों और सद्व्यालकों ने यह देखा, तब वे समाचार-पत्रोंको अपने विशेष भतका प्रचार करनेका साधन बनाने लगे। इससे समाचार-पत्रोंमें सम्पादकीय विचार प्रकट करने की प्रथा बढ़ी। और इस प्रथा ने रुढ़ि डाल दी कि समाचार-पत्रोंमें विचार प्रकट ही किये जाय। तदनुसार प्रत्येक समाचार-पत्रमें समाचारके साथ-साथ विचार भी अनिवार्यतः रहने लगे। यह रुढ़ि अब तक चली आ रही है। किन्तु अब फिर यह प्रथा पलट रही है। अब मानव-स्वभावमें एक विशेष परिवर्तन हुआ है। मानव-जीवनके प्रत्येक अङ्गमें स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन की भावना जाग्रत हो उठी है। इस जागृति ने यह भाव भी पैदा कर दिया है कि हम अपने स्वतन्त्र विचार क्यों न रखें? क्या जखरत है कि हम किसी दूसरे के—चाहे वे किसी सम्पादकके हों, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के—विचारको पढ़कर किसी विपय पर अपना भत निश्चित करें? बिना उनके पढ़ ही क्यों न सोचें विचारें और अपना मार्ग निश्चित करें? इस प्रकारका भाव उटते ही वे सम्पादकीय विचार पढ़ने की ओर कम ध्यान देने लगे। विचार पढ़ने की ओर

से ध्यान हटा लेनेका एक कारण यह भी है कि लोगोंमें वह जिनर पैदा हुआ कि जब हम समाचार जानकर अपने विचारके अनुगाम उपर प्रभाले निश्चित कर ही सकते हैं, तब सम्पादकीय विचारोंका पढ़नेमें अपना समय करने नष्ट हो ! इसके अतिरिक्त सम्पादकीय लेखों द्वारा मन्नार्ड, औचिय, न्यूजार्डि वा विचार छोड़कर, गलत या मरी जाने विषेष नकारे गर्नेकी पवर्तीय प्रश्निति ने भी सम्पादकीय लेखोंके प्रति इन उपेक्षा भावसे पैदा करनेमें महायता दी । इन तमाम बातोंका परिणाम यह हुआ नि-एन घर प्रिय जनतासा ध्यान सम्पादकीय विचार छोड़कर समाचारों की ओर गिरा । यह यह प्रश्नति इतनी अधिक फैल गई है कि जब इसी सम्पादकता शास्त्रे देना पड़ने लोते हैं, तब वे पत्रके जार बड़े-बड़े टारपमें लिपि देते हैं कि “विना सम्पादकीय देश पद्धे पत्र नीचे न रखियेगा ।” यह दशा अमेरिका आदि पाठ्यात्मक देशोंमें है । यहाँ अभी यह इन रूपमें सामने नहीं आये; किन्तु प्रारम्भ यहाँ भी हो चला है और लोग सम्पादकीय विचार जानने की अपेक्षा समाचार पढ़नेको ही धमिन आवश्यक और अधिक उचित समझने लगे हैं ।

जनता की यह प्रश्निति कहा तक अनुमोदनीय है, इस विषय पर विचार करना अनुचित न होगा । यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने स्वतन्त्र विचार रखनेका हक है । और, प्रत्येक व्यक्ति समाचारोंका पढ़कर अपने विचार निश्चित कर सकता है; किन्तु सम्पादकीय विचार पढ़ लेनेके बाद भी किसी की इस स्वतन्त्रता पर कोई आघात नहीं हो सकता । कहा जा सकता है कि यह तो ठीक है, किन्तु इससे समय तो व्यर्द नष्ट होगा । किन्तु यहाँ इसमें कुछ समय खर्च होगा, वहाँ यह लाभ भी है कि जनताको अपना निश्चय करनेमें सहायता भी प्रौप होगी । जिन लोगों ने जमाना देखा है और जिन्हें जिस विषय पर अपने विचार निश्चय करने हैं, उस विषयका काफी ज्ञान है । उनके लिए चाहे उतने अशामें सम्पादकीय विचार पढ़ने की आवश्यकता न भी मानी जाय, किन्तु जन-साधारणके लिए, सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना बहुत आवश्यक है । सम्पादक

उनके सामने अपने विचार तर्क और युक्ति-पूर्वक रखता है। उसके विचारोंमें अपेक्षा-कृत अधिक अनुभव और ज्ञान की दृष्टिशक्ति होती है। इसलिए उसके विचार अधिक प्रौढ़ और अधिक योग्य होते हैं। जन-साधारण अपने अनुभव और ज्ञान की कमीके कारण उतना सर्वतोमुखी निर्णय करनेमें असफल हो सकता है। इसलिए सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना आवश्यक है। एक बात और, और वह यह कि भिज्ज-भिज्ज सम्पादक भिज्ज-भिज्ज रूपमें अपने विचार जनताके सामने पेश करते हैं। कोई आन्दोलन-विशेषका समर्थन करता है, कोई विरोध। दोनों ओर की बातें जनताके सामने आती हैं। यदि जनता इन बातों की उपेक्षा करके टाल दे, तो वह दोनों ओर की इतनी अधिक बातें जान सकनेमें शायद ही समर्थ होगी और विना दोनों ओर की विस्तृत बातें जाने हुए ही कोई निर्णय—अच्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि जनता उन विचारोंको पढ़ेगी, तो दोनों ओर की बातें सोच कर वह अपना विचार अपने आप निश्चयकर सकेगी। विभिन्न विचारोंके सामने आनेसे एक लाभ और होता है। वह यह कि जनताको तर्क-वितर्क करनेका अधिक अवसर मिलता है और इस ऊहापोहमें उसकी तर्क-शक्ति उच्चत होती है। यदि वह समाचार-पत्रके सम्पादकीय विचार न पढ़े, तो इस शक्तिके विकासको भी उतना अवसर न मिल सकेगा। इस प्रकार जहाँ तक मालूम होता है, सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना आवश्यक है।

समाचार-पत्रके मुख्यतया तीन अङ्ग होते हैं—समाचार, विचार और विज्ञापन। जिस रूपसे इनका यहा पर उल्लेख किया गया है, उसी क्रमसे वे एक दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भी होते हैं। समाचार-पत्रके पढ़नेमें इस महत्त्वाको ध्यानसे न हटाना चाहिये। समाचार, समाचार-पत्रका सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभान अङ्ग है। इस अङ्गके पढ़ने की कुशलता भी सबसे अधिक कठिन है। कौन-सा समाचार हमारे लिए कितना अधिक लाभ-दायक होगा, कौन हमारे कामका है और कौन नहीं, किस समाचारके पढ़नेमें समय और

शक्तिका गदुपगोग और तिरहौं पठनेसे दुरुस्थीग होगा, आडि-आडि वहे नमाचार-पत्रके पाठकों जाननी चाहिये। गिर-गिर तिरहौं नानार्ति नमाचारोंमें से अपने महालम और अपने रामरे रमाचार पट मन्ना ही पाठकों नर्य-थ्रेष गुण हैं। उनमें इनकी मार्तिवार योगता भी होती चाहिये, जिसमें वह रमाचारों की भाषा रमलना-पूर्व पट और गमन नहीं।

रमाचार पटनेमेंहै एउ बान और भी जाननी दस्ती है। ऐसा नम्बन्धी—आग लगने, बाढ़ आने, रेतों ला जाने, दा, रमाड हो जाने आडि के समाचारोंमें तो केउ राम बात नहीं होती, परन्तु नमान्नमितियों गम्बन ये नमाचार पटनेमें उप बात की आवश्यकता होती है कि पाठक रमा-नमितियोंके नावारण नियमोंको जाने। नभानति, नन्दी, आदि कौल हैं, इनके क्षण अविहार होते हैं, विषय-नि र्सिणी और नान्नति अविनंदन क्षण हैं, इनाम किम्को कहते हैं, सगोभन क्षण है, प्रत्याप या सगोभनहा वापर ले देना क्षण हैं, कार्यवाही गमित करनेके प्रत्यापना क्षण अथ होता है, आदि अनेक बातें पाठकों जान लेना चाहिये। विना इनके जाने हुए, कर सिमी रमान्नोसाट्टी कौसिल काग्रेन आदि की कार्यवाहीको उचित रीनिसे नहीं पट सकेगा और न उससे समुचित लाभ उठा सकेगा। समाचारोंमें सभा ममितियोंके समाचार बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए इनके पटने ओर समझने की योग्यता प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है।

विचारोंको पढनेके लिए पाठकोंमें किहित् अभिकभावामें साहित्यिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। गहन और गूढ़-विषयों पर विचार प्रकट करते हुए भाषाके जटिल हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए यदि पाठकमें काफी साहित्यिक ज्ञान न हुआ, तो यह आशक्षा हो सकती है कि वह सम्पादकीय स्तम्भोंमें प्रकट किये गये विचारोंसे आवश्यक लाभ न उठा सके। विचारोंके पाठकमें साहित्यिक ज्ञानके अतिरिक्त सावधानी भी अन्य अन्तोंके पाठकों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। उसकी हष्टि अविक पैनी होनी चाहिये; ताकि

वह देख सके कि सम्पादकीय विचार लिखनेमें सच्चाई ईमानदारीसे काम लिया गया है या सम्पादक ने किसी स्वार्थ की बेदी पर अपने स्वतन्त्र-विचारों की बलि चढ़ा दी है। विचार पढ़नेवालेको अभिधा की अपेक्षा व्यज्ञना शक्तिसे अधिक काम लेना चाहिये। उसमें तर्क-शक्ति भी पर्याप्त मात्रामें होनी चाहिये, ताकि वह इस बातका निर्णय कर सके कि सम्पादकीय विचार कहा तक समर्थनीय है।

विज्ञापनोंके पढ़नेके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन तो लिखे ही ऐसी भाषामें और ऐसे ढंगसे जाते हैं कि अत्यन्त अत्प योग्यतावाले व्यक्ति भी उनको समझ और पढ़ सकें। हा, एक गुण जरूर होना चाहिये। वह यह कि वे हर एक की बातोंमें एकाएक विश्वास न कर बैठते हो। विज्ञापक लोग अपनी-अपनी वस्तुओं की अनावश्यक और भूठी तारीफ प्रकाशित करताते हैं। यदि पाठकमें उक्त-शक्ति न हुई, तो वह विचारा इन भूठी बातोंका सुपतमें शिकार होकर अपनी हानि कर बैठता है। इसके सिवा विज्ञापन पढ़ने के लिए किसी विशेष-गुण की आवश्यकता नहीं होती।

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रका पढ़ना उपन्यासों और पाठ्य-पुस्तकोंके पढ़नेसे भिन्न और कठिन होता है, पुस्तकोंमें जिस विषयका वर्णन शुरू हुआ, वह जब तक समाप्त नहीं होता, तब तक वरावर चला जाता है। किन्तु समाचार-पत्रोंमें इस नियमका पालन नहीं हो पाता। समाचार-पत्र की बनावट-सजावट और स्थान परिमितता आदिके कारण, उसमें इस नियमका पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए होता यह है कि विषय प्रारम्भ करके जहा तक सुविधा हुई, वहा तक ले जाया जाता है और जहासे असुविधा शुरू हुई, वहासे रोक कर दूसरे सुविधा-जनक स्थान पर उठाकर लेजाया जाता है। यदि पाठक इस बातको न जानते हुए कि ऐसा नियम है, तो यह डर होता है कि वे अधूरा विषय ही छोड़ दें। सुविधाके लिए यह नियम है कि ऐसे अवसरों पर जहासे लेख उठाया जाता है और जहा लेजाया जाता है—दोनों स्थानों पर इस बातका उल्लेख कर दिया जाता है। किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता। प्रायः जब लेख

क काल्पन से उठा गए दूसरे पायारे काल्पन के नीचे दिया जाता है, तब उग्र विश्वास की उपेक्षा कर दी जाती है। इसलिए यह नियम ज्ञानना पढ़दोंके लिए आवश्यक होता है। एक बात और भी होती है। यह कह दि एक दुर्लभके लिए दी विषय की भाँति एक समाचार-पत्रमें एह ही तिथाता रखारेग होता ही रह जाता। उम्में अनेकोंने विषयोंत गतिशी रहाता है और प्रयत्न त्र उस विषयके समाचार विचार और विज्ञानों अधिक नाचरा स्थान देता है, जिस विषयसे उम्मा अधिक रम्भना होता है। दूसरे तिथाते समाचार अदिको उतना गहरा पूर्ण स्थान नहीं देता। इसलिए पाठोंमें इन सुध ही भी आवश्यकता होती है कि वे केवल साहस्र-पूर्ण स्थानोंके बड़े-बड़े ऐप्सिज तारे समाचार ही पढ़ लें यह न मान वेठें हि पत्रों उनके गहरायी कोटि जात ही नहीं है, प्रत्युत साधारण स्थान के गतिशारों पर भी फैस्टपान विवरण कर लें।

यह दुरा और दुर्गांग दी वात है हि हमारे दहा समाचार-पत्र पढ़ने की उत्तमता बहुत कम है। जब पाठ्यात्य एटोंके छोटे-से-छोटे नेहतरसे रेकर बड़े-बड़े लक्षणीय तरह समाचार-पत्र पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वे दूसरोंमें मुनते हैं और जो स्वयं मुनतेके लिए उत्तमित नहीं हो सकते, उन्हें पत्र पढ़ने-लाले मुनते हैं, तब हमारे यह अनेक पढ़े लिये अच्छे-अच्छे विद्यान तक समाचार-पत्र पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते, छोटे और बड़े व्यक्तियों की तो जात ही क्या! इनके कई कारण हैं। पहिले तो हमगे अग्री शिक्षा ही नहीं। इसमें से बहुत कम लोग इतनी योग्यता रखते हैं, जो समाचार-पत्र और समझ कर्क। दूसरे यदि कुछ ऐसी योग्यतावाले व्यक्ति हैं भी, तो उनको अपना पेट खरनेके लिए इन्होंने कठिन भेदनत करनी पड़ती है कि रातों-दिन पश्चुओं की जाति जुटे रहते हैं, तब कहीं पेट भर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इस कठिन परिश्रमके बाद उनमें इतनी शक्ति ही शेष नहीं रहती और न उतना रामय ही रहता है कि समाचार-पत्र पढ़ें। हमारी दरिद्रता भी इन कारणोंमें

से एक खास कारण है। जब पेट भरनेको हमारे पास पैसे नहीं होते, तब समाचार-पत्र कौन सरीदे और कौन पढ़े। ईश्वर ने जिन्हें कुछ सामर्थ्य दिया है, जो पैसे खर्च कर समाचार-पत्र मँगा सकते हैं, उनमें अधिकाशमें शिक्षा नहीं और जिनमें शिक्षा और धन दोनों हैं वे, यदि व्यापारी हुए, तो कहते हैं कि रामाचार-पत्र पढ़नेमें जो समय व्यय होता है, उससे व्यापारमें हानि होती है और यदि व्यापारी न हुए, तो उनमें यह धारणा होती है कि समाचार-पत्र पढ़नेमें जितना समय लगेगा, उतनेमें यदि अन्य पुस्तक आदि पढ़ लेंगे, तो अधिक लाभ होगा। इस प्रकार की धारणाओंके कारण देश की अधिकाश जनता समाचार-पत्रके आवश्यक लाभसे बच्चित रहती है। पर ये दलीलें विलक्षुल लचर हैं। अखबार न पढ़नेका असली कारण लोगोंका उसके महत्वको, उसके पढ़नेसे होनेवाले लाभको न समझता है। और सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि लोगोंमें आमतौर पर उसके महत्वको समझने की जिज्ञासा भी जाग्रत नहीं हो रही। अधिकाश हिन्दी-पत्रोंके न चलनेका एक मुख्य, कारण यह भी है। ईश्वर शीघ्र वह दिन लाये, जब इन भ्रामक धारणाओंका अन्त हो और लोग समाचार-पत्र पढ़ने की महत्ताको स्वीकार करते हुए उनसे अधिकाधिक लाभ उठायें और उन्हे फलने-फूलनेका सुअवसर दें।

---

## गत्यवरोधके कारण

—४—

किसी गुलाम देशमें उन्नतिके साधनोंमा जिस प्रकार गला पौटा जाता है, उसी प्रकारका व्यवहार भारतवर्षके सामने भी हो रहा है। यह भी एक गुलाम देश है। और गुलामीका पाप मेघमाला की भाँति उन्नतिके आतपको सदा ढंके रहता है। विदेशी शासक स्वभावत यह चाहते हैं कि शारित जाति सदा कमज़ोर बनी रहे, ताकि उसको चूसनेका अवसर कभी हाथसे न छूट जाय। इसके लिए सबसे प्रधान उपाय शासित देश की सस्कृति और शिक्षाको मुचल देना है। इसीलिए ज्योही कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, ख्योही वह उसकी शिक्षा और उसकी सस्कृतिको बदल देनेका प्रयत्न करने लगता

है। इन दोनों बातों को—शिक्षा और सस्कृति को—उन्नत करनेके जितने उपाय होते हैं, विदेशी शासनका प्रहार पहले उन्हीं पर होता है। समाचार-पत्र शिक्षा-संस्थाएँ आदि इनकी उन्नतिके प्रधान साधन हैं; इसलिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले इन्हीं संस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचार-पत्रोंके गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है। पण्डित माखनलालजीके शब्दोमे “भारतके समाचार-पत्रोंका उत्थान तथा विकास विदेशी सरकारके कानूनके अन्वेषणों द्वारा बार-बार रेता गया है।” रेतने की यह क्रूर क्रिया आज तक जारी है। ज्यों-ज्यों पत्रोंके स्वरमें उन्नति देखी जाती है, त्यों-त्यों उनको दबानेके नये-नये उपाय सोच निकाले जाते हैं। समाचार-पत्रोंका स्वर तनिक ऊँचा होते ही झट प्रेस ऐक्टका अनुसन्धान किया गया। यह भयानक दैत्य न जाने कितने नवजात और उन्नति-शील समाचार-पत्र लिगल गया। जरा-जरा-सी बातमें ज़मानतों की तलबी, उनकी ज़ब्ती, स्वय प्रेस तक की ज़ब्ती आदिसे अनेक समाचार-पत्र, विशेष कर, वे जिनके पास धन की या धनके साधनों की कमी थी—अकालमें ही काल-क्वलित हो गये। अनेक समाचार-पत्र इस राक्षसके भयसे निकले ही नहीं। जो पत्र निकलते रहे और प्रहार पर प्रहार तथा आपदाओं पर आपदाएँ भेलते हुए भी चलते रहे, वे अपनी गतिमें आवश्यक और अपेक्षित उन्नति न कर सके। बीचमें जनताके आनंदोलनके कारण प्रेस ऐक्ट की वह भयझरता कुछ दूर हो गई थी, परन्तु फिर नये-नये आर्डिनेन्सों और कानूनोंसे वह उतनीही—उतनीही क्यों उससे कहीं अधिक भयावह हो गई। समाचार-पत्र सम्बन्धी इस प्रकारके विशेष कानूनोंके अतिरिक्त ताजीरात हिन्दू, जात्वा फौजदारी आदिमें अनेक ऐसी धाराएँ मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुँह और कल्प पर सदा ताला पड़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है कहीं १२४ अ का प्रदर्शन होता है, कहीं १५३ अ का प्रयोग किया जाता है, कहीं क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है और कहीं पुलिस ऐक्ट की लाल-लाल अंखें घूमतीं दिखलाईं पड़ती हैं। शासकों की क्रूर-वृत्ति

इतने पर भी मनोरंग की चाहती। इस शब्दमें ऐसी भावी का प्राप्त बन ही रहता है कि लिखने और लेखने की आवाजी उन्नेस्को के लिए नौन्नमें कानून सोचे और गढ़े जाय। इसी उद्देश्यमें भारत सरकार नाम का इस कानून और बनाया गया है। पश्चिमाईकटी ( मार्क्स-जनिर शास्ति राज ) राज्यराज निर्गाण भी दुआ। अब बाजारों द्वारा आमतौर पर दलाल किए मरण की पर गुरु गता हो, ताकि पत्रों की उन्नति हो, तो ताकि हो। हमें बान्धनालैं फूर-फूर कर दम रखा पाया है। एक ऐसे राष्ट्र की उन्नति अर्थ सभ अपने पत्रोंको जनिर-न्म-अधिक उत्तेजित बनानेहें लिए छठपटाता रहते हैं और दूसरी ओर वह देखता पढ़ता है कि उन्होंने कानूनके कैलाशी पञ्जीयन न दें जाय। इस नीति-साक्षीहें कारण तभारे समानार-पत्रोंका नार्ग बहुत गर्विष्ठ और उड़तारीष्ठ हो गया है। पश्चित भारताल्हजो ने समाचार-पत्रोंके गत्यवरोधने कारणों की ओर इमार बरते हुए सम्प्रदाय मन्मोहनके समापत्ति की दृष्टिकोण से, यह था—“हमारे समाचार-पत्रोंको तीन बातें ध्यानमें रखनी पड़ती हैं—एक तो यह कि कहीं रानून न भार दवाये, दूसरे यह कि राष्ट्र की उन्नति कैमे हो, और तीसरे यह कि व्यावसायिक दृष्टिसे समाचार-पत्र कैसे जारी रखते जाय।” हमारे समाचार-पत्रोंको इन प्रकार एक साथ तीन-तीन बातों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने निक्षित उद्देश्य की ओर निर्द्वन्द्व और निश्चिन्त होकर बढ़ ही नहीं पाते। और इसीलिए अपेक्षित उन्नतिमें व्याघात होता है। ये दोष और अवरोधक कारण विदेशी शासनके पापके कड़ुये फल हैं।

शासकगण हमें अन्य प्रकार की असुविधाओंमें भी ढालते हैं। पोस्ट आफिस, तारु रेलवे आदिमें भी हमारे लिये इतने कड़े नियम और इतने अधिक महसूल रखते गये हैं कि उनको पूरा करनेमें हमें बहुत बड़ो क्षति उठानी पड़ती है। ये महसूल दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इन बातोंके अलावा सरकार की ओरसे हमें सरकारी रिपोर्टें, कानूनी मसविदे तथा अन्य सरकारी

कागजात भी प्राप्त नहीं होते। इससे सरकारी हलचलोंके सामयिक सम्पर्कमें रहनेमें हमें बहुत अड़चनका सामना करना पड़ता है। अधिकांशमें हमें उन हलचलोंका पता बहुत दिन बाद ही मिलता है; फिर शक्तिसे अधिक व्यय-भार उठा कर कागजात प्राप्त करने की चेष्टामें अरीम कष्ट उठाना पड़ता है।


यह तो हुई शासकोंके कारण समाचार-पत्रोंके गत्यवरोधकी बात। अब समाचार-पत्रोंके सञ्चालको, सम्पादकों और पाठकोंके कारण पैदा होनेवाले अवरोध की बात सुनिए। श्री श्रीप्रकाशजी ने 'साहित्य-समालोचक' के एक विशेषांकमें लिखा था—“हमारे यहा योग्य व्यक्ति पहिले सरकारी नौकर होना चाहते हैं। इसे न पाकर वे बकील होने की चेष्टा करते हैं। जब इसमें असफल हुए और व्यापार-व्यवसायके लिए अपनेको अनुपयुक्त समझा, तब वे शिक्षक बन जाते हैं। ..जब किसी विद्यालय आदिमें बड़ी तनखाह पर शिक्षक न हो सके तो, किसी पत्रके सम्पादन, लेखक आदि विभागोंमें जानेका यत्न करते हैं।.. पत्रों की जो दुर्दशा अपने देशमें है उसका कागण यह है कि हम लेखक लोग ही अपने कामसे प्रसन्न नहीं हैं। हमने अपने पेशेको खुद ही विगड़ रखा है।” यह बात लेखकों और सम्पादकोंके सम्बन्धमें न कही जाकर यदि राज्यालकोंके लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। सञ्चालकगण ( जहाँ सम्पादक स्वयं सञ्चालक होता है, वहाँ की बात नहीं ) इस कामको अध्यस समझते हैं। इसका ग्रधान कारण यह है कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इसमें व्यापार की दृष्टिसे सामदनी कम है—कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए सञ्चालक—खास कर ऐसे सञ्चालक जो देश-सेवा, साहित्य-सेवा, समाज-सेवा, धर्म-सेवा आदि सात्त्विक भावनाओंसे प्रेरित होकर समाचार-पत्रोंका सञ्चालन नहीं करते, वरन् धनोपार्जन की दृष्टिसे करते हैं—इस पेशेको अधिक आदर की दृष्टिसे नहीं देखते। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस कामको पूरे उत्साहसे नहीं, कुछ दबे हुए मनसे, करते हैं, और यह उत्साह-हीनता पत्रों-ब्रतिके मार्गमें बाधक होती है। एक बात और भी होती है। वह यह कि

उन्हें उम कामने अधिक आमदनी ही आज्ञा तो होनी ही नहीं, इसकी वे इसमें अधिक धन लगाने की भी उच्चा नहीं करते। गमन-सेन-सम्बन्ध सारा, गमन-सेन-सत्त्वी स्याही, सत्त्वोन्ने-सास्ते अन्य मामान तथा गमन-सेन-सम्बन्धी वर्मनारी समने की केशिंग करते हैं। वर्मनारियों की नियुक्ति अनागर पर वे इस बानका निचार नहीं करते कि असुख नहुय योग्य है, बरन उनका घान यह होता है कि असुख भगुय गह्या भिल गहा है, इनकिए उने गह रेता नहिं। सम्बन्ध के रात ही भाथ वे वर्मनारियों की कमी पर नहीं बहुत घान रखते हैं। उनका भान सदा यह गहता है कि जो वर्मनारियों दान एक ही आदमीसे लिया जाय। सम्पादकीय विभागने तो उनका यह इशि-होण और भी अधिक प्रसन्न होता है। उन प्रभागके लिए वे एक ही वर्मनारीसे पर्याप्त समझते हैं। वेचारे सम्पादकों ही सम्पादने लेहर गिरेटर, सम्पादकना, बालोचर, प्रृकरीउरके सब काम करने पड़ते हैं। इन तमाम यातोंका समाचार-पत्रों की उत्पत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हुंने गतोंप्रयोग की बात है कि हालत मुधर रही है और व्यापारिक इष्टिये भी समाचार-पत्रोंका नहत्य शीरे-धीरे बढ़ रहा है।

सम्पादक और लेखकगण अपने काम हो गिरा हुआ नहीं समझते। यह थीक है कि इससे उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी अन्य व्यापार-व्यवसायसे हो सकती है, किन्तु इससे सम्पादक या लेखक कामको ही भुरा मानते हों, या 'अधम' कहते हों, सो बात नहीं। बात इनके बिलकुल प्रतिकूल है। वे लोग इरा कार्यको उत्ता अधिक सम्मान और आदर की चीज समझते हैं। अविकाश में तो यह कार्य इतना आकर्षक हो गया है कि लोग विद्यालयोंके बाहर निकलते ही और कभी-कभी विद्यालयोंके अन्दरसे ही-विद्यार्थी अवस्थामें ही यदि तिराने का थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेखक बनने की चेष्टा करने लगते हैं। उसका सम्पादक या लेखक बननेका भाव यहा तक जोर मारता है कि जल्दी-से-जल्दी उस पद पर पहुंच जानेके लोभमें वे इस बात की भी परवा



भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र



नहीं करते कि उनमें उन पदों की प्राप्तिके लिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं। अग्री अर्थ-शिद्धित और अनुभव-शून्य अवस्थामें विद्यालयसे निकलते ही वे सम्पादकके गुरुतर पद पर आसीन होनेके लिए छठपटाने लगते हैं। इस प्रकार की भावना बहुत बढ़ रही है। इसीलिये म० गांधी को, इम बढ़ती हुई भावना को किवित् सवत करनेके लिये, 'नवजीवन' मे कुछ पत्तियो लिखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी। चात यह है कि लोग सम्पादकीय कार्यके सम्मानसे आकर्षित हो जाते हैं, किन्तु उसकी जिम्मेदारीका उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे विद्यालयसे निकलते ही, साहित्यमे किवित् अच्छा ज्ञान हुआ, तो अपनेको सम्पादकीय कार्यके सर्वथा योग्य समझ लेते हैं। सरणादन-कला सम्बन्धी ज्ञानकी उनमें बड़ी न्यूनता रहती है और तत्सम्बन्धी अनुभवका तो नितान्त अभाव। हमारे यहा दुभाग्यसे सम्पादनकला-सम्बन्धी शिक्षाका कोई साधन भी नहीं है। इसलिये विद्यालयोंमें इस विषयमें इनकी शिक्षा होती ही नहीं और बाहर निकल कर भी हमारे उत्साही और महत्वाकाद्धी विद्यार्थीगण इस कलाका ज्ञान प्राप्त करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पद पर आसीन हो जाना चाहते हैं; इसलिये समाचार-पत्रों की उच्चतिमें आघात होता है। सम्पादकके जैसे गुरुतर और उत्तरदायित्व-पूर्ण पद पर आसीन होनेके लिये तत्सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा और अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिवार्यतः आवश्यक होता है। इसके लिये पहलेसे ही सम्पादक बनने की आकांक्षा न करके पहले पत्र कार्यालयका रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणीका कर्मचारी बनकर अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊचे पदको ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिये।

सम्पादकोंके सम्पादनकला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पादकीय कर्तव्य और तत्सम्बन्धी अनुभवसे शून्य होनेके ही कारण समाचार-पत्र आदर्श समाचार-पत्र नहीं बन पाते वे अविज्ञानमें समाचार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारोंसे ही भरे होते हैं, जो नौकरशाहीके हाथकी कठपुतली होती हैं। ये समितियाँ अधिकांशमें लड़ाई-भगड़े और बाहरी आन्दोलनोंके सम्बन्धके समाचार भेजती हैं, वे भी नौकरशाहीके

रहने लगे हुए। उन उनीं समाजों को उत्तर रेखने या गवाक्षणे है। उभे और गहरे जनेत्र प्रयान नहीं आते। इसके पाठक विद्वित अधिकों हैं, उनमें रठन-गदन कमा है, उनमें दीविते गाधन कमा है, उनमें दीपल-समाजमें हिन्दू-सिन्हा छिनावीं जा गमना रखा पत्ता है, उत्तरा व दीप-प्रदोष स्था है, उनमें रनि कमी है, वे क्या कहते हैं, वे क्या चहते हैं, अदि वातों की ओर समाझर बहुत कम ध्यन देते हैं।

बाय रही पाठकों के द्वारण उपश्च एंजेजिंग गवाक्षणे की शब्द। इस महबूबी में गवामें प्रगान द्वारण जनतामें गाधगता-का अमान है। इसके पाठकों राम भूत बड़ा गमुगय अगिडिन भव्या भाँति निपित्त है। जो पटे-चिंतों—जिन्हाँ हैं—वे हिन्दी पत्रोंका रामने उठना भी शामके गिराव समझते हैं, वे तो अहरेचीक ही अनुचर होते हैं। और जो अगिडित या अर्वगिडिन है—उन्हीं की मम्या अनिह है—वे समाजास-पत्र पढ़ने की कमी उन्होंनहीं करते। कठी-कठी यदि इन्होंनो होती है तो शक्ति नहीं होती और कहीं पर शक्ति होती है, तो इन्होंनहीं होती। ऐसी दृगमें समाचार-पत्रों की कठर हो, तो हँसे और उश्च हुए चिना केहि रमानास-पत्र उन्नति करे तो कैसे? जनतामें एह शेष और भी पाया जाता है। इमारे यह प्राय यह सस्कार-गा चला आ रहा है कि उम सामाजिक घटना-नमोंको एह माया-जाल समझ नह उमसे उदागीकता दिखाते हैं। समाचार-पत्रोंमें, सतार में आगे दिन घटनेवाली घटनाओंका उत्तेजा होता है। उन घटनाओंको हमारे पाठक मायाजाल और अमार कह कर टालते हैं। यह उपेक्षा-भाव भी समाचार-पत्रों की उन्नतिका अवरोध करता है। हमारे अनेक पाठक यह समझते हैं कि समाचार-पत्रोंका पढ़ना अनावश्यक और केवल विलासिता है। इसलिये स्वतः पढ़ने की वात तो दूर रही, वे दूसरोंको भी समाचार पढ़नेके लिये उत्साहित नहीं करते। इतना ही नहीं प्रत्युत कहीं-कहीं तो पटने की रुचि रखनेवाले लोग निरुत्साहित तक किये जाते हैं। यह वात हमारे व्यापारी भाइयोंके यहा अधिक

पांडि जाती है। उनमें कुछका मत है कि अपने कामसे काम रखना चाहिये, दुनियामें कहा क्या हो रहा है, इससे हमें क्या पड़ी है? दूसरे लोग यह कहते हैं कि इनके पढ़नेमें समय नष्ट होता है, उतने समयमें कोई काम किया जा सकता है। बुद्ध व्यापारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि द्रक्कानके कर्मचारी उन्हें पढ़नेमें लग जायगे और इस प्रकार कामको हानि पहुंचेगी। जहाँ इतना वारीक काता जाता है, वहा समाचार-पत्रों की उन्नतिमें यदि वाधा पड़े, तो आश्चर्य ही क्या?

जनता की दरिद्रता भी समाचार-पत्रों की उन्नतिको बहुत बड़ा आघात पहुंचाती है। जिन्हें जौक है, जो समझते हैं, और समाचार-पत्रोंने लाभ उठाना चाहते हैं, वे वेचारे इतने गरीब हैं कि पेट भरनेके लाले पड़ रहे हैं, समाचार-पत्र कौन खरीदे? जिन्हें थोड़ा-बहुत अवकाश है, वे भी भिज-भिज विषयोंके अलग-अलग समाचार-पत्र नहीं मँगा सकते। इसलिए वे चाहते यह हैं कि कोई ऐसा समाचार-पत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विषय पढ़नेको मिल जाय। इस रुचिके कारण समाचार-पत्र अधिकाधिक विषयोंका समावेश करने की कोशिश करते हैं, किन्तु सचालकोंके धनाभावके कारण भिन्न-भिन्न विषयोंके विभिन्न सम्पादक नहीं रखे जाते, एक ही सम्पादकसे सब विषयोंका सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विषय विना योग्यतापूर्ण सम्पादन के ही प्रकाशित होते हैं। एक मनुष्यको सब विषयोंका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये इस प्रकार की त्रुटि रह जाना स्वाभाविक है। यह त्रुटि नमष्टि न्यूनमें हमारे समाचार-पत्रों की उन्नतिके मार्गमें वाधक मिठ होती है।

समाजार-पत्रों पर भी प्रश्नान उल्लं था। उसमें आपने हिन्दू शरि-  
गापी जनता और दूर-दूर प्रान्तोंमें वर्णी हैं। इन प्रश्नार-पत्रोंमें होने  
के कारण एक आनंदों द्विष्ट कर हिन्दूकि समाजार-पत्र इबहे पास स्टूडियो  
से नहीं पहुँच सकते। इसी विचार की प्रश्ना करने होती हैं। यह  
वात अधिक महत्वपूर्ण न होने पर भी, तब्बे-शूल्य नहीं हैं। इन समाजार-  
आलयों द्वारा ज्यातारी गमुदाय हो और एक जाता दला बनवाए। इसका  
देख होना है। पारस्परिक प्रतिरक्षिताएं कामण यह तो स्पष्ट ही हैं। इन समाजार-  
पत्रोंके गम लक्षण यह हो पत्रोंता अधिक नूचा नहीं रहा भावों, उसके उन्हें  
आमड़नी विज्ञापन पर ही अस्तान्धित रहती है। यिन्हु इन्हाँग व्यवसायि-कर्म-  
विज्ञापनके गहराते अपरनित रह हैं। इसिये पत्रोंमें साफी विज्ञापन नहीं मिलने  
दौर इन्होंनिये “द्वारे समाजार-पत्र पत्रने नहीं पत्ते।”

इन प्रश्नार द्वारे समाजार-पत्रोंहे गत्यारोधके नामाविध कारण हैं।  
समाजार-पत्रों की उन्हें चाहनेवालोंको इनके निरापरमां प्राप्त बरता जातिये।

---



अधिक सफलता प्राप्त करेगा, वह उन्हीं ही अग्रिम उम्मीद रखेगा। समाचार-पत्रके सम्बन्धमें जो यह लिया जाय सबसे बड़ा उम्मीद में लिया जाय कि उसमें वहु-सम्मान जनताको मनोरूप होगा या नहीं। उम्मीद जनता को माझे द्वारा पानी से भासि भिल जाना चाहिये। ऐसा प्राजन राजा न लिये हि जनता भास-भास हो जाय। वह बालाजे की जरूरत नहीं है हि जनता राजा उम्मीद मनुष्ये अधिक प्रेम होता है, जो उम्मीद आनी-भी मालम होती है। आने भावोंका प्रतिबिम्ब पात्र पत्रों पर जनतारा राजा आगोदित हो जाता है और वह उन्हें अनिकालिक प्यार होने लगती है। इन्हुंने यह जाएँ मरल नहीं। जनतामें एक ढी छुचि नहीं होती। जिन्हें भिल भिल होती है। एक-एक प्रतार की नविटा एक-एक गमुण्डा होता है और आवश्यकता यह होती है कि उस प्रतारके अग्रिम-भी-अग्रिम गमुण्डा गम्बन्ध किये जाय। जिन अनुपातमें वह काम लिया जायगा, उन्होंने उनी अनुपातमें समाचार-पत्र रूचितर और पिय होते और उसी अनुपातमें उनकी उन्नति होगी। इस कामके लिए मगालर या मम्पाइट्स जनन्या गरण सम्बन्धी मनोविज्ञानका बड़ा सुन्दर वोभ होता जाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ भी न लगा लिया जाना जाहिये कि जनता की भवि यदि गन्डी और अश्लील हो, तो पत्रको तदनुसृप बनाना जाहिये। यह बात कभी न भूलनी जाहिये कि पत्र जनताका उपदेशक है और एक उपदेशक की भासि ही जनतासे मिल-जुल कर उसका सुनार करना उसका ( पत्रका ) प्रयानकर्तव्य है।

समाचार की उन्नति उरासी ईमानदारी और सच्चाई पर भी बहुत कुछ निर्भर रहती है। समाचार-पत्र एक बहुत जिम्मेदार और महत्वपूर्ण स्थान है। जनताका आमतौरसे उसपर पूर्ण विश्वास होता है। समाचार-पत्रका कर्तव्य है—सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने विश्वासको जो वह सौभाग्यसे किसी किसी के प्राप्त होता है—सदा कायम रखें। भूलकर भी कभी विज्ञासधात न करे। जो बात सच्ची हो, साधु हो, उसके कहनेमें तनिक भी आगा पीछा न करे।

धनियों की बड़ी-बड़ी थैलियों, अधिकारीहें, व्यक्तियों की समीकर धमकियों और दुराचारी आतताहयों की नृशस्ताओंसे रक्ती भरभी विचलित न हो। वह एक ही लगन—सच्चाई और ईमानदारीके साथ जनता की सेवाका सात्त्विक-भाव—लिए हुए समाचार-पत्रको निर्विकार, निर्भय और निश्चित गतिसे अपने कर्तव्य मार्ग पर ढटे रहना चाहिये। यदि आवश्यकता पड़ जाय तो वडे-से-वडे व्यक्ति की आलोचना या प्रशसा करनेमें पीछे न हटे। इससे जनताका अधिकाधिक विश्वास उसपर पढ़ता जायगा और पत्र उत्तरोत्तर उच्चति करता जायगा। किन्तु आलोचना करनेमें एक बातका अवश्य ध्यान रखना चाहिये। वह यह कि आलोचना अविकाशमें व्यक्ति की नहीं होती, व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्य की होती है। यदि किसी ने कोई काम अच्छा या खराब किया, तो उसमें यह समझ कर कि वह मनुष्य ही अच्छा या खराब है, उसकी प्रशसा या निन्दा न करनी चाहिये; हा, यदि कोई निरन्तर एक ही प्रकारके काम करता जाय और इस बातके काफी प्रमाण हो कि उसके बे काम जान बूझ कर बुरे या अच्छे भावसे प्रेरित हो कर हुये हैं, तो अवश्य व्यक्ति की आलोचना या प्रशसा की जा सकती है। उन समय व्यक्ति की आलोचना करनेसे पीछे भी न हटना चाहिये। हम प्रकार बी आलोचना प्रशसा-लोचना करनेमें तथा अन्य समाचार या सन्याद्वयीय लेन्ड प्रकाशित करनेमें भी इस बातका सदा यान रखना चाहिये कि जो लेन्ड लिया जाय वह ऐसी सरल भाषामें हो, जो सबकी समझमें दा जाय, इतना स्पष्ट हो कि किसीको उन भाषोंके समझनेमें दिक्षित न हो, एवं जो भाव व्यक्त किये गये हों उनके अतिरिक्त पाठक और कुछ न समझ जाय और वह असरदा, गल्य हो। कान बरनेमें सदा इतनी सतर्कता और नावशानी रखनी चाहिये कि गोरे धनुष या भ्रमात्मक बात प्रकाशित न हो जाय; किन्तु यदि कुछोंने कमी द्वारा प्रकाश की गलत बात प्रकाशित हो ही जाय तो व्य वह गलती मालन हो, तथ शीघ्रतिशीघ्र उसका समोधन या प्रतिशाद प्रकाशित जर दिया जाना चाहिये।

जनता को विद्यार्थि महिला दें, शहर जानकी तो जनता के बहुत ही है। कहा जाए क्योंकि नै, दिन भर इस जगत् जानकारी की ओर जनता का ध्यान नहीं। अतः जनता को नै आवश्यक होता है कि विद्या जनता पर्वत हो। अतः जनता को नै आवश्यक होता है कि विद्या की प्रयोग सार्वत्रीय पाठ्य इस कर्मद्वीप पर का निष्ठा तम प्रतीक्षा हिता करे। इसके बाहर जनता की मानवता पर ऐसी प्रभित्वनी-भित्वनी विद्यार्थीजागतिका ध्यान, नारी एवं सबकी सामर तिन वर्गों को उपर्युक्त भट्टकर्णे की जरूरत नहीं जाय, विद्यार्थी इनका अभ्यास लिना, जिनके विद्युत अनुज्ञान भी उनके स्वभव नहीं, गम्भीरीय सामग्री भी अनेक विद्यायों पर छोड़ेकर्ने हो देना या विद्यार्थियों लिना, प्रृथी-डिल्लीमें इन जारीयानी सरला फिए एक भी नहीं न रा जाय, ज्या एह काल्पना भजन, दूसरे काल्पनिकों या एह पुष्टिता भजन, दूसरे पुष्टिते ले जाना परे तम दोनों स्थान पर—जहाँसे बचाकर देजाया जाय और जहाँ हे जाका जाय—सगृद गवदों उसका उरेश कर देना, बागज, छपाई, फोटोट्रॉफ आदि की सफाईता भरणा आदि वाने आवश्यक होती है। यसपि ये केवल छोटी-छोटी-सी वातं तथापि इनसे जनताको बड़ी सुविधा पात होती है और इनका काफी अपहरण है। इन्द्रीके अधिकांश-पत्र फार्मके फार्म सुन्दर भूए भेज कर बेगारन टाल देते हैं। इनसे पाठ्योंको असुविधा होती है। उन्हें पढ़नेके लिए अप हाथोंसे पृष्ठ फालै जा सकें, तो यह तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इन पाठ्योंमें कभी-कभी एक चिद्री पैदा हो जाती है। जिसका असर ग्राह सख्त्या पर पढ़ता है। इसलिए फार्म ऐसे छासे छपवाने चाहिये जिसमें फोल्ड करते समय [ मोड़ते समय ] प्रत्येक पृष्ठ अलग-अलग रहा करे। इसके अतिरि पत्रको ठीक समय पर प्रकाशित करने की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिये प्रत्येक ग्राहक पत्र निकलनेके समय पर बराबर इन्तजार किया करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि पत्र ठीक समय पर प्रकाशित हुआ करे।

अन्यथा इन्तजारी से—नाकामयाव इन्तजारीसे पाठक उब जाता है और इससे भी चिढ़ उठता है। और, यदि यह सब बार-बार हुआ, तो नौवत यहां तक आती है कि त्ये साल वह ग्राहक तक नहीं बनता। इसलिए पत्र ठीक समय पर प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है।

पत्रों की उन्नतिके लिए जनताके मनोरञ्जनका ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। ऐसे लेख या समाचार जिनमें जनताकी अधिक रुचि हो, खास स्थान पर, अच्छे दङ्गसे और किञ्चित् विस्तारके साथ दिये जाने चाहिये। रेल-टुर्डटना आदिके वर्णन, कल्पके किस्से, दङ्गोके समाचार या ऐसे ही मनोरञ्जक वर्णन अपेक्षा-कृत अधिक विस्तृत होनेसे जनताको अधिक पसन्द आते हैं। जनताका मनोरञ्जन एक और प्रकारसे भी किया जाता है। वह सास-खास अवसरों पर यह जाननेको उत्सुक रहती है कि अमुक स्थान पर अमुक अवसर, अमुक लौहार किस प्रकार बोता, अमुक उत्सव कैसे मनाया गया, कोई दङ्गा-फसाद तो नहीं हुआ। ऐसे अवसरों पर समाचार-पत्रकों लौहार या वह उत्सव समाप्त होते ही, तत्सम्बन्धी विस्तृत समाचार शीघ्रातिग्रीष्म प्रकाशित करना चाहिये। इससे जनता की उत्सुकता-तृप्त होगी और उत्सव क्येट मनोरञ्जन होगा। जहां पर लेख या समाचार मनोरञ्जक न हों, वहां यह प्रयत्न करना चाहिये कि प्राप्त समाचार ही जहा तक सम्भव हो, भाषा या वर्णन-शैली-द्वारा मनोरञ्जक बनाये जाय। पाठकोंके मनोरञ्जन और ज्ञान-वर्द्धनके लिए समाचार-पत्रोंमें छोटी-छोटी कहानिया सास-खास आदमियोंने जीवन-चरित्र आदि भी प्रकाशित करना चाहिये। निश्चित समय पर कभी-कभी विशेषाङ्क प्रकाशित करना, चित्र देना आदि भी अच्छा प्रयत्न होते हैं। लेखों या समाचारोंके शीर्षक भी ऐसे रखने चाहिए जो विषय की अधिक-से-अधिक सूचना देनेके साथ-साथ जनताके लिए अधिमन्त्रे-अधिक आकर्षक और मनोरञ्जक सिद्ध हों। किन्तु; यह ध्यान रखना चाहिये कि शीर्षक सम्बन्ध विषयसे अधिक हो। इस नम्बन्धमें विषयका ध्यान प्रधान और

स्तुती यानींत गौण होना चाहिए।

हिन्दी की वर्तमान समाजन-पत्रकारीमें 'शेष शाहिय' है। इसमें यह तो ऐसी है, जिनके गिरजाकरणी है और कुछ भी नहीं है, जो फिर लाल लड़के कागज होती है। इन प्रक्रियोंमें समाजन तर कर्मना प्राप्ति उनके अपार्योग बना प्रभावात्मकी अवधि नहीं है। इसने यही युद्ध कर्मन्दियोंमें ही रखी है। हिन्दीते शेष शमाजार-पत्र रखे हैं, जिनमें प्राप्त-शेषियोंमें से सर पिपोटिंग, मालियानोचन, समाजन तर कर्मना यही लक्ष्य करना पड़ता है। तार्कके इन अपार्योगोंमें वेनाना समाजन इस प्रकार इस जाता है कि उसको पत्र की उन्नतियों समाजनमें यह भी योग्यता बढ़ाव नहीं मिलता। उत्तराखण्ड समाजार-पत्रोंके वार्यत्वोंमें तमनाशियों की काफी मौता रहनी चाहिये। एह प्रथान समाजर, जी-नीन दर-समाजर, समाजराजा, प्रूफ-शेष आदिका रहना तो अनिरार्थत आमतर होता है। समाजतरोंहे देनेमें भी एक ब्रुटि ऐरो जाती है। यद्यपि अब यह होने लगा है कि अधिकास गमाचार-पत्र यामरकर देनिक पत्र याजियन-यायमाय आदिके समाजार प्रत्याशित रहते हैं, किन्तु गेल-कूद और यिनोइ शाहिये समाजारों यी थोर उनका स्थान नहीं गया। पाठकोंनो यह भी यत्या जाना चाहिये कि फृट्याल, किटेट या रासी-गैचमें क्या हुआ, अनुक नाटक कैसा रहा गया, तेरामी की दीड़में कौन आगे आया, साइकिल की दौरका क्या परिणाम हुआ—आदि। इससे खेल-कूद से प्रेम रखनेवाले पाठकोंके समुदायका यज्ञ मनोरहन होगा।

हमारे वर्तमान समाजार-पत्रोंके सम्बन्धमें एक ब्रुटि यह भी है कि वे देशी राज्यों या अन्तर्राष्ट्रीय समाजारोंका यथेष्ट समावेश नहीं करते। इसमें पाठकोंका स्थान जो सकुचित बना रहता है, वह तो रहता ही है, उनको अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंके जानने की उत्त्सुकता भी तृप्त नहीं होती। अब हमारा देश पुराने रापस्थियोंका देश नहीं रहा, जहाँ एकान्तवासको ही सब ध्रेय दे दिया जाता था। अब हमारा सम्बन्ध देश-देशान्तरोंसे स्थापित हो गया है। इतना ही



ऐना नाहिये, जिसमें इस प्रकारके दोष पक्षमें न उपरोक्त और दासों द्वारा पर पद्धतों  
उन्नत करनेके उपाय मूल नहीं।

प्रभासाश्रिता, उपरोक्तिएँ और प्रकार वर्णनेहीं थिए, या आसान होती  
हैं कि नमानार-पत्र जिस आन्दोलनी साथमें है, उसे अन्त तक निभता नहीं।  
इस सम्बन्धमें नमानार-पत्रको एक योग्य भेत्ता की भविता 'पर्वत' इस  
पत्रना नाहिये। नमानार-पत्रको इस तारीखें भी गत्ता नाहिये कि आन्दोलना  
आन्दोलन जनताके लिए अधिक उत्कृष्टी होगा और उसी ही कारणेर इस  
आन्दोलन मिल जाय, तुमन्न उसे जापनें हो देगा नाहिये। ऐसे आन्दोलने, तो  
जापमें लेनेसा उपाय गहरे हैं कि इस सम्बन्धके गमनार, उस पर वार्षकी तथा  
उस सम्बन्धके विवेगों की गमने, जिनमें जनताहृ कर्मव्यार्थनव्यता उपरेका  
दिया गया हो बराबर प्रकाशित ही जायें। प्राय प्रयोग आमें इस आन्दोलन  
गमनन्वी कुछ-न-कुछ चर्चा होनी ही गये। इस सम्बन्धमें कहा जाता हो रहा  
है? कौन बात कहता है? किनना जायें हो जुता है? कितना चाहता है?  
यह लिंग प्रकार पूरा हिया जा सकता है, आदि जातों की जनां करके, आलो-  
चनों की प्रचालोचना करके, महाराजों की प्रदारा करके, उसके प्रति जनतासा  
भनोगार आकर्षित किया जा सकता है और आन्दोलनना नेतृत्व प्रहण लिया  
जा सकता है। इस सम्बन्धमें 'प्रताप' ने अन्डे उड़ाहण उपस्थिति लिये  
हैं—रायबरेली, गिरोहावाद, नीमूचाणा, थार्दि लाण्डोंके अनेक आन्दोलनोंमा  
सफल नेता बननेका सौभाग्य उसे प्राप्त हो जुता है। 'तरुण राजस्थान' भी  
देशी राज्योंके सम्बन्धमें काफी ध्यान देता था। अन्य रामाचार पत्रोंमें भी  
इस सम्बन्धमें यही कार्य-प्रणाली अपनानी चाहिये। किन्तु; यह क्षाम वास्तव  
नहीं है। अनेक जिम्मेदारियां हैं और अनेक विपक्षिया भी। यदि प्रमाद या  
असावधानीके कारण जनताको गलत रास्ते पर ले गये, तो देशका सलानाश  
किया और यदि ईमानदारीके साथ आगे बढ़े तो आतताई अत्याचारियोंके  
शिकार बने। आन्दोलनोंका नेतृत्व प्रहण करना इसी दोधारी तलवार पर

चलना है। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी बड़ी इनानदारी, बड़ी निर्भीकता, बड़े नाहस और बड़े भारी धैर्य की जरूरत पड़ती है, जो आचरण की दृष्टा और पवित्रता-द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

पत्रोंको निकाल कर सफलता-पूर्वक चला ले जानेका एक चुन्दर उपाय श्री बाबूगव विष्णु भराङ्कर ने अपने भाषण में, जो उन्होंने प्रथम नम्बादार नम्बेलत के अवसर पर दिया था, बताया है। वह ज्योंका ल्यो यहा दे दिया जाता है। “यदि कुछ उत्साही लेखक और कार्यवर्ती मिलज्जर पहिले एक ही जिल्ले अच्छी तरह अध्ययन करें, प्रथेक तहसील और बड़े-बड़े गांवोंमें शिक्षित और चतुर नम्बादारता नियुक्त करें, और ग्राम-ग्राममें पत्र पहुंचानेमें सावनोंका प्रबन्ध करके एक सामाहिक-पत्र निकालें, वह पत्र प्रधानतः अपने ही जिल्ले के ग्राम-चारोंको छापा करे, अपने पाठकोंके सामाजिक जीवनका किन्तु नौन बरे, उनके सुख-दुःख की प्रतिष्ठनि किया करे, साधही-नान उन्हें थोड़े में अग्रिल भारतीय और जगत-व्यापी प्रदनोंका भी परिचय देता रहे, तो निम्ननगर उपरा प्रचार एक ही जिल्लेमें इतना अधिक होगा, जितना आज दस्ते अच्छे-अच्छे हिन्दी पत्रोंका सारे भारतवर्षमें नहीं है। एक अनुभवी सम्पादक नौन-नान सुशिक्षित और तरह बहायक और अनेक नूजनदर्जी नम्बादारता निलज्जर सह काम करी रान्छी तरह चला नकरे हैं।” इन शीतिनि ग्रन्थ जर्नले गतान्तर-पत्र की धर्य और आइर्झ दोनों दृष्टियोंसे बाफ्फी उन्नति हो नम्नतो हैं।

वह रही विभिन्न विषयों पर सद्योगियों की नमर्ताओंके दृद्धण्ठ नहने वी  
चात। इसके लिए जोर देनेका यह कारण है छि इससे अपने पाठ्योंको यह  
मालम होता रहेगा कि किसी विशेष विषय पर भिन्न-भिन्न लोगों दी क्या  
रायें हैं। इस न्यायमें पत्रों की रायोंके बलावा भिन्न-भिन्न नेताओं वी  
रामतियाँ तथा उनके वक्त्य भी दिये जा सकते हैं। विभिन्न साम्राज्यिक  
पत्रों और नेताओं की रायें देना विशेष रूपसे रोचक होंगी। लोग जानेगे कि  
अमुक विषय पर हिन्दुओं की स्था राय है, उस पर उसत्प्रान व्या कहते हैं,  
और ईसाई, पारसी, सिक्का आदिकोंका व्या कहते हैं।

यह विज्ञापनबाजीका जसाना है। इस समय किसी समाचार-पत्रके प्रचारके लिए  
काफी विज्ञापनबाजी की भी जरूरत है। पत्रों की उन्नतिके लिए विज्ञापनबाजी  
भी आवश्यक हो गई है। इसलिए अपने पत्रके विज्ञापनका उचित प्रबन्ध  
करना आवश्यक है। विज्ञापन अन्य समाचार-पत्रोंमें देनेके अलावा पोस्टरों  
और एजटों-द्वारा भी करना चाहिये। पोस्टरों-द्वारा दो प्रकारसे विज्ञापन किया

जा सकता है। एक तो साधारण रीतिसे पत्र की विशेषतायें दिखाकर विज्ञापन ढेना और दूसरे रोज़-रोज़के खास समाचारोंके सूचनात्मक पोस्टर बड़े-बड़े अंगरोंमें छपवा कर बाँटना। इस समय कुछ समाचार-पत्रों ने एक और तरीका भी निकाला है। वह यह कि अपने पत्रके मुख पृष्ठ पर बड़े-बड़े टाइपमें किसी विशेष महत्वपूर्ण समाचारका शीर्षक छाप देते हैं। यह समाचारके हेडिङ्गके अलावा विज्ञापनका काम भी देता है। लोग उस शीर्षकको देखकर पत्र पढ़ने की ओर आकृष्ट होते हैं। खर्च की बचतके बिचारसे पोस्टरोंके बदले यह तरीका निकाला गया मालूम होता है। किन्तु यह पोस्टरोंके समान प्रभावशाली नहीं। फिर भी काम चलाया जा सकता है। एजण्टों-द्वारा विज्ञापन करनेका यह तरीका है कि ऐजन्ट लोग समाचार-पत्रके कुछ नमूने और विज्ञापन-सम्बन्धी पोस्टर देकर भेजे जायें। वे जनतासे मिलकर समाचार-पत्र-सम्बन्धी बातें जबानी बताकर उसका प्रचार करते रहें और पोस्टर आदि बाँटते तथा पत्रका नमूना दिखाते जायें।

विज्ञापनके और तरीके भी विदेशी समाचार-पत्रों ने निकाले हैं। वहाके पत्र-सञ्चालक गरीबों और पीड़ितोंको आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायतायें ढेकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल-कूद करनेवाले तैरनेवाले, कुश्ती लड़नेवाले तथा अन्य ऐसे ही लोगोंका दग्गल कराकर वहाके पत्र-सञ्चालक जीतनेवालोंको इनाम देते हैं। अपने ग्राहकोंके खतरेके बीमे वहाके पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकारके बीमों की घोषणा तो कुछ दिन पहिले बम्बईके 'बम्बई-क्रानिकल' और 'बम्बई-समाचार' पत्र ने भी की थी। इन कामोंसे पत्रका काफी विज्ञापन होता है, और पत्र थी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हिन्दी में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ नहीं हैं और न अभी सम्भव ही मालूम होती हैं। परन्तु यह असम्भव नहीं है और भविष्यमें जब कुछ पत्र फलने-फूलने लगेंगे, तब इन उपायोंसे काम लिया जा सकेगा।


समाचार-पत्रों की गतिका सूक्ष्म-निरीक्षण करनेसे निकट-भविष्यमें ऐसी

स्थिति वा जने की गम्भारा प्राप्त होती है, यद्यपि इन अभिह गम्भार-पत्र प्रसारित होते। यहुत गम्भा है, यह ही देशमें गम्भार-पत्रों की गम्भा हो जाय। ऐसी दिवामि गम्भार-पत्रों के लिए यह भावे चाहा गम्भार देश की धरोप्ता, यह अग्रिम बदल होगा हिने उन्हें एवं देश कल्पे और उन्हर गम्भारों की ओर अतिह धान रखते। योहित प्रकैश न्यायक, मुक्ताय हेतु वारण, अपने प्राप्त वा अपनायाहे उन में अभिह प्राप्त रहने का कोहित करेगा। यह काम ताम्भानीय गम्भार देश पर अनिह अपार्णिता होगा। योहित गम्भारणन द्योग उसी गम्भ तिसी पत्रमें अभिह प्रेम रखते हैं, जब ते यह देखते हैं फि उनके गम्भर हें गम्भार वा देश अहि उन पत्रमें दृष्ट है। इन प्रसार यद्य तिसो मृत्युज्ञ जन तनुदय ताम्भानीय तिसी पत्रमें गलत हो जायगा। यद्य द्यारे पत्रका प्रक्षम वटा न हो सकता। इन अहिसे मात्रम होता है कि गम्भार-पत्रोंका प्रचार-पत्र इन-दिन न तुनित होता जायगा। इमलिए अभीसे यद्य गम्भार-पत्रोंको मर्ह राजा चाहिये और मार्ह-देशीय स्वामिल भी रक्षाके नाथ-नाय एक प्राप्तीय स्वामिता की लिये रूपमें रथा करते रहना चाहिये।

मध्येपमें यही बाते हैं, जो एक गम्भार-पत्रों उन्नत करनेमें सहायक हो सकती है। वेसे तो जेगा उपर रुहा जा चुका है, किसी समाचार-पत्र की विशेष परिस्थितिसे ही इस बातका ठीक-ठीक पता लग सकता है फि उन समाचार-पत्र की उगतिके सम्बन्धमें किस उपायसे काम लिया जाय।

---

## पारिश्रमिक



पारिश्रमिकका प्रश्न जीवन की प्रत्येक दिशामें बहुत आवश्यक और महत्व-पूर्ण स्थान रखता है। जो परिश्रम करता है, वह अपने परिश्रमके प्रतिफल-स्वरूप पारिश्रमिक की इच्छा करता ही है। मजदूर अपनी मजदूरीका उचित पारिश्रमिक चाहते हैं, किसान अपनी किसानीका पारिश्रमिक चाहते हैं, और पत्रकार अपने कामका उचित पारिश्रमिक चाहते हैं। साराश यह कि सभी क्षेत्रोंमें कार्यकर्ता इस प्रश्न की आवश्यकता और महत्ता अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार अनुभव करते हैं। यहा पर पारिश्रमिकके एक व्यापक रूपका विवेचन करना इष्ट नहीं है, अतएव केवल हिन्दीके पत्रकारोंके पारिश्रमिकके प्रश्न पर ही विचार किया जायगा।

विन्दीरे पत्रामों, लैपर्स, कपियों आदि भी अधिक आम्हा चित्रने गोचरीय है, यह मात्र य-ग्राममें पत्रामा भवित्वाले तिथीभी व्यक्तिमें छिपी नहीं है। उन ग्राम्यताम् पत्रामों ने बत्ते को भीर, विन्दीरे जडागामी सामीक्षे वाम पाणिता आवाय प्राप्त है, इन्हुंनी इस पत्रामों नी का आवाय है फि बत्ते गत तेजारे वानि-जानेको इन-इन जारे-जारे लिखते हैं और उन्हा ग्राम्य भी शरणे वाल-प्राणी और बुद्धियों तथा जापियोंही उर्गम्या नी मूँही और भवद्वर गोदने द्योएकर तदान्तराप्रकृत फाम न नक्का मार्ग देते हैं। ग्राम्यमें भी उन्हे मुख मिठाए होगा का नहीं, नैन जानता है। त्याग, तपस्या, देवा और वरिदान आशिके भासुक अग्निरुद्रमें अपने गुरुज्ञा और उज्ज्वलीज्ञ की पूर्वार्द्धा देने पर भी व सुप्र और जानि नहीं पाने। पण्डित प्रगाढ़नागदय निश्च, पम्भित रद्दृतजी, पण्डित भगवान्दर्शीजी पाठ्य आदि इमर्हे मूर्खिंमान उदाहरण पेश कर रहे हैं। याज भी जानेक पत्राम टुक्के टुक्के हो तरमते हुए मिलते। उच्छ ही दिन हुए पाठ, भुज्जमोगी महाशय ने श्रीनंदित्तेरा गमनात्में लेताहों की ज्ञानिन अपस्थापा वर्णन करते हुए, जो ऐसे लिगा था, उसमें इस प्रतारके कडे बडे नाश्चिक उदाहरण हे।

यह अपस्था तिर्फ लेताहों की ही हो, तो बात नहीं है। हिमान इसी नहीं में पिसा रहे हैं, मगद्वूर एवी निशानेके गिक्कार हो रहे हैं, और न जाने कौन-कौन इस बन्धुणाका दुरा भोग रहे हैं। विन्दु उनकी अपस्था और पत्रकारों की अपस्थामें अन्तर है। उनही और देशके नेताओंता ज्ञान आहृष्ट हुआ है, उनकी दशा सुवारने की अवस्था भी जोरोंके साथ शुर हो गयी है। मगर इनकी अपस्था की ओर अभी ज्ञान ही नहीं दिया गया। ताज्ज्युव की बात तो यह है कि स्वयं पत्रकार, जो दुनिया भरके आन्दोलनोंका बीक्का उठाये रहते हैं, इस मामलेमें चुप हैं। सम्पादक-सम्मेलन आदि सब शुल गये हैं, मगर किसीसे इस ओर कोई कार्य नहीं बन पड़ा। यह उपेक्षा-भाव अवाछनीय है। इसमें सन्देह नहीं कि त्याग और तपस्या आदि धनकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएँ

हैं और प्रत्येक आदर्श पत्रकारमें इन गुणोंका समावेश होना आवश्यक है। किन्तु, सबसे आदर्श मनुष्य होने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए साधारण विचारवाले सनुप्योंको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हे उपस्थित करनेका उद्योग भी होना चाहिये और कुछ नहीं तो भला इतना तो हो जाय कि बेचारे पत्रकार और लेखक दो-दाने अन्न पा सके!

इस सम्बन्धमें उप-सम्पादकों की तथा सध्यम श्रणीके उन सम्पादकों की भी, जो स्वयं पत्रके स्वामी नहीं हैं, अवस्था और भी अधिक शोचनीय है। दिन-दिन भर खटने पर भी उन बेचारोंको जो पारिश्रमिक मिलता है, वह इतना थोड़ा है कि वे अपना पेट भी मुश्किलसे भर पाते हैं। उनके आश्रितों की जो दशा होती है, उसकी तो बात ही व्यर्थ है। इतना होते हुए भी 'मालिकों' की शनि-दृष्टि उनपर पढ़ी ही रहती है। काम तो वे उनसे अधिक-से-अधिक लेना चाहते हैं; किन्तु प्रतिफलमें निश्चित वेतनको भी कम करने की सोचा करते हैं। उपरोक्त सम्पादक और उप-सम्पादक तन-मनसे काम पर जुटे रहते हैं, अपने स्वाथ्य तकका ख्याल नहीं करते, साधारण वीमारीमें भी वे नियमानुसार बराबर कामपर आते हैं। इस बातका भी विचार नहीं करते कि उनके काम करने की अवधि ६, घण्टे या ८, घण्टे है इसलिए इस अवधिके बाद कास न करे। काम पठ जाने पर वे १०-१०, १२-१३ घण्टे मेज-कुरसीसे लगे रहते हैं। परन्तु इन सब सेवाओंके फलसे उन्हे मिलता क्या है? उपेक्षा, उल्हना, भर्त्सना! दूसरे कर्मचारी यदि अपनी कार्य-अवधिसे अविक काम करते हैं तो 'ओवर टाइम' वेतनके अधिकारी होते हैं, इनके भाग्यमें वह भी नहीं बदा। समाचार-पत्र की सेवा करते-करते यदि कोई ढुर्घटना हो जाय, जिससे इन्हे शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुंचे, तो इनकी इन क्षतियों की पूर्ति का भी 'मालिक' लोग प्रबन्ध करनेके लिये तैयार नहीं। इतना ही नहीं, यदि पत्रके किसी लेखकके कारण बेचारोंको जेल आदि जाना पड़े, तो उस जेल-यातनाके बदलेमें कुछ अधिक पुरस्कार देने की बात तो बहुत ही दूर की बात है उलटा उनका

गोगरण वेतन भी का रट सर राष्ट्र शिक्षा के लिये उन्हीं आही। दर गोवाल्यसा दग थोळे ही चम्पे रही है। दगार बाबु शिंदे दग अन्य मम्माडरी, तो अनुशिष्टिया दगालार राज्यामध्ये आही जाही दगार्येमध्ये दग शिंदे दग लालेके दगारा दगडी दग दगेव और दगार्या न दग याहो, तो दगालारी यो नव्य दग दग, या तो दगारी, उलं दिन दी उदारी दगार दग दग दी जाती है। यहां पर व्यापारा है, यहा अन्यान्य दर्भानारी दगालारा देखा याही नी पाती है। पान्हु, दगारी रट भी नहीं दिल्या। नारम नव्य दग, तरम्मा, नेता, वलियां आदिता यज देश इन्हीं के नाम दिला दिला यज हैं या न्हा २

उटिंगों की आत्मा भी तुड़ दम नहीं है। जारनिरुद्धिर यो कार्य-लयोरो गुणिया होंगी, तब दिलेगी। दर्द देणा न हुआ, तो इन देन्हारे मन्मारही योर उप-ममारहोरो नाहे जिन्हीं आत्मवत्ता हो ने दृष्टीने रक्षार न माने जायगे। नह योर चाह ए हि तो दामदारामे तिग देंत अपने रठने छुट्टी ले लें। सालगाना नियमित छुट्टी भी चारा नहींने दाम दर तुरन्हेके बाद तेगहवे भर्हने आती है, सालके ११ महीने लाम रात्नेते बाद नहीं! केंगो भीषण धमस्या है, इन प्रकारके सम्पादकों की। ग्रेचुइटी धीमा, वोल्न, पोक्सिट-फर्ड आदिके अभावजा कोड तो है ही, जारसे इन प्रकारके घरार की राज और वनी रहती है। इस अनहस्यको नुधारने की यही आत्मवत्ता है।

अपने पत्रकारों और विदेशीय पत्रकारों की तुलना दरने पर तो दातो तले झँगली दबानी पड़ती है। इमारे यहा अच्छे-से-अच्छे सम्पादकों की तकराह डेट-दो सौ रुपयेसे अधिक नहीं होती, किन्तु विदेशी समाचार-पत्रोंके सम्पादक हजारों रुपये मासिरु वेतन पाते हैं। जापानके प्रतिदू पत्रके सम्पादक तीस-तीस हजार येन [ जापासी सिफ्का ] वार्षिक वेतन पाते हैं। जिसकी कीमत यहा के हिसाबसे तेर्हेस हजारके बराबर होती है। लन्दनके 'टार्म्स' पत्रके प्रधान सम्पादकका वेतन विदिशा साम्राज्यके प्रधान सचिवके वेतनके बराबर है।

उप-सम्पादकों, सम्बाददाताओं और स्वतन्त्र-लेखकों आदि की दशा भी काफी अच्छी है; परन्तु हमारे यहा तो इन लोगोंकी अवस्था और भी खराब है। हमारे यहाके पत्र-सञ्चालक तीस-तीस चालीस-चालीस रुपयेमें ही उप-सम्पादक रख लेना चाहते हैं, और सम्बाददाताओंके तो वेतन देने की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। वहुत इनायत की गई, तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया और वस। लेखकोंके सम्बन्धमें भी यही बात है। उनका लेख छाप देना ही पुरस्कार समझ लिया जाता है। दूसरे देशोंमें इन सब कामोंके लिये काफी पारिश्रमिक दिया जाता है। सुपत तो वहा कोई काम होता ही नहीं। पुरस्कार की प्रथा इतनी बढ़ी हुई है कि पत्रकार-कलाके सम्बन्ध की जितनी पुस्तकें देखिये, प्रायः सबमें एक ही स्थान पर नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर पुरस्कार-पुरस्कार की पुकार सुनाई पड़ेगी। प्रभावशाली विलायती समाचार-पत्रोंके प्रधान सम्बाददाताओं को २५० पौंडसे लेकर ४०० पौंड तक सालाना वेतन मिलता है। इसके अर्थ यह है कि जिस कामके लिए हमारे यहा पत्र की एक कापी मात्र दी जाती है, उसके लिये वहा चार पाच हजार रुपये मिलते हैं। स्वतन्त्र लेखकोंके सम्बन्धमें विलायतमें यह हाल है कि टाइम्स पत्र साधारण लेखकोंका ५०-६० रु० फी कालमके हिसाबसे लिखाई देता है। विख्यात लेखकों की लिखाई सुनकर तो ताज्जुब होता है। वे लोग पाच-पाच और छ.-छ. हजार रुपये प्रति कालम की लिखाई लेते हैं। प्रति शब्द एक-एक शिल्प लेनेवाले तो कई लेखक हैं। बड़े आदमी विना कसकर लिखाई लिये नहीं लिखते। मिठायडजार्ज ने अभी हाल ही में कहा था कि जितना मैंने प्राइम मिनिस्टरी (अंग्रेजी साम्राज्यका प्रधान मन्त्रित्व) से कमाया है, उसका चौगुना इस तरफ चार वर्षों की लिखाईसे कमाया है। यह अन्तर है हमारे पत्रकारों की आमदनी और विदेशीय पत्रकारों की आमदनी में। इस प्रकारके आर्थिक अन्तरके बाद भी वहाके पत्रकारोंको अपने 'भालिको' की ओर से जो व्यवहार मिलता है, वह हमारे यहा स्वप्नमें भी नसीब नहीं। हमारे यहाँ

बहुत राज संगे कार्यलय है, जिसमें पाठ्यारों के सभ्य निवास का समाजसदा व्यवहार दिया जाता है। किन्तु जिसमें पाठ्यारों के भी जिसे उन्होंने व्यवहारके सम्बन्धमें गढ़ आने चाहा है वह उन्हें साथ लूप्तियों-का सा बांध दिया जाता है। साकाशगता इसी सम स्तरीय है, उर्दू भाषा जिसी है, और गदा तह स्थाल भाषी है जिसके अन्तर्गत भवित्व में रहते हैं, तब भी उन्हें उन्हरे शूर्णाल भी जिसमें उन्हें चाहते हैं तो उन्हें दिये हैं। इन परिणाम यह होता है कि सर्वानन्दिगणहर भी उन्हीं भेजते हैं जल्दी वास्तव अर्पण दिये गता है।

अब भाषा का है कि यह अन्तरा क्यों है? इसका प्रारम्भ यादृच्छा हमारी दरिजता है। इस परिवर्तिति में इन अन्तरों का नियम इसला मम्भा ही नहीं है। इसका एक रास्ता यह भी हो सकता है कि देशमें मनाचर पनोंके प्रयोग शौक नहीं है। इसके न देशमें समाजान-वर्गोंके मनाचरोंको कफी आनंदनी नहीं होती और वहाँमें वे अपने पनाहर मण्डलोंको कफी पुरस्कार नहीं दे सकते। अभी हमारे नाम पनाह-कला की यह प्रारम्भिक आस्था है। एक तो उपर्युक्त कारणोंसे हम वेसे भी विशेषीय पनों की धनाना नहीं कर सकते—रासकर पुरस्कार आदान-प्रदानके सम्बन्धमें—हाँसे यदि उपर्युक्त घाते नहीं हों, तो भी प्रारम्भसे ही इतनी उन्नति कर सकता राम्भा न होता। फिर्योंमें भी पहिले आज की-सो हालत नहीं थी। ज्यों-ज्यों पनकार-कला की उन्नति होती गई, ख्यों-ख्यों इस सम्बन्धमें भी उन्नति हुई है। किन्तु यहाँ की स्थिति भी सुधारी अवश्य जा सकती है। इसके लिए प्रयत्नसील दोना पनकार-कला से सहानुभूति रखनेवाले महानुगावोंका कर्तव्य है।

यह अन्तरा की आवश्यकता नहीं कि जो परिश्रमिक देशमें जितनी अधिक उदारतासे काम लेता है; उसे उतने ही अधिक योग्य और कार्यशील कर्मचारी प्राप्त होते हैं। जितनी शक्ति उल्ली जाती है, शर्यत उतना ही मीठा होता है। किन्तु इस बात की ओर ध्यान न देकर पन-सनालक-समूह कोशिश यह

करता है कि कम-से-कम वेतन पर आदमी मिलें। बम्बई जर्नलिस्ट कान्फरेन्स के समाप्ति की हैसियतसे मिं० नटराजन ने बहुत ठीक कहा था कि कम वेतन देने की ओर पत्र-सञ्चालकोंका इतना ध्यान होता है कि स्थान खाली होने पर जब किसी आदमीको वे रखना चाहते हैं, तब यह नहीं सोचते कि कौन आदमी योग्य है, और कौन अयोग्य, बल्कि देखते यह हैं कि कौन सस्ता मिल रहा है और कौन नहीं। यह तो हुई वेतनभोगी कर्मचारी रखने की बात। स्वतन्त्र लेखकों के सम्बन्धमें भी उनका व्यवहार इससे किसी प्रकार कम कंजूसीका नहीं होता। पत्रोंमें बेमतलबके और अधिकाशमें बेहूदा चित्र निकालनेमें पत्र-सञ्चालक सैकड़ों रुपये फूक देगें, मगर लेखकोंको पारिश्रमिक देनेमें कौड़ियोंकी भी उदारता दिखानेको तैयार न होंगे। जिनके लेखों की बढ़ौलत पत्र वास्तवमें पत्र कहा जाने योग्य बनता है; उन बेचारे लेखोंको तो कानी-कौड़ी भी नसीब नहीं होती, किन्तु देश-विदेश की बेतुकी बेश्याओं आदिके चित्रके लिए सैकड़ों रुपये स्वाहा किये जाते हैं। यह प्रथा बड़ी शोचनीय और भयावह है। इसके सुधारनेका शीघ्रातिशीघ्र उपाय होना आवश्यक है। कम-से-कम उन समाचार-पत्रोंको तो जिनको काफी आमदनी होती है, स्वतन्त्र लेखकोंको पुरस्कार देनेकी व्यवस्था तुरन्त कर देनी चाहिये। यदि वे अपनी विज्ञापनी आयका थोड़ा-सा भाग इस कामके लिए निश्चित रूपसे दिया करें, तो भी बड़ा काम हो सकता है।


यह सुधार आसानीसे हो भी सकता है। समय इसके लिए विलक्षुल अनुकूल आ गया है। स्वभावतः इस ओर कुछ उत्तरि हो चली है। जरा-सा धक्का लगा देने भर की जरूरत है। माधुरीके प्रकाशनके बादसे लेखकोंको पुरस्कार आदि देने की दिशा में उन्नति होने लगी है। अन्य-अन्य समाचार-पत्रों ने भी पुरस्कार देने की योजनासे काम लेना आरम्भ कर दिया है। पत्रोंमें इस प्रकारके विज्ञापन भी निकलने लगे हैं; इस प्रकार स्थिति नितान्त अनुकूल सिद्ध हो रही है। अवस्था प्रारम्भिक है। प्रारम्भ में लेखकों को कुछ कम

गम्भीरने के बाद श्री हीराल ने गिरावङ्ग पारेगा तो उसने बहुल  
मै इन विषयों के दरेहु दरने हुए कहा—“प्रत्यक्षरों की जन पर तिचार फीजिये,  
किन परिस्थितियोंमें उन्हें राम छरना पड़ता है, इमरी जोर रामात फीजिये,  
और इन वातों की कथना फीजिये कि कामके पीछे अधिक-से-अधिक दिमाग-  
पच्ची करनेके बाद भी, उसे किनना कम पारिथनिक मिलता है, और अन्तमें  
प्रोविडेन्ट फण्ट, ग्रेटयुटी पेन्शन और घोनम आश्वास प्रबन्ध न होनेके कारण  
जीवनके अन्तिम दिनोंमें उसे किन विषय परिस्थितिका सामना करना पड़ता  
है। आदि।” परिपद्धकी कार्यवाहीमें भी इन विषयों का फी महत्व दिया  
गया। यहा तक कि सबसे पहले, अभिवेशनमें इसी विषयका और इसी आराय  
का एक प्रस्ताव किया गया :—

“पत्रकार-कला की स्थिरता तथा विकासके लिए, इस काममें लो हुए सब  
भाइयोंको उनके काम तथा नौकरीके अनुरूप प्रोविडेन्ट फण्ट, घोनस, घीमा,  
ग्रेटयुटी आदि मिलने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यह पत्रकार

परिषद् पत्र-सञ्चालकोंसे आग्रह करता है कि वे इस सम्बन्ध की उचित योजना करें।”

क्या हमारे सम्पादक सम्मेलनके कण्ठधार भी इस प्रश्न की महत्ताका अनुभव करके इस सम्बन्धमें कुछ काम करने की चेष्टा करेंगे? पत्रकार-कला की उन्नति के लिये पारिश्रमिकका प्रश्न हल करने की बहुत सख्त जरूरत है। आशा है, इस ओर उचित ध्यान दिया जायगा।



## शिक्षा-व्यवस्था



समानार-पन और पत्रकारों की सल्ला दिन-दिन धड़ रही है, किन्तु घुट कम ऐसे पत्रकार देखनेमें आते हैं, जिन्हें वह अपने विषयसा वात्तविक ज्ञान हो। छालत यहाँ तक बदतर है कि वहुतसे ऐसे पत्रकार भी जिन्हीं गणना काफी अच्छे सम्पादकोंमें की जाती है, इस विषयसे अनगिज रहते हैं। इससा सबसे प्रधान कारण तो यह है कि वे इस वर्गाको पढ़ने की ओर ध्यान ही नहीं देते। वे समझते हैं कि इसके लिए जो योग्यता आवश्यक है, वह यही है कि मनुष्यमें इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह अपने भाव शुद्ध भाषामें प्रकट कर सके। यस। अन्यथा यदि उन्हें इस विषयमें ज्ञानका अभाव मालम हो, तो वे ऐसी

पूर्ति का उद्योग करें और उस उद्योगके करनेमें वे अपने आप पुस्तकों, लेखों, अनुभवी पत्रकारोंसे बातचीत आदिके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर ही लें। विषय की अनभिज्ञताका दूसरा कारण यह भी है कि शिक्षा की सम्प्राप्ति नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर क्या, वास्तवमें वे हैं ही नहीं। शिक्षणालय न होने के कारण जो लोग पत्रकारका काम करना चाहते हैं, उन्हें उस कलाके सीखनेका अवसर नहीं मिलता। एक और तो वे इस काम की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं और दूसरी ओर इसके पढ़ानेवाली सम्प्राप्तियोंका अभाव है, इसलिए उन्हें विषय की जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पैर बढ़ाना पड़ जाता जाता है और पत्र-सञ्चालकगण ऐसे पत्रकारोंको काममें लगा भी लेते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि इनसे अधिक योग्य व्यक्तियोंके मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती।

किन्तु अब समय बहुत पलट गया है। समाचार-पत्र बहुत बढ़ गए हैं। पत्रकार-कला ने समाजमें अपना काफी स्थान बना लिया है। इसलिए अब यह भी आवश्यक हो गया है कि जो लोग इस कला की ओर आकृष्ट हों, वे अधिक योग्य और अपने विषयके अच्छे पंडित हों। इसके लिए अब शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता हो गई है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके कर्णधारोंने इस आवश्यकताको बहुत पहले ही महसूस किया था। उन्होंने सम्बत् १९७७ वाले अधिवेशनमें ही, जो कलकत्तेमें बाबू भगवानदासजी की अध्यक्षतामें हुआ था, यह प्रस्ताव पास कराया था—“यह सम्मेलन अपनी स्थायी समितिको आदेश देता है कि अपनी हिन्दी-विद्यापीठमें सम्पादन-कला की शिक्षा देनेके लिए प्रबन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय विद्यालयोंके सञ्चालकोंसे अनुरोध करता है कि यथासम्भव वे भी सम्पादन-कला को एक पाठ्य विषय बनावें।” इस तरह की बात केवल हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके ही दिमागमें आई हो, सो बात नहीं। अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं ने भी शिक्षालयों और विद्यापीठोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। इस प्रकार लगातार ध्यान आकृष्ट करने पर भी कुछ नहीं हो सका।



की पढाई आदिके सम्बन्धमें किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती। साहित्य-सम्मेलन की ओरसे सम्पादन-कला की जो परीक्षा होती है, वह तो और भी तमाशा है। परीक्षाके लिए केवल वे ही विषय रखे गये हैं, जिनका उपरवाले पत्रमें उल्लेख हो चुका है। बड़े आश्र्वर्य की बात है कि इस प्रकार की परीक्षा पास करने पर सम्पादन-कला की विज्ञताका प्रमाण-पत्र कैसे दे दिया जाता जाता है? 'भारूं घुटना फूटे आँख' वाली दशा है। परीक्षा ली जाय—अर्थशास्त्र, राजनीति, भाषा-विशेष और विज्ञान आदि विषयों की और प्रमाण-पत्र दिया जाय सम्पादन-कलाका? क्या मजाक है! मानो सम्पादन-कला कोई स्वतन्त्र विषय ही नहीं है, और जो लोग उक्त विषय जानते हैं, मानो सम्पादक की पूरी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं! यह मान लेनेमें कोई संकेत नहीं कि उक्त विषय सम्पादन-कलासे अधिक निकट सम्बन्ध रखते हैं—सम्पादन-कला तो एक ऐसा विषय है, जिससे प्रायः प्रत्येक विषयका कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है—किन्तु ये विषय ही सम्पादन-कला हैं, यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य-सम्मेलनमें जिससे लोग आशा करते हैं कि इन साधारण विषयोंके अन्तरको जानता हो, इस प्रकार की असावधानी हो, यह केवल खेद की ही नहीं लज्जा की भी बात है। इस ओर कुछ सुधार हुआ है। मगर वह भी अभी निराशा-प्रद है। उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट है कि हिन्दी विद्यापीठमें सम्पादन-कला की शिक्षाका कोई भी ऐसा प्रबन्ध नहीं है, जिस पर सन्तोष किया जा सके। वहा न तो रिपोर्ट लेने की बातें बताई जाती है, न सम्पादन करने की बातें बताई जाती है, न लेख और टिप्पणी आदि लिखने की बातें बताई जातों है, न प्रूफ सशोधन की बातें बताई जाती है, न कोई प्रेस है, न अखबारका कोई काम है, न उस विषयका जाता कोई अध्यापक है, और न कोई अन्य आवश्यक सामान। ऐसी दशामें विद्यार्थी क्या शिक्षा पा सकते हैं, यह साधारण बुद्धि रखनेवाले सभी व्यक्ति जान सकते हैं।

तथा ऐसे ही अन्य लाग करने जाते हैं। उन्हें यह शिकायत जाता है, विद्यार्थी ही उम्र के सम्मान मिलते हैं, और यह उन्हीं का पद होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा निकाला हुआ पन या नहीं होता। एट-डो फार्मर्स पन निकाला जाता है। इन तमाम लाभोंमें गिरफ्त उन नियमियोंते बताता योग देता रहता है और रालाह दिगा करता है। इन प्राचार पत्रकार-सत्त्वके शिक्षा-र्पियोंको व्याखातिक शिक्षा मिलती रहती है। यह काम आमारे यहाँ भी शिक्षा जा सकता है, पर इमारी सरकार तो इमारी है ही नहीं, किर मदर कौन करे? इसलिए भव थायोजन थौर विचार ज्ञोंके ल्यों परे रहते हैं। अभी एठ दिन हुए, गुजराती पत्रकार-परिषद् ने घम्बर्झ-विधवियालगसे अनुरोध किया था कि वह पत्रकार-कला की व्यवस्था करे। उस समयके वास्त्र चांसलर राट-चिमनलाल सीतलवाद ने समावर्तन-संस्कारके अवसर पर दिये गये अपने भाषणमें इस बात

का उल्लेख करते हुए आशा भी दिलाई कि इसपर विचार किया जायगा, किन्तु वह प्रस्ताव अभी ज्यों-का-त्यों पड़ा है, और कुछ भी नहीं हुआ ! सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ तो भला वैसी हैं ही; जो संस्थाएँ राष्ट्रीय होनेका दम भरती हैं, जो सरकारसे सीधा सम्बन्ध भी नहीं रखती, वे भी कुछ नहीं कर रही हैं। सम्पादक-सम्मेलनके सभापतियों और पत्रकार-कलासे सहानुभूति रखनेवाले गण्यमान्य सज्जनोंके बराबर चिल्हाते रहने पर भी इस प्रकार की उदासीनता वास्तवमें पश्चात्ताप की बात है।

इस प्रकार की शिक्षा-शालाएँ खुल जाने पर उनके समस्त विद्यार्थी अच्छे पत्रकार हो जायेंगे, यह मैं नहीं मानता । पत्रकार जन्मजात होते हैं, किन्तु शालाओंसे इतना अवश्य होगा कि जो इस प्रकारके जन्मजात गुण सम्पन्न सम्पादक हैं, वे अपनी योग्यता और बढ़ा सकेंगे और जो ऐसे नहीं हैं, वे भी सतत अध्यवसाय और परिश्रमसे बहुत कुछ हो जायेंगे । इसलिए इस प्रकार की शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता है ।

गुजराती पत्रके सम्पादक और गुजराती पत्रकार-परिषद्के भूतपूर्व सभापति श्री मणिलाल इच्छाराम देसाई ने अपने भाषणमें इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इस विषय की वास्तविक शिक्षा तो किसी समाचार-पत्रके सम्पादकीय कार्यालयमें ही मिल सकती है । इस बातसे किसीको भी एतराज नहीं हो सकता, किन्तु समाचार-पत्रके सम्पादकीय कार्यालय शिक्षणालय नहीं घन सकते । इसलिए खतन्त्र शिक्षणालयों की स्थापना की आवश्यकता तो है ही । पण्डित माखनलालजी चतुर्वेदी ने द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापति की हैसियतसे भाषण देते हुए इस विषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला था । आपने उपर्युक्त अमेरिकन प्रयाका अनुकरण करनेका अनुरोध करते हुए कहा था—“एक सम्पादन-कलाके विद्यापीठ की आवश्यकता है । ऐसा विद्यापीठ किसी योग्य स्थान पर, बुद्धिमान्, परिश्रमी और अनुभवी सम्पादक रिपोर्ट्सको द्वारा सञ्चालित होना चाहिये । उक्त पीठसे अन्यान्य विषयोंका प्रकाश ग्रन्थ

श्वरोंमें पृथग्गत्य के ने हो। यती-सरी बातोंने छोटा सा दा के ने दिया जाय, और तोड़े भी यात समझ रखें हे साड़ समाचार-पत्रमें तिथ प्रसार ही जाग, आलोचनाएँ के ने की जायें, आलोचनाओंहे उपाय के में लिंगों जारी किन आलोचनाओंने विषय ती मीमन्सा कात्ते नमय व्याख्या की उपेक्षा ती जाद और हिनमें नहीं, थादि बातों की शुद्ध और प्रयोग दिखा देनेही व्यवस्था होनी चाहिये। इनी सत्या ताता, प्रयोगहे लिए, एह सामाजिक-पत्र और एक मासिक पत्र भी प्रकाशित किया जाय। इन सत्यासे उत्तीर्ण होनेके पद्धार् विद्यार्थियों को देशके गुछ और उत्तम समाचार-पत्रोंके कार्यालयोंमें युठ मनस्थी सम्पादकों के पाम प्रत्यक्ष ज्ञानके लिए रखा जाय। इस प्रकार शक्तरेजी पट्टने-लिसने और समझनेका निश्चित ज्ञान पा चुननेका तरण चार-पाच दयोंमें सम्पादनोंके काम की चीज हो सकेंगे। रिपोर्ट, प्रूफ, बैट तथा अन्य भिन्न-भिन्न सम्पादकीय कायोंसे गुजर कर उनमें से युछ व्यक्ति, यदि उनमें सभाव सिद्ध लगन हुई, तो देशके अच्छे पत्रकार हो सकेंगे।” चतुर्वेदीजी वी यह व्यवस्था बहुत झन्दर माल्हम पढ़ती है। युठ केन्द्रिय शिक्षा-शालाएँ इस प्रकार की होनी चाहिये, किन्तु इस प्रकार की एकाध सत्या रोड कर ही सन्तोष न कर बैठना चाहिये, इनके अतिरिक्त उपरोक्त अमेरिकन प्रथाके अनुरूप अन्य

छोटी-छोटी संस्थाओं को व्यवस्था भी आवश्यक है। ये संस्थाएँ यदि सरकार खोलनेके लिए तैयार न हो, तो डिस्ट्रीक्टबोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड आदि इस कामको बड़ी आसानीसे उठा सकते हैं। अमेरिकामें ये संस्थाएँ इस कामको उठाये हुए भी हैं। आवश्यकता थोड़ेसे परिश्रम और लगन की है। पत्रकार-कला से, दिलचस्पी रखनेवाले नेताओं और अधिकारियोंको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

---

## पत्रकार-परिषद्

“परोपदेशो पाण्डिलम्” की यहात, माझठनके सम्बन्धमें जैसी पश्चारोंके लिए चरितार्थ होती है, वैसी शायद ही और दिसीके लिए होती हो। पश्चार दूसरोंको तो लम्बे-लम्बे टेल लिए कर घेरेचडे शब्दोंमें उपदेश देते रहते हैं—साझठन करो, सब मिल कर अपनी माँगें पेश करो, सब गिल कर दी अपनी कार्य-पद्धति तैयार करो और सब उसी कार्य-पद्धतिके बहुसार काम करो इत्यादि—मगर जब अपने लिए इन सब प्रस्तावों पर आमल करने की बात कही जाती है, तब खामोश। राव जोशा-सारोश खतम हो जाता है। यह ‘परोपदेशो पाण्डित्यम्’ की कहावतको चरितार्थ करना नहीं, तो क्या है ? कहनेका तात्पर्य

यह नहीं कि इस पत्रकारका कोई सङ्गठन है ही नहीं। सङ्गठन है, एक सम्मेलन भी स्थापित है, उसके अधिवेशन भी होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, सब कुछ होता है, मगर काम कोई सामने नहीं दिखलाई पड़ता। इसका सबसे प्रधान कारण यह है कि पत्रकार-वर्ग एक दूसरे की बात मानने और उसके अनुसार काम करनेके लिए तैयार नहीं। शायद वे इसमें अपने गौरव की हानि समझते हैं। जो हो, कम-से-कम इतना जल्ह है कि सम्पादक-सम्मेलनके प्रति पत्रकारों की बहुत ही कम सहानुभूति है। न अज्ञेजी समाचार-पत्रोंका ही कोई सङ्गठन है, न अन्य एतद्देशीय भाषाओंके पत्रकारोंका और न हिन्दी पत्रोंका ही। हिन्दी की दशा तो और भी अधिक शोचनीय है।

हमारे यहाँ ऐसी महत्व-पूर्ण संस्थाका अभाव बहुत दिनोंसे चला आ रहा है। उस अभावको हिन्दीके पत्रकारों ने बहुत पहिले, शायद हिन्दुस्तानमें सबसे पहिले, अनुभव किया था। जब, देशमें किसी भाषाके पत्रकारोंका कोई सङ्गठन स्थापित नहीं हुआ था, तब—सन् १८८५ ई० में हिन्दीके पत्रकारोंने इसकी आवश्यकता अनुभव की। और उसी सन् में भारत-जीवनके तात्कालिक सम्पादक स्वर्गीय वावू रामकृष्ण बमके सभापतित्वमें एक सम्पादक-समिति स्थापित हुई। समितिके मन्त्री थे स्वर्गीय श्री राधाचरण गोस्वामी; किन्तु दुर्भाग्यवश यह समिति अधिक दिनों तक न चल सकी। एक ही वर्षके बाद इसका अन्त हो गया। इसके बाद सन् १९०७ ई० में फिर इस विषय की चर्चा सुन पड़ी। उस साल फिर प्रयागमें सम्पादक-समिति की स्थापना हुई। इस बार उस सूत्रके सद्वालक श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन हुए। टण्डनजीके निरीक्षण और उनकी कार्यकुशलताके कारण यह संस्था किसी-न-किसी रूपमें सन् १९१३ ई० तक स्थापित रही। सन् १९१० में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापनाके बादसे इसके सालाना अधिवेशन 'साहित्य-सम्मेलन'के साथ-साथ होते रहे। किन्तु सन् १९१३ ई० के बादसे यह सङ्गठन टूट गया। सन् १९१३ ई० में ही जब लखनऊमें साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन हुआ, तभी एक पत्रकारके

जो सम्यादक-सम्मोत्तम भाष्टिस-गम्भोत्तम के साथ-साथ होता था ।

उसके उद्दय ये रहे गये थे ।—

[ १ ] हिन्दी-समाजार-पञ्चोंके सम्यादकों, लेनदेनों की ओर कथात्तरोंमें परस्पर सहयोग स्थापित करना ।

[ २ ] देशके लाभकारी आन्दोलनोंमें हिन्दी-पञ्चोंकी उभितित-एकित्र प्रयोग करना ।

[ ३ ] विषयस्त सम्यादकों वी सहायता करना ।

[ ४ ] हिन्दी-पञ्च-सम्यादन-कला की उत्तरिके लिए प्रयत्न करना ।

- [ क ] व्याख्यानों द्वारा ।
- [ ख ] पुस्तक प्रकाशन द्वारा ।
- [ ग ] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा ।
- [ घ ] परीक्षाओं द्वारा ।

[ ५ ] हिन्दी-पत्रोंके लिए एक 'न्यूज-एजेन्सी' स्थापित करना और भिन्न-भिन्न विषयों पर हिन्दी-पत्रों की सम्मतियोंको अन्य भाषाओंके पत्रोंको मेजना ।

उक्त उद्देश्योंके विस्तृद्ध कुछ कहने की गुजाइश नहीं । जहा तक उद्देश्योंका सम्बन्ध है, वहाँ तक वे बहुत अच्छे हैं । किन्तु सवाल इन उद्देश्यों की सिद्धिके लिए तदनुरूप काम करनेका है । यह काम नहीं हो रहा है, यही दुःख की वात है । श्रीयुत पण्डित माखनलालजी चतुर्वेदी ने सम्पादक-सम्मेलन वाले अपने भाषणमें इस वातपर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणोंपर भी विचार किया था । सज्जठनमें पत्रकारोंके भाग न लेनेके कारणोंमें उन्होंने इन वातोंको गिनाया था—“एक तो सम्पादकगण या सञ्चालकगण स्वयं अपने पत्रोंके जीवन विधाता हैं । फिर भला वे किसीके अनुशासनमें कैसे रहें? दूसरे जिन पूँजीपत्रियोंके हाथमें देशके कुछ प्रभावशील समाचार-पत्र हैं, वे शायद इस वातका भय मानते हैं कि यदि साहसी गरीब ‘उपकरण’ पत्रकार सद्वमें बलवान हो गया, तो निरंकुशताको एक गहरी ठोकर लगेगी और उसके ठोकर लगते ही पूँजी-वाद की इमारत की नींव हिलने लगेगी । इसका तो सरा कारण भी शायद है । सज्जठनका काम विना धनके नहीं चल सकता और धन धन-पत्रियों आ जेवमें है । फिर गरीब पत्रकार सज्जठन करें तो किस विरते पर?” चतुर्वेदीजीके दत्ताये हुए कारण ठीक है, पर धनाभावका कारण कारण होते हुए भी एक वहाना-सा देख पड़ता है । यदि योग्य और प्रभावशाली पत्रकारों की सूचि इस विषयके प्रति हो जाय, वे इसमें भाग लेने लगें, तो धनाभाव वड़ी सरलताके साथ दूर हो सकता है । आखिर दूसरी संस्थाएँ भी तो चलती ही हैं । उनमें

पत्रकारों की हर प्रकार की समाजे आयोग मण्डित उपरेक्षा नो जार डारा  
न्हीं गो मम्यादार-मम्मोल्करों द्वारेश्वरों जा शुका है, किन्तु इस मध्यम पर वर्दि  
क्षुद यातें विस्तार हो गए भी कह दे जाय तो अनाम्यह न होगा। दो-तीन  
याते नाम तौमो विचार करने दी हैं। एह तो, और शाकड़ मध्यमे प्रगत,  
यात यह है हि अभिरक्षण मम्यादत्तयण आने भवेष्वो यान पवित्र याते की  
ओर मुक्त फे हैं। अपने तुच्छ-स्वार्थकि मिष्या-प्रलोभनमें परहर के लाद-  
शक्त्युत हो जाते हैं और आने पवित्र-भनोके भव्ये पर कर्म की गलड़ी कालिमा  
पोतहर कभी अझ्लील-मे-अझ्लील लेग, विश्वापन आदि द्याते हैं, कभी  
आल्माज्ञा इनन का, रुप्येके लोभमें, इच्छाके विष्ट, व्यक्ति-विशेष की भूठी  
प्रदांसा या है पमूलक निन्दा करते हैं और कभी शादर्सी वौर वर्तव्यको तिला-  
छलि ढेकर ऐसे-ऐसे समाचार थोर ऐसे-ऐसे मजामृत द्यापते हैं, जो उनके  
पाठकों की रुचि विगाह कर, उन्हे गहरे गड्ढमें ढकेल देते हैं। इन भयहर और  
घातक प्रवृत्तिको रोकने की बहुत बड़ी जररता है। सम्यादक-सम्मेलनको  
समाचार-पत्रों की नीति सम्बन्धी ऐसे रार्बभौग नियम बनानेता प्राप्त करना  
चाहिये, जिनके अनुसार काम करनेके लिए समाचार-पत्रोंको आदेश दिया जा  
सके। पण्डित वावूराव पदारकर ने इस कार्यको 'पत्रकारोंना आदर्स ठहराना'

कहकर याद किया है और श्री रामानन्द चट्ठी ने इसे नीति और शिष्ठाचार स्थापित करना कहा है। ये दोनों बातें एक ही हैं और इसका प्रबन्ध करना चाहिये। यह ठीक है कि इस प्रकार निर्दिष्ट आदेश और नियम अनेक समाचार-पत्रोंके सम्पादकोंको मान्य न होगे, वे रवेच्छाचार-पूर्वक इनकी पूर्ण अवहेलना भी करेंगे, मगर सम्मेलन परचों और पत्रोंके द्वारा ऐसे समाचार-पत्रों की कड़ी आलोचना करके उन्हें अपनी बात माननेके लिए मजबूर कर सकेगा।

दूसरी बात जिसकी तरफ सम्पादक-सम्मेलनको खास तौरसे ध्यान देना चाहिये, वह है समाचार-समितिके विषय की। समाचार-समितियों ( News Agencies ) का वर्तमान प्रबन्ध बहुत त्रुटिपूर्ण है। ऐसोसियेटेड प्रेस, रुटर, युनाइटेड प्रेस, ये ही तीन समाचार-समितियां हैं, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते हैं। इनमें से पहली दो समितियोंको तो पूर्ण सरकारी समझना चाहिये। इनके द्वारा जो समाचार प्राप्त होते हैं, उनमें सरकारी आवरण चढ़ा रहता है। हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए इनके समाचार अधिक लाभके नहीं होते। तीसरी समिति अवश्य कुछ निष्पक्षभावसे राय देती है; किन्तु इनसे भी सन्तोष-प्रद समाचार-संग्रह नहीं होते। समाचार-पत्रोंमें हमें अपने समाज और अपने राष्ट्रका प्रतिविम्ब जैसाका तैसा देखनेको बहुत कम प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यकता है एक ऐसी समाचार समिति की, जो इस प्रकारके समाचार हमारे पास पहुंचा सके। ऐसी समाचार-समितियोंको अपना काम पक्षपात-शून्य नितान्त राष्ट्रीय-भावसे करना होगा। केवल आश्वर्य, क्रोध, घृणा, विद्वेष और शत्रुता पैदा करनेवाली घटनाओंके ही नहीं; वरन् ऐसी घटनाओंके भी समाचार भेजना होगा, जो दया, श्रद्धा, ल्याग, तपस्या, आदि उच्च-भावोंको जाग्रत करनेमें सहायक हों। श्री रामानन्द चट्ठी ने अपने एक लेखमें इसी विषय की चर्चा करते हुए लिखा था—“हम इस बात की रिपोर्टें तो बहुत जटदी दे देते हैं कि अमुक अभियुक्त अमुक मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया, मगर

तीव्री साथ, जिसकी ओर गान्धी तौमने यात्रा दिया है, वह ही पश्चात्तीसी रुप, उनके स्वतंत्रों की रुग्ण, उनके प्राप्तों भी रुग्ण और उनके अधिकारों की रुदा। पत्रकारों की आधिक व्यास्था वर्ती गान्धी है और वर्ती व्यास्था वीतांडी गवर्नरे प्रभानन्द नमस्ता है। इसलिए पत्रकारों की इस आसानी सुगर कले के लिए बहुत गोप्र प्रयत्न होना चाहिये। इनकी पश्चात्तार परिषद ने भी इस ओर जान दिया है। अभी यिहले ही अधिकारोंमें उन्हें एक प्रस्ताव पात्र किया है, जिसमें पत्र-गवालकोंसे कठा गता है कि वे अपने गति वाले पत्रकारोंके लिए पेन्शन, चोनम, ब्रेन्चुरटी, प्रोफिटेण्ट फाउंड आदि की व्यास्था करें। इस आशयके प्रत्यावर्त हिन्दी सम्पादक-सम्मेलन हारा भी स्टोल्ज द्विये जाने चाहिये और उनको अमलमें लानेके लिए पूर्ण प्रयत्न भी होना चाहिये। आधिक व्यवस्थाके गम्भन्यमें श्रीरामादन्द चट्टोंने एक योजना पेश की है। उनका कहना है कि यह एक अधिल भारतवर्षीय पत्रकार परिषद हो, जिसकी शाराएँ प्रत्येक प्रान्तमें हों। उसके अधीन पत्रकार-संघरण-कोष नामसे एक कोष रखापित किगा जाय। इस कोषके हारा उन पत्रकारों की सहायता की जाय, जिन पर राजदोह या ऐसे ही किसी अन्य अभियोग पर मामला चला हो और इसी कोषसे विपद्यस्त पत्रकारों और उनकी सृत्युक्ते कारण विपत्तिमें पैदे हुए उनके कुटुम्बियों की सहायता की जाय। यह योजना ध्यान देने योग्य है।

इन सब वातोंके अतिरिक्त सम्पादक-सम्मेलनको सतर्कता-पूर्वक समस्त



राजा रामपाल सिंह ( कालाकांकर )



घटनाओंको देखते रहना चाहिये और यह सोचते रहना चाहिये कि कौन-सी वात पत्रकारोंके सम्बन्धमें क्या प्रभाव डालेगी । कानूनों की ओर विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिये । वैसे ही हमारा मार्ग इन कानूनोंके काटोके मारे ढुर्गम हो रहा है, तिसपर भी नये-नये काटे तैयार ही होते जा रहे हैं । तार, पोस्ट-आफिस, रेलवे आदि की अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इस सम्बन्धमें हमारे यहाके नियम और महसूल आदि अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कठे हैं । इनमें सुविधा जनक सुधार करने की बड़ी जहरत है । तारोंके सम्बन्धमें एक वात और भी विचारणीय है कि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरी-लिपि में भां भेजे और प्राप्त किये जा सकें, तो बहुत सुविधा हो जाय । पत्रकारोंमें कभी-कभी आपसमें भगड़े हो जाते हैं । ऐसे अवमरों पर सम्पादक-सम्मेलन को इन भगड़ोंको दूर करने और अविक शातिष्य वातावरण तैयार करनेका प्रयत्न करना चाहिये । उदीयमान नये पत्रकारोंको उत्साहित करनेके लिए भी प्रयत्न करना चाहिये । ऐसे आयोजनों पर विचार करना चाहिये, जो पत्रकार-कला की सामूहिक उन्नतिमें सहायक हों और जिन व्यक्तियों या सम्बाधों द्वारा इस उन्नति की आशा हो उनकी यथा-साय सहायता करनी चाहिये । पत्रकारों के जीवन-चरित्र तथा उनके अनुभवोंको खानतौरने एकत्र करके लिखानेका प्रयत्न करना चाहिये । पत्रकारों की योग्यता की परीक्षा करनेके लिए भी उपाय सोचते रहना चाहिए; ताकि अयोग्य पत्रकार इन धन्येमें पढ़कर इसे दृढ़तामन कर सकें । योग्य पत्रकारोंके पारिथनिक की शरहको उदात् करनेजा भी सम्पादक-सम्मेलनको सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये । पत्र-सम्पादकोंसे मिलकर उनके लिए योग्य पत्रकारोंसे जुटा देनेजा जान भी सम्पादक-सम्मेलन द्वारा हाथनें लिया जा सकता है । अच्छे-अच्छे पत्रकार पैशा वर्तनेके लिए लोगोंने उत्साहित किया जाना चाहिये कि वे पत्र-सम्पादक-कला सम्बन्धी अच्छी-से-अच्छी पुस्तकें लियें, जिनके पड़कर विचारी इस कलाना रहस्य

सरकारी स्पोर्टें तथा अन्य सरकारी कागजाएँ, हमारे याँ हिन्दू-पत्रोंने नहीं भेजे जाते। इसे हमें यही कठिनाई का मना उमा पता है। सरकारी कागजाएँ की नमुनियाँ आलोचना अक्से पाठ्योंके सामने पेश करनेमें हमें कठिनाई पड़ती है। समाज-सम्बोलनको जाहिये कि कारोबार प्रान करे, जिससे ये कागजात बिना भेद-भावके समाज प्रतिष्ठा-विकास-पत्रोंहे पास, चाहे वे हिन्दू माध्यके क्षणों न हो, भेजे जाया जरूर। इनके अतिरिक्त समाज-सम्बोलनको समाचार-पत्रोंमा एक अद्वितीय इतिहास तैयार करने, समाचार-पत्रोंके लिए कागज, स्थानी आदि जापरी सामाजिक स्तरोंका विवरण, उदास-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने—आदिने लिए भी उयोग करना चाहिये। टाइप की ओर यात्रा तीरसे ध्यान देने की जहरत है। हमारे वर्षोंका आकार-पत्र प्रेसके नामके लिए बहुत अधिक असुविधा-प्रद है। जहाँ अज्ञरेजी आदि भाषाओंमें वेबज २५०-२०० प्रकारके टाइप ही से काम चल जाता है, वहाँ हमारे यहाँ तराफ़ ६००-७०० प्रकारके टाइप लगते हैं। जार-नीचे उन्नेताली मान्वाओं और समुक्तादरोंके कारण यह असुविधा और भी अधिक राटकती है। इस दिशामें अधर शातियाँ द्वारा अपने अदरोंमें आवश्यक सुधार करनेका काम भी बहुत

आवश्यक है। विदेशोंमें इस दिशामें रोज नड़े खोज होती रहती है। हमारे यहाँ, जहा की वणीवली प्रसके कामके लिए इतनी दोषपूर्ण है, कुछ नहीं हो रहा है। गुजराती और मराठी आदिके विद्वानोंने इस ओर ध्यान देना शुल्कर दिया है। कहनेका यह तात्पर्य यह नहीं कि हिन्दीमें इस विषयपर विचार ही नहीं किया गया। अभिप्राय केवल यह है कि हिन्दीमें इस ओर न अपेक्षित आन्दोलन किया गया और न प्राप्त प्रस्तावोंके अनुसार काम ही किया गया। अब साहित्य-सम्मेलनके गत इन्दोरखाले अधिवेशनके बादसे, जिसके साथ काकालेलकर साहब की अध्यक्षतामें एक लिपि-सम्मेलन भी हुआ था, इन दिशामें कुछ काम हो रहा है। लिपि और प्रेसके कामके विजेपञ्ज श्रीहरीजी गोविलका उद्योग इन विषयमें सराहनीय है। हिन्दीके समाचार-पत्रोंको इस आन्दोलनमें साथ देना चाहिये। कुछ दिन हुए इस सम्बन्धमें श्री जगमोहन 'विकसित' ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था। आपका कहना था कि 'अ'कार को छोड़कर शेष सब स्वर सरलता पूर्वीक उड़ाये जा सकते हैं और मात्राओंकी सहायता से—अकारमें सम्बन्धित मात्राएँ लगा देने से—समस्त स्वरोंका काम निकल सकता है। एक सलाह यह भी है कि व्यञ्जन अकार स्वरके साथ न लिखे जायें। वे एक प्रकारसे आधे हों और उनमें यथावद्यक मात्राएँ या अक्षर जोड़ दिये जाया करें। श्री रामानन्द चट्टों की सलाह है कि असरोंमें मात्राएँ उपरसे न लगा कर सम्बन्धित अक्षरके आगे मात्रा-व्यञ्जक स्वर लिख दिया जाया करे। इस सम्बन्धने काफी महत्वपूर्ण सलाह श्री गणेशराम जिथे ने बहुत दिन हुए दी थी, जब उन्होंने 'सरस्वती' में इन सम्बन्धमें एक लेख प्रशंसित कराया था। मराठीके प्रसिद्ध विद्वान बेरिस्टर सावरकर ने तो इस सम्बन्धमें एक पुस्तक तैयार की है, जो अभी हाल ही ने प्रकाशित हुई है। अब उन्होंने लिपि-सम्मेलनके बाद उक्त विषय की बहुत अधिक छान-चीन हुई है और हो रही है। और इस सम्बन्धमें बहुत उपयोगी साथ दी सरल और मुद्रोध संरोधन भी सामने आये हैं। ये सब बातें विचारणीय हैं।

एक गिर्वान इतिहास तथा वरने की भी व्यापत करनो चाहिये। दर्तमान पत्रों और पत्रांगों की एवं उत्तरेष्टरी [विमुख गृही] तथ्यार करनी चाहिये। गुजराती-पञ्चार-परिषद् उम प्रशारका नाम कर भी रखी है। गमानार-प्यांत्र इतिहास लिखनेके सम्बन्धमें, युद्ध दिन हुए थी अनन्तविटरी मावुर दी सूचना पड़नेसे मिली थी। मुना है, अब वह तथ्यार भी हो जाता है। सम्पादक-सम्मोलनको ऐसे देशोके दिग्नेवालों की सधा-दार्जि सहायता करनी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिए सदा प्रश्न वरते रहना चाहिये।

अन्तमें दो शब्द सम्पादक-सम्मोलन नामके सम्बन्धमें यहना आवश्यक प्रतीत होता है। सम्पादक शब्द एकप्रेशीय है। इसलिए यह नाम भी एक देशीय अर्थका योतक है और उससे केवल सम्पादकोंने सम्मोलनका ही बोध होता है, रिपोर्टर, आलोचक, सम्पाददाता आदि अन्य पत्रकारोंके सम्मोलनका नहीं। मालूम होता है कि जब यह नामकरण-संस्कार किया गया था, उस समय हिन्दी समाचार-पत्रोंमें सम्पादकके अलावा और कोई कर्मनारी नहीं होते थे। इसीलिये सम्पादकके अलावा किसी अन्य शब्दका अधिक प्रचार नहीं हुआ

और इसीलिये इस सम्पादक का नाम भी सम्पादक-सम्मेलन रख दिया गया। मगर अब परिस्थिति बदल गई है। सम्पादक-सम्मेलन के अन्दर सम्पादक ही नहीं, उप-सम्पादक, रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकार के पत्रकार जामिल हो सकते हैं। इसलिये अब यह नाम सार्थक नहीं भालूम पड़ता। पत्रकार शब्द का फी प्रचार में आ चुका है और उसका अर्थ ही इतना व्यापक है कि वह उपर्युक्त सब वर्मचारियों के अपने आवर्तमें घेर सकता है। इसलिये यदि उसका नाम बदलकर पत्रकार-परिषद् रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा। पण्डित माखनलालजी ने अपने भाषण में यत्र-तत्र 'पत्रकार-सम्म' शब्द का उपयोग किया भी है। सध और परिषद् में कोई भेद नहीं। फिर भी परिषद् इसलिये पसन्द किया गया कि उसमें सार्थकताके साथ-साथ अनुप्रास की मनोहारिता भी आ जाती है। इन्दौरमें जो अधिवेशन साहित्य-सम्मेलन से पृथक किया गया था, उसमें सम्मेलन का नाम पत्रकार सम्मेलन रखा गया था और तबसे जितने अधिवेशन हुये, उन सबमें यह नाम स्वीकृत हो चुका है। अतः इस सम्बन्धमें अब कोई मत-भेद नहीं है और प्रायः यह सर्व सम्मत हो गया है।

---

## विज्ञापन

---

विज्ञापनका शुद्ध पत्रफार-फलमें कोई विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। वह एक स्वतन्त्र विषय है। किंतु भी यहाँ पर उमाता उत्तेष्ठ करना इन्हिए वाक्दस्तक प्रतीत होता है कि एक समाचार-पत्रको रावणा-पूर्ण बनानेमें इसकी भी वाक्यकता होती है और जब पुस्तकमें रामाचार-पत्र सम्बन्धी अन्य सब बातें लिखी गईं, तो इसका भी उल्लेख हो जाना चाहिये। किन्तु यहाँ पर इस सम्बन्ध का जो विवेचन किया जायगा, वह विज्ञापन-दाताओं की दृष्टिसे नहीं, समाचार पत्र की दृष्टिसे ही किया जायगा क्योंकि पत्रफार-फलसे इस विषयका जो सम्बन्ध है, वह उसी दृष्टिसे है अन्यथा नहीं। विज्ञापन दाताओं की दृष्टिसे

इस सम्बन्ध की विवेचना पढ़ने की इच्छा रखनेवाले सज्जनोंको उस विषय की अन्य पुस्तकों पढ़नी चाहिये ।

विज्ञापन एक अमेरिकन लेखकके शब्दोंमें ‘किसी व्यक्ति या समूहका दूसरोंको एक ऐसा विशेष काम करनेके लिये समझानेका यत्न है, जिससे उस व्यक्ति या समूहको कुछ आर्थिक लाभ पहुँचे । किन्तु यह चेष्टा होनी चाहिये ऐसे ढारणे जिसमें व्यक्तिया समूहसे विज्ञापन-दाताको खयं जाकर न रुहना पड़े और जिस साधन से वह वात कहे, उसके लिये व्यक्ति या समूहको कुछ खर्च करना पड़े ।’ विज्ञापन-बाजी की प्रथा बहुत पुरानी है, किन्तु उसका वर्तमान स्थ प्रवर्शन नया है और जैसी हालत है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि यह स्थ सदा परिवर्तित ही होता रहेगा । रोज नये-नये तरीके देखनेमें आते हैं । पहिले—बहुत पहिले मुहसे बोलकर विज्ञापन देने की प्रथा थी । इसके बाद हाथसे लिखकर विज्ञापन किया जाने लगा । इसके बाद जब छापाखानोंका आविष्कार हुआ, तब छाप-छाप रूप विज्ञापन बाजी होने लगी । और फिर तो अनेक प्रकारके टंड निकले । उन नवका उत्तेजन करनेका यह स्थान नहीं है । यहां पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उन तमाम तरीकोंमें से एक तरीका यह भी है कि समाचार-पत्रोंमें विज्ञापन छापे जाय, इस तरीकेके मुताबिक अनेकानेक विज्ञापनदाता व्यापारी समाचार-पत्रोंमें अपने विज्ञापन प्रकारित घरवाते हैं ।

विज्ञापन देनेमें विज्ञान-समाचारण मध्यमे अधिक यह विनाश रखती है कि उनमें बात अधिक संक्षिप्त होनी के लाभमें फ़ूल नहो। इसमें विज्ञान समाचार-पत्र की जितनी विविध ग्रहक समाजा होती है, उस समाचार-पत्रमें पान उतारने की अभियान भी यह नहो है। एक यह और भी देखी जानी है। यह यह कि विज्ञापन अगलमें उन्हींको धारियित करके सुछ लाभ पहुंचा सकता है, जिनमें इतना गामग्न हो। इस दस्तुरों किये आवश्यक धनरान्दी कर सके। जो वेचारे पैसेके लिये इस दृष्टि द्वारा दाक छाना करते हैं वे किस पूँजीसे विज्ञापनदाता की वस्तु गरीदेंगे? इसलिये विज्ञापनदाता यह भी भेजते हैं कि जिस समाचार-पत्रमें वे विज्ञापन छपवाने या रहे हैं, उसका प्रनार धनयानों में है या गरीबोंमें। धनरान्दीमें जिन पत्रोंका प्रचार होता है, उनको विज्ञापन मिलने की अधिक शुभिधा होती है। किन्तु जो ऐसे नहीं हैं, उनको काफी विज्ञापन भी नहीं मिलता।

विज्ञापनकी दर प्रत्येक समाचार-पत्रके लिये अलग-अलग होती है। इसका यहुत कुछ सम्बन्ध उस पत्र की प्रतिष्ठा, उसकी लोकप्रियता, उसकी आहक-

मरुता, आदि पर होता है। जिस पत्रमें इन बातों की जितनी अधिकता होती है, उसे उतने ही अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं और इसलिए उसकी दर भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। कभी-कभी तो यह दर इतनी ऊँची होती है कि जो लोग विज्ञापनके महत्वको नहीं जानते वे हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना—इतना धन व्यय करके विज्ञापन-दाता लाभ क्या उठाते होंगे। कहते हैं अमेरिकामे स्थियोंके एक सासिकपत्र की एक पन्ने की एक बार की विज्ञापन की छपाई १६०००० रुपया है। हमारे यहा विज्ञापन-बाजीके युगका अभी प्रवेश ही हुआ है, इसलिए और इसलिए भी कि अभी हमारे व्यवसायी भाई विज्ञापन की महत्ता नहीं समझ पाये, हमारे समाचार-पत्रोंको बहुत ही थोड़ी विज्ञापनकी छपाई मिलती है। किन्तु अब धीरे-धीरे हालत सुधर रही है। यह सन्तोष की बात है।

विज्ञापन समाचार-पत्रों को वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। इसके लिए उनको स्वयं अपना विज्ञापन करना पड़ता है। अपने एजण्ट भेज-भेज कर या पत्र आदि भेजकर अथवा अन्य उपायों द्वारा समाचार-पत्रके 'विज्ञापन बाबू' को व्यापारियोंके पाससे विज्ञापन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ता है। एजण्ट लोग व्यापारियों या विज्ञापक एजन्सियों ( advertising agencies ) से मिलजुल कर उन्हे अपने पत्रकी प्रतिष्ठा, ग्राहक-सख्त्याकी अधिकता, लोकप्रियता आदि वातें सुझाकर और इस प्रकार विज्ञापन देनेसे विज्ञापन-दाताओंके लाभ की बातें बताकर विज्ञापन प्राप्त करते हैं। इसके लिये एजन्सियों, एजण्टों आदिको काफी कसीशन भी देना पड़ता है। यह सब करना आवश्यक होता है। वैसे तो प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रोंको बिना कहे सुने भी विज्ञापन प्राप्त हुआ, करते हैं, किन्तु लगातार स्थायी विज्ञापन प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना ही आवश्यक होता है।


ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रों को व्यापारिक दृष्टिसे सफलतापूर्वक चला ले जानेमें विज्ञापनका बहुत हाथ रहता है। जिन पत्रोंको विज्ञापन

नहीं कियते उन्हें, परंतु पर्याप्त शार्धिक मज़बूत उठाने क्षमते हैं। उन पत्रों के बात उंचे दीपिये, जो लिखा गिया है, उनके गहराएँ-सूक्ष्म चारों ओर जाते हैं। उनमें पत्र ने स्वामी रामेश्वरे द्वारा लिखा गया इसमें व्यामुख है और अतिथि अधिक गूच्छ रखते थे भी उनसे उन्होंने ग्राहक मिल जाते हैं और उनमें भी लाल से अधिक राम दीर प्राप्त ही भी रामी मिल गये, तथा जिस जाहे लिखा हो जाते थे, वे में ही पत्र थे जोड़े जा सकते हैं। इन्हुंने लाल गमी पत्रोंको नहीं प्राप्त होता। ए पारम्परा जो विज्ञानको ले चढ़ा ही नहीं पाते। इन्हिये होता रह रहे हैं कि गणधार पत्रोंके समान विज्ञानों पर आंग गंद कर देतारे उठते हैं। उभय लाल यह है कि इन्हें-उन्हें व्यापार रखते थे जो विज्ञानका गहरा नहीं गमनको और गवाही शीमानियों को दाताने, अद्वितीय विज्ञानोंको दाता नहरा रख गवा है। वे अपने अपनी लाल और गहरीमें भरे हुए विज्ञान भेजते हैं। इसके मनमूल घटनाक्रम जो बाट जोड़ते रहते हैं हैं। विज्ञान पाते ही जिन उसके मनमूल पर दियार किये, वेगान्तर-वैत्ता दाय देते हैं। यह बड़ी द्वारा फाद-वाही है। पश्च-गदालहोहा इस वाराना सदा ध्यान रखता चाहते हैं कि कोडे विज्ञान ऐसा न प्रकाशित हो जिससे जानतामें किसी प्रकार की अस्तीत्ता या अुरुचिता प्रभार हो। पत्रोंका उद्देश्य परिवर्त है। उनमें गहरगी लाला पत्रोंदेश्य को कल्पित करता है। इस ओर गदाचार-पत्रोंके समाल्पों, सम्पादकों को ध्यान देना चाहिये। समादक-सम्मेलनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुजराती पत्रकार परिषद ने ऐसा किया भी है। उसके दूसरे अधिकेशनमें इस विपर्यास में यह प्रस्ताव पाता हुआ है :—“परिषद समस्त पत्रकार भास्योंसे प्रार्थना करती है कि वे शप्तने पत्रोंमें शराब आदिके वा ऐसे विज्ञान, जो मुहुचि-भज्ज करनेवाले हों, न छापा करें।” यह प्रस्ताव विदेश-रूपसे विचारणीय और अनुकरणीय है। आशा है पत्रकारवर्ग इसपर आवश्यक ध्यान देगा। कुछ विज्ञान कानून रारकार द्वारा रोके भी जाते हैं। इनमें

चाहता है। ऐसी अवस्थामें यदि उसके पास उसके लेख की कोई प्रति नहीं पहुँची, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पत्रका अङ्क भेजनेसे भी इस काममें एक असुविधा होती है। वह यह कि यदि लेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, केवल अपने लेखका ही संग्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता है—तो उसे उस पत्रके उस अङ्कसे अपना लेख फाइना पड़ता है और इस प्रकार पत्रका अङ्क खराब करना पड़ता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकोंके पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखों की कुछ प्रतियां छापकर पत्रके सम्बन्धित अङ्कके साथ भेज दी जाया करें।

कुछ लेख ऐसे होते हैं, जिनकी ‘एडवान्स, कापी’ (advance copy) दूसरे अखबारोंमें छपनेके लिए भेज दी जाती है। ‘एडवान्स कापी’ उस कापीको कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेके लिए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अङ्कमें वह प्रकाशित होनेवाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, जो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहोंमें प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्र भेजी जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पत्रमें छपनेके लिए, जब कम्पोज हो चुकता है, तब ट्रूफके रूपमें उराकी कुछ अधिक कपियां ले ली जाती हैं। और उन्हीं पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोंके साथ ‘प्रकाशनार्थ’ लिखकर उन तमाम दूसरें अखबारोंको भेज दिया जाता है, जिनमें उनका प्रकाशित करवाना प्रेषकको अभीष्ट होता है। इस प्रकारके मजमूनको भेजनेमें प्रायः यह स्थाल भी रखा जाता है कि मजमून यह देखकर भेजा जाय कि किसी पत्रमें वह भेजनेवाले सम्पादकके पत्रसे जल्दी प्रकाशित न हो सके। यह केवल इसलिए किया जाता है जिसमें जनतामें अपने पत्रके लिए यह भ्रम न फैले कि उसमें अमुक मजमून घादमें छपा।

## फुटकर वाते



लेखकोंके पुरस्तार की बात पीछे लट्ठी जा चुकी है। उस सम्बन्धमें जो अवस्था है, वह तो है ही, एक बात यह भी देतानेमें आती है कि जिन सम्पादनों के पास लेखक-गण अपने लेख भेजते हैं, वे सम्पादक-गण वह अङ्ग भी नहीं भेजते, जिसमें लेखकका लेख प्रकाशित होता है। यह अनुचित है। होना यह चाहिये कि जिस अद्दमें लेख प्रकाशित हो, उसकी प्रति तो दर दालतमें भेज ही देनी चाहिये। लेखकी कुछ प्रतियाँ भी खास तौरसे अलग उपयोग करना चाहे, करे। प्रत्येक लेखक और कुछ नहीं तो कम-से-कम अपने लेखका और जो उपयोग करना चाहे, करे।

चाहता है। ऐसी अवस्थामें यदि उसके पास उसके लेख की कोई प्रति नहीं पहुंची, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पत्रका अङ्क भेजनेसे भी इस काममें एक असुविधा होती है। वह यह कि यदि लेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, केवल अपने लेखका ही संग्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता है—तो उसे उस पत्रके उस अङ्कसे अपना लेख फाइल पड़ता है और इस प्रकार पत्रका अङ्क खराब करना पड़ता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकोंके पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखों की कुछ प्रतियां छापकर पत्रके सम्बन्धित अङ्कके साथ भेज दी जाया करें।

कुछ लेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी' (advance copy) दूसरे अखबारोंमें छपनेके लिए भेज दी जाती है। 'एडवान्स कापी' उस कापीको कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेके लिए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अङ्कमें वह प्रकाशित होनेवाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, जो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहोंमें प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्र भेजी जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पत्रमें छपनेके लिए, जब कम्पोज हो चुकता है, तब प्रूफके रूपमें उराकी कुछ अधिक कपिया ले ली जाती हैं। और उन्हीं पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोंके साथ 'प्रकाशनार्थ' लिखकर उन तसाम दूसरे अखबारोंको भेज दिया जाता है, जिनमें उनका प्रकाशित करवाना प्रेपक्को अभीष्ट होता है। इस प्रकारके मजमूनको भेजनेमें प्रायः यह ख्याल भी रखा जाता है कि मजमून यह देखकर भेजा जाय कि किसी पत्रमें वह भेजनेवाले राम्पादकके पत्रसे जल्दी प्रकाशित न हो सके। यह केवल इसलिए किया जाता है जिसमें जनतामें अपने पत्रके लिए यह भ्रम न फैले कि उसमें अमुक मजमून वादमें छपा।

ज्ञानार्थकों कमीनभी देखते सामन पर कोई गतिशील या उद्दिष्ट नाम न देते, तोल 'प्राप्त' शब्द लिया जाता है। यह अंग-सम्बन्धीय उमी ऐणीत देख होता है, जिस भेंटीके गुजारान या गमन नाम होता। इस प्रतारके देख भी गम्पाइटीय या गेंग-गम्पाइटीय हो सकते हैं। इन्हुं अधिकारोंमें ऐसे हेतु गम्पाइटरे स्वयं या उनसे अपि गिर्द गम्पान गम्पाइटे देखते ही होते हैं। उनमें नाम इन्हिए नहीं दिया जाता कि उनके देखक इनी वारों दी जिम्मेदारी नहीं देना चाहते। कमी-उमी ऐसा भी होता है कि देखते लिया चुनने और कम्पोज होने चुननेके बाद उनमें देखने पर भाव-भाव आदि के विनाशमें, जब कठ थक्क नहीं मालन होता, तब उन देखमें 'प्राप्त' शब्द और दिया जाता है। इस लाभमें जिस भाव या रहता है कि देख रही यह न गमक बैठे कि गम्पाइट ने अच्छी भाषा और उच्चे विनाशोंता भयोग नहीं दिया और इस प्रतार गम्पाइट की प्रतिष्ठामें थोड़ी-जी हानि हो।

'कापी' तेयार करनेके लिए सम्पाइटोंको—जारी प्राप्त गम्पाइट या उप-सम्पाइट ही तंगार लगते हैं—आये हए या साथं तेयार किए हए बैट्टर्सोंपरिले घ्यान-पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। इनके बाद लाल स्याहीसे साफ-साफ बाट-छाट करना चाहिये, जिसमें कम्पोजिटरोंको उनके पद देनेमें उन भी तरलीफ न हो। यदि ऐसा प्रतीत हो कि काट-टाट करनेसे कापी बहुत गन्दी हो गई है और उनके कम्पोज होनेमें बहुत गलतियां हो जानेका उर है, तो यह अच्छा होगा कि कापी जिस प्रकार वह सम्पाइट की गई है, उमी प्रतार किसे साफ-साफ लिया ली जाय। हिन्दी-पत्रोंके लिए यह और भी जल्दी होता है। न्योंकि हिन्दीके कम्पोजिट अधिकाशमें अशिक्षित होते हैं और अधिक कटी-छटी कापीको कम्पोज करनेमें बहुत-सी गलतियां कर सकते हैं। छार कापीको पहिले पढ़कर, फिर उसमें सम्पाइट करने की चात कही गई है। यह भी हो सकता है कि सम्पाइट साथ ही साथ पहिली ही बार पढ़ता भी जाय और आवश्यक सम्पाइट भी करता जाय। अपनी लिखी हुई कापीमें तो यह बहुत

सरलतासे हो सकता है। किन्तु दूसरेके लिखे हुए मैटरमें एक डर रहता है। वह यह कि सम्पादकको यह तो मालूम नहीं होता कि लेखक ने किस स्थान पर कौन बात लिखी है या कौन-सी बातें लेखकमें आ गई हैं और कौन-सी नहीं आयी इसलिए एक साथ ही पढ़ते और सम्पादन करते हुए वह अपने विचारके अनुसार लेखमें पहिले ही से काट-चाट और सशोधन परिवर्धन करता जायगा। और फिर आगे चलकर जब लेखमें वहीं बातें लेखकके विचारके अनुसार उसी या मिज्ज रूपमें मिलेगी तो या तो अपनी ऊपर बढ़ाई हुई बातोंको फिर काटना चाटना पड़ेगा या लेखक की नीचे लिखी हुई बातें काटनी पड़ेंगी। इस प्रकार एक जगह वही बातें बढ़ाने और दूसरी जगह काटने आदिसे कापीमें अनावश्यक गन्दगी आ जायगी। इसलिए यह आवश्यक होता है कि कापी एक बार पहिले पढ़ ली जाय फिर उसका सम्पादन किया जाय।

जिन समाचार-पत्रोंमें समाचार-समितियोंके तार आते हैं उनको अपने यहाँ रात्रिमें काम करनेवाले कर्मचारी मण्डलके सदस्यों की सख्त्या अविक रखनी पड़ती है, क्योंकि तार अधिकांशमें रात हीमें आते हैं। दिन भर की घटनाओं का समीकरण करके समाचार-समितियोंके कर्मचारी शामको ही अपने तार भेजते हैं। इसलिए उस अवसर पर कामको निपटानेके लिए अधिक कर्मचारी आवश्यक होते हैं। यह बात दैनिक-पत्रोंके लिए ही होती है, क्योंकि तारों की आवश्यकता अन्य पत्रोंमें इतनी नहीं होती। इसके अलावा उन्हे समय रहता है कि रातमें न करके वे दिनको काम समाप्त कर सकते हैं। सगर दैनिकमें तो रातमें ही काम समाप्त हो जाना चाहिये। तारों की बातके अलावा भी दैनिक-पत्रोंमें रात्रिके कर्मचारी अविक सख्त्यामें होने चाहिये क्योंकि उनका वास्तविक काम रात्रिमें ही शुरू होता है।

विदेशोंमें समाचार-पत्रों की बड़ी उच्चति हो रही है। वेतार की तारबकी, विज्ञली, रेडियो आदिके आविष्कारसे इसमें और भी प्रगति मिली है। मुनकर आश्वर्य होता है कि हजारों मीलके फासलेमें वसनेवाले देश बात की बातमें एक

समरेके समाचार प्राप्त हो रहे हैं। जो समाचार-पत्र अभियाने प्रतिवित होता है वही गेलियो की आपसे एक पट्टे है और उसके बिनाे द्वारा भक्षण दी जाता है। एक दूसरे की देखने ( समाचार-पत्र दृश्य ) नामी उन्नतर्में गमाचार-पत्रोंके भाविताता तर्में वह निम्न है कि वह समय गीध भी आनंदाला है, जब समाचार-पत्र हुआ हो या वह अधिकों द्वारा न पढ़ि वाहर बिजलीके रग्गों द्वारा बटा देंगे। यह नों गमाचार-पत्रोंके बहुतेक्षणोंके बावजूद है। उनके द्वारा भी बाप दीन परिवर्तन होते जा रहे हैं। राजनीति और गृहराजार्ड भी और देखो, तो याहे अभियानिह आर्थित हो रहा है और यह समाचारा प्रचलन नहीं है कि शीक्षीयुछ समाचार-पत्र ऐसे नियन्त्रण लेंगे जो नियत और लालूनेसे भी भरे होते बातों के नियान्ता नियमय होंगे। यह भी आगा की जाती है कि अगे नाका समाचारोंके वायरलोप नियत है। यानी बिनेमाके नियो और इसकोमें समाचार-पत्र पठनेको गिलें—उड समाचार-पत्र ऐसे नियतें दी जाएं जो अपने नियत और इसकतें वायरलोप द्वारा ही प्रत्याशित करें। किन्तु गे गव बातें दूसरे देखोंहो हैं—और वहीके लिए इनकी शीघ्र सम्भावना भी है। दूसरे यहाँके लिए बगी इतनी सम्भावना नहीं।

समाचार-पत्रोंमें किमी प्रगुरता ध्यान पर चिनों और लेगों की सूची दे देना भी अच्छा होता है। इससे पठकोको वही सुविधा हो सकती है। जितनी व्यापक सूची दी जाय उतना ही अधिक अच्छा।



टायम—एथिने एवं जो मीनेहि बनी रही हैं। केमिस्टर और प्रधार के बहुआर कई तरहों मिलते हैं। निट्रिट, नाम प्रस्तुत, एट, एसेन, प्रेट, ए-लाइट, ग्रीन-लाइट, फोम-लाइट, निट्रो राइट, एर्डी राइट, एसेन्ट्रोड आदि टायम के आगर-प्रधारों में हैं।

उरेनिट—एवं इसके उत्तरात्तो या उत्तरात्तो राम आर्किव एवं पुरुषों की तिथा।

एग—यही मज्जूत की समाप्ति पर या एक वार्षिक निचे नुकसान और उत्तरां प्रकृत रसोंने यिह अमाया उत्तेजना राम प्रधारा द्याया, जो प्रथम गोटे पनली गयी तमा होता है।

वैरिटा—अमायरोंसे बांसे, एवं निट्रो, डिट्रॉल्याने वार्षिक वैरिटा [ गो वेन एक रसा ] रहते हैं।

वैरेन्ट्राफ—हिमी नज्जूतों लिखते गमय परिपाठी करते हिजा। पर ऐसे नज्जूत एह भान नमाय हो जाता है, तदों यिन्हा इस बातता स्नान त्वी कि तत्तर पूरी हो नहीं है या अधरी है, लिखता रेक्ट दिखा जाता है और दूसरा भाव लिखनेके लिये नर् नार शुरू हो जाती है। इस प्रत्तर धुसरे रहा तब लाइट छोड़ नहीं दी जानी कहा तबहै गरजनाहो पेंग या परेन्ट्राफ रहते हैं। वैरेन्ट्राफ की पहिली मतरने लायिगे पर नमरी नमरों की अपेक्षा कुछ अधिक जगह छोड़ी जाती है। हेडिजके साथ लिगो जागेदाहे दोटे-दोटे समानार भी वैरेन्ट्राफ कहे जाते हैं।

प्रूफ-कापी—कम्पोज करके हैंड-गो आदि नमानों द्याया कागज पर ढापा गया वह मज्जूत, जो यह देरानेके लिये ढापा गया हो कि रम्पोज करनेमें जो अशुद्धियां रह गयी हों, वे कापी से निलाकर ठीक करली जाय और तब अरावार छपने की इजाजत दी जाय। प्रूफ की अशुद्धियोंका संरोधन करनेवाले कर्मचारीको प्रूफरीटर और उस क्रियाको प्रूफरीज़ कहते हैं।

फार्म—कागजका एक रास आकार, जो कागजों की लम्बाई-चौड़ाईके

हिसाबसे छोटा-बड़ा होता है। जिम आकारके कागजके ढुकड़े ( तख्ते ) काटकर रिम वांधा जाता है, उस आकारको फार्म कहते हैं। इसी तख्ते ( फार्म ) को मोड़कर किताबों या पत्रोंके पन्ने बनते हैं। एक फार्ममें एक और अनेक पन्ने हो सकते हैं।

**फुट-नोट**—उस इवारतको कहते हैं, जो किसी मजमूतके नीचे ऊपरके मजमूतके किसी खास विषयको अधिक स्पष्ट करनेके विचारसे या किसी अन्य ऐसे ही कारणसे लिख या छाप दी जाती है। ऐसे स्थलों पर जहासे फुट-नोट का सम्बन्ध होता है, मजमूतके उस शब्द या अंश पर कोई निशान लगा दिया जाता है और वही निशान फुट-नोटके पहिले लगाकर फुट-नोट लिखा जाता है।

**फोटिड्ज़**—वह क्रिया, जिसके द्वारा छपे हुये फार्म-पन्नोंके हिसाबसे सोडे जाते हैं।

**फोलियो**—पत्रोंके पन्नोंका, रामाचार आदि मजमूतके अलावा, वह मजमूत या सजावट की सतरें आदि, जो पन्नेके ऊपर रहती हैं और जिसमें पन्नोंका तम्बर, तारीख, पत्रका नाम आदि दर्ज रहता है।

**वार्डर**—किसी मजमूतको खास प्रदर्शनके माध्य देने, मजावटके कानमें थाने-वाले वेल दूटेश्वर या साडे किस्मत्ता एक प्रकारका टाइप।

**व्लाक**—चिन्द्र, कारतूत, नकशा आदि परसे अवस्थ किया गया सीमा, तांब्या आदि धतुओं चिन्ह जो ऐसा बनाया जाता है कि टाइपके साथ रगड़र अवश्यक छापा जा सके।

गंगा पांड—उप दाराहो कहते हैं, जो भारतीय लघुपत्रोंमें इसका उल्लेख स्थित गये दाराहों का आदर्श-पद भी बिना हिंदा है।

राज—हास्योंहे लिखते, उप गद्यन पर विष्फैह भीने लगते रहते जहाँ यह कालमें के जीवे स्थिती एवं आनंद दण्ड़ा राजा रामकृष्ण, रामा रामा है, रामनीति लिखते जानगे आनंदाली एवं पती और विवाहर पीराद के होनीमें है।

हेतु—दाराह दो दो मनसोंके बीचमें भल्लेके लिए रामनीति आनंदाली भीने हो एवं पती।

शीरिह या छिप्पि—स्थिती भगवननहे डार दिया गया एवं यात्रा का गाजार, जो उप भगवननहे विषय तो मूरगाहोंके लिए यात्री एवं स्थिती गया हो।

स्त्रीरियों मंटर—एट बैटर, दो एह बार करतेज एहके प्रियेह बुज्ज्योंमें गीसेहे एह तहोंके रूपमें उप प्रातार दाल दिया गया हो, जिसे भजनकूदों द्वारा डापनेके माध्यम द्वारा एहोंज बरते ही उपरन न पहे—जहो गीसेहा टुक्का हुआ तब्बा राकर द्वाप लिया जा गहे।

स्ट्रेप्पिज बेटर—फ्ल्योज लिया हुआ एट मंटर, जो भगियमें लामगे लाजेके लिए रोक रखा गया दो।

स्लिप—स्लिप कागजके उन टुक्केओं परते हैं, जिन पर देखक मजमूत लिजता है।

हाशिया—स्लिपके बिनारे पर छोटी गयी कुछ जगह।

हेट लाइन—पत्रोंके ऊपर चुवसूतीके लिये लगाई गयी लाइन।

## परिशिष्ट नं० २

---

सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तकों की तालिका :—

- १ पञ्चकार-कला, अर्थ-शास्त्र, राजनीति, इतिहास, धर्म-साहित्य, समाज, विज्ञान, दर्शन, चित्रकला आदि भिन्न-भिन्न विषयों की खास-खास प्रमाणिक पुस्तकें ।
  - २ ग्रायः सब तरहके सरकारी कानून, एसेम्बली, कॉसिल लोकल बोर्ड आदिके नियमोपनियम, आदि ।
  - ३ समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सरकारी रिपोर्टें, समय-समय परस्थापित कामीशनों तथा वर्मेटियों की और कॉसिलों की रिपोर्टें कार्यवाहिया आदि ।
  - ४ काग्रेस की रिपोर्टें और काग्रेस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और विसिया आदि ।
  - ५ हिन्दी, अज्ञरेजी और सस्तुतके उच्च-कोटिके कोष ग्रन्थ ।
  - ६ Encyclopaedia Britannica
  - ७ Imperial Gazetteer
  - ८ Year Books—Indian, statesman's etc.
  - ९ Quarterly Reporter of Mr Mitra
  - १० Book of Knowledge
  - ११ Atlas ( जो काफी बड़ा और अच्छा हो )
  - १२ Haydn's Dictionary of Dates
  - १३ खोस-जास पत्रोंजे कल्पल ।
  - १४ प्रति वर्षका पवार और क्लेग्डर ।
  - १५ विडिट व्यक्तियों लगतों और वस्तुओंके चित्राभार ।
-

## परिचय नं० ३


— — — — —

गमानार-पन निकलनेमें भी जानेवाले प्रश्निया कानूनी पार्टी होती । —

गमानार-पन निकलनेवाले भी प्रश्निया कानून में जिसे है वह पनके प्रकाशक और सुदृढ़ ताजे बट्टे किए विकल्प में विकल्प विकल्प के पास प्रश्निया-पन है । इसके अन्तर्गत उद्दृष्टि प्रश्नाराही होता है — मैं (नाम) कह (नाम) प्राप्ति करा दू दिनें । [प्राप्ति नाम] नामके पास जो अचुक प्रेतमें उपता है, प्रश्नाराही का सुदृढ़ [जौही अस्तवा हो] है । — इसके अन्तर्गत प्रश्नाशक्ति उस स्थान की जौही भी किए देनी पड़ती है, जहाँ पनके प्रश्नाशित होने की यात हो और सुदृढ़प्रेत की जौही जैसे ही जहाँ होती है । यदि प्रश्नाशक्ति और सुदृढ़एक ही व्यक्ति हो, तो उसे अलग-अलग सुदृढ़ और प्रश्नाशक्ति के विकल्प देने की जहरत नहीं पड़ती । एह ही इसके अन्तर्गत दोनों ही उसे किया जा सकता है । किन्तु ये कार्योंके लिये भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने की दालतमें अलग-अलग ही विकल्प देना पड़ता है । इसी प्रश्नाराही एक ही स्थानसे पन सुधित भी होता हो और प्रश्नाशित भी, तो उस स्थान की दो दफा जौही न देनेर घोषणापत्रमें केवल यह उसे कि कि दोनों काम एक ही स्थान पर होते हैं, तो एक ही जौही देने की आशाहता नहीं होती । घोषणा-पन की तीन-तीन प्रतिया अदालतमें दी जाती हैं और इनमें से एकमें आठ आनेका टिकट लगाना पड़ता है । सम्पादके लिये विकल्प देने की जहरत नहीं होती । किन्तु यह कानूनन लाजिमी है कि पत्रके प्रत्येक अद्धरमें स्पष्ट रूपसे उस अद्धरके सम्पादकका नाम लिखा हुआ हो । सुदृढ़ और प्रकाशकका नाम भी पत्रमें होना आवश्यक होता है ।

अदालतों की इस कार्यवाहीके बाद पोस्ट-आफिस की समाचार-पत्र सम्बन्धी रिआयतसे लाभ उठानेके लिये प्रकाशक या मैनेजरको पोस्टमास्टर जनरलके पास एक अर्जी भेजनी पड़ती है, जिसमे लिखना पड़ता है कि हमारे पत्रके इन्हें ग्राहक [ ग्राहकों की प्री सख्त्या मय नाम व पतेके लिखना पड़ता है ] हो गये हैं और हम चाहते हैं कि हमें पोस्ट-आफिस की वह रिआयत प्राप्त हो, जो समाचार-पत्रोंके लिये कानूनन प्राप्त है। इस अर्जीमे किसी प्रकारका स्टाप-दग्धरह लगाने की जहरत नहीं पड़ती। कुछ खास ग्राहक सख्त्यासे कम होने पर यह रिआयत पत्रको नहीं दी जाती। अर्जी मंजूर हो जाने पर पत्र पोस्ट-आफिसमें 'रजिस्टर्ड' कर लिया जाता है और उसकी सूचना समाचार-पत्रके कार्यालयको मिलती है। फिर पोस्ट-आफिस द्वारा भेजा गया, वह रजिस्टर्ड नम्बर पत्रमें छाप दिया जाता जाता है और प्रति अङ्कमें वरावर निकाला जाता है, ताकि पोस्ट-आफिसके कर्मचारी यह समझ सकें कि पत्र की वाकायदा रजिस्ट्री हो चुकी है और वह रिआयतका अधिकारी मान लिया गया है। रजिस्टर्ड नम्बर न छपनेसे यह हो सकता है कि पोस्ट-आफिसका कोई कर्मचारी पोस्ट-आफिसका रिआयती महसूल न लेकर सावारण नियमानुसार पूरा महसूल ले ले। यह भी आवश्यक है कि रजिस्टर्ड नम्बर ऐसे स्थानपर छपा हो, जो पोस्ट-आफिसवालों की नजरमें सरलता-पूर्वक पढ़ सके। पत्र जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, तबतक उसे रिआयती महसूल पर नहीं भेजा जा सकता। इसलिये पत्रका पोस्ट-आफिस द्वारा रजिस्टर्ड करा लिया जाना आवश्यक होता है।

प्रकाशित पत्रके प्रत्येक अङ्क की दो प्रतिर्थी प्रान्तीय गवर्नरेन्ट रिपोर्टर्से पात्र, जो प्रायः प्रान्त की राजवानीमें मिलिल सेक्रेटरियट-नन्निय मण्डलके माध्य रहता है, भेजनी पड़ती है। और एक प्रति स्वानीय टिर्स्टिकट मैनेजर्से उनके पास भेजनी पड़ती है। पटिली प्रतिर्थी तो सुन्नमें ही भेजनी पड़ती है, परन्तु दूसरीमें लिये गये प्रबन्धक चाहें, तो दान भी मिल नहते हैं।



## सहायक ग्रन्थ

~~संग्रहित~~

इस पुस्तक के लिखने में विशिष्टिगता पुस्तकों और पर्मिटि ग्राहकों की गई है:-

- १ Practical Journalism
- २ Journalism by Lou Wittern
- ३ News Paper
- ४ Pitman's Guide to Journalism
- ५ Modern Journalism
- ६ How to write for the Press by Albert D Brill
- ७ How to succeed as a journalist.
- ८ Journalism in India by Pat Lovett.
- ९ Journalism for profit by Michael Joseph
- १० Writing for the Press
- ११ News writing by Leo Spencer PhD
१२. पत्र सम्पादन-तत्त्व—पण्डित नन्दलुमारदेव शर्मा।
१३. लेखन-कला—स्थानी सत्यदेव।
१४. विज्ञापन विज्ञान—श्री कन्दृयालाल शर्मा बी० ए०।
१५. Encyclopaedia Britannica के news paper. Proof reading और Reporting सम्बन्धी लेख।
१६. Modern Review, सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, साहित्य समालोचक, प्रताप, आज, धैकटेश्वर समाचार, देश, मतभाला, Forward, आदिके पत्रकार-कला सम्बन्धी लेख और समाचार।
१७. हिन्दी सम्पादक-सम्मेलनके सागताध्यक्षों और सभापतियोंके भाषण तथा विहार-प्रान्तीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापतिका भाषण।
१८. गुजराती पत्रकार परिषद की कार्यवाही।

# सत्साहित्य प्रकाशन-मन्दिर

## साहित्य-वृद्धिका नवीन आयोजन

इस बातसे शायद ही किसीको मत-भेद होगा कि वर्तमान समय में हिन्दीमें उच्चकोटि के उपयोगी साहित्य की अभी बहुत कमी है। इस कमी की पूर्ति का प्रयत्न आवश्यक है। परन्तु यह काम उसी समय हो सकता है, जब विद्या और साहित्यसे अनुराग रखनेवाले सज्जनोंका सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। यह स्पष्ट है कि इस प्रकारका साहित्य आमतौरसे विकल्पवाला साहित्य न होगा, इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होगी। अस्तु।

उपर्युक्त सब बातोंको सामने रखकर हमने सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर की स्थापना की है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी :—

१—मन्दिरके कम-से-कम १००० स्थायी ग्राहक होंगे। इन ग्राहकोंमें साहित्यानुरागी व्यक्तियोंके अतिरिक्त पुस्तकालय, विद्यालय, सभाएँ आदि संस्थाएँ भी होंगी।

२—मन्दिरके ग्राहकोंसे प्रवेश शुल्क न लिया जायगा, केवल छपे हुए फार्म पर उनकी स्वीकृति ली जायगी। इस स्वीकृतिके बाद शुल्कके रूपमें कुछ लेना अनावश्यक और शिष्टताका अतिक्रमण सा मालूम होता है।

३—स्थायी श्राहकोंको यथापि वह रवतन्त्रता रही ही कि मन्दिर  
द्वेष-प्रकाशित जो पुनरुत्थाने, भरी हैं और जो न चाहें, न भरी हैं  
तथापि मन्दिर उनसे वह आशा करना है कि मान्मो प्रकाशित  
पुनरुत्थाने की तीन स्थायी मूल्य की पुनरुत्थाने अवश्य भरी हैंगे ।

४—पुनरुत्थान की सूचना पार्ग विवरणके माध्य प्रदातानके  
कम-से-कम २५ दिन पहिले श्राहकों की मेवामें भेजी जायगी और  
उसके बाद अस्त्रीष्टति न आने पर पुनरुत्थानी वी, पी भेजी जायगी ।

५—यदि इस प्रकार वी पी भेजने पर भी वह बापत्त कर दी  
जायगी, तो श्राहकोंमें वह आशा ही जानी है कि उस वी पी भेजने  
में मन्दिरको जो व्यर्थ-व्यव उठाना पड़ा है, उसे बे दे देंगी ।

६—स्थायी श्राहकोंको मन्दिर द्वारा प्रकाशित पुनरुत्थाने की  
में प्राप्त होंगी ।

७—मूल्य निर्धारित करनेमें हम उसी कसीटीमें काम लेंगे  
जिससे हिन्दीके लघ्व-प्रतिपू व्रकाशक लेते हैं । अतः मूल्य उचित  
से एक पैसा भी अधिक न होगा ।

हम आशा करते हैं कि यह योजना साहित्य की उन्नति चाहने-  
वाले महानुभावोंको पसन्द आयेगी और उनका मूल्यवान सहयोग  
मन्दिरको प्राप्त होगा ।

व्यवस्थापक

सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर

१२०१ वाराणसी घोप स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर  
की

# नवीन पुस्तकें

पत्रकार-कला—( द्वितीय संस्करण ) अपने  
विषयकी यह पुस्तक अद्वितीय और सर्वोच्चम है।  
साहित्य क्षेत्रमें इसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की गयी  
है। द्वितीय संस्करणमें अनेक उपयोगी और  
सुन्दर परिवर्तन किये गये हैं। छपाई, कागज,  
चित्र, जिल्द आदि सबमें समयोपयोगी परिवर्तन  
है। फिर भी दाम २) ही रखे गये हैं। इस पुस्तक  
के विषयमें विद्वानों की सम्मतियां अन्यत्र पढ़िए।


सभाविधान—मन्दिर की यह दूसरी पुस्तक  
हिन्दीके लिए एक अनोखी और सभा-सोसाइटियों  
के बढ़ते हुए इस जमानेमें अत्यन्त उपयोगी चीज

हृषीकृष्ण। इसमें विस्तार-पूर्वक नगल और सुवोध जावामें बताया गया है नगाएँ क्या हैं ? कैसे की जाती हैं, प्रस्ताव कैसे पेश किये जाते हैं, मंज्ञो-दनोंके क्या नियम हैं, बाद विवाद क्या है, बोट किसे कहते हैं और कैसे लिए जाते हैं ? प्रस्ताव कब बापस लिया जा सकता है, कब नहीं, स्वाक्ष्रत हो जानेके बाद भी कैसे प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं, समाप्ति, सन्त्री, कोपाच्छ आदिके क्या कर्तव्य हैं, समाओंका संगठन कैसे किया जाता है, नियमा-बली तैयार करने की क्या रीति है ? कार्य-विवरण कैसे लिखा जाता है आदि-आदि प्रायः सब जानने योग्य वातोंका समावेश इस पुस्तकमें किया गया है। पुस्तक छप रही है। शीघ्रही प्रकाशित होगी।

सिलनेका पता—

सत्साहित्य प्रकाशन सन्दिर  
१२०११, बाराणसी घोण स्ट्रीट,  
कलकत्ता।

## ‘पत्रकार-कला’ के सम्बन्धमें कुछ सम्मतियाँ



यह सम्मेलन आवश्यक समझता है कि सम्पादन-कलाके सम्बन्धमें पठन-पाठनके उपयुक्त पुस्तकोंका निर्माण हो। श्री पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्रने जो पत्रकार-कला नामक पुस्तक लिखकर सम्बन्धमें प्रयत्न किया है, उसके लिये यह सम्मेलन उनकी सराहना करता है।

—सम्पादक-सम्मेलन ( इन्दौर ) प्रस्ताव न० ४

१। पण्डित विष्णुदत्त शुक्र ने पत्रकार-कला नामकी पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्यके एक बहुत बड़े अभावका दूरीकरण कर दिया। पुस्तक बड़े महत्व की है। वह अपूर्व है।

—( आचार्य ) महावीरप्रसाद द्विवेदी

३। अष्टम लिखुदत्त शुक्ले यह पुस्तक लिखते हुए एक वार्तामन का लिखा है। शुक्लजी लिखदस्त प्रवाहत है। उसकी सुन्दरीमें उन्होंने बहुत बान पतला रखी है। ऐसा लिखाम है जिसका लक्ष्य इसे लेंगे मनवा करना चाहते हैं, उन द्वारा पुस्तक और उपर्याकी बाबोंमें बहुत लाभ होगा।

—रामचन्द्र पिठौरी

४। आपने ऐसे लासे पुस्तक लिखा है जिसमें जी नहीं जबता क्या है वो यह आप उनका चाहते हैं, यह शब्द इसमें नामते नहीं हो जाती है। इन्होंने लोकों का यह प्रश्न गामधिकार्य माहितीके लिए लिखाया है तो वो लोग और पन्न तार बताने वाली हैं। इनमें आपको कौन लिखना चाहता है वो जानेगा।

—रामचन्द्र पिठौरी

५। आपने इस उपर्याकी परमोत्तम प्रथमरक्षणी लिखात लिखी गयारह बाया उपकार लिखा है। आपने जिन दायरा उद्देश्योंमें यह प्रथ्य लिखा है उनमें पूर्ति जो आपको पृथ्य गमनगति प्राप्त होते हैं। यह पुस्तक इन्होंने जगतमें प्राप्त अभूत-पूर्व है।

—स्थामविहारी मिथ

६। इसने पत्रकार-सत्त्वा लायन्ता पड़ी। यह पुस्तक अपने विषय की वर्गीकृतीय है। इसका आदर और प्रचार साहित्य नेतृत्वों तथा पत्र-सम्पादकोंमें लायन्त अपेक्षित है।

—रामचन्द्र शर्मा

७। मैं नि न कोन कह सकता हूँ कि पुस्तक कहुत बहुत बच्ची हुरे है। आपने एसी उत्तम पुस्तक लिखाकर स्तुत्य काम किया है और इसके लिये मैं आपको धधाड़ि देता हूँ।

—स्थामसुन्दर दास

८। पठित विष्णुदत्त शुक्ल की पत्रकार-कला नामकी पुस्तक देराकर बड़ी प्रगणता हुई। शुक्लजी ने इस पुस्तकमें पत्र-नम्पादकोंके जानने और व्यवहार करने योग्य प्राय सब आवश्यक बातोंका समावेश कर दिया है। पुस्तक बास्तवमें बहुत ही उपयोगी है।

—रामचन्द्र शुक्ल

८। पुस्तक प्रशंसनीय ढंग से लिखी गयी है। इसमें जरा भी शक नहीं कि पुस्तक उन लोगों के लिये जिनके लिये वह लिखी गयी हैं, अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

—गोपीनाथ शर्मा (महकमा खास जयपुर स्टेट)

९—The book deals in detail with every phase of journalism and is no doubt well compiled. The book is the best production of the kind in Hindi and the author deserves congratulations

—LEADER

१०। पत्रकार-कला अपने विषय की सबसे पहली और श्रेष्ठ पुस्तक है। सानुभव वर्णन होनेके कारण सम्पादन कलाके क्रियात्मक उपयोग भी इसमें खूब पाये जाते हैं। हमारी समझसे तो किसी भी हिन्दी-पत्र सम्पादकको इस पुस्तकसे बचित न रहना चाहिये। सचमुच शुक्रजीने इसे लिखकर हिन्दी साहित्यकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर दी है।

—सुधा

११। प्रस्तुत पुस्तक ( पत्रकार-कला ) को इस दिशा ( पत्रोच्चति ) में एक प्रकाश स्तम्भ समझना चाहिये। इसमें सम्पादकोंके कामकी प्रायः सभी थावश्यक बातें आगयी हैं और लेखकने उन्हें रोचक ढंग से लिखा है। पत्र-सम्पादन या लेखनका अभ्यास करनेवालोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये।

—सरस्ती

१२। पण्डित विष्णुदत्तजी शुक्रजी हिन्दीमें पत्रकार-कला पर पुस्तक लिखकर हिन्दी साहित्यका बड़ा उपकार किया है। प्रस्तुत पुस्तक नौसिखियोंके लिये बहुत काम की चीज है। ( सब ) विषय स्तरन्वर रूपसे लिखे गये हैं और इनमें मौलिकता है। शुक्रजी इस पुस्तकके लिखनेमें सफल हुये हैं, इसमें सन्देह नहीं।

—देश



